# वार्षिक रिपोर्ट 2016–17

सत्यमेव जयते

स्वावलम्बन
Swavlamban
सशक्तिकरण... EMPOWERMENT...

भारत सरकार

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
## दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

## विषय सूची



| अध्याय / खंड | वर | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1. | ना | 1–2 |
| 2. | लोव | 3–4 |
| 3. | ाक | 5–8 |
| 4. | ाजनेकार अधिनियम, 2016 | 9–43 |
| 5. | ता ापत्रों का मुद्दा | 44 |
| 6. | और्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं | 45–48 |
| 7. | के सांविधिक निकाय | 49–62 |
| 7.1 | देव्यन आयुक्त | 49 |
| 7.2 | न्य | 49 |
| 7.3 | पुनवरिषद | 59 |
| 8. | कीन्न स्कीमें | 63–108 |
| 8.1 | कीमें; एक सिंहावलोकन | 63 |
| 8.2 | कीगी स्कीमें | 63–83 |
| 8.3 | ेन्द्रीत्र स्कीमें | 84–104 |
| 8.4 | विक पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) | 105–108 |

| | | |
|---|---|---|
| **9.** | सार्वजनिक क्षेत्र उद्‌यम | 109–127 |
| **9.1** | राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) | 109 |
| **9.2** | भारत कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिमको) | 119 |
| **10.** | राष्ट्रीय संस्थान एवं केन्द्र | 128–171 |
| **11.** | नई पहलें, विशेष उपलब्धियां एवं घटनाएं | 172–183 |
| **12.** | राष्ट्रीय पुरस्कार | 184 |

## अनुबंध


| अनुबंध | वि | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1. | वि सकरण विभाग को कार्य आवंटन | 184–186 |
| 2. | 20नग के अनुसार विकलांगजनों की राज्यवा जनसंख्या | 187–188 |
| 3. | 20 नर्व जारी किए गए विकलांगता प्रमाणपत्रों की रा थति | 189–190 |
| 4. | ए ना तर्गत 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के दौ न्विज्जेंसियों / राष्ट्रीय संगठनों / एएलआईएमसीओ को ज ई क्रि विवरण | 191–193 |
| 5. | व 17 रान एडिप स्कीम के अंतर्गत कैंप / मुख्यालयी ग हेतुीओ / राज्य निगमों / आईआरसीएस को जारी अ ायत राज्यवार विवरण (31.12.2016 तक) | 194 |
| 6. | व 17 रान (31.12.2016 तक) एडीआईपी योजना के अंतर्गत ए / सीीएस / एलिमको की विभिन्न गतिविधियों के लिए ज ई f | 195–197 |
| 7. | 20 द(31.12.2016 तक) एडिप योजना के अंतर्गत अ शेष | 198–201 |
| 8. | 20 दसिपडा स्कीम के तहत विभिन्न राज्य / संघ शासित प्र धा वातावरण के लिए जारी निधि | 202–203 |
| 9. | (क 17 रान सिपडा स्कीम के तहत बाधामुक्त वातावरण के लि ों / नों के लिए जारी निधि | 204 |
| | (ख स्के तहत 2016–17 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण हे ी ग्नुदान सहायता | 205–207 |
| | (ग स्र्क तहत 2016–17 के दौरान यूडीआईडी परियोजना के री न | 208–213 |
| | (घ स्र्क तहत 2016–17 के दौरान समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों (स को निधियां | 214–216 |

| | | |
|---|---|---|
| | (ड़) सिपडा स्कीम के तहत 2016–17 के दौरान डीडीआरसी को जारी निधियां | 217 |
| | (च) सिपडा स्कीम के तहत 2016–17 के दौरान सुगम्य ऑडिट हेतु जारी निधियां | 218 |
| | (छ) सिपडा स्कीम के तहत 2016–17 के दौरान विविध गतिविधियों के लिए जारी निधियां | 219 |
| 10. | वर्ष 2016–17 (31.12.2016 तक) के दौरान दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस) के तहत एनजीओ को जारी की गई अनुदान सहायता के ब्यौरे | 220–280 |
| 11. | वर्ष 2016–17 (31.12.2016 तक) के दौरान दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस) के तहत एनजीओ को अनुदान सहायता के राज्यवार ब्यौरे का सार | 281–282 |
| 12. | वर्ष 2016–17 के दौरान सिपडा/डीडीआरएस के तहत डीडीआरसी को जारी की गई अनुदान सहायता | 283–284 |
| 13. | राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा चलाए गए अल्पावधि पाठ्यक्रमों (वर्ष की अवधि में एक या उससे अधिक) के ब्यौरे | 285–290 |
| 14. | ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकिकरण / क्षमता बढाने की सहायता हेतु स्कमी के तहत जारी की गई निधियों के ब्यौरे | 291–292 |
| 15. | राष्ट्रीय पुरस्कार, 2016 के प्राप्तकर्ताओं की सूची | 293–299 |
| | शब्दावली | 300–316 |

# 1 अध्याय प्रस्तावना

## 1.1 पृष्ठभूमि

दिव्यांगजनों त अशक्तिकरण पर लक्षित विभिन्न नीतिगत मसलों पर ध्यान केन्द्रित करने और संबंधित गतिि साज़ोर देने के लिए 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करवक ब्रेलिटी कार्य विभाग बनाया गया था। दिनांक 08.12.2014 को इस विभाग का नाम बदलकर जनक्तिकरण विभाग कर दिया गया। इसके बाद 17 मई, 2016 से विभाग का नाम दिव्यांगजन सण । परिर्वतीत किया गया है। यह विभाग विभिन्न पणधारकों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य रात्र सरकारों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के बीच प्रभावी करीबी समन्वयन सहित विकलां विता से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

## 1.2 विभाग के क

1.2.1 भारर (आवंटन) नियमावली के अनुसार विभाग के लिए आबंटित कार्य **अनुबंध–1 (पृ** में िए हैं। विभाग को मुख्य रूप से विकलांगजनों के सशक्तिकरण का कार्य सौंपा गय

1.2.2 **वि**सा शी समाज बनाना जिसमें विकलांग व्यक्तियों की उन्नति और विकास के लिए सम प्रकेए जाते हैं ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके

1.2.3 **मि** विअधिनियमों /संस्थाओं /संगठनों तथा पुनर्वास की योजनाओं के माध्यम से विक्तेर सशक्त करना और एक ऐसा समर्थकारी वातावरण सृजित करना जो ऐसे व्यसिम समान अवसर और उनके अधिकारों का संरक्षण प्रदान करे और उन्हें समाज के उत्सदस्यों के रूप में भाग लेने के लिए सक्षम बनाए।

1.2.4 अप को रने एवं मिशन को सफल बनाने के लिए, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए प्रया है–

(क) पुनर्वास के लिए नीचे उल्लिखित उपाय करना–

(i) शारीरिक पुनर्वास, जिसमें जल्दी पता लगाना तथा शीघ्र हस्तक्षेप, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास तथा विकलांगताओं के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्ता सहायक तंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता शामिल है:

(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित शैक्षणिक पुनर्वास

(iii) आर्थिक पुनर्वास और

(iv) सामाजिक सशक्तिकरण

(ख) पुनर्वास व्यावसायिकों / कर्मियों को तैयार करना।

(ग) आंतरिक कार्य–दक्षता/प्रतिक्रियाशीलता/सेवा प्रदायगी में सुधार।

(घ) समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता सृजन के माध्यम से विकलांगजनों के सशक्तिकरण का समर्थन।

## 1.3 लक्ष्य समूहः दिव्यांगजन

दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2(न), (जिसे पीडब्यूडी अधिनियम, 1995 के रूप में भी जाना जाता है) ''विकलांगजन'' को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी विकलांगता से न्यूनतम 40 प्रतिशत पीड़ित है।

यह विकलांगता (क) दृष्टिबाधिता (ख) कम दृष्टि (ग) कुष्ठ रोग उपचारित (घ) श्रवण बाधिता (ङ) चलन विकलांगता (च) मानसिक रोग (छ) मानसिक मंदता (ज) स्वलीनता (ऑटिज्मक), (झ) प्रमस्तिष्क अंगघात (सेरेब्रल पाल्सी) अथवा (ञ) (छ), ज) में से दो या अधिक का संयोजन, हो सकता है और (ऑटिज्मय, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 (ञ) के साथ पठित विकलांगजन अधिनियम, 1995 की धारा 2 (झ)

# 2 अध्याय

# सिंहावलोकन

2.1 वर्ष 2011 की  केाार, भारत में 2.68 करोड़ विकलांगजन हैं (जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है)। कांगज से 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ स्त्रियां हैं। इनमें दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक बान ा, मानसिक रोगी, मानसिक मंदता, बहु निःशक्तता तथा अन्य निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति श

जबकि जनग औ11 के अनुसार, विकलांगजनों की राज्यवार संख्या का विवरण **अनुलग्नक 2 (पृष्ठ–187)** पया ागणना 2011 के अनुसार विकलांगता के प्रकार के अनुसार, उनकी संख्या का विवरण निम्नव

**लांगजनों की श्रेणी–वार संख्याः**
**जनगणनाः 2011 के अनुसार**

| निशक्तता के प्रव | ) और प्रतिशत | पुरुष एवं प्रतिशत | स्त्री एवं प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| देखने में | 0,33,431 | 26,39,028 | 23,94,403 |
| सुनने में | 0,72,914 | 26,78,584 | 23,94,330 |
| बोलने म | 9,98,692 | 11,22,987 | 8,75,705 |
| चलने में | 4,36,826 | 33,70,501 | 20,66,325 |
| मानसिक मंदता | 5,05,964 | 8,70,898 | 6,35,066 |
| मानसिक रोगी | ',22,880 | 4,15,758 | 3,07,122 |
| कोई अन्य | 9,27,589 | 27,28,125 | 21,99,464 |
| बहु विकलांगता | 1,16,698 | 11,62,712 | 9,53,986 |
| **कुल** | **;8,14,994** | **1,49,885,93(55.89)** | **11,8264,01(44.1)** |

| आवास भारत, 2011 द्वारा निशक्तजन जनसंख्या | | | |
|---|---|---|---|
| आवास | व्यक्ति | पुरूष | महिला |
| कुल | 26,810,557 | 14,986,202 | 11,824,355 |
| ग्रामीण | 18,631,921 (69.49%) | 10,408,168 | 8,223,753 |
| शहरी | 8,178,636 (30.5%) | 4,578,034 | 3,600,602 |

*स्रोतः महापंजिकार एवं जनगणना आयुक्त, भारत का कार्यालय

# 3 अध्याय सांविधिक ढांचा

## 3.1 संबद्ध संवैधावध

भारतीय संविध प्रग के माध्यम से अन्य बातों के साथ साथ अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आ राज्क न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर कीनिर्किरता है।

संविधान का भभी रेकों (और कुछ मामलों में गैर नागरिकों के लिए भी) के लिए छः मौलिक अधिकार प्रदान। ञामिल हैं: समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिताअधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सार ांगजनों के लिए भी उपलब्ध हैं, तथापि संविधान के इस भाग में ऐसे व्यक्तियों का कोई विशिष नह्या गया है।

संविधान के भाराज्यनीति के निदेशक तत्व शामिल किए गए हैं। यद्यपि ये गैर न्यायाधीन हैं, इन्हें देश के शासनक घकिया गया है। इन सिद्धांतों का राज्य की नीति का अनिवार्य आधार होना आशयित है। येंं भके विधायकों और कार्यपालकों के मार्गदर्शन के लिए उन्हें दिए गए अनुदेशों स्वरूप हैं।

**"अनुच्छेद 41ााअक़ाम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार**

"राज्य अपनी ामथ्र विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी क्तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभा करे इसके अलावा, अनुच्छेद 243–छ की 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243–ब की 12वीं अनुरआथिकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों के कार्यान्वियन से संबंधित क्रमशः पंचायतों एवं नाओंशक्तियों एवं जिम्मेदारियों से संबंधित हैं, में समाज के अन्य कमजोर वर्गों में विकलांगजनों ग अनके हितों का संरक्षण शामिल है। उक्त अनुसूचियों के संबंधित उद्धरण नीचे प्रस्तुत हैः

**अनुच्छेद 243 1वींसूचीः** '"विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्वेष्टि6)।

**अनुच्छेद –243ब की 12वीं अनुसूची:'** ''विकलांग और मानसिक रूप मंद व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण'' ' (प्रविष्टि सं 09)।

विभाग विकलांगता के विभिन्नि पहलुओं और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण एवं सशक्तिकरण को शासित करने वाले निम्नललिखित विधानों का कार्यान्वयन करता है :–

1. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम,1992
2. विकलांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, और
3. स्वलीनता, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999.

इन अधिनियमों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गयी है:–

## 3.2 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992

भारतीय पुनर्वास परिषद को समिति पंजिकरण अधिनियम के तहत समिति के रूप में स्थापित किया गया था। इसे संसद अधिनियम नामतः भारत पूनर्वास परिषद अधिनियम 1992 द्वारा सांविधिक अस्तितव प्रदान किया गया था। इसे व्यापक आधारित बनाने के लिए अधिनियम को वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था। परिषद पुनर्वास व्यावसायिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण का नियमन और इसको मॉनीटर करता है और पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।

**इस परिषद को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :**

(i) शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।

(ii) भारत में पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों हेतु विश्रविद्यालयों इत्यादि द्वारा प्रदत्त अर्हताओं की मान्यता के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना।

(iii) भारत के बाहर के संस्थानों की अर्हताओं के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना

(iv) परीक्षाओं में निरीक्षण करना।

(v) पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों का पंजीकरण।

(vi) पंजीकृत व्यक्तियों के विशेषाधिकारों और व्यावसायिक आचार को निर्धारित करना।

## 3.3 निशक्तजन अ अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

एशिया और प्र हेतु क और समाज आयोग द्वारा 1–5 दिसम्बर, 1992 में, बीजिंग में आयोजित, विकलांगजनों ाई शांत दशक 1993 – 2002 को शुरू करने हेतु बैठक में अंगीकृत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जनोंपूर्ण सहभागिता और समानता संबंधी उद्‌घोषणा को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरका लां (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम), 1995 अधिनियमित ित ऊद्‌घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।

विकलांगजनों पुनर्नियोजन, गैर भेदभाव और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले इस अधिनियम में ''विकलांगत दृष्टिा, न्यून दृष्टि, श्रवण बाधिता, चलन संबंधी विकलांगता, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्ण ुष्ठ से मुक्त हो चुके व्यक्तियों में उत्पन्न विकलांगता के रूप में परिभाषित किया गया है। यह ''जन'' चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति के पत्ति करता है।

चूँकि ''विकलां त ...विषय सूची II की मद सं.9 : संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आता है धेनिो सूची I की मद संख्या 13: संघ सूचीः ''अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, परिसंघों और अन्य निकायों री और इनमें लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करना'' के साथ पठित अनुच्छेद 253 के अंतर्गत मिया गया है, जो संसद को ''अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान'' अधिनि ने क्ति देता है।

### 3.3.1 इस अधिनियम विशे बदलने के प्रयास

विकलांगजन ( सर,कार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, के उपबंधों के सामंजस्य और साथ ही बे न्विनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्य के साथ सरकार ने राज्य सभा में 07.02.2014 को विकलांग धेकयेयक 2014 प्रस्तुत किया था। विधेयक को संसदीय समिति को जांच और रिपोर्ट हेतु भेज संसस्थायी समिति ने दिनांक 07.05.2015 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सरकार ने संस ो सकी सिफारिशों पर विचार किया और तदनुसार कुछ अधिकारिक संशोधनों के साथ विधेयक ि े एरेत करने के लिए संसद गई। विधेयक 14.12.2016 को अधिकारिक संशोधनों के साथ–साथ ा द्वारित किया गया। बाद में विधेयक 16.12.2016 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। नि अधिअधिनियम, 2016, 28.12.2016 को अधिसूचित किया गया है।

**निशक्जन अ धेयब संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और 28 दिसंबर, 2016 को 'निशक्तजन अधि, 2016' के रूप में भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। अधिनियम की नासार अलग से अध्याय–04 में प्रस्तुत किया गया है। (निशक्तजन अधिकार अधि 016हिन्दी रूपांतरण, राजभाषा विधायी विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है।)**

## 3.4 ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास

### 1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ संसद के वर्ष 1999 के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

(i) विकलांगजनों को स्वतंत्रतापूर्वक और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।

(ii) विकलांग व्यक्तियों को अपने स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ करना।

(iii) विकलांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।

(iv) विकलांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।

(v) विकलांगजनों के माता–पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।

(vi) जिन विकलांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित करना।

(vii) विकलांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर करना।

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्यकरण जो पूर्वोक्त उद्देश्यों का आनुषंगिक हो।

# 4 अध्याय

# दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

र.ल॰—0007/2003—16 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—16

ात का राजपत्र
e Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

र दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2016/ पौष 07, 1938 (शक)
N DEEDNESDAY, DECEMBER 28, 2016/PAUSHA 07, 1938 (SAKA)

ं भिन्न्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
ing is this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

**ISTRY OF LAW AND JUSTICE**
**(Legislative Department)**

*New Delhi, the 28th December,* 2016/*Pausha* 17, 1938 (*Saka*)

lowi of Parliament received the assent of the President on the 2 r, 20 is hereby published for general information:—

RIG F PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016

(No. 49 OF 2016)

[27*th December,* 2016]

A give to the United Nations Convention on the Rights of s witbilities and for matters connected therewith or incidental

s the Nations General Assembly adopted its Convention on the Rights o h Dis on the 13th day of December, 2006;

EREAforesaid Convention lays down the following principles for e of pe with disabilities,—

) res inherent dignity, individual autonomy including the freedom to e's oices, and independence of persons;

) nomination;

) fullective participation and inclusion in society;

) res difference and acceptance of persons with disabilities as part of livers humanity;

(*e*) equality of opportunity;

(*f*) accessibility;

(*g*) equality between men and women;

(*h*) respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities;

AND WHEREAS India is a signatory to the said Convention;

AND WHEREAS India ratified the said Convention on the 1st day of October, 2007;

AND WHEREAS it is considered necessary to implement the Convention aforesaid.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

## CHAPTER I

### PRELIMINARY

Short title and commencement.

**1.** (*1*) This Act may be called the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

(*2*) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

**2.** In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "appellate authority" means an authority notified under sub-section (*3*) of section 14 or sub-section (*1*) of section 53 or designated under sub-section (*1*) of section 59, as the case may be;

(*b*) "appropriate Government" means,—

(*i*) in relation to the Central Government or any establishment wholly or substantially financed by that Government, or a Cantonment Board constituted under the Cantonments Act, 2006, the Central Government; 41 of 2006.

(*ii*) in relation to a State Government or any establishment, wholly or substantially financed by that Government, or any local authority, other than a Cantonment Board, the State Government.

(*c*) "barrier" means any factor including communicational, cultural, economic, environmental, institutional, political, social, attitudinal or structural factors which hampers the full and effective participation of persons with disabilities in society;

(*d*) "care-giver" means any person including parents and other family Members who with or without payment provides care, support or assistance to a person with disability;

(*e*) "certifying authority" means an authority designated under sub-section (*1*) of section 57;

(*f*) "communication" includes means and formats of communication, languages, display of text, Braille, tactile communication, signs, large print, accessible multimedia, written, audio, video, visual displays, sign language, plain-language, human-reader, augmentative and alternative modes and accessible information and communication technology;

(*g*) "competent authority" means an authority appointed under section 49;

(*h*) "discrimination" in relation to disability, means any distinction, exclusion, restriction on the basis of disability which is the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field and includes all forms of discrimination and denial of reasonable accommodation;

(*i*) ‘lishment” includes a Government establishment and private ishn

(*j*) “ means the National Fund constituted under section 86;

(*k*) rnment establishment” means a corporation established by or under a al A tate Act or an authority or a body owned or controlled or aided by the rnma local authority or a Government company as defined in section 2 of

18 of 2013. omp Act, 2013 and includes a Department of the Government;

(*l*) support” means an intensive support, physical, psychological and wisch may be required by a person with benchmark disability for daily itie ake independent and informed decision to access facilities and cipa all areas of life including education, employment, family and community and ent and therapy;

(*m*lusive education” means a system of education wherein students with with ability learn together and the system of teaching and learning is suitably pted et the learning needs of different types of students with disabilities;

(*n*ormation and communication technology” includes all services and ovat lating to information and communication, including telecom services, b bar vices, electronic and print services, digital and virtual services;

(itution” means an institution for the reception, care, protection, education, nin bilitation and any other activities for persons with disabilities;

(al authority” means a Municipality or a Panchayat, as defined in clause (*e*) d cl) of article 243P of the Constitution; a Cantonment Board constituted der antonments Act, 2006; and any other authority established under an Act

41 of 2006. Parl t or a State Legislature to administer the civic affairs;

otification” means a notification published in the Official Gazette and the pres notify” or “notified” shall be construed accordingly;

erson with benchmark disability” means a person with not less than forty r cea specified disability where specified disability has not been defined in eas terms and includes a person with disability where specified disability has een d in measurable terms, as certified by the certifying authority;

erson with disability” means a person with long term physical, mental, ntell or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full nd e participation in society equally with others;

erson with disability having high support needs” means a person with encl disability certified under clause (*a*) of sub-section (*2*) of section 58 who eed support;

prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

rivate establishment” means a company, firm, cooperative or other society, sso s, trust, agency, institution, organisation, union, factory or such other stab ent as the appropriate Government may, by notification, specify;

‘public building” means a Government or private building, used or accessed by t ic at large, including a building used for educational or vocational purposes, work commercial activities, public utilities, religious, cultural, leisure or recreational acti medical or health services, law enforcement agencies, reformatories or judicial fora way stations or platforms, roadways bus stands or terminus, airports or wat s;

‘public facilities and services” includes all forms of delivery of services to the p t large, including housing, educational and vocational trainings, employment

and career advancement, shopping or marketing, religious, cultural, leisure or recreational, medical, health and rehabilitation, banking, finance and insurance, communication, postal and information, access to justice, public utilities, transportation;

(*y*) "reasonable accommodation" means necessary and appropriate modification and adjustments, without imposing a disproportionate or undue burden in a particular case, to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise of rights equally with others;

(*z*) "registered organisation" means an association of persons with disabilities or a disabled person organisation, association of parents of persons with disabilities, association of persons with disabilities and family members, or a voluntary or non-governmental or charitable organisation or trust, society, or non-profit company working for the welfare of the persons with disabilities, duly registered under an Act of Parliament or a State Legislature;

(*za*) "rehabilitation" refers to a process aimed at enabling persons with disabilities to attain and maintain optimal, physical, sensory, intellectual, psychological environmental or social function levels;

(*zb*) "Special Employment Exchange" means any office or place established and maintained by the Government for the collection and furnishing of information, either by keeping of registers or otherwise, regarding—

(*i*) persons who seek to engage employees from amongst the persons with disabilities;

(*ii*) persons with benchmark disability who seek employment;

(*iii*) vacancies to which persons with benchmark disabilities seeking employment may be appointed;

(*zc*) "specified disability" means the disabilities as specified in the Schedule;

(*zd*) "transportation systems" includes road transport, rail transport, air transport, water transport, para transit systems for the last mile connectivity, road and street infrastructure, etc.;

(*ze*) "universal design" means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialised design and shall apply to assistive devices including advanced technologies for particular group of persons with disabilities.

## CHAPTER II

### RIGHTS AND ENTITLEMENTS

Equality and non-discrimination.

**3.** (*1*) The appropriate Government shall ensure that the persons with disabilities enjoy the right to equality, life with dignity and respect for his or her integrity equally with others.

(*2*) The appropriate Government shall take steps to utilise the capacity of persons with disabilities by providing appropriate environment.

(*3*) No person with disability shall be discriminated on the ground of disability, unless it is shown that the impugned act or omission is a proportionate means of achieving a legitimate aim.

(*4*) No person shall be deprived of his or her personal liberty only on the ground of disability.

(*5*) The appropriate Government shall take necessary steps to ensure reasonable accommodation for persons with disabilities.

**4.** *(1)* T iaternment and the local authorities shall take measures to ensure that th nd c with disabilities enjoy their rights equally with others. Women and children with disabilities.

*(2)* The : Goent and local authorities shall ensure that all children with disabilities sh ght equal basis to freely express their views on all matters affecting them e thropriate support keeping in view their age and disability.".

**5.** *(1)* T withilities shall have the right to live in the community. Community life.

*(2)* Th te Cment shall endeavour that the persons with disabilities are,—

(*c* ed tn any particular living arrangement; and

(*b* ess nge of in-house, residential and other community support services perassistance necessary to support living with due regard to age and

**6.** *(1)* Triaternment shall take measures to protect persons with disabilities fr bje torture, cruel, inhuman or degrading treatment. Protection from cruelty and inhuman treatment.

*(2)* No h dis shall be a subject of any research without,—

(*i* r fre informed consent obtained through accessible modes, means a of unication; and

(*i* missa Committee for Research on Disability constituted in the prescrib for rpose by the appropriate Government in which not less than hal nber themselves be either persons with disabilities or Members of the r gan as defined under clause (*z*) of section 2.

**7.** *(1)* Triaternment shall take measures to protect persons with disabilities fr ns ce, violence and exploitation and to prevent the same, shall— Protection from abuse, violence and exploitation.

(*a* izanncidents of abuse, violence and exploitation and provide legal re ilablnst such incidents;

(*b* s foing such incidents and prescribe the procedure for its reportin

(*c* to , protect and rehabilitate victims of such incidents; and

(*d* arend make available information among the public.

*(2)* Any regi organisation who or which has reason to believe that an act of abuse, expon has been, or is being, or is likely to be committed against any pe isabay give information about it to the Executive Magistrate within the loc whcsdiction such incidents occur.

*(3)* The Mae on receipt of such information, shall take immediate steps to stop c ts occe, as the case may be, or pass such order as he deems fit for the prot ch with disability including an order—

(*a* the of such act, authorising the police or any organisation working s wabilities to provide for the safe custody or rehabilitation of such bothe case may be;

(*b* ling tive custody to the person with disability, if such person so desir

(*c* mance to such person with disability.

*(4)* Any cer ceives a complaint or otherwise comes to know of abuse, violence or ex war person with disability shall inform the aggrieved person of—

(*a*) his or her right to apply for protection under sub-section (*2*) and the particulars of the Executive Magistrate having jurisdiction to provide assistance;

(*b*) the particulars of the nearest organisation or institution working for the rehabilitation of persons with disabilities;

(*c*) the right to free legal aid; and

(*d*) the right to file a complaint under the provisions of this Act or any other law dealing with such offence:

Provided that nothing in this section shall be construed in any manner as to relieve the police officer from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to the commission of a cognizable offence.

(*5*) If the Executive Magistrate finds that the alleged act or behaviour constitutes an offence under the Indian Penal Code, or under any other law for the time being in force, he may forward the complaint to that effect to the Judicial or Metropolitan Magistrate, as the case may be, having jurisdiction in the matter. 45 of 1860.

Protection and safety.

**8.** (*1*) The persons with disabilities shall have equal protection and safety in situations of risk, armed conflict, humanitarian emergencies and natural disasters.

(*2*) The National Disaster Management Authority and the State Disaster Management Authority shall take appropriate measures to ensure inclusion of persons with disabilities in its disaster management activities as defined under clause (*e*) of section 2 of the Disaster Management Act, 2005 for the safety and protection of persons with disabilities. 53 of 2005.

(*3*) The District Disaster Management Authority constituted under section 25 of the Disaster Management Act, 2005 shall maintain record of details of persons with disabilities in the district and take suitable measures to inform such persons of any situations of risk so as to enhance disaster preparedness. 53 of 2005.

(*4*) The authorities engaged in reconstruction activities subsequent to any situation of risk, armed conflict or natural disasters shall undertake such activities, in consultation with the concerned State Commissioner, in accordance with the accessibility requirements of persons with disabilities.

Home and family.

**9.** (*1*) No child with disability shall be separated from his or her parents on the ground of disability except on an order of competent court, if required, in the best interest of the child.

(*2*) Where the parents are unable to take care of a child with disability, the competent court shall place such child with his or her near relations, and failing that within the community in a family setting or in exceptional cases in shelter home run by the appropriate Government or non-governmental organisation, as may be required.

Reproductive rights.

**10.** (*1*) The appropriate Government shall ensure that persons with disabilities have access to appropriate information regarding reproductive and family planning.

(*2*) No person with disability shall be subject to any medical procedure which leads to infertility without his or her free and informed consent.

Accessibility in voting.

**11.** The Election Commission of India and the State Election Commissions shall ensure that all polling stations are accessible to persons with disabilities and all materials related to the electoral process are easily understandable by and accessible to them.

Access to justice.

**12.** (*1*) The appropriate Government shall ensure that persons with disabilities are able to exercise the right to access any court, tribunal, authority, commission or any other body having judicial or quasi-judicial or investigative powers without discrimination on the basis of disability.

(*2*) The appropriate Government shall take steps to put in place suitable support measures for persons with disabilities specially those living outside family and those disabled requiring high support for exercising legal rights.

( ional Services Authority and the State Legal Services Authorities constitu the Services Authorities Act, 1987 shall make provisions including reason: amo to ensure that persons with disabilities have access to any scheme ne, f or service offered by them equally with others. 39 of 1987.

( roprovernment shall take steps to—

nsurall their public documents are in accessible formats;

nsurdhe filing departments, registry or any other office of records are s th rary equipment to enable filing, storing and referring to the d and ice in accessible formats; and

ake ble all necessary facilities and equipment to facilitate recording c es, ants or opinion given by persons with disabilities in their preferred l. d mf communication.

1 appte Government shall ensure that the persons with disabilities have ri y wi:rs, to own or inherit property, movable or immovable, control their fi irs ve access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit. Legal capacity.

( roprovernment shall ensure that the persons with disabilities enjoy legal c: n easis with others in all aspects of life and have the right to equal recogn whemy other person before the law.

a coof interest arises between a person providing support and a person lity rticular financial, property or other economic transaction, then such su erso abstain from providing support to the person with disability in that tra

I at thall not be a presumption of conflict of interest just on the basis that th g pis related to the person with disability by blood, affinity or adoptic

( witbility may alter, modify or dismantle any support arrangement and se ort cher:

nat lteration, modification or dismantling shall be prospective in nature not any third party transaction entered into by the person with disabili afo support arrangement.

rsoniding support to the person with disability shall not exercise undue nd sspect his or her autonomy, dignity and privacy.

1 vithng anything contained in any other law for the time being in force, n th of commencement of this Act, where a district court or any designa ty, aied by the State Government, finds that a person with disability, who ha ovidequate and appropriate support but is unable to take legally binding mərovided further support of a limited guardian to take legally binding on half in consultation with such person, in such manner, as may be prescril Staternment: Provision for guardianship.

P at thrict Court or the designated authority, as the case may be, may grant to to tson with disability requiring such support or where the limited guardia be d repeatedly, in which case, the decision regarding the support to be p ll bwed by the Court or the designated authority, as the case may be, to c e nnd manner of support to be provided.

*E*.—l purposes of this sub-section, "limited guardianship" means a system ision operates on mutual understanding and trust between the guardian and the dis which shall be limited to a specific period and for specific decision and situ hall e in accordance to the will of the person with disability.

(*2*) On and from the date of commencement of this Act, every guardian appointed under any provision of any other law for the time being in force, for a person with disability shall be deemed to function as a limited guardian.

(*3*) Any person with disability aggrieved by the decision of the designated authority appointing a legal guardian may prefer an appeal to such appellate authority, as may be notified by the State Government for the purpose.

Designation of authorities to support.

**15.** (*1*) The appropriate Government shall designate one or more authorities to mobilise the community and create social awareness to support persons with disabilities in exercise of their legal capacity.

(*2*) The authority designated under sub-section (*1*) shall take measures for setting up suitable support arrangements to exercise legal capacity by persons with disabilities living in institutions and those with high support needs and any other measures as may be required.

CHAPTER III

EDUCATION

Duty of educational institutions.

**16.** The appropriate Government and the local authorities shall endeavour that all educational institutions funded or recognised by them provide inclusive education to the children with disabilities and towards that end shall—

(*i*) admit them without discrimination and provide education and opportunities for sports and recreation activities equally with others;

(*ii*) make building, campus and various facilities accessible;

(*iii*) provide reasonable accommodation according to the individual's requirements;

(*iv*) provide necessary support individualised or otherwise in environments that maximise academic and social development consistent with the goal of full inclusion;

(*v*) ensure that the education to persons who are blind or deaf or both is imparted in the most appropriate languages and modes and means of communication;

(*vi*) detect specific learning disabilities in children at the earliest and take suitable pedagogical and other measures to overcome them;

(*vii*) monitor participation, progress in terms of attainment levels and completion of education in respect of every student with disability;

(*viii*) provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs.

Specific measures to promote and facilitate inclusive education.

**17.** The appropriate Government and the local authorities shall take the following measures for the purpose of section 16, namely:—

(*a*) to conduct survey of school going children in every five years for identifying children with disabilities, ascertaining their special needs and the extent to which these are being met:

Provided that the first survey shall be conducted within a period of two years from the date of commencement of this Act;

(*b*) to establish adequate number of teacher training institutions;

(*c*) to train and employ teachers, including teachers with disability who are qualified in sign language and Braille and also teachers who are trained in teaching children with intellectual disability;

(*d*) to train professionals and staff to support inclusive education at all levels of school education;

(ish ate number of resource centres to support educational instituti evelhool education;

(e the appropriate augmentative and alternative modes including means of cnication, Braille and sign language to supplement the use of one's ch td the daily communication needs of persons with speech, commu langdisabilities and enables them to participate and contribute to their y anety;

(le bother learning materials and appropriate assistive devices to stude enchdisabilities free of cost up to the age of eighteen years;

(de sships in appropriate cases to students with benchmark disabili

(uitadifications in the curriculum and examination system to meet th stuwith disabilities such as extra time for completion of examin, fac scribe or amanuensis, exemption from second and third languag

(e re to improve learning; and

( me, as may be required.

**18.** The te Gment and the local authorities shall take measures to promote, prot ure pation of persons with disabilities in adult education and continuing ed gra equally with others. Adult education.

CHAPTER IV

SKVELOPMENT AND EMPLOYMENT

**19.** (*1*) iate nment shall formulate schemes and programmes including provision of nces rates to facilitate and support employment of persons with disabiliti ly fo vocational training and self-employment. Vocational training and self-employment.

(*2*) The nd pmes referred to in sub-section (*1*) shall provide for—

( of with disability in all mainstream formal and non-formal vocatio l traschemes and programmes;

( thason with disability has adequate support and facilities to avail sp ng;

( skiling programmes for persons with disabilities with active links wi ket, se with developmental, intellectual, multiple disabilities and auti

(concal rates including that of microcredit;

(g thacts made by persons with disabilities; and

(nce ggregated data on the progress made in the skill training and self nt, ing persons with disabilities.

**20.** (*1*) nmeblishment shall discriminate against any person with disability in a latimployment: Non-discrimination in employment.

Provid appe Government may, having regard to the type of work carried on in ishmy notification and subject to such conditions, if any, exempt any e t fr provisions of this section.

(*2*) Eve nentlishment shall provide reasonable accommodation and appropriate b nd cive environment to employees with disability.

(*3*) No hallnied to a person merely on the ground of disability.

(*4*) No t estment shall dispense with or reduce in rank, an employee who acquires dur or her service:

Provided that, if an employee after acquiring disability is not suitable for the post he was holding, shall be shifted to some other post with the same pay scale and service benefits:

Provided further that if it is not possible to adjust the employee against any post, he may be kept on a supernumerary post until a suitable post is available or he attains the age of superannuation, whichever is earlier.

(*5*) The appropriate Government may frame policies for posting and transfer of employees with disabilities.

Equal opportunity policy.

**21.** (*1*) Every establishment shall notify equal opportunity policy detailing measures proposed to be taken by it in pursuance of the provisions of this Chapter in the manner as may be prescribed by the Central Government.

(*2*) Every establishment shall register a copy of the said policy with the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be.

Maintenance of records.

**22.** (*1*) Every establishment shall maintain records of the persons with disabilities in relation to the matter of employment, facilities provided and other necessary information in compliance with the provisions of this Chapter in such form and manner as may be prescribed by the Central Government.

(*2*) Every employment exchange shall maintain records of persons with disabilities seeking employment.

(*3*) The records maintained under sub-section (*1*) shall be open to inspection at all reasonable hours by such persons as may be authorised in their behalf by the appropriate Government.

Appointment of Grievance Redressal Officer.

**23.** (*1*) Every Government establishment shall appoint a Grievance Redressal Officer for the purpose of section 19 and shall inform the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be, about the appointment of such officer.

(*2*) Any person aggrieved with the non-compliance of the provisions of section 20, may file a complaint with the Grievance Redressal Officer, who shall investigate it and shall take up the matter with the establishment for corrective action.

(*3*) The Grievance Redressal Officer shall maintain a register of complaints in the manner as may be prescribed by the Central Government, and every complaint shall be inquired within two weeks of its registration.

(*4*) If the aggrieved person is not satisfied with the action taken on his or her complaint, he or she may approach the District-Level Committee on disability.

## CHAPTER V

### SOCIAL SECURITY, HEALTH, REHABILITATION AND RECREATION

Social security.

**24.** (*1*) The appropriate Government shall within the limit of its economic capacity and development formulate necessary schemes and programmes to safeguard and promote the right of persons with disabilities for adequate standard of living to enable them to live independently or in the community:

Provided that the quantum of assistance to the persons with disabilities under such schemes and programmes shall be at least twenty-five per cent. higher than the similar schemes applicable to others.

(*2*) The appropriate Government while devising these schemes and programmes shall give due consideration to the diversity of disability, gender, age, and socio-economic status.

(*3*) The schemes under sub-section (*1*) shall provide for,—

(*a*) community centres with good living conditions in terms of safety, sanitation, health care and counselling;

(*b*) facilities for persons including children with disabilities who have no family or have been abandoned, or are without shelter or livelihood;

(*c*) support during natural or man-made disasters and in areas of conflict;

(d o wwith disability for livelihood and for upbringing of their childrer

(e sa king water and appropriate and accessible sanitation facilitie in slums and rural areas;

(f s ofand appliances, medicine and diagnostic services and correcti free t to persons with disabilities with such income ceiling as may be

(g pen persons with disabilities subject to such income ceiling as may ;

(h mewance to persons with disabilities registered with Special Employ angaore than two years and who could not be placed in any gainful ;

(i alle to persons with disabilities with high support needs;

(j nsivrance scheme for persons with disability, not covered under th es Ssurance Schemes, or any other statutory or Government-sponsor ce s:s;

(k matich the appropriate Government may think fit.

**25.** (*1*) pria ernment and the local authorities shall take necessary measures for t witbilities to provide,— Healthcare.

(a hcane vicinity specially in rural area subject to such family income notif

(b e ac all parts of Government and private hospitals and other healthca ons entres;

(c atte and treatment.

(2) The e Goent and the local authorities shall take measures and make schemes mesmote healthcare and prevent the occurrence of disabilities and for the sai shal

(a or to be undertaken surveys, investigations and research concerni se orrence of disabilities;

(b aricthods for preventing disabilities;

(c) the en at least once in a year for the purpose of identifying "at-risk"

(d cilit training to the staff at the primary health centres;

(e) r catbe sponsored awareness campaigns and disseminate or cause to natermation for general hygiene, health and sanitation;

(f) ires -natal, perinatal and post-natal care of mother and child;

(g) e purough the pre-schools, schools, primary health centres, village l s a*ranwadi* workers;

(h) aremongst the masses through television, radio and other mass me causdisabilities and the preventive measures to be adopted;

(i) dur time of natural disasters and other situations of risk;

(j) edic ities for life saving emergency treatment and procedures; and

(k) repive healthcare especially for women with disability.

**26.** The Goent shall, by notification, make insurance schemes for their employee biliti Insurance schemes.

**27.** (*1*) Tl ate Gment and the local authorities shall within their economic capacity and de , une or cause to be undertaken services and programmes of Rehabilitation.

rehabilitation, particularly in the areas of health, education and employment for all persons with disabilities.

(2) For the purposes of sub-section (*1*), the appropriate Government and the local authorities may grant financial assistance to non-Governmental Organisations.

(*3*) The appropriate Government and the local authorities, while formulating rehabilitation policies shall consult the non-Governmental Organisations working for the cause of persons with disabilities.

Research and development.

**28.** The appropriate Government shall initiate or cause to be initiated research and development through individuals and institutions on issues which shall enhance habilitation and rehabilitation and on such other issues which are necessary for the empowerment of persons with disabilities.

Culture and recreation.

**29.** The appropriate Government and the local authorities shall take measures to promote and protect the rights of all persons with disabilities to have a cultural life and to participate in recreational activities equally with others which include,—

(*a*) facilities, support and sponsorships to artists and writers with disability to pursue their interests and talents;

(*b*) establishment of a disability history museum which chronicles and interprets the historical experiences of persons with disabilities;

(*c*) making art accessible to persons with disabilities;

(*d*) promoting recreation centres, and other associational activities;

(*e*) facilitating participation in scouting, dancing, art classes, outdoor camps and adventure activities;

(*f*) redesigning courses in cultural and arts subjects to enable participation and access for persons with disabilities;

(*g*) developing technology, assistive devices and equipments to facilitate access and inclusion for persons with disabilities in recreational activities; and

(*h*) ensuring that persons with hearing impairment can have access to television programmes with sign language interpretation or sub-titles.

Sporting activities.

**30.** (*1*) The appropriate Government shall take measures to ensure effective participation in sporting activities of the persons with disabilities.

(*2*) The sports authorities shall accord due recognition to the right of persons with disabilities to participate in sports and shall make due provisions for the inclusion of persons with disabilities in their schemes and programmes for the promotion and development of sporting talents.

(*3*) Without prejudice to the provisions contained in sub-sections (*1*) and (*2*), the appropriate Government and the sports authorities shall take measures to,—

(*a*) restructure courses and programmes to ensure access, inclusion and participation of persons with disabilities in all sporting activities;

(*b*) redesign and support infrastructure facilities of all sporting activities for persons with disabilities;

(*c*) develop technology to enhance potential, talent, capacity and ability in sporting activities of all persons with disabilities;

(*d*) provide multi-sensory essentials and features in all sporting activities to ensure effective participation of all persons with disabilities;

(*e*) allocate funds for development of state of art sport facilities for training of persons with disabilities;

(*f*) promote and organise disability specific sporting events for persons with disabilities and also facilitate awards to the winners and other participants of such sporting events.

## CHAPTER VI

### ?ECI/VISIONS FOR PERSONS WITH BENCHMARK DISABIILITES

:witling anything contained in the Rights of Children to Free and Compı:atic 2009, every child with benchmark disability between the age of six to ( ars :ave the right to free education in a neighbourhood school, or in a speci of hice. — 35 of 2009. — Free education for children with benchmark disabilities.

ıproGovernment and local authorities shall ensure that every child with b( lisatas access to free education in an appropriate environment till he attains eigyears.

: Govnt institutions of higher education and other higher education institut ing m the Government shall reserve not less than five per cent. seats for per enc disabilities. — Reservation in higher educational institutions.

sonbenchmark disabilities shall be given an upper age relaxation of five ye nissinstitutions of higher education.

: ropıovernment shall— — Identification of posts for reservation.

ntif in the establishments which can be held by respective category c witchmark disabilities in respect of the vacancies reserved in a withrovisions of section 34;

nstiexpert committee with representation of persons with benchmark d for ication of such posts; and

nderiodic review of the identified posts at an interval not exceeding tl

: y apate Government shall appoint in every Government establishment, not les perof the total number of vacancies in the cadre strength in each group c ant tlled with persons with benchmark disabilities of which, one per cent. e: resfor persons with benchmark disabilities under clauses (*a*), (*b*) and (*c*) r ce persons with benchmark disabilities under clauses (*d*) and (*e*), namely — Reservation.

ndnd low vision;

af ard of hearing;

omsability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid a ns ascular dystrophy;

ismectual disability, specific learning disability and mental illness;

ltipbilities from amongst persons under clauses (*a*) to (*d*) including d ss iosts identified for each disabilities:

P t theation in promotion shall be in accordance with such instructions as are is apptte Government from time to time:

P thethe appropriate Government, in consultation with the Chief Commi he Smmissioner, as the case may be, may, having regard to the type of work t inovernment establishment, by notification and subject to such conditi, asbe specified in such notifications exempt any Government establish thesions of this section.

( in aruitment year any vacancy cannot be filled up due to non-availabi tablon with benchmark disability or for any other sufficient reasons, such va l bed forward in the succeeding recruitment year and if in the succeed nentlso suitable person with benchmark disability is not available, it may d bchange among the five categories and only when there is no person ity ale for the post in that year, the employer shall fill up the vacancy by appo a peother than a person with disability:

Provided that if the nature of vacancies in an establishment is such that a given category of person cannot be employed, the vacancies may be interchanged among the five categories with the prior approval of the appropriate Government.

(*3*) The appropriate Government may, by notification, provide for such relaxation of upper age limit for employment of persons with benchmark disability, as it thinks fit.

Incentives to employers in private sector.

**35.** The appropriate Government and the local authorities shall, within the limit of their economic capacity and development, provide incentives to employer in private sector to ensure that at least five per cent. of their work force is composed of persons with benchmark disability.

Special employment exchange.

**36.** The appropriate Government may, by notification, require that from such date, the employer in every establishment shall furnish such information or return as may be prescribed by the Central Government in relation to vacancies appointed for persons with benchmark disability that have occurred or are about to occur in that establishment to such special employment exchange as may be notified by the Central Government and the establishment shall thereupon comply with such requisition.

Special schemes and development programmes.

**37.** The appropriate Government and the local authorities shall, by notification, make schemes in favour of persons with benchmark disabilities, to provide,—

(*a*) five per cent. reservation in allotment of agricultural land and housing in all relevant schemes and development programmes, with appropriate priority to women with benchmark disabilities;

(*b*) five per cent. reservation in all poverty alleviation and various developmental schemes with priority to women with benchmark disabilities;

(*c*) five per cent. reservation in allotment of land on concessional rate, where such land is to be used for the purpose of promoting housing, shelter, setting up of occupation, business, enterprise, recreation centres and production centres.

## CHAPTER VII

### SPECIAL PROVISIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES WITH HIGH SUPPORT NEEDS

Special provisions for persons with disabilities with high support.

**38.** (*1*) Any person with benchmark disability, who considers himself to be in need of high support, or any person or organisation on his or her behalf, may apply to an authority, to be notified by the appropriate Government, requesting to provide high support.

(*2*) On receipt of an application under sub-section (*1*), the authority shall refer it to an Assessment Board consisting of such Members as may be prescribed by the Central Government.

(*3*) The Assessment Board shall assess the case referred to it under sub-section (*1*) in such manner as may be prescribed by the Central Government, and shall send a report to the authority certifying the need of high support and its nature.

(*4*) On receipt of a report under sub-section (*3*), the authority shall take steps to provide support in accordance with the report and subject to relevant schemes and orders of the appropriate Government in this behalf.

## CHAPTER VIII

### DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF APPROPRIATE GOVERNMENTS

Awareness campaigns.

**39.** (*1*) The appropriate Government, in consultation with the Chief Commissioner or the State Commissioner, as the case may be, shall conduct, encourage, support or promote awareness campaigns and sensitisation programmes to ensure that the rights of the persons with disabilities provided under this Act are protected.

(*2*) The programmes and campaigns specified under sub-section (*1*) shall also,—

(*a*) promote values of inclusion, tolerance, empathy and respect for diversity;

(*b*) advance recognition of the skills, merits and abilities of persons with disabilities and of their contributions to the workforce, labour market and professional fee;

(c speche decisions made by persons with disabilities on all matters amilrelationships, bearing and raising children;

(d rienand sensitisation at the school, college, University and professing ln the human condition of disability and the rights of persons ilitie

(e rienand sensitisation on disabling conditions and rights of persons litienployers, administrators and co-workers;

(f) theof persons with disabilities are included in the curriculum in Univ legeschools.

**40.** The overt shall, in consultation with the Chief Commissioner, formulate rule ns wabilities laying down the standards of accessibility for the physical it, trtation, information and communications, including appropriate te ancms, and other facilities and services provided to the public in urbai area

Accessibility.

**41.** (*1*) Tiatenment shall take suitable measures to provide,—

Access to transport.

(*a* for is with disabilities at bus stops, railway stations and airports g to cessibility standards relating to parking spaces, toilets, ticketing and tg machines;

(*b* ll mf transport that conform the design standards, including retrofitti es oport, wherever technically feasible and safe for persons with disa onor viable and without entailing major structural changes in design;

(*c*) roaddress mobility necessary for persons with disabilities.

(2) The Goent shall develop schemes programmes to promote the personal mobil ons sabilities at affordable cost to provide for,—

(*a* s arcessions;

(*b*) g of es; and

(*c*) nobisistance.

**42.** The Goent shall take measures to ensure that,—

Access to information and communication technology.

(*i* ts ae in audio, print and electronic media are in accessible format;

(*ii*) ith dties have access to electronic media by providing audio descripti nguaerpretation and close captioning;

(*iii* god equipment which are meant for every day use are available al de

**43.** The e Gnent shall take measures to promote development, production and n ofrsally designed consumer products and accessories for general use for ith dties.

Consumer goods.

**44.** (*1*) hmell be granted permission to build any structure if the building plan there rules formulated by the Central Government under section 40.

Mandatory observance of accessibility norms.

(2) No ent sl issued a certificate of completion or allowed to take occupation of unlhas adhered to the rules formulated by the Central Government.

**45.** (*1*) A publdings shall be made accessible in accordance with the rules formulate ntral nment within a period not exceeding five years from the date of notifica n rul

Time limit for making existing infrastructure and premises accessible and action for that purpose.

Provided ntrarnment may grant extension of time to the States on a case to case ba renais provision depending on their state of preparedness and other relate rs.

(2) The appropriate Government and the local authorities shall formulate and publish an action plan based on prioritisation, for providing accessibility in all their buildings and spaces providing essential services such as all primary health centres, civil hospitals, schools, railway stations and bus stops.

Time limit for accessibility by service providers.

**46.** The service providers whether Government or private shall provide services in accordance with the rules on accessibility formulated by the Central Government under section 40 within a period of two years from the date of notification of such rules:

Provided that the Central Government in consultation with the Chief Commissioner may grant extension of time for providing certain category of services in accordance with the said rules.

Human resource development.

**47.** (*1*) Without prejudice to any function and power of Rehabilitation Council of India constituted under the Rehabilitation Council of India Act, 1992, the appropriate Government shall endeavour to develop human resource for the purposes of this Act and to that end shall,— 34 of 1992.

(*a*) mandate training on disability rights in all courses for the training of Panchayati Raj Members, legislators, administrators, police officials, judges and lawyers;

(*b*) induct disability as a component for all education courses for schools, colleges and University teachers, doctors, nurses, para-medical personnel, social welfare officers, rural development officers, asha workers, *anganwadi* workers, engineers, architects, other professionals and community workers;

(*c*) initiate capacity building programmes including training in independent living and community relationships for families, members of community and other stakeholders and care providers on care giving and support;

(*d*) ensure independence training for persons with disabilities to build community relationships on mutual contribution and respect;

(*e*) conduct training programmes for sports teachers with focus on sports, games, adventure activities;

(*f*) any other capacity development measures as may be required.

(*2*) All Universities shall promote teaching and research in disability studies including establishment of study centres for such studies.

(*3*) In order to fulfil the obligation stated in sub-section (*1*), the appropriate Government shall in every five years undertake a need based analysis and formulate plans for the recruitment, induction, sensitisation, orientation and training of suitable personnel to undertake the various responsibilities under this Act.

Social audit.

**48.** The appropriate Government shall undertake social audit of all general schemes and programmes involving the persons with disabilities to ensure that the scheme and programmes do not have an adverse impact upon the persons with disabilities and need the requirements and concerns of persons with disabilities.

## CHAPTER IX

### REGISTRATION OF INSTITUTIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES AND GRANTS TO SUCH INSTITUTIONS

Competent authority.

**49.** The State Government shall appoint an authority as it deems fit to be a competent authority for the purposes of this Chapter.

Registration.

**50.** Save as otherwise provided under this Act, no person shall establish or maintain any institution for persons with disabilities except in accordance with a certificate of registration issued in this behalf by the competent authority:

Provided that an institution for care of mentally ill persons, which holds a valid licence under section 8 of the Mental Health Act, 1987 or any other Act for the time being in force, shall not be required to be registered under this Act. 14 of 1987.

**51.** *(1)* Every n foiificate of registration shall be made to the competent authority in such fc sucher as may be prescribed by the State Government. Application and grant of certificate of registration.

(2) On recei plicunder sub-section (*1*), the competent authority shall make such enquirie deend on being satisfied that the applicant has complied with the requireme Act a rules made thereunder, it shall grant a certificate of registration to the a ithirod of ninety days of receipt of application and if not satisfied, the comp rity by order, refuse to grant the certificate applied for:

Provided the akin order refusing to grant a certificate, the competent authority shall give ant anable opportunity of being heard and every order of refusal to grant a c hall nmunicated to the applicant in writing.

(3) No cert egis shall be granted under sub-section (2) unless the institution with re ich plication has been made is in a position to provide such facilities and star as may be prescribed by the State Government.

(4) The cer egis granted under sub-section (2) ,—

(*a*) sh evoker section 52 remain in force for such period as may be prescribe ate nment;

(*b*) m ed fme to time for a like period; and

(*c*) sh uch and shall be subject to such conditions as may be prescribed b Goent.

(5) An app renf a certificate of registration shall be made not less than sixty days be piry period of validity.

(6) A copy tific registration shall be displayed by the institution in a conspicuous plac

(7) Every a maer sub-section (*1*) or sub-section (*5*) shall be disposed of by the compe rity n such period as may be prescribed by the State Government.

**52.** (*1*) The aut may, if it has reason to believe that the holder of a certificate of regi nter sub-section (2) of section 51 has,— Revocation of registration.

(*a*) m nenation to any application for the issue or renewal of the certificate orrealse in material particulars; or

(*b*) cc has to be committed any breach of rules or any conditions subject to ertifvas granted,

it may, after maki uiry deems fit, by order, revoke the certificate:

Provided th ordl be made until an opportunity is given to the holder of the certificate ise hy the certificate of registration shall not be revoked.

(2) Where te otration in respect of an institution has been revoked under sub-sectior istit hall cease to function from the date of such revocation:

Provided an alies under section 53 against the order of revocation, such institution to fn,—

(*a*) v peaben preferred immediately on the expiry of the period prescribed ig o appeal; or

(*b*) v apps been preferred, but the order of revocation has been upheld, frc of ter of appeal.

(3) On th n ofificate of registration in respect of an institution, the competent authc irecany person with disability who is an inmate of such institution on th ich ition, shall be—

(*a*) r he c of his or her parent, spouse or lawful guardian, as the case may

(*b*) transferred to any other institution specified by the competent authority.

(*4*) Every institution which holds a certificate of registration which is revoked under this section shall, immediately after such revocation, surrender such certificate to the competent authority.

Appeal.

**53.** (*1*) Any person aggrieved by the order of the competent authority refusing to grant a certificate of registration or revoking a certificate of registration may, within such period as may be prescribed by the State Government, prefer an appeal to such appellate authority, as may be notified by the State Government against such refusal or revocation.

(*2*) The order of the appellate authority on such appeal shall be final.

Act not to apply to institutions established or maintained by Central or State Government.

**54.** Nothing contained in this Chapter shall apply to an institution for persons with disabilities established or maintained by the Central Government or a State Government.

Assistance to registered institutions.

**55.** The appropriate Government may within the limits of their economic capacity and development, grant financial assistance to registered institutions to provide services and to implement the schemes and programmes in pursuance of the provisions of this Act.

## CHAPTER X

### CERTIFICATION OF SPECIFIED DISABILITIES

Guidelines for assessment of specified disabilities.

**56.** The Central Government shall notify guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person.

Designation of certifying authorities.

**57.** (*1*) The appropriate Government shall designate persons, having requisite qualifications and experience, as certifying authorities, who shall be competent to issue the certificate of disability.

(*2*) The appropriate Government shall also notify the jurisdiction within which and the terms and conditions subject to which, the certifying authority shall perform its certification functions.

Procedure for certification.

**58.** (*1*) Any person with specified disability, may apply, in such manner as may be prescribed by the Central Government, to a certifying authority having jurisdiction, for issuing of a certificate of disability.

(*2*) On receipt of an application under sub-section (*1*), the certifying authority shall assess the disability of the concerned person in accordance with relevant guidelines notified under section 56, and shall, after such assessment, as the case may be,—

(*a*) issue a certificate of disability to such person, in such form as may be prescribed by the Central Government;

(*b*) inform him in writing that he has no specified disability.

(*3*) The certificate of disability issued under this section shall be valid across the country.

Appeal against a decision of certifying authority.

**59.** (*1*) Any person aggrieved with decision of the certifying authority, may appeal against such decision, within such time and in such manner as may be prescribed by the State Government, to such appellate authority as the State Government may designate for the purpose.

(*2*) On receipt of an appeal, the appellate authority shall decide the appeal in such manner as may be prescribed by the State Government.

## CHAPTER XI

CENTRAL A DVISOARDS ON DISABILITY AND DISTRICT LEVEL COMMITTEE

Constitution of Central Advisory Board on Disability.

**60.** *(1)* T Govnt shall, by notification, constitute a body to be known as the Central BoarDisability to exercise the powers conferred on, and to perform the fu gne under this Act.

(2) The /isoird shall consist of,—

(*a*) er ige of Department of Disability Affairs in the Central Governm ers*officio*;

(*b*) er ofin charge dealing with Department of Disability Affairs in the Mi CeGovernment, Vice Chairperson, *ex officio*;

(*c*) bersliament, of whom two shall be elected by Lok Sabha and one by tl bha.bers, *ex officio*;

(*d*) ers ige of Disability Affairs of all States and Administrators or Lieute nore Union territories, Members, *ex officio*;

(*e*) s tcGovernment of India in charge of the Ministries or Departm bilitirs, Social Justice and Empowerment, School Education and Liter ighication, Women and Child Development, Expenditure, Personne ing,nistrative Reforms and Public Grievances, Health and Family W al Dment, Panchayati Raj, Industrial Policy and Promotion, Urban De Hoand Urban Poverty Alleviation, Science and Technology, Commur d Infion Technology, Legal Affairs, Public Enterprises, Youth Affairs a Romsport and Highways and Civil Aviation, Members, *ex officic*

(*f*) Natinstitute of Transforming India (NITI) Aayog, Member, *ex officic*

(*g*) n, Flitation Council of India, Member, *ex officio*;

(*h*) n, Nl Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, M latic Multiple Disabilities, Member, *ex officio*;

(*i*) 1-cuanaging Director, National Handicapped Finance Develop pratiember, *ex officio*;

(*j*) a-cuanaging Director, Artificial Limbs Manufacturing Corporat er, *eio;*

(*k* RaBoard, Member, *ex officio*;

(*l*) GerEmployment and Training, Ministry of Labour and Employ ber, *cio*;

(*n* NatCouncil for Educational Research and Training, Member, *ex offici*

(*r* son, al Council of Teacher Education, Member, *ex officio*;

(*c* son, rsity Grants Commission, Member, *ex officio*;

(*j* son, al Council of India, Member, *ex officio*;

( s ofllowing Institutes:—

tionitute for the Visually Handicapped, Dehradun;

atiostitute for the Mentally Handicapped, Secundrabad;

andi Dayal Upadhyay Institute for the Physically Handicapped,

Ali `Jung National Institute for the Hearing Handicapped,

(*v*) National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Kolkata;

(*vi*) National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack;

(*vii*) National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai;

(*viii*) National Institute for Mental Health and Sciences, Bangalore;

(*ix*) Indian Sign Language Research and Training Centre, New Delhi, Members, *ex officio;*

(*r*) Members to be nominated by the Central Government,—

(*i*) five Members who are experts in the field of disability and rehabilitation;

(*ii*) ten Members, as far as practicable, being persons with disabilities, to represent non-Governmental Organisations concerned with disabilities or disabled persons organisations:

Provided that out of the ten Members nominated, at least, five Members shall be women and at least one person each shall be from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;

(*iii*) up to three representatives of national level chambers of commerce and industry;

(*s*) Joint Secretary to the Government of India dealing with the subject of disability policy, Member-Secretary, *ex officio*.

Terms and conditions of Service of members.

**61.** (*1*) Save as otherwise provided under this Act, a Member of the Central Advisory Board nominated under clause (*r*) of sub-section (*2*) of section 60 shall hold office for a term of three years from the date of his nomination:

Provided that such a Member shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

(*2*) The Central Government may, if it thinks fit, remove any Member nominated under clause (*r*) of sub-section (*2*) of section 60, before the expiry of his term of office after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(*3*) A Member nominated under clause (*r*) of sub-section (*2*) of section 60 may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the Central Government and the seat of the said Member shall thereupon becomes vacant.

(*4*) A casual vacancy in the Central Advisory Board shall be filled by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the Member in whose place he was so nominated.

(*5*) A Member nominated under sub-clause (*i*) or sub-clause (*iii*) of clause (*r*) of sub-section (*2*) of section 60 shall be eligible for renomination.

(*6*) The Members nominated under sub-clause (*i*) and sub-clause (*ii*) of clause (*r*) of sub-section (*2*) of section 60 shall receive such allowances as may be prescribed by the Central Government.

Disqualifications.

**62.** (*1*) No person shall be a Member of the Central Advisory Board, who —

(*a*) is, or at any time has been, adjudged insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors, or

(*b*) is of unsound mind and stands so declared by a competent court, or

(*c*) is, or has been, convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude, or

(*d*) is, or at any time has been, convicted of an offence under this Act, or

(*e*) has so abused his position in the opinion of the Central Government as a Member so as to render his continuance in the office is prejudicial interests of the general public.

(*2*) No order of removal shall be made by the Central Government under this section unless the Member concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(3) Not g an contained in sub-section (1) or sub-section (5) of section 61, a Member en rel under this section shall not be eligible for renomination as a Member.

Vacation of seats by Members.

**63.** If a of thtral Advisory Board becomes subject to any of the disqualificatio l in 1 62, his seat shall become vacant.

Meetings of the Central Advisory Board on disability.

**64.** The visoard shall meet at least once in every six months and shall observe such r cedregard to the transaction of business at its meetings as may be prescri

Functions of Central Advisory Board on disability.

**65.** (1) S e prns of this Act, the Central Advisory Board on disability shall be the na l coive and advisory body on disability matters, and shall facilitate the co olula comprehensive policy for the empowerment of persons with disabilitie ill eent of rights.

(2) In p id w prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Central Ad d oility shall perform the following functions, namely:—

(a) e CGovernment and the State Governments on policies, program itionrojects with respect to disability;

(b) a na policy to address issues concerning persons with disabiliti

(c) d cote the activities of all Departments of the Government and othe entalon-Governmental Organisations which are dealing with matters persth disabilities;

(d) e capersons with disabilities with the concerned authorities and the i orgions with a view to provide for schemes and projects for the persc abili the national plans;

(e) d st ensure accessibility, reasonable accommodation, non-discrimir erson disabilities *vis-à-vis* information, services and the built environm ir pation in social life;

(f) d evthe impact of laws, policies and programmes to achieve full parti persith disabilities; and

(g) fun as may be assigned from time to time by the Central Governm

State Advisory Board on disability.

**66.** (1) E Govnt shall, by notification, constitute a body to be known as the State Adv d onlity to exercise the powers conferred on, and to perform the function as , uns Act.

(2) The ory shall consist of—

(a) er ine of the Department in the State Government dealing with disa rs, Crson, *ex officio*;

(b) r ofor the Deputy Minister in charge of the Department in the State deaith disability matters, if any, Vice-Chairperson, *ex officio*;

(c) o th Government in charge of the Departments of Disability Affairs, ucaLiteracy and Higher Education, Women and Child Developr ce, nel and Training, Health and Family Welfare, Rural Developn yatidustrial Policy and Promotion, Labour and Employment, Urban De Hound Urban Poverty Alleviation, Science and Technology, Informati ogy, Enterprises, Youth Affairs and Sports, Road Transport and any o merh the State Government considers necessary, Members, *ex officio*,

(d) bers State Legislature of whom two shall be elected by the Legislati y anoy the Legislative Council, if any, and where there is no Legislati thrmbers shall be elected by the Legislative Assembly, Members.

(*e*) Members to be nominated by the State Government:—

(*i*) five Members who are experts in the field of disability and rehabilitation;

(*ii*) five Members to be nominated by the State Government by rotation to represent the districts in such manner as may be prescribed:

Provided that no nomination under this sub-clause shall be made except on the recommendation of the district administration concerned;

(*iii*) ten persons as far as practicable, being persons with disabilities, to represent non-Governmental Organisations or associations which are concerned with disabilities:

Provided that out of the ten persons nominated under this clause, at least, five shall be women and at least one person each shall be from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;

(*iv*) not more than three representatives of the State Chamber of Commerce and Industry;

(*f*) officer not below the rank of Joint Secretary in the Department dealing with disability matters in the State Government, Member-Secretary, *ex officio*.

Terms and conditions of service of Members.

**67.** (*1*) Save as otherwise provided under this Act, a Member of the State Advisory Board nominated under clause (*e*) of sub-section (*2*) of section 66, shall hold office for a term of three years from the date of his nomination:

Provided that such a Member shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

(*2*) The State Government may, if it thinks fit, remove any Member nominated under clause (*e*) of sub-section (*2*) of section 66, before the expiry of his term of office after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(*3*) A Member nominated under clause (*e*) of sub-section (*2*) of section 66 may at any time resign his office by writing under his hand addressed to the State Government and the seat of the said Member shall thereupon become vacant.

(*4*) A casual vacancy in the State Advisory Board shall be filled by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the Member in whose place he was so nominated.

(*5*) A Member nominated under sub-clause (*i*) or sub-clause (*iii*) of clause (*e*) of sub-section (*2*) of section 66 shall be eligible for renomination.

(*6*) the Members nominated under sub-clause (*i*) and sub-clause (*ii*) of clause (*e*) of sub-section (*2*) of section 66 shall receive such allowances as may be prescribed by the State Government.

Disqualification.

**68.** (*1*) No person shall be a Member of the State Advisory Board, who—

(*a*) is, or at any time has been, adjudged insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors, or

(*b*) is of unsound mind and stands so declared by a competent court, or

(*c*) is, or has been, convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude, or

(*d*) is, or at any time has been, convicted of an offence under this Act, or

(*e*) has so abused in the opinion of the State Government his position as a Member as to render his continuance in the State Advisory Board detrimental to the interests of the general public.

(*2*) No order of removal shall be made by the State Government under this section unless the Member concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the same.

(*3*) Notv g an contained in sub-section (*1*) or sub-section (*5*) of section 67, a Member ' en rd under this section shall not be eligible for renomination as a Member.

**69.** If : of ate Advisory Board becomes subject to any of the disqualificatio l in n 68 his seat shall become vacant. Vacation of seats.

**70.** The sory1 shall meet at least once in every six months and shall observe such r ced regard to the transaction of business at its meetings as may be prescri Staternment. Meetings of State Advisory Board on disability.

**71.** (*1*) the ions of this Act, the State Advisory Board shall be the State-level coı ınd ıry body on disability matters, and shall facilitate the continuous ev a ccensive policy for the empowerment of persons with disabilities and joyıf rights. Functions of State Advisory Board on disability.

(*2*) In pa d w prejudice to the generality of the foregoing provisions, the State Advis on dty shall perform the following functions, namely:—

(*a*) Staternment on policies, programmes, legislation and projects with resp bilit

(*b*) Statıy to address issues concerning persons with disabilities;

(*c*) coo: the activities of all Departments of the State Government and other entaıon-Governmental Organisations in the State which are dealing v ; relo persons with disabilities;

(*d*) : caıpersons with disabilities with the concerned authorities and the ir orgions with a view to provide for schemes and projects for the perso abilı the State plans;

(*e*) d st ensure accessibility, reasonable accommodation, non-discrimin ersdh disabilities, services and the built environment and their part soc on an equal basis with others;

(*f*) d ev the impact of laws, policies and programmes designed to achiev :ipaf persons with disabilities; and

(*g*) · fuR as may be assigned from time to time by the State Governm

**72.** The S nmall constitute District-level Committee on disability to perform such fı mayescribed by it. District-level Committee on disability.

**73.** No ac ding Central Advisory Board on disability, a State Advisory Board on disabi strid Committee on disability shall be called in question on the ground mer exisof any vacancy in or any defect in the constitution of such Board or C as te may be. Vacancies not to invalidate proceedings.

## CHAPTER XII

### CHIEF C ER AITE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

**74.** (*1*) Th ovet may, by notification, appoint a Chief Commissioner for Persons with Dis ereireferred to as the "Chief Commissioner") for the purposes of this Act. Appointment of Chief Commissioner and Commissioners.

(*2*) The C ırnmay, by notification appoint two Commissioners to assist the Chief Comn f whe Commissioner shall be a persons with disability.

(*3*) A person shall not be qualified for appointment as the Chief Commissioner or Commissioner unless he has special knowledge or practical experience in respect of matters relating to rehabilitation.

(*4*) The salary and allowances payable to and other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) of the Chief Commissioner and Commissioners shall be such as may be prescribed by the Central Government.

(*5*) The Central Government shall determine the nature and categories of officers and other employees required to assist the Chief Commissioner in the discharge of his functions and provide the Chief Commissioner with such officers and other employees as it thinks fit.

(*6*) The officers and employees provided to the Chief Commissioner shall discharge their functions under the general superintendence and control of the Chief Commissioner.

(*7*) The salaries and allowances and other conditions of service of officers and employees shall be such as may be prescribed by the Central Government.

(*8*) The Chief Commissioner shall be assisted by an advisory committee comprising of not more than eleven members drawn from the experts from different disabilities in such manner as may be prescribed by the Central Government.

Functions of Chief Commissioner.

**75.** (*1*) The Chief Commissioner shall—

(*a*) identify, *suo motu* or otherwise, the provisions of any law or policy, programme and procedures, which are inconsistent with this Act and recommend necessary corrective steps;

(*b*) inquire, *suo motu* or otherwise, deprivation of rights of persons with disabilities and safeguards available to them in respect of matters for which the Central Government is the appropriate Government and take up the matter with appropriate authorities for corrective action;

(*c*) review the safeguards provided by or under this Act or any other law for the time being in force for the protection of rights of persons with disabilities and recommend measures for their effective implementation;

(*d*) review the factors that inhibit the enjoyment of rights of persons with disabilities and recommend appropriate remedial measures;

(*e*) study treaties and other international instruments on the rights of persons with disabilities and make recommendations for their effective implementation;

(*f*) undertake and promote research in the field of the rights of persons with disabilities;

(*g*) promote awareness of the rights of persons with disabilities and the safeguards available for their protection;

(*h*) monitor implementation of the provisions of this Act and schemes, programmes meant for persons with disabilities;

(*i*) monitor utilisation of funds disbursed by the Central Government for the benefit of persons with disabilities; and

(*j*) perform such other functions as the Central Government may assign.

(*2*) The Chief Commissioner shall consult the Commissioners on any matter while discharging its functions under this Act.

Action of appropriate authorities on recommendation of Chief Commissioner.

**76.** Whenever the Chief Commissioner makes a recommendation to an authority in pursuance of clause (*b*) of section 75, that authority shall take necessary action on it, and inform the Chief Commissioner of the action taken within three months from the date of receipt of the recommendation:

Provided that where an authority does not accept a recommendation, it shall convey reasons for non-acceptance to the Chief Commissioner within a period of three months, and shall also inform the aggrieved person.

: Chmmissioner shall, for the purpose of discharging his functions under ve tle powers of a civil court as are vested in a court under the Code of Civ e, 1%ile trying a suit, in respect of the following matters, namely:— Powers of Chief Commissioner.

5 of 1908.

ımn and enforcing the attendance of witnesses;

:quiıe discovery and production of any documents;

quisg any public record or copy thereof from any court or office;

ceividence on affidavits; and

suinmissions for the examination of witnesses or documents.

ɔroc; before the Chief Commissioner shall be a judicial proceeding withir ing tions 193 and 228 of the Indian Penal Code and the Chief Comm all bıed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI : of Gal Procedure, 1973.

45 of 1860.

2 of 1974.

' Chiemissioner shall submit an annual report to the Central Government and m me : special reports on any matter, which, in his opinion, is of such urgenc tancit shall not be deferred till submission of the annual report. Annual and special reports by Chief Commissioner.

ɜntrɛernment shall cause the annual and the special reports of the Chief ( ıer tid before each House of Parliament, along with a memorandum of action ropo be taken on his recommendations and the reasons for non-accept :conations, if any.

( ual ɛcial reports shall be prepared in such form, manner and contain such d ıy bɛribed by the Central Government.

' Statɜrnment may, by notification, appoint a State Commissioner for Person ɔilitreinafter referred to as the "State Commissioner") for the purposes of this Appointment of State Commissioner in States.

( ı sh:be qualified for appointment as the State Commissioner unless he has wleɒractical experience in respect of matters relating to rehabilitation.

( ıry :owances payable to and other terms and conditions of service (incluc ı, gıand other retirement benefits) of the State Commissioner shall be sucl : prɛd by the State Government.

( te Gnent shall determine the nature and categories of officers and other e equiassist the State Commissioner in the discharge of his functions and prı :ate ıissioner with such officers and other employees as it thinks fit.

( :ers ıployees provided to the State Commissioner shall discharge his functic ıe gɛsuperintendence and control of the State Commissioner.

( ies ɔwances and other conditions of service of officers and employees shall b ıay tɛribed by the State Government.

( ɜ Cɛioner shall be assisted by an advisory committee comprising of not mo medrawn from the experts in the disability sector in such manner as may bɛ l by ıte Government.

8 e Cɛioner shall— Functions of State Commissioner.

ɜntif *motu* or otherwise, provision of any law or policy, programme a ıresh are in consistent with this Act, and recommend necessary c teps

ɜuir*motu* or otherwise deprivation of rights of persons with disabilities a ɾds ɜle to them in respect of matters for which the State Government i ɔriatɜrnment and take up the matter with appropriate authorities for c ctioı

(*c*) review the safeguards provided by or under this Act or any other law for the time being in force for the protection of rights of persons with disabilities and recommend measures for their effective implementation;

(*d*) review the factors that inhibit the enjoyment of rights of persons with disabilities and recommend appropriate remedial measures;

(*e*) undertake and promote research in the field of the rights of persons with disabilities;

(*f*) promote awareness of the rights of persons with disabilities and the safeguards available for their protection;

(*g*) monitor implementation of the provisions of this Act and schemes, programmes meant for persons with disabilities;

(*h*) monitor utilisation of funds disbursed by the State Government for the benefits of persons with disabilities; and

(*i*) perform such other functions as the State Government may assign.

Action by appropriate authorities on recommendation of State Commissioner.

**81.** Whenever the State Commissioner makes a recommendation to an authority in pursuance of clause (*b*) of section 80, that authority shall take necessary action on it, and inform the State Commissioner of the action taken within three months from the date of receipt of the recommendation:

Provided that where an authority does not accept a recommendation, it shall convey reasons for non-acceptance to the State Commissioner for Persons with Disabilities within the period of three months, and shall also inform the aggrieved person.

Powers of State Commissioner.

**82.** (*1*) The State Commissioner shall, for the purpose of discharging their functions under this Act, have the same powers of a civil court as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit, in respect of the following matters, namely:— 5 of 1908.

(*a*) summoning and enforcing the attendance of witnesses;

(*b*) requiring the discovery and production of any documents;

(*c*) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(*d*) receiving evidence on affidavits; and

(*e*) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

(*2*) Every proceeding before the State Commissioner shall be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code and the State Commissioners shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973. 45 of 1860. 2 of 1974.

Annual and special reports by State Commissioner.

**83.** (*1*) The State Commissioner shall submit an annual report to the State Government and may at any time submit special reports on any matter, which, in its opinion, is of such urgency or importance that it shall not be deferred till submission of the annual report.

(*2*) The State Government shall cause the annual and the special reports of the State Commissioner for persons with disabilities to be laid before each House of State Legislature where it consists of two Houses or where such Legislature consist of one House, before that House along with a memorandum of action taken or proposed to be taken on the recommendation of the State Commissioner and the reasons for non-acceptance the recommendations, if any.

(*3*) The annual and special reports shall be prepared in such form, manner and contain such details as may be prescribed by the State Government.

## CHAPTER XIII

### SPECIAL COURT

8 ourp providing speedy trial, the State Government shall, with the concurr Chiice of the High Court, by notification, specify for each district, a Court to pecial Court to try the offences under this Act. Special Court.

8 verial Court, the State Government may, by notification, specify a Public r or t an advocate, who has been in practice as an advocate for not less tha ars, pecial Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in that ( Special Public Prosecutor.

( cial Prosecutor appointed under sub-section (*1*) shall be entitled to recei s omeration as may be prescribed by the State Government.

## CHAPTER XIV

### IAL FUND FOR PERSONS WITH DISABILITIES

8( shconstituted a Fund to be called the National Fund for persons with dis d thall be credited thereto— National Fund for persons with disabilities.

sumlable under the Fund for people with disabilities, constituted *vi* ion O. 573 (*E*), dated the 11th August, 1983 and the Trust Fund for E nt oons with Disabilities, constituted *vide* notification No. 30-03/ 2( dat 21st November, 2006, under the Charitable Endowment A

6 of 1890.

sumble by banks, corporations, financial institutions in pursuance of late6th April, 2004 of the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal N d 5 2000;

sumved by way of grant, gifts, donations, benefactions, bequests or

sumived from the Central Government including grants-in-aid;

sumn such other sources as may be decided by the Central G

(2 d fcons with disabilities shall be utilised and managed in such manner pres.

87 Centvernment shall maintain proper accounts and other relevant records an statement of accounts of the Fund including the income and expendit s inorm as may be prescribed in consultation with the Comptroller and Aud l of Accounts and audit.

(2 nts Fund shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India rvalay be specified by him and any expenditure incurred by him in connec uch hall be payable from the Fund to the Comptroller and Auditor-General

(3 ptrod Auditor-General of India and any other person appointed by him i n w audit of the accounts of the Fund shall have the same rights, privilege oritynnection with such audit as the Comptroller and Auditor-General ners in connection with the audit of the Government accounts, and in pa all he right to demand production of books of account, connected vouchers docs and papers and to inspect any of the offices of the Fund.

(4 unts Fund as certified by the Comptroller and Auditor-General of India r peppointed by him in this behalf, together with the audit report thereon, d beach House of Parliament by the Central Government.

## CHAPTER XV

### STATE FUND FOR PERSONS WITH DISABILITIES

State Fund for persons with disabilities.

**88.** (*1*) There shall be constituted a Fund to be called the State Fund for persons with disabilities by a State Government in such manner as may be prescribed by the State Government.

(*2*) The State Fund for persons with disabilities shall be utilised and managed in such manner as may be prescribed by the State Government.

(*3*) Every State Government shall maintain proper accounts and other relevant records of the State Fund for persons with disabilities including the income and expenditure accounts in such form as may be prescribed by the State Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India.

(*4*) The accounts of the State Fund for persons with disabilities shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable from the State Fund to the Comptroller and Auditor-General of India.

(*5*) The Comptroller and Auditor-General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the State Fund for persons with disabilities shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India generally has in connection with the audit of the Government accounts, and in particular, shall have right to demand production of books of accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the State Fund.

(*6*) The accounts of the State Fund for persons with disabilites as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be laid before each House of the State Legislature where it consists of two Houses or where such Legislature consists of one House before that House.

## CHAPTER XVI

### OFFENCES AND PENALTIES

Punishment for contravention of provisions of Act or rules or regulations made thereunder.

**89.** Any person who contravenes any of the provisions of this Act, or of any rule made thereunder shall for first contravention be punishable with fine which may extend to ten thounsand rupees and for any subsequent contravention with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but which may extend to five lakh rupees.

Offences by companies.

**90.** (*1*) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(*2*) Notwithstanding anything contained in sub-section (*1*), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

*Explanati*e ps of this section,—

(*a*) " mea body corporate and includes a firm or other association of individı

(*b*) ' in reto a firm, means a partner in the firm.

**91.** Whoe entlls or attempts to avail any benefit meant for persons with benchmark , shpunishable with imprisonment for a term which may extend to two ye fine may extend to one lakh rupees or with both.

Punishment for fraudulently availing any benefit meant for persons with benchmark disabilities.

**92.** Whoe

Punishment for offences of atrocities.

(*a*) i in intimidates with intent to humiliate a person with disability i witblic view;

(*b*) a ses o any person with disability with intent to dishonour him or outı deslwoman with disability;

(*c*) h ctuge or control over a person with disability voluntarily or knowing ood ds to him or her;

(*d*) b sitiominate the will of a child or woman with disability and uses that p xplcsexually;

(*e*) v jurcages or interferes with the use of any limb or sense or any suppor of on with disability;

(*f*) pe ıdudirects any medical procedure to be performed on a woman wit whds to or is likely to lead to termination of pregnancy without her nsept in cases where medical procedure for termination of pregnanc ı seıses of disability and with the opinion of a registered medical pr nd ith the consent of the guardian of the woman with disability,

shall be punishabl isofor a term which shall not be less than six months but which may extend rs ah fine.

**93.** Whoeve rodu book, account or other documents or to furnish any statement, inform ticuhich, under this Act or any order, or direction made or given thereunder, undoduce or furnish or to answer any question put in pursuance of the p f thir of any order, or direction made or given thereunder, shall be punishabl whiy extend to twenty-five thousand rupees in respect of each offence, and ontiailure or refusal, with further fine which may extend to one thousand ru ch dcontinued failure or refusal after the date of original order imposing pu f fin

Punishment for failure to furnish information.

**94.** No Cour cogı of an offence alleged to have been committed by an employee of the ap ovet under this Chapter, except with the previous sanction of the appropriate nt omplaint is filed by an officer authorised by it in this behalf.

Previous sanction of appropriate Government.

**95.** Where a nissnstitutes an offence punishable under this Act and also under any oth or Sct, then, notwithstanding anything contained in any other law for the ti forıoffender found guilty of such offence shall be liable to punishment onl h Arovides for punishment which is greater in degree.

Alternative punishments.

## CHAPTER XVII

### MISCELLANEOUS

Application of other laws not barred.

**96.** The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.

Protection of action taken in good faith.

**97.** No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the appropriate Government or any officer of the appropriate Government or any officer or employee of the Chief Commissioner or the State Commissioner for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

Power to remove difficulties.

**98.** *(1)* If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions or give such directions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.

*(2)* Every order made under this section shall be laid as soon as may be, after it is made, before each House of Parliament.

Power to amend Schedule.

**99.** *(1)* On the recommendations made by the appropriate Government or otherwise, if the Central Government is satisfied that it is necessary or expedient so to do, it may, by notification, amend the Schedule and any such notification being issued, the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

*(2)* Every such notification shall, as soon as possible after it is issued, shall be laid before each House of Parliament.

Power of Central Government to make rules.

**100.** *(1)* The Central Government may, subject to the condition of previous publication, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act.

*(2)* In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

*(a)* the manner of constituting the Committee for Research on Disability under sub-section *(2)* of section 6;

*(b)* the manner of notifying the equal opportunity policy under sub-section *(1)* of section 21;

*(c)* the form and manner of maintaining records by every establishment under sub-section *(1)* of section 22;

*(d)* the manner of maintenance of register of complaints by grievance redressal officer under sub-section *(3)* of section 23;

*(e)* the manner of furnishing information and return by establishment to the Special Employment Exchange under section 36;

*(f)* the composition of the Assessment Board under sub-section *(2)* and manner of assessment to be made by the Assessment Board under sub-section *(3)* of section 38;

*(g)* rules for person with disabilites laying down the standards of accessibility under section 40;

*(h)* the manner of application for issuance of certificate of disability under sub-section *(1)* and form of certificate of disability under sub-section *(2)* of section 58;

*(i)* the allowances to be paid to nominated Members of the Central Advisory Board under sub-section *(6)* of section 61;

*(j)* the rules of procedure for transaction of business in the meetings of the Central Advisory Board under section 64;

(*k*) es alowances and other conditions of services of Chief Com and iissioners under sub-section (*4*) of section 74;

(*l*) th nd aces and conditions of services of officers and staff of the Chief C ner sub-section (*7*) of section 74;

(*m*) sitio manner of appointment of experts in the advisory committee sect) of section 74;

(*n*) tl annecontent of annual report to be prepared and submitted by the Chi sioner sub-section (*3*) of section 78;

(*o*) t re, r of utilisation and management of the Fund under sub-sectio tionid

(*p*) t r ption of accounts of Fund under sub-section (*1*) of section 87.

(*3*) Every und Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each Hous nen it is in session, for a total period of thirty days which may be comprise ssion two or more successive sessions, and if, before the expiry of the sess iatebwing the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agre g anification in the rule or both Houses agree that the rule should not be ma shaafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the c ; so ver, that any such modification or annulment shall be without prejudic idityything previously done under that rule.

**101.** (*1*) Th vernmay, subject to the condition of previous publication, by notification, s foying out the provisions of this Act, not later than six months from comment of this Act.

Power of State Government to make rules.

(*2*) In part witrejudice to the generality of foregoing powers, such rules may provid ny following matters, namely:—

(*a*) th of cting the Committee for Research on Disablity under sub-section ion

(*b*) th f prg support of a limited guardian under sub-section (*1*) of section

(*c*) th maf making an application for certificate of registration under sub- of s 51;

(*d*) th to bided and standards to be met by institutions for grant of certifica atior sub-section (*3*) of section 51;

(*e*) th f cee of registration, the form of, and conditions attached to, certifica ratier sub-section (*4*) of section 51;

(*f*) th f di of application for certificate of registration under sub-section ion

(*g*) th vithich an appeal to be made under sub-section (*1*) of section 53;

(*h*) th maf appealing against the order of certifying authority under sub-s nd r of disposal of such appeal under sub-section (2) of section 59;

(*i*) th s to d to nominated Members of the State Advisory Board under sub- of s 67;

(*j*) th ocer transaction of business in the meetings of the State Advisory B sec);

(*k*) th on actions of District Level Committee under section 72;

(*l*) salaries, allowances and other conditions of services of the State Commissioner under sub-section (*3*) of section 79;

(*m*) the salaries, allowances and conditions of services of officers and staff of the State Commissioner under sub-section (*3*) of section 79;

(*n*) the composition and manner of appointment of experts in the advisory committee under sub-section (*7*) of section 79;

(*o*) the form, manner and content of annual and special reports to be prepared and submitted by the State Commissioner under sub-section (*3*) of section 83;

(*p*) the fee or remuneration to be paid to the Special Public Prosecutor under sub-section (*2*) of section 85;

(*q*) the manner of constitution of State Fund for persons with disabilities under sub-section (*1*), and the manner of utilisation and management of State Fund under sub-section (*2*) of section 88;

(*r*) the form for preparation of accounts of the State Fund for persons with disabilities under sub-section (*3*) of section 88.

(*3*) Every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such State Legislature consists of one House, before that House.

Repeal and savings.

**102.** (*1*) The Persons with Disabilities (Equal Opportunity Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 is hereby repealed. 1 of 1996.

(*2*) Notwithstanding the repeal of the said Act, anything done or any action taken under the said Act, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 cup to 10 degree.

aringrment—

(a) 'means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies h ea

(b) 'f hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in n frcies in both ears;

eeclanguage disability" means a permanent disability arising out of c uchyngectomy or aphasia affecting one or more components of s langlue to organic or neurological causes.

2 al dty, a condition characterised by significant limitation both in intellec onironing, learning, problem solving) and in adaptive behaviour which age cy day, social and practical skills, including—

becirning disabilities" means a heterogeneous group of conditions v e isit in processing language, spoken or written, that may manifest i ffic comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical c anudes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, c dysa, dyspraxia and developmental aphasia;

utisnrum disorder" means a neuro-developmental condition typically a thehree years of life that significantly affects a person's ability to c e, unnd relationships and relate to others, and is frequently associated v or sypical rituals or behaviours.

3 hav-

al il means a substantial disorder of thinking, mood, perception, c r mthat grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognise r lityet the ordinary demands of life, but does not include retardation v nditrrested or incomplete development of mind of a person, specially c l byrmality of intelligence.

4 caue to—

roniological conditions, such as—

(i) "le sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in the n sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal re cd, leading to demyelination and affecting the ability of nerve n thi and spinal cord to communicate with each other;

(ii) nson's disease" means a progressive disease of the nervous n may tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly ng i-aged and elderly people associated with degeneration of the gangthe brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

ood er—

(i) "philia" means an inheritable disease, usually affecting only ut titted by women to their male children, characterised by loss or mene normal clotting ability of blood so that a minor would may in feeding;

(ii) semia" means a group of inherited disorders characterised by d ont amounts of haemoglobin.

(iii) e cell disease" means a hemolytic disorder characterised by c ai painful events, and various complications due to associated

## THE SCHEDULE

[*See* clause (*zc*) of section 2]

SPECIFIED DISABILITY

1. Physical disability.—

A. Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(*a*) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(*i*) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(*ii*) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(*iii*) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(*b*) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(*c*) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(*d*) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue;

(*e*) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

B. Visual impairment—

(*a*) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(*i*) total absence of sight; or

(*ii*) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

(*iii*) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(*b*) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditons, namely:—

(*i*) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or

and damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell ane blood cells resulting in the release of hemoglobin.

ple lities (more than one of the above specified disabilities) including de s wleans a condition in which a person may have combination of he isuairments causing severe communication, developmental, and ed robl

othegory as may be notified by the Central Government.

---

DR. G NARAYANA RAJU,
*Secretary to the Govt. of India.*

UPLOADED BY T L MER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
SHETHE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

GMGIPMRND—40 -12-

5

अध्याय

# निशक्तता प्रमाणपत्रों का मुद्दा

दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 उन दिव्यांगजनों के लिए कुछ लाभों की व्यवस्था करता है जो, एक चिकित्सा प्रभारी द्वारा प्रमाणित किए अनुसार, 40 प्रतिशत से कम किसी प्रकार की निशक्तता नहीं रखते हैं। इस प्रकार, एक निशक्तता वाला ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम के तहत लाभांश लेने की कामना करता है को उद्देश्य हेतु अधिसूचित चिकित्सा प्रभारी से एक निशक्तता प्रमाणपत्र प्राप्त करना पड़ता हैं। प्रमाणपत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

निशक्तजनों से प्राप्त हुए आवेदनों के आधार पर निशक्तता प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। 20.01.2017 को जनगणना 2011 की तुलना में निशक्तता प्रमाणपत्रों को जारी करने की तुलनात्मक राज्यवार स्थिति **अनुबंध–3 (पृष्ठ 189)** पर दी गई है। 20.01.2017 को दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त के कार्यालय से उपलब्ध डाटा के अनुसार 55.57 प्रतिशत दिव्यांगजनों को 2011 जनगणना के अनुसार निशक्तता प्रमाणपत्र जारी किए गए है।

6

अध्याय

# राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं

## 6.1 विकलांगजन ए ्य नीति, 2006

यह मानते हुए ांग्श के लिए बहुमूल्य मानव संसाधन हैं और यदि उन्हें समान अवसर और प्रभावी पुनर्वास लब्तो उनमें से अधिकांश व्यक्ति बेहतर गुणवत्तार वाली जिंदगी जी सकते हैं, सरकार ने, उनमा व्ण तैयार करने के उद्देश्य से, जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और स किभागीदारी प्रदान कर सके, विकलांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार और प्रकाशित व

विकलांगता रोक पुनउपायों पर केन्द्रित इस नीति में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

I. विकथा

II. पुनर्वा

क. **शारीसीतिः**

- पताना और हस्तक्षेप करना
- र्श एकित्सा पुनर्वास
- क यां
- स ायिकों का विकास

ख. **विक कीा**

ग. **विक कर्थक पुनर्वास**

- ारी ानों में नियोजन
- क्षेत्ररिश्रमिक आधारित रोजगार
- ोज

III. विकलांग महिलाओं के लिए प्रावधान

IV. विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान

V. बाधामुक्त परिवेश

VI. विकलांगता प्रमाणपत्र का निर्गम

VII. सामाजिक सुरक्षा

VIII. गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रोत्साहन

IX. विकलांगजनों से संबंधित नियमित सूचनाओं का संकलन

X. अनुसंधान

XI. खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन

XII. विकलांगजनों से संबंधित विद्यमान अधिनियमों में संशोधन

तदनुसार, इस नीति के अंतर्गत हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्र हैं: रोकथाम, जल्दी पता लगाना और हस्तक्षेप, पुनर्वास कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास, विकलांगजनों की शिक्षा, नियोजन, बाधारहित परिवेश, सामाजिक संरक्षण, अनुसंधान, खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां।

राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तंत्र मौजूद हैं :

i) इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों का समन्वय करने के लिए विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नोडल विभाग है।

ii) पणधारकों के प्रतिनिधित्व वाली केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का समन्वय करती है। राज्य स्तर पर भी इसी तरह की समिति होती है।

iii) इस नीति के कार्यान्वयन के लिए गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, युवा कार्य एवं खेलकूद, रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, श्रम, पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों और प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, लोक उद्यम, राजस्व, सूचना प्रौद्योगिकी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागों की भी पहचान की गयी है।

iv) पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी स्थानीय निकाय जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों के कार्यकरण से संबद्ध हैं। स्थानीय स्तर के मामलों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में इनसे अहम भूमिका निभाया जाना अपेक्षित है।

v) विक के केन्द्र स्तर पर मुख्य आयुक्त एवं राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त, अपनी सांवि वाके अलावा राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वायन में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

## 6.2 विकलांगजनो कार संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन, 2006

यह संधिपत्र 1 200 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और 30 मार्च 2007 को राष्ट्र पक्षों द्वारा हस्त खा इस संधिपत्र के अंगीकरण ने विकलांगजनों को पूरे विश्व में अपने अधिकारों की मांग करने अ का लाभ उठाने के लिए राज्य, निजी और नागरिक समाज की एजेंसियों को जवाबदेह बनाने में त किया है।

भारत कुछ चुनि ाष्ट्रो एक है, जिसने इस संधिपत्र की अभिपुष्टि की है। 30 मार्च 2007 को भारत द्वारा संधिपत्र र ताने और बाद में इसकी अभिपुष्टि किए जाने के परिणामस्वरूप देश में यह कानून 3 मई 2 वी या। यह संधिपत्र प्रत्येक राष्ट्र पक्ष को निम्नलिखित तीन दायित्व देता हैः

क. संधि धान क्रियान्वयन,

ख. देश को त्र के अनुकूल बनाना और

ग. राष्ट्र ार

इस संधिपत्र के ायान के लिए ठोस उपाय करते हुए, सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से इस संधिपत्र के प्राव जैसमें से प्रत्येक पर लागू हो, कार्यान्वयन करने का अनुरोध किया गया। उनसे संबंधित करने ों र्यान्वित, जो उन पर लागू हैं और उनसे संबंधित हैं। 15 महिलाओं एवं बच्चों पर ध्यान केन्द्रि ी कता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा मंत्रालयों से उन विधानों और आदेशों की पह , ड्सि संधिपत्र के विभिन्न प्रावधानों के आलोक में संशोधन करना अपेक्षित है, और अपेक्षित सं ने केया शुरु करने का भी अनुरोध किया गया।

इसी प्रकार, सभ मुत्रेयों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों से भी इस संधिपत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों / द , जसे संबंधित हो सकते हैं, जांच करने और उनके शीघ्र कार्यान्वियन के लिए प्रभावी कदम अनुकेया गया। राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों से, इस संबंध में स्थिति प्रतिवेदन क लिए कहा गया ताकि उनका उपयोग राष्ट्र रिपोर्ट तैयार करने में किया जा सके। इस संधि यित्वपूरा करने के लिए इस संबंध में कड़ी निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

इस संधिपत्र के दिए ायित्वों, कि प्रत्येक राष्ट्र पक्ष को संधिपत्र लागू होने के दो वर्षों के पश्चात राष्ट्र रिपोर्ट प्रस है, ुरूप राष्ट्र रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित कदम भी उठाए गए। पहली राष्ट्र रिपोर्ट का यासे के लिए अप्रैल, 2010 में, विकलांगता अध्ययन केन्द्र, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदरा युक्या गया। तदनुसार, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों / संघ राज्य

क्षेत्र प्रशासनों  और राष्ट्रीय संस्थानों से प्राप्त रिपोर्टों/जानकारियों को विधिवत शामिल करते हुए राष्ट्र रिपोर्ट का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया गया। इस प्रारंभिक मसौदे पर जनवरी, 2012 में, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीर परामर्श बैठक में और बाद में मार्च, 2012 में नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति की बैठक में विधिवत चर्चा की गयी।

विचार विमर्श, टिप्पंणियों इत्यादि के आधार पर नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ द्वारा राष्ट्र रिपोर्ट का एक संशोधित मसौदा तैयार किया गया, जिसकी विदेश मंत्रालय (विधि एवं संधि प्रभाग और यूएनईएस प्रभाग) के परामर्श से इस विभाग में विधिवत जांच की गयी। विदेश मंत्रालय के सलाह के आधार पर जनवरी, 2014 में मसौदा राष्ट्र रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ द्वारा सुझाए गए और परिवर्तनों को इस रिपोर्ट में शामिल करने के बाद इस रिपोर्ट को पुनरीक्षण हेतु विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया। राष्ट्र रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया। बाद में, राष्ट्र रिपोर्ट नवंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र व्यक्ति अधिकार समिति को प्रस्तुत कर दी गई है।

सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण ने जून, 2016 में आयोजित दिव्यांगजन अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक बैठक में भाग लिया। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में की गई प्रगति से संयुक्त राष्ट्र निकाय को सूचित कर दिया गया था।

# 7 अध्याय

# विभाग के अंतर्गत सांविधिक निकाय

## 7.1 दिव्यांगजन युसीसीपीडी)

### 7.1.1 सिंह

विकलांगजनों ायु कार्यालय की स्थापना, निशक्त (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधि 95 रा 57 के अंतर्गत की गयी है। मुख्य आयुक्त को विकलांगजनों के लिए राज्य आयुक्तों के कमन्केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग पर निगरानी और विकलांगजनों रों उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं के संरक्षण के लिए उपाय करने के कार्य सौंपे गए हैं। मुख्य अपाप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर अथवा अन्यथा विकलांगजनों रों वा अथवा विकलांगजनों के कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए या जारी किए नों, नेयमों, विनियमों, कार्यकारी आदेशों, दिशानिर्देशों या अनुदेशों इत्यादि के कार्यान्वयन नही संबंकायतों की जांच करते हैं और संबंधित प्राधिकारियों से मामले को उठाते हैं। विकलांगजनों युवा तरह की किसी भी गैर अनुपालन की अपनी ओर से भी नोटिस ले सकते हैं और संबंधित प्र ने मको उठा सकते हैं। विकलांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त को अपना कार्य प्रभावी ढंग से काम के लिए एक सिविल कोर्ट की कतिपय शक्तियां दी गयी हैं।

## 7.2 ऑटिज्म, प्रमअंग, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ्य न

### 7.2.1 प्रस्ता

राष्ट्रीय न्यास अमस्तिंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ र्ष 1के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य इस प्रका

(i) विकलको तापूर्वक और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकलपन में समर्थ और सशक्त बनाना

(ii) विकलको स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सु।

(iii) विकलांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।

(iv) विकलांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।

(v) विकलांगजनों के माता–पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।

(vi) जिन विकलांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित करना।

(vii) विकलांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर करना।

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्यकरण जो पूर्वोक्त उद्देश्यों का आनुषंगिक हो।

राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो मूलभूत कर्तव्यों– विधिक और कल्याण को निभाने के लिए की गई है। विधिक कर्तव्य स्थानीय स्तर समिति के माध्यम से और विधिक अभिभावकत्व प्रदान करके निभाए जाते हैं। कल्याण कर्तव्य स्कीमों के माध्यम से निभाएं जाते हैं। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ–साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा आश्रय, देख–रेख प्रदान करना एवं सशक्तिकरण शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यास, अधिनियम के अंतर्गत विकलांगजन को समान अवसर प्रदान करने, अधिकारों का संरक्षण करने और पूर्ण भागीदारी में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

### 7.2.1.1 संगठनों का पंजीकरण–

राष्ट्रीय न्यास स्वैच्छिक संगठन, विकलांगजनों के संघ और विकलांगजनों के माता–पिता के संघ को पंजीकरण प्रदान करता है। नई स्कीम प्रबंधन प्रणाली में देश में राष्ट्रीय न्यास के लगभग 425 पंजीकृत संगठन हैं।

### 7.2.1.2 स्थानीय स्तर समिति

राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत, एक स्थानीय स्तर समिति देश के प्रत्येक जिले में तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक बोर्ड द्वारा इसका पुनर्गठन नहीं किया जाता, गठित की जानी अपेक्षित है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

- संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या किसी जिले के जिला आयुक्त के रैंक से नीचे का नहीं हो।
- राष्ट्रीय न्यास के पास पंजीकृत किसी संगठन का एक प्रतिनिधि और
- निःशक्तजन अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (न) में यथापरिभाषित विकलांगजन

स्थानीय स्तर स कधिक संरक्षकों की जांच, नियुक्ति और निगरानी करना है। स्थानीय स्तर समिति जागरूक, अण और विकलांगजनों को मुख्यधारा में शामिल किए जाने जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहि है। तक, देश के लगभग सभी जिलों (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) को शामिल करते हु नीर समितियां गठित की जा चुकी है।

### 7.2.1.3 विधिव क्ुक्ति

राष्ट्रीय न्यास अ199धारा 14–17 स्थानीय स्तर समिति द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु से व्यक्तियों को दिए जाने वाले संरक्षण की व्याख्या करती है। संरक्षण एक आवश्यकता आर्थकवधान है। संरक्षण निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रदान किया जाता है–

1. अनुरधावादेखभाल
2. अचल प्र
3. चल सबंध
4. कोई

### 7..2.1.4 राज्य् जेंस्द्र (एसएनएसी)

राज्य स्तर पर म भावी कार्यान्वयन सहित, राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों के कार्यान्वयन और राज्य सर साथन्वय करने एवं संपर्क बनाने के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक प्रतिष्ठित को नोडल अभिकरण केंद्र (एसएनएसी) के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में मे एसएनएसी हैं और इसकी सूची हमारे वेबसाइट लिंक http://www.thetrus.in/content/registered_organization.php पर दी गई है। राष्ट्रीय न्यास, संस्थातग यां ।, यथा ट्रस्ट की स्कीमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत एनजीओ के साथ बैठक कर एन के साथ नेटवर्क बनाने और स्थानीय स्तर समितियों और राज्य स्तरीय समन्वय समिति के बैठक, के लिए निधि प्रदान करता है। वर्श 2016–17 के दौरान जनवरी, 2017 तक 15,61 रूप राशि एसएनएसी को जारी की गई है।

### 7.2.1.5 राज्य य ते (एसएलसीसी)

राष्ट्रीय न्यास स्वावीन्वयन एवं निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को राज्य स्तरीय समिति करने का अनुरोध किया गया है। विकलांगता संबंधी कार्य की देखरेख करने वाले राज्य सके अध्यक्ष होते हैं और संबंधित एसएनएसी इसके संयोजक होते हैं। अबतक 26 राज्यों / संघों एलसीसी का गठन कर दिया गया है।

7.2.2 **राष्ट्रीय न्यास की विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत मुख्य गतिविधियां :–**

(i) **दिशा (शीघ्र हस्तक्षेप और विद्यालय तैयारी स्कीम)**– यह राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत शामिल चार निःशक्तताओं वाले 0–10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक शीघ्र हस्तक्षेप और विद्यालय तैयारी स्कीम है और इसका उद्देश्य उपचारों, प्रशिक्षणों के माध्यम से विकलांगजनों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप हेतु दिशा केन्द्रों की स्थापना करना और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करना है। आरओ द्वारा आयु विशिष्ट गतिविधियों के साथ–साथ दिन में कम से कम 4 घंटे (पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 6 बजे के बीच) विकलांगजनों के लिए दिवस–देखभाल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। केन्द्र में देखभालकर्ता और आयाओं के अलावा विकलांगजनों के लिए एक विशेष शिक्षक या शीघ्र हस्तक्षेप उपचारकर्ता, फीजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और परामर्शदाता होने चाहिए।

संशोधित शीघ्र हस्तक्षेप स्कीम में, पूर्व स्कीम में यथाउल्लिखित 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के स्थान पर 0–10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किए जाने का उपबंध होगा। स्थापना लागत 50,000 रूपये से बढ़कर 1.55 लाख रूपए की गई है।

इसमें 80 दिशा केन्द्र हैं जिनमें 2,11,81,552/–रूप्ए जारी किए गए हैं। इसमें 47 केन्द्रों की स्वीकृति और 2016–17 के दौरान 16.01.2016 तक 1,60,66,552/–रूपए की निर्मुक्ति शामिल है।

(ii) **विकास (दिवस–देखभाल)** – यह विकलांगजनों के लिए, जब कि वे उच्चतर आयु वर्गों में शामिल होने की स्थिति में हों, अंतर्वैयक्तिक और व्यावसायिक कौशलों को बढ़ाने हेतु मुख्यतया उन्हें उपलब्ध अवसरों के दायरे को बढ़ाने के लिए एक दिवस–देखभाल स्कीम है। जिस समय के दौरान विकलांगजन विकास केन्द्र में होंगे, केन्द्र उन्हें दिवस–देखभाल सहायता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विकलांगजनों के परिवार के सदस्यों को अन्य जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए दिन के दौरान कुछ समय प्रदान करने के लिए समर्थन देने में भी मदद करता है। आरओ द्वारा आयु विशिष्ट गतिविधियों के साथ–साथ दिन में कम से कम 6 घंटे (पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 6 बजे के बीच) विकलांगजनों के लिए दिवस–देखभाल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। दिवस–देखभाल सुविधा एक माह में कम से कम 21 दिन खुली होनी चाहिए।

इसमें 95 केन्द्र हैं जिनमें 4,61,79,806/–रूप्ए जारी किए गए हैं। इसमें 67 केन्द्रों की स्वीकृति और 2016–17 के दौरान 16.01.2016 तक 4,09,14,806/–रूपए की निर्मुक्ति शामिल है।

(iii) **समर्थ (राहत देखभाल)** – समर्थ स्कीम का उद्देश्य अनाथों या परित्यक्तों, संकट में फंसे परिवारों तथा साथ ही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के दायरे में आने वाले निराश्रितों समेत गरीबी रेखा से नीचे के एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों से संबंधित विकलांगजनों को राहत गृह प्रदान करना है। यह परिवार के सदस्यों के लिए भी अवसरों के सृजन का उद्देश्य रखती है ताकि उन्हें अन्य जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए राहत समय मिल सके। यह स्कीम सभी आयु वर्गों के लिए, पेशेवर चिकित्सकों द्वारा मूलभूत चिकित्सा देखभाल के उपबंध समेत स्वीकार्य जीवन स्तरों के साथ पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण

देखभाल/आवासीय/सामूहिक गृह सुविधा प्रदान करने हेतु समर्थ केन्द्रों की स्थापना करने का भी उद्देश्य है।

संशोधित केन्द्र/कार्य केन्द्र का प्रावधान होगा। प्रति लाभार्थी मासिक आवर्ती लागत को 1600 प्रतिमाह (कर) प्रतिमाह कर दिया गया है। यह स्कीम क्रमिक–ह्रास (टेपरिंग) अनुदान के स्थान पर लागू/प्रयोज्यता रखेगी।

इसमें केन्द्र जिनमें 1,61,70,479/–रूपए जारी किए गए हैं। इसमें 19 केन्द्रों की स्वीकृति और 2 के दौरान 16.01.2016 तक 1,08,50,479/–रूपए की निर्मुक्ति शामिल है।

(iv) **घरौंदा (सामूहिक गृह)** – घरौंदा स्कीम का उद्देश्य ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं वाले व्यक्तियों को एक सुनिश्चित गृह और पेशेवर चिकित्सा मूल चिकित्सा देखभाल के उपबंध समेत स्वीकार्य जीवन स्तरों के साथ पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवा वाली न्यूनतम देखभाल सुविधाएं प्रदान करना है। घरौंदा केन्द्र द्वारा व्यावसायिक पूर्व–व्यावसायिक गतिविधियां और आगे प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

संशोधित स्कीम में निम्न आय वर्ग (बीपीएल समेत) और निम्न आय वर्ग से ऊपर के विकलांगों को पंजीकृत संगठनों के भुगतान आधारित सीटें होंगी) के लिए 5:1 के स्थान पर 1:1 का होगा/लाख रूपये प्रति निःशक्तजन के एककालिक भुगतान के स्थान पर 10,000 रूपये प्रति निःशक्तजन की मासिक आवर्ती निधि होगी। इसके अलावा, 2.50 लाख रूपये की एककालिक स्थापना निधि, 10 लाख रूपये की संकट निधि और 25,000 से 1,00,000 रूपये तक की कार्य योजना निधि होगी।

इसमें केन्द्र के जिनमें 2,33,80,000/– रूपए जारी किए गए हैं। इसमें 23 केन्द्रों की स्वीकृति 2015-16 के दौरान 16.01.2016 तक 1,99,00,000/–रूपए की निर्मुक्ति शामिल है।

(v) **निरामय स्वास्थ्य स्कीम**– यह स्कीम ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों को वहनीय स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए है। नामांकित लाभार्थी शुल्क अदा करके 1.0 लाख रूपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त करते हैं। शुल्क ढ़ांचा संशोधित किया गया था जो नीचे दिया गया हैः–

नामांकन एवं नवीकरण शुल्क

| दिव्यांगजन श्रेणी | नामांकन शुल्क (रू0 में) | नवीकरण शुल्क (रू0 में) |
|---|---|---|
| बीपीएल | रू. 250/- | रू. 50/- |
| गैर बीपीएल | रू. 500/- | रू. 250/- |
| वैधानिक अभिभावक वाले पीडब्ल्यूडी (प्राकृतिक रूप से अन्य) | निशुल्क | निशुल्क |

वे शीर्ष जिनके तहत लाभार्थी लाभ उठा सकता है (लाभ चार्ट) नीचे दिए अनुसार है :–

| निरामय* स्वास्थ्य बीमा स्कीम संशोधित लाभ चार्ट (अप्रैल, 2015 से केवल प्रतिपूर्ति आधार पर) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **खंड** | **उप खंड** | **ब्यौरा** | **उपसीमा** | **खंड की समग्र सीमा** |
| I | **चिकित्सा की समग्र सीमा** | | | रू. 70,000/- |
| | A | आकस्मिक निशक्तता सहित विद्यमान निशक्तता के लिए सुधारात्मक सर्जरियां | रू. 40,000/- | |
| | B | गैर–सर्जिकल / चिकित्सा | रू.15,000/- | |
| | C | निशक्तता को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सर्जरी | रू.15,000/- | |
| II | **ओपीडी के लिए समग्र सीमा** | | | रू. 14,500/- |
| | A | ओपीडी उपचार औशधियां लैब डायग्नोस्टिक जांच सहित | रू.8,000/- | |
| | B | नॉन आइलिंग डिसेबल के लिए नियमित चिकित्सा जांच | रू. 4,000/- | |
| | C | दंत संरक्षण डेनटिस्ट्री | रू. 2,500/- | |
| III | **निशक्तता के प्रभाव, निशक्तता संबंधी परेशानियों को कम करने के लिए चल रही थेरेपियां** | | | रू. **10,000/-** |
| IV | **वैकल्पिक औषधि** | | | रू. 4,500/- |
| V | **परिवहन लागतें** | | | रू. 1,000/- |
| **एक व्यक्ति के लिए कवरेज की समग्र सीमा रू.** 1,00,000/- | | | | |

2016–17 के दौ.20ꩡ स्कीम के तहत कुल व्यय 2,54,31,309/– रू. है।

vi) **सहयो‍भार्ता प्रशिक्षण स्कीम)** – इस योजना का उद्देश्य विकलांगजनों और उनके परिवान्हें ाल की आवश्यकता होती है, पर्याप्त और पोषक देखभाल प्रदान करने के लिए र्ताओ प्रशिक्षण प्रदान करने और एक इनका एक कौशलयुक्त कार्यबल बनाने हेतु देखभ कोसीजीसी) की स्थापना करना है। यह माता–पिताओं को, यदि वे चाहें, देखभके वं प्रशिक्षित होने का अवसर प्रदान करने का भी प्रयास करता है। यह स्कीम ऐसे र्ताओ बनाने के लिए, जो विकलांगजनों के परिवारों तथा विकलांगजनों की जरूर काली अन्य संस्थाओं (गैर–सरकारी संगठनों, कार्य केन्द्रों इत्यादि) दोनों के साथ सकयक हों, प्राथमिक और उच्च दो स्तर के पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण का वि न क

प्राथमिकम ए 4,200 प्रति प्रशिक्षक की और उच्च पाठ्यक्रम के लिए 8,000 रूपये की प्रशिक्ष काान है। साथ ही, इस स्कीम में प्राथमिक के लिए 5000 रूपये और उच्च पाठ्य ए 1 रूपये की दर से प्रशिक्षुओं हेतु अध्येतावृत्ति को भी लागू किया गया है।

इसमें गी स्वीकृत किए गए हैं और 2016–17 के दौरान 16.01.2016 तक 31,00 रुपएनेर्मुक्ति शामिल है।

vii) **ज्ञान क्षिकायता)**– ज्ञान प्रभा स्कीम ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुवि वागों को स्नातक पाठ्यक्रमों, पेशेवर पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षणों का, गारवरोजगार मिलता है, अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय न्यास जन प्रति पाठ्यक्रम एक विशिष्ट धनराशि प्रदान करेगा जिसके अंतर्गत सामान्क, न, पुस्तकें, स्वयं वहनीय खर्च (ओपीई) इत्यादि आएंगे।

संशोधिमें, व्यावसायिक प्रशिक्षण कौशल विकास पाठ्यक्रमों के स्थान पर अनेक प्रकार के पाो श किया गया है। संशोधित स्कीम में, 1000 रूपये प्रतिमाह के स्थान पर विशिष्मों ए नियत आवर्ती राशि होगी जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम शुल्क, परिवहन, पुस्तकें नीर शामिल होंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 1600 रूपये प्रतिमाह और स्नातकोत्तक्रम के लिए 2000 रूपये प्रतिमाह होंगे। इसी प्रकार, पेशेवर पाठ्यक्रम के लिपएप्रमाह दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 20,000 रूपये प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति की उच्चतक न भत्ता होगा।

2016–रान1.2016 तक इस स्कीम के तहत 6 दिव्यांगजनों को 88,416/– रूपए की निर्मुक्ति हैं

viii) **प्रेरणा (विपणन सहायता)** – प्रेरणा राष्ट्रीय न्यास की एक विपणन सहायता स्कीम है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विकलांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों और सेवाओं के विक्रय के लिए व्यवहार्य और व्यापक चौनलों का सृजन करना है। यह स्कीम विकलांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए प्रदर्शनियों, मेलों, इत्यादि जैसे आयोजनों में भाग लेने के लिए निधियां प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह स्कीम विकलांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विक्रय टर्नओवर के आधार पर पंजीकृत संगठनों (आरओ) को प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय न्यास विकलांगजनों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों और सेवाओं के विपणन और विक्रय के लिए मेलों, प्रदर्शनियों, इत्यादि जैसे राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के आयोजनों में आरओ की प्रतिभागिता के लिए निधियां प्रदान करेगा। किंतु, इन कार्य केन्द्रों के कम से कम 51 प्रतिशत कर्मचारी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विकलांगजन होने चाहिए।

इसमे 2016–17 के दौरान 2 प्रेरणा केन्द्र स्वीकृत किए गए है।

ix) **सम्भाव (सहायक यंत्र और सहायक डिवाइसें)**– यह युक्तियों के प्रदर्शन के प्रावधान के साथ विकसित सहायताओं, सॉफ्टवेयर तथा अन्य प्रकार की सहायक युक्तियों की तुलना और संग्रहण करने के लिए 5 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले (2011 की जनगणना के अनुसार) देश के प्रत्येक नगर में एक–एक अतिरिक्त संसाधन केन्द्र स्थापित करने की स्कीम है। इस स्कीम में, राष्ट्रीय न्यास के वेबसाइट पर, संभव केन्द्र पर उपलब्ध सहायताओं और सहायक युक्तियों से संबंधित सूचनाओं का रखरखाव किया जाना भी शामिल है। इन केन्द्रों का लक्ष्य राष्ट्रीय न्यास की निःशक्तताओं वाले विकलांगजनों की खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए सूचनाएं प्रदान करना और युक्तियों, उपकरणों, सहायताओं, सॉफ्टवेयर इत्यादि को आसानी से उपलब्ध कराना है। पूर्व में, दिल्ली में एक गैर–सरकारी संगठन को संभव केन्द्र चलाने के लिए पहचाना गया था। अब, इसे स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया है।

अभी कुछ समय पहले दिल्ली में एक एनजीओं सम्भाव केन्द्र चलाने के लिए अभिज्ञात किया गया था। अब यह स्कीम में परिवर्तितकिया गया है।

x) **बढ़ते कदम (जागरूकता और सामुदायिक विचार–विमर्श)**– यह स्कीम राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों (आरओ) को ऐसी गतिविधियां करने में मदद करेगी जो राष्ट्रीय न्यास विकलांगताओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने पर केन्द्रित हों। स्कीम का उद्देश्य सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना, संवेदीकरण, विकलांगजनों का सामाजिक एकीकरण और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। राष्ट्रीय न्यास प्रति वर्ष प्रत्येक आरओ के लिए अधिकतम 4 आयोजन को प्रायोजित करेगा। प्रत्येक आरओ को एक वर्ष में कम से कम 1 आयोजन (समुदाय, शैक्षिक संस्थाओं या चिकित्सा संस्थानों के लिए) अवश्य करना चाहिए।

बढ़ते कदम पहले राष्ट्रीय न्यास की एक पहल थी जिसे अब एक स्कीम में बदल दिया गया है।

इसमें 81 आरवो स्कीम में पंजीकृत किए गए है। स्कीम के तहत कुल व्यय 62,55,742/– रूपए है।

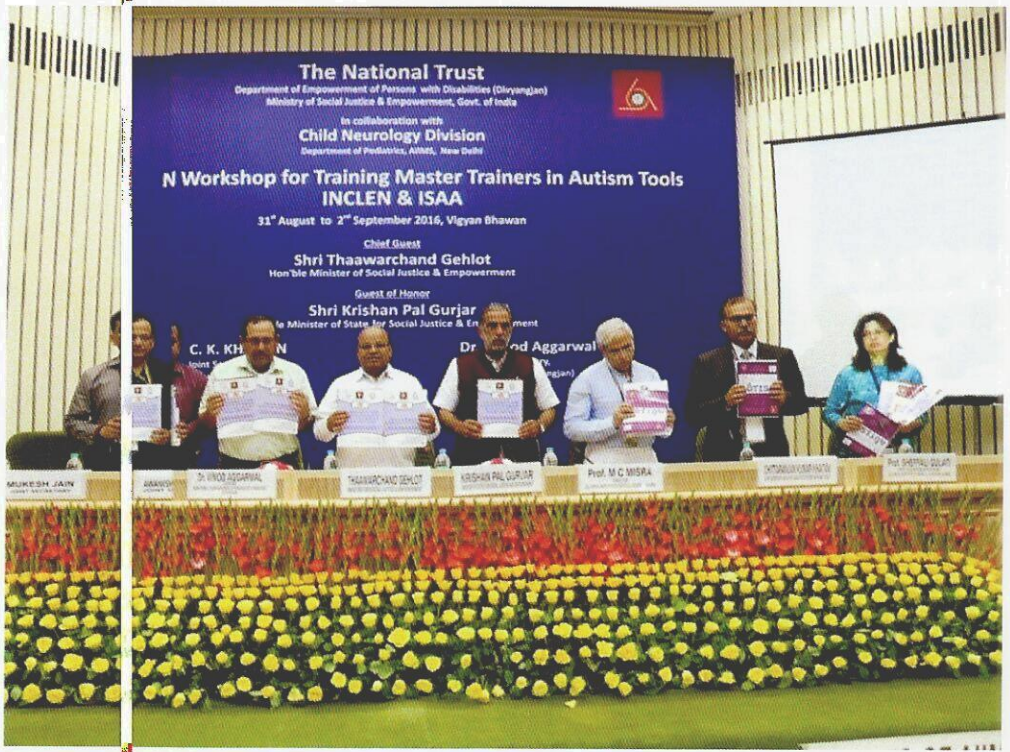


आ क्षा शुभ आरंभ करते हुए माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत

7.2.3 बजट अ

वर्ष 2015 लिए य न्यास का बजट 34.19 करोड़ रूपये है। इसमें से 24.19 करोड़ रूपये राष्ट्रीय ांतोतों से मिलेंगे और 10.00 करोड़ रूपये एसएफसी द्वारा यथा अनुमोदित विकलांग क्तविभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से मिलने प्रस्तावित हैं। राष्ट्री ने इतीय वर्ष के दौरान अब तक 4.50 करोड़ रूपये का व्यय वहन किया है। 2016—1 1र016 तक राश्ट्रीय ट्रस्ट ने 14.46 करोड रू0 का व्यय किया है।

7.2.4 राष्ट्रीय अन्तेविधियां

(i) टूार 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला – आईएनसीएलईएन ईए

यार 31 अगस्त, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ऑटिज्म प्रशिक्षण पर सीर्यशाला आयोजित की गई थी। माननीय राज्य मंत्री (एसजेएंडई) श्री गुरी उपस्थिति में माननीय मंत्री (एसजेएंडई) श्री थावरचंद गेहलोत द्वारा ा द्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान, प्रशिक्षण के लिए मॉडलों के युवटिज्म पर 03 पुस्तकें माननीय मंत्री (एसजेएंडई) द्वारा प्रारंभ की गई।

प्रोफेसर एमसी मिश्रा, निदेशक, एआईआईएमएस और प्रो0 वीके पाल, पीडियाटिक्स विभाग के अध्यक्ष भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए और यह पहल करने के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रयास की सराहना की। प्रो0 मिश्रा ने राष्ट्रीय ट्रस्ट और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के साथ उनके जुडाव एवं लंबी अवधि सहयोग के लिए आश्वस्त किया।

माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, श्री थावरचन्द गेहलोत ने कार्यशाला में उत्शुक्ता के साथ रूचि ली और प्रशिक्षण सत्र के दौरान 01 सितंबर, 2016 को पुनः दौरा किया तथा व्यवसायिकों से विचार विमर्श किया। उन्होंने देश में व्यवसायिकों की पर्याप्त संख्या को प्रशिक्षित करने के विशय में जोनल स्तर पर और अधिक ऐसी प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ऑटिज्म में प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक मैडिकल कॉलेज के लिए 02 डॉ0 को आमंत्रित किया जाएं और मैडिकल कॉलेजों को शामिल किया जाएं। यदि आवश्यक हो, तो वह इन गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए एवं सहायता हेतु माननीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री से भी बात करेंगे। 18 राज्यों से 78 व्यवसायिकों ने भाग लिया जिसमें पीडियाट्रीसियन, मनेचिकित्सकों एवं क्लीनिकल मनोवैज्ञानिकों ने प्रशिक्षण कार्यशाला में भागीदारी की तथा ऑटिज्म निदान एवं मूल्यांकन के लिए आईएनसीएलईएन और आईएसएसए का प्रयोग किया तथा मास्टर प्रशिक्षक बन गए। ये मास्टर प्रशिक्षक ऑटिज्म के लिए प्रमाणपत्र जारी करना सुकर बनाने के लिए अपने संबंधित राज्यों में आगे अन्य आवश्यक व्यवसायिकों को प्रशिक्षित करेंगे।

हालांकि सरकार ने 2001 में ऑटिज्म को निशक्तता के रूप में अधिसूचित किया था, इसने प्रमाणपत्र जारी नहीं किए थे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 26 अप्रैल, 2016 को दिशानिर्देश अधिसूचित किए जिससे कि ऑटिज्म के लिए निशक्तता प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए और बोर्डो का गठन किया जा सके। यह 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला ऑटिज्म व्यक्तियों को प्रमाणन सुकर बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम है। वर्तमान में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी में ऑटिज्म व्यक्तियों के डायग्नोज एवं समुचित रूप से प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों की बहुत अधिक कमी है। ऑटिज्म का मूल्यांकन संभव नहीं है क्योंकि इसमें वैद्य मानक रैटिंग प्रणाली नहीं है। आईएनसीएलईएन और आईएसएसए का यह मूल्यांकन औजार उच्च स्तर एकरूपता कायम रखने के लिए देश के सभी भागों में प्रयोग किया जा सकता है। मास्टर प्रशिक्षकों को सलाह दी जाती है प्रशिक्षण सामग्री का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करें और पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा संबंधित राज्यों में अन्य व्यवसायिको को प्रशिक्षित करें। सभी मास्टर प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सहमति दी। अध्यक्ष राष्ट्रीय ट्रस्ट ने मास्टर प्रशिक्षकों को प्रमाणपत्र वितरित किए।

(ii) **संब016 को राष्ट्रीय ट्रस्ट फाउंडेशन दिवस पर 'समावेशन समारोह' :** ट्र30 दिसंबर, 2016 को माउलंकर हाल, कंस्टीचयूशन क्लब, रफी मार्ग, नई -11 में इसका फाउंडेशन दिवस मनाया। माननीय सामाजिक न्याय और रित श्री थावरचन्द गेहलोत ने समारोह का उदघाटन करने की सहमति दी। ।क न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर और श्री आ ने भी अवसर की शोभा बढ़ाई। श्री एनएस कंग, सचिव दिव्यांगजन कभाग ने भी अवसर की शोभा बढ़ाई।

## 7.3 भारतीय पुनर्वा द (सीआईई)

भारतीय पुनर्वास प शुरु जुलाई, 1986 के संकल्प संख्या 22–17 / 83 –एच डब्ल्यू–III के तहत सोसाइटी पंजीकर यम0 का ग्ग के अंतर्गत स्थापित किया गया था। संसद में पारित एक अधिनियम नामतः नवरिषद अधिनियम, 1992(1992 की सं. 34) दिनांक 1 सितंबर, 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक द या 2000 में (2000 का सं. 38) इस अधिनियम को अधिक व्यापक आधार वाला बनाने के लिए इस किया। परिषद पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिकों व कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्र नियऔर मॉनीटर करने एवं पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने और केन्द्रीय पु स्ट रखखाव के लिए जिम्मेवार है।

**परिषद के उद्देश्य**

1. विकलांग नव क्षेत्र के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित और मानीटर करना।
2. विकलांग संबंविभिन्न वर्गों के पेशेवरों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम मानक विहित व
3. देश भर ना के लिए सभी प्रशिक्षण संस्थाननों में इन मानकों को विनियमित करना।
4. भारत में शेव लिए विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा संस्वीकृत योग्यताओं की मान्यता हेतु मंत्रालय ी दे
5. भारत के थान प्रदत्त योग्यताओं की मान्यता के संबंध में मंत्रालय को सिफारिश करना।
6. मान्यता प्रसाता धारण करने वाले व्यक्तियों का केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए रखना।
7. विकलांग त्र र्य कर रहे संगठनों के साथ सहयोग कर सतत पुनर्वास शिक्षा को प्रोत्साहि
8. पुनर्वास शिअनुसंधान को बढ़ावा देना।

## परिषद के कार्य

1. भारत में किसी भी विश्वविद्यालय या अन्य संस्था द्वारा प्रदत्त योग्यताएं जो अनुसूची में शामिल हैं, पुनर्वास पेशेवरों के लिए मान्यनता प्राप्त योग्यताएं होंगी।

2. कोई भी विश्वविद्यालय अथवा अन्य संस्था जो पुनर्वास पेशेवरों को योग्यता प्रदान करती है परंतु अनुसूची में शामिल नहीं है, इस प्रकार की योग्यता हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन कर सकता है और केन्द्र सरकार, परिषद से सलाह लेकर अधिसूचना के जरिए अनुसूची में संशोधन कर सकती है ताकि इस प्रकार की योग्यताओं को इसमें शामिल किया जा सके और इस प्रकार की अधिसूचना में यह निदेश दिया जा सकता है कि किसी विर्निदिष्ट तिथि के पश्चात, केवल संस्वीकृति मिल जाने पर ही, इस अनुसूची के अंतिम कॉलम में कोई प्रविष्टि की जाएगी।

3. परिषद किसी भी अन्य देश में एक मान्यता प्राप्त प्राधिकरण के साथ योग्यता की मान्यता के लिए पारस्परिकता की एक योजना स्थापित करने के लिए समझौता कर सकता है। ऐसी योजना के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, अधिसूचना के जरिए अनुसूची में संशोधन कर सकती है ताकि इस प्रकार की योग्यताओं को जिसे परिषद ने मान्यता देने का निर्णय लिया है इसमें शामिल किया जा सके और इस प्रकार की अधिसूचना में यह निदेश दे सकती है कि किसी विर्निदिष्ट तिथि के पश्चात, केवल संस्वीकृति मिल जाने पर ही, इस अनुसूची के अंतिम कॉलम में यह घोषणा करते हुए प्रविष्टि की जाएगी कि यह योग्यता मान्यता प्राप्त है।

4. इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के केन्द्रीय पुनर्वास पेशेवर रजिस्टर में पुनर्वास पेशेवर के रूप में पंजीकरण।

5. .भारत के विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता देने के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करना।

6. पेशेवरों के लिए मानदंड, पुनर्वास पेशेवरों के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार और आचार संहिता निर्धारित करना।

7. पुनर्वास के क्षेत्र में पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं / विश्वविद्यालयों का आकलन और संस्वीकृति प्रदान करना और सरकार द्वारा उनकी मान्यता देने और मान्यता वापस लेने को सुगम करना।

8. परिषद जैसा अपेक्षित समझे, किसी भी ऐसे विश्वविद्यालय अथवा संस्थान का निरीक्षण करने के लिए, जहां पुनर्वास पेशेवरों को शिक्षा दी जाती है, कितने भी निरीक्षकों नियुक्त कर सकता है अथवा मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता प्रदान करने के प्रयोजन से किसी भी परीक्षा का निरीक्षण कर सकता है।

**परिषद की प्रमु धि016 –17)**

(I) प्रायो र पआईईपीएमडी, चैन्नई ने 04 नए पाठयक्रम विकसित/मानकीकृत एवं अनुमो । ाठयक्रमों का सेलेबस संशोधित किया गया। वर्तमान में आरसीआई को आबंट ए ायिकों/कार्मिकों की सभी 16 श्रेणियों को कवर करते हुए नियमित पद्धति के मा पात प्रचालित हैं।

(ii) 623 र 1 विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफि एचार तक आरसीआई अनुमोदित पाठयक्रम चलाने के लिए अनुमोदित किए गए हैं

(iii) केन्द्री रि (सीआरआर) में 3494 व्यवसायिक और 3757 कार्मिक पंजीकृत किए गए और 3 तआरआर में संचय योग 1,20,059 तक पहुँच चुका है।

(iv) 272 पु शिक्षा (सीआरई) कार्यक्रम स्वीकृत किए गए और 135 संगो यशों को सीआरईका अस्तित्व प्रदान किया गया है। 296 अल्पावधि कार्यक्रम दिव्यां क्ति विभाग के तहत कार्य करने वाले राश्ट्रीय संस्थानों के लिए स्वीकृत किए गए थे

(v) मीडिय शियाएलए) के सहयोग से परिशद द्वारा दिव्यांगता पर "पुर्नभव्य" नेशनल इंट्रेक्टि र्टल3.2017 तक आगे एक वर्श की अवधि के लिए बढ़ाया गया पोर्टल एकल प्लेटफ भिन्यांगता के मुद्दों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है यां, व्यवसायिकों, नीति निर्माताओं छात्रों, अभिभावकों, सामुदायक कामगारों और अ रियेंलए बहुत लाभकारी है।

(vi) पुनर्वा य बोर्ड (बीईआर) ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिक लस्तहत कार्यरत राष्ट्रीय संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था य ्यावर जंग वाक् एवं श्रवण दिव्यांगता राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई, राष्ट्रीय दिव्यां क्ति संस्थान, देहरादूनय राश्ट्रीय लोकोमोटर दिव्यांगता संस्थान, कोलकाता और र द्विक्रांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकन्दराबाद के माध्यम से प्रमाणपत्र और डिप्लो ठय(सेमैस्टर, वार्षिक और अनुपूरक) की परीक्षा संचालित की।

(vii) एससी के िशेष घटक योजना (एससीपी) के तहत, आरसीआई अनुमोदित संस्थानों में अध्यय ाले ससी छात्रों और 46 एसटी छात्रों लैप्टॉप खरीदनें के लिए वित्तीय सहायत अनुमो ई है

(viii) उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष घटक योजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गई हैं :

(क) आरसीआई प्रशिक्षण संस्थान और उत्तर पूर्वी राज्यों के पणधारी विभाग की क्षमता निर्माण पर एक दिवसीय संगोष्ठी 01 मई, 2016 को गुवाहटी में आयोजित की गई।

(ख) उत्तर पूर्व में दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास व्यवसायिकों की क्षमता निर्माण पर संगोष्ठी 07 एवं 08 सितंबर, 2016 को नामसाई, अरूणाचल प्रदेश में आयोजित की गई।

(ग) उत्तर पूर्व में दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास व्यवसायिकों की क्षमता निर्माण पर संगोष्ठी 04 एवं 05 अक्टूबर, 2016 को आईजोल, मिजोरम में आयोजित की गई।

(घ) उत्तर पूर्व क्षेत्र में डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री स्तर में आरसीआई अनुमोदित संस्थानों में अध्ययन करने वाले 115 छात्रों को टयूशन शुल्क रिफण्ड किए गए हैं।

(ix) कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्तियों के दिव्यांगता प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए स्कीमें विकसित की गई हैं।

(क) स्कीम I (क एवं ख) कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजनों (ग्रेड I एवं II) को दिव्यांगता प्रबंधन प्रशिक्षण (डीबीटी) हेतु

(ख) स्कीम II (क एवं ख) कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजनों (ग्रेड II एवं उससे ऊपर) के व्यक्तियों के लिए दिव्यांगता प्रबंधन प्रशिक्षण (डीबीटी) और स्वास्थ्य जांच हेतु

(x) दूरस्थ शिक्षा सैल

विशेष शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए परिशद द्वारा वर्श 2001 में दूरस्थ शिक्षा सैल स्थापित किया गया था। प्रथम समझौता ज्ञापन आरसीआई एवं मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय (एमपीबीओयू), भोपला के बीच हस्ताक्षर किया गया था। जिससे कि दूरस्थ पद्धति के माध्यम से बीएड–एसईडीई पाठयक्रम संचालित किए जा सकें और आज दूरस्थ पद्धति के माध्यम से पाठयक्रम कराने हेतु निम्नलिखित 12 विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं।

# 8 CHAPTER

# विभाग की विभिन्न स्कीमें

## 8.1 सिंहावलोकन

विभाग विकलांग[illegible]शरण और पुनर्वास के लिए विभिन्न स्कीमें संचालित कर रहा है। स्कीम के उद्देश्य विकलांग[illegible]ीवर को बढ़ाने तथा साथ ही उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में समर्थ बनाने के लिए भौतिक, म[illegible], सक, शैक्षणिक और आर्थिक पुनर्वास को प्रोत्साहन देना तथा विकास करना है। विकलांगजन[illegible]स [illegible]ुख स्कीमें हैं :

(i) **विक[illegible] [illegible]धनों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता की स्कीम (एडी[illegible]**

(ii) **विक[illegible]धि के कार्यान्वयन की स्कीम (एसआईपीडीए)**

(iii) **दीन[illegible]ल पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस)**

## 8.2 केंद्रीय क्षेत्र की[illegible]

### 8.2.1 साध[illegible]रण खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)

स्कीम[illegible]य। विभिन्न कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थाओं/मिश्र क्षेत्रीय केंद्रों/[illegible] अंग विनिर्माण निगम (एएलआईएमसीओ)/राज्य विकलांग विकास निगम[illegible]र्नकाय/एनजीओ) को सहायतानुदान प्रदान करना है ताकि विकलांगजनों की अ[illegible] प्रो घटाने तथा उसी वक्त उनकी आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने के माध्यम से उनकी[illegible]सामू और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए टिकाऊ, परिष्कृत तथा [illegible]रूप निर्मित, आधुनिक, मानक साधनों तथा उपकरणों की प्राप्ति में जरूरतमंद विकल[illegible]ी सा करने की स्थिति में हो सके। विकलांगजनों को उनके स्वतंत्र कार्य करने में सुध[illegible]औसता को रोकने तथा माध्यमिक अक्षमता होने से रोकने के उद्देश्य से उन्हें सहाय[illegible]ण जाते हैं। स्कीम के अंतर्गत दिए गए साधन तथा उपकरण का विधिवत प्रमाण[illegible]हि[illegible]ीम में जब कभी आवश्यक हो, सहायक उपकरण देने से पूर्व सही शल्य चिकि[illegible]आयकी भी परिकल्पना की गई है।

**लाभ के लिए पात्र व्यक्ति**

- 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- सभी स्रोतों से मासिक आय 100 प्रतिशत रियायत के लिए 15000 रू0 प्रतिमाह और 50 प्रतिशत रियायत के लिए 15001 से 20000 रू0 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।?
- नई सहायक डिवाइसें केवल इस प्रयोजन के लिए निर्धारित 03 वर्ष के बाद उपलब्ध कराई जाएगी।
- तथापि, 12 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों के लिए आपूर्ति 01 वर्ष बाद की जा सकती है।

अनाथालयों एवं हाफ–वे होमस में रहने वाले लाभार्थियों के आय प्रमाणपत्र जिला क्लैक्टर या संबंधित संगठन के मुखिया के प्रमाणन पर स्वीकार किए जा सकते हैं।

**सहायक यंत्र एंव डिवाइस की अधिकतम लागत सीमा**

- सहायक यंत्र एवं उपकरण 10000 रू0 से अधिक की लागत के नहीं ।
- दिव्यांग छात्र के मामले में, नवी कक्षा से ऊपर के विद्यार्थी के लिए सीमा 12000 रू0 है।
- बहु निशक्ता के मामले में, एक से अधिक सहायक यंत्र/उपकरण की आवश्यकता होने के मामले में सीमा व्यक्तिगत मद पर अलग से लागू होगी।
- आय सीमा के अधीन, स्कीम के तहत सहायता के लिए पात्र, 20,000 रू0 से ऊपर महंगी लागत वाली मदें, विभाग द्वारा अलग से सूचीबद्ध की जाएंगी। भारत सरकार लागत का 50 प्रतिशत वहन करेगी और शेष या तो राज्य सरकार द्वारा या एनजीओ या अन्य किसी अन्य एजेंसी या लाभार्थी द्वारा, मामला दर मामला आधार पर, मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के साथ योगदान दिया जाएगा।

स्कीम के तहत, जिलावार दिव्यांगता कैंप आयोजित किए जाते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से, कैंप आयोजित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्ताव की सिफारिश करते समय, यह भी अपेक्षा की जाती है कि बिना पहुँच किए जाने योग्य एवं बिना सेवित क्षेत्रों की कवरेज पर केन्द्रीत करें।

**वर्ष 2016–17 के लिए बजट प्राक्कलन 130.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से 128.50 करोड़ रुपए का व्यय दिनांक 31.12.2016 तक स्कीम के अंतर्गत किया गया है।** एडीआईपी स्कीम के अंतर्गत निधि निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए निर्धारित की गई है :

**(क) ए –एसए शिविर आयोजित करने हेतु**

प्रकन तथा उपकरण 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा मानव संसाधन विकास नय र्वशिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत स्कूल जाने वाले बच्चों को वितरित किए मंत्रके साथ करार के अनुसार, एएलआईएमसीओ, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी द्वारा स प्राधिकरणों द्वारा व्यय की 40 प्रतिशत राशि तथा एडीआईपी स्कीम के त न के माध्यम से व्यय की 60 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। राष्ट्रीय मिवा अभियान (आरएमएसए) स्कीम हेतु एडीआईपी – एसएसए प्रबंधन की तर्ज ागारिंग आधार पर 9–12 कक्षाओं (14–18 आयु वर्ग) में अध्ययनरत विकलांग र्थिर साधन और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने संबंधी मामला मंत्रालय के राधीं

त के, विगत 02 वर्षो और चालु वर्ष के दौरान सम्पूर्ण देश में प्राथमिक स्कूलों में ा–शेक्षा अभियान (एसएसए) के तहत 2906 कैंपों के माध्यम से विशेष श्यवं वाले 1.96 लाख दिव्यांग बच्चों (डीसीडब्ल्यूडीएसएम) बच्चों को लगभग 54 रू0 की लागत के सहायक यंत्र एवं सहायक डिवाइसें उपलब्ध कराई गई।

**(ख) क्रिलापों हेतु**

ती वकताओं के अनुसार समय–समय पर शिविर आयोजित किए जाते हैं।

**(ग) ाय कलापों हेतु**

ीय संस्थान/सीआरसी/एएलआईएमसीओ संस्थान अथवा उनके संबंधित ाय केंद्रों में प्रस्ताव देने वाले पात्र लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए आईपी अनुदान देता है।

प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों के केंद्र/उप–केंद्र हैं जो विकलांगजनों ओपीडी क्रियाकलाप निष्पादित करते हैं तथा सही शल्य चिकित्सा संबंधी ाशन करते हैं। बहुत से विकलांगजन सहायता साधनों तथा उपकरणों के ! अपने केंद्रों/उपकेंद्रों में जाते हैं। अतः, एडीआईपी अनुदान उनके संबंधित ायालय क्रियाकलापों के लिए जारी किए जाते हैं।

स्के तहत, विगत 02 वर्षो और चालु वर्ष के दौरान लगभग 6.35 लाख र्थिर लाभ पहुँचाते हुए 4702 कैंपों के माध्यम से 380.71 करोड़ रू0 की अनुदान यताात एवं प्रयुक्त की गई ।

स्के तहत, विगत 02 वर्षो और चालु वर्ष के दौरान लगभग 2.10 लाख दिव्यांग र्थिर लाभ पहुँचाते हुए लगभग 169.56 करोड़ रू0 की लागत के सहायक यंत्र एवं

सहायक डिवाइसों के वितरण हेतु 27 राज्यों को कवर करते हुए 197 मेगा कैंप / विशेश कैंप आयोजित किए गए।

**वर्ष 2015–16 (दिनांक 29.02.2016 तक) के दौरान विभिन्न कार्यकलापों हेतु निधि की निर्मुक्ति और विवरण नीचे दिया गया है :–**

| एडिप स्कीम के तहत 2016–17 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों / राष्ट्रीय संस्थानों / एलिमको को निधियों की निर्मुक्ति दर्शाते हुए विवरण (31.12.2016 तक) | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **एजेंसी का प्रकार** | **एजेंसियों की संख्या** | **निर्मुक्त राशि (रू0 लाख में)** |
| **1** | एनजीओ / आईआरसीएस / डीडीआरसी | **1** | **100,00** |
| **2** | राज्य सरकार के निगम | . | . |
| **3** | राष्ट्रीय संस्थान / समेकित क्षेत्रीय केन्द्र | **12** | **1931,00** |
| **4** | एलिमको | **1** | **10819,00** |
| | **कुल** | **14** | **12850,00** |

**स्कीम के अंतर्गत 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार विगत तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वर्ष की वित्तीय तथा वास्तविक उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :**

| वर्ष | ब.अ. आबंटन करोड़ में | स.अ. आबंटन करोड़ में | निर्मुक्त राशि करोड़ में | लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 2014.15 | 110,00 | 110,00 | 101,28 | 2,39,560 |
| 2015.16 | 125,50 | 151,40 | 151,16 | 2,05,614 |
| 2016.17 (31.12.2016 तक) | 130,00 | ........ | 128,50 | 1,90,521 |

विगत 02 वर्षो और चालु वर्ष के दौरान आयोजित किए गए राज्यवार कैंपों की संख्या, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त निधियां और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या **अनुबंध–4** पर है **(पृष्ठ संख्या 191)**। वर्ष 2016–17 (31.12.2016 तक) के दौरान एडिप स्कीम के अंतर्गत कैंप / मुख्यालय गतिविधियों के लिए गैर–सरकारी संगठनों / डीडीआरसी / आईआरसीएस / डीआरसी / राज्य निगमों को जारी अनुदान सहायता के एजेंसिवार ब्यौरें **अनुबंध–5 (पृष्ठ संख्या 194)** पर है। वर्ष 2016–17 के दौरान एनआई / एलिमको / सीआरसी को जारी अनुदान सहायता **अनुबंध–6 (पृष्ठ संख्या 195)** पर हैं। विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2016–17 (31.12.2016 तक) के दौरान मांग पर आयोजित किए गए विशेष शिविरों / शिविरों का ब्यौरे **अनुबंध–7 (पृष्ठ संख्या 198)** पर दिए गए हैं।

मॉनीटरिंग तंत्र

**स्कीम के कार्यान्वयन की ी के निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया गया है :**

(i) विभाग की विक बंधिोमों (विशेषकर एडीआईपी, डीडीआरएस तथा डीडीआरसी) के कार्यान्वयन की निगरानी के विभ संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन।

(ii) विकलांगजन स विं अधिकारियों को तथा मंत्रालय की विकलांगता संबंधी स्कीमों के अंतर्गत गारंटी संगठनों ण, प्र तथा मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का आवंटन।

(iii) एडीआईपी स्कीम त, विशेष कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर संबंधित राज्य स अनुओं पर अनुदान जारी किया जाता है। अनुशंसाकर्ता प्राधिकरण संगठन को पिछले अनुदान ाप्राभार्थियों की 10 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत की जांच/प्रतिदर्श जांच भी आयोजित करता

(iv) संगठन को उन्हें ुदा के संबंध में लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजना भी अपेक्षित है।

(v) 01.04.201 से डिप्म के तहत, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को एक व्यवसायिक कायम रखनी चाहिए औ प्राप्त नुदा और फोटो एवं राशन कार्ड संख्या/वोटर आईडी संख्या/आधार संख्या, जो भी माम ा हो साभार्थियों की सूची के ब्यौरें अपलोड किए जाएं।

**एडीआईपी स्कीम संश**

एडीआईपी स्कीम वि क 1. संश की गई है।

**संशोधित एडीआई र्क ख ताएं नीचे यथाविनिर्दिष्ट हैं :**

(i) मौजूदा 6,5 रुप से 0 रुपए प्रतिमाह 100 प्रतिशत छूट हेतु सीमित आय पात्रता में संवर्धन तथा प्रतिमाह 1 1 ,00ए प्रतिमाह में 50 प्रतिशत छूट।

(ii) दृष्टिहीन छ ( इधिक आयु) को सुलभ मोबाइल फोनों का प्रावधान 5 वर्षों में एक बार तथा स्कूल जा े को ोट टेकर तथा ब्रेलर, लैपटॉप, 10 वर्ष में एक बार।

(iii) एकल विक ात साधउपकरणों के लिए लागत सीमा 6000 रुपए से संशोधित कर 10,000 रुपए तथा विकल वि ी इ0 रुपए से 12,000 रुपए।

(iv) चिकित्सा/ र्ीव ान की वर्तमान सीमा 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए है, की लागत सीमा में संशोधन नि तुस

क) श्रवण तथा वॉक विकलांगता हेतु 500 रुपए से 1000 रुप्ए तक

ख) दृष्टिहीन विकलांगों के लिए 1000 रुपए से 2000 रुप्ए तक

ग) अस्थि विकलांगजनों को 3000 रुपए से 5000 रुपए तक। बाद में 10,000 रूपए तक संशोधित

(v) गंभीर रूप से विकलांगों के लिए तथा लोकोमोटर विकलांगों जैसे कि क्वाड्रिपलेजिक (एससीआई), मांसपेशीय कुपोषण, आघात, प्रमस्तिष्किय पक्षाघात, अर्धांगघात तथा इसी प्रकार की स्थितियों वाला कोई अन्य व्यक्ति जिनमें तीन/चार अंग अथवा शरीर का एक पक्ष गंभीर रूप से विकृत हो, के लिए मोटरयुक्त तिपहिया और पहियायुक्त कुर्सियों हेतु रियायत की सीमा वर्तमान 6,000 रुपए बढ़कर 25,000 रुपए करना। यह 16 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोगों को 10 वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी।

(vi) प्रति इकाई 6 लाख रुपए की सीमा के साथ स्कीम के अंतर्गत श्रवण अपंगता के लिए प्रति वर्ष 500 बच्चों के लिए कोचलीयर आरोपण हेतु प्रावधान। लाभार्थियों की आय सीमा समान अर्थात 15,000 रुपए प्रतिमाह से लेकर 20,000 रुपए प्रतिमाह रहेगी।

(vii) कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां जागरूकता, मूल्यांकन तथा अनुवर्तन शिविर आयोजित करने के लिए प्रशासनिक/ओवरहैड व्यय के रूप में सहायतानुदान का 5 प्रतिशत उपयोग कर सकती है।

**एडीआईपी स्कीम के अंतर्गत, विभाग ने विकलांगजनों के लिए समकालीन साधन तथा सहायक उपकरणों की अक्षमतावार सूची अधिसूचित की है, जो इस प्रकार है :–**

**(I) दृष्टि बाधित**

(क) सहायक डिवाइसें जैसे कि स्मार्ट केन, ब्रेल घड़ी, क्वाडर्ज ब्रेल घड़ी (महिला एवं पुरुष) दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए स्क्रीन–पठन साफ्टवेयर सहित स्मार्ट फोन, स्मार्ट फोन अथवा टेबलेट के लिए पाकेट साइज एक्सट्रनल की–बोर्ड, माउस–कम–वीडियों मेगनिफायर, हैंड हैल्ड इलैक्ट्रानिक वीडियों मैगनिफायर, व्यक्तिगत डिवाइसों के टेबलेट, डेजी प्लेयर (आधुनिक मॉडल), रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्पले, स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर, स्क्रीन मैगनीफिकेशन सॉफ्टवेयर सहित स्क्रीन रिडिंग सॉफ्टवेयर के साथ लैपटॉप, क्यूबेरीथम, रेडियों सीडी प्लेयर, टाकिंग ग्लूकोमीटर, टाकिंग ब्लड–प्रेशर मॉनीटर, आडियों लैबलर (17)

(ख) (i) कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल छात्रों के लिए किटें, जिसमें सम्मिलित मुख्य मदें जैसे इंटरलाइन ब्रेल स्लेट दो सटाइलस सहित, पैकिंग बाक्स सहित अर्थमैटिक टाइप (250 ग्राम), वाले टेलर फ्रेम, ड्राइंग बोर्ड 20 शीटों सहित, पजल्स (इन्कलूसिव डिजाइन), प्रमुख स्मारकों की टेक्साइल ड्राइंग बुक, लम्बे पेड़ों के आकार, घरों, पुलों, डेम आदि के प्रकार, डिस्क सहित एक एडेपटिड बोर्ड गेम, क्यूबेरीथम, टाकिंग कलाई घड़ी एवं किट बैग सहायक डिवाइसों के लिए विशेश रुप से डिजाइन किए स्कूल बैग (12)

6 तक के स्कूल छात्रों के लिए किटें, जिसमें सम्मिलित मुख्य मदें जैसे इन स्लेट, अलजेबरा प्रकारों सहित बडे टेलर फ्रेम, (250ग्राम) पैकिंग बाक्स 20ग शीटों सहित टेक्टाइल ज्योमैटरी किट, 20 रेजिंग शीटों सहित ड्राइंग टेक्ल ड्रॉथ बोर्ड (इन्क्लूसिव डिजाइन), टेक्टाइल शतरंज बोर्ड (इन्क्लूसिव इन) सुगम्य बोर्ड गेम, विज्ञान शिक्षा के लिए टेक्टाइल डायग्राम सेट, ऑडियों र (इसिव डिजाइन) रुपया चेकर एवं वालेट सहित सिग्नेचर गाइड, ब्रेल कलाई सफोल्डिंग केन, परिमापन किट (इंच टेप, नीडल थ्रेडर, छोटा ब्रेल स्केल, ड इटर, परिमापन कप), टाकिंग टेबल घडी, पैकिंग बॉक्स (16)

सोक के स्कूली छात्रों के लिए किटों में मुख्य मदें, जैसे इंटरलाइन ब्रेल स्लेट इडसहित, छोटी सफेद फोल्डिंग केन (पांच फोल्ड पैकिंग सहित), टाकिंग लेटलेट कम्प्यूटर, रुपया चेकर वालेट सहित, पैकिंग बॉक्स (6)

1 तक के स्कूली छात्रों के लिए किटों में मुख्य मदें जैसे स्मार्ट केन एंड डेजी जिदृष्टिहीन के लिए एक स्पीकर तथा कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए किटें कष्टे छात्रों के लिए माउस कम वीडियों मैगनीफायर एवं आवश्कतानुसार त कल और पुनर्वास विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किए अनुसार नॉन ऑप्टीकल सें (

(v) छके लिए किटें, जिसमें दृष्टिहीन छात्रों के लिए स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर स्मा एवं स्माटफोन अथवा टेबलेट के लिए पॉकेट साइज का ब्लूटूथ की–बोर्ड, कम छात्रों के लिए स्मार्टफोन मेगनिफायर ऐप सहित तथा आवश्कता पर त कल एवं जैसा भी पुनर्वास विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किए अनुसार नॉन कलइसें (3)

क्ति लिए एडीएल किटें जैसे सिग्नेचर गाइड के साथ रुपए चैकर प्लास्टिक पएर फ्लैक्सिबल विद वॉलेट, स्मार्ट केन, टाकिंग बांडी थर्मामीटर, टाकिंग घक्विड लेवल इंडीकेटर, पिल डिसपेंसर, टाकिंग टेबल क्लाक जिसमें चार एवं वाच हो, ओडियों लेबलर, टाकिंग कैलकुलैटर, परिमापन किट एवं पैकिंग (10)

निष्टि डिवाइसों की सूची जैस टेलीस्कोपिक ग्लास, ऑप्टीकल मैगनिफायर, कडेयों मैगनिफायर, 5 इंच तक के हस्त सम्भलाई इलैक्ट्रोनिक विडियों काया दृष्टि वालों के लिए मैगानिफायर एप वाले स्मार्टफोन (5)

(viii) हाई–एंड डिवाइसें जैसे ब्रेलर (अपर प्राइमेरी एवं उससे ऊपर के लिए), लेपटॉप स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर एवं भारतीय भाषा और भारतीय अग्रेजी टीटीएस सहित, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिसप्ले (40 सैल अथवा अधिक) ब्रेल इंपुट की सहित, डेजी प्लेयर एडवांस मॉडल, स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर (दृष्टिहीन) स्क्रीन मैगानिफिकेशन साफ्टवेयर (निम्नदृष्टि) (6)

(ix) अन्य सामान्य डिवाइसें जैसे ब्रेलर (अपर प्राइमरी एवं उससे ऊपर के लिए),लेपटॉप स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर एवं भारतीय भाषा और भारतीय अग्रेजी टीटीएस सहित, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिसप्ले (40 सैल अथवा अधिक) ब्रेल इंपुट की सहित, डेजी प्लेयर एडवांस मॉडल, स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर (दृष्टिहीन) स्क्रीन मैगानिफिकेशन साफ्टवेयर (निम्नदृष्टि) (6)

**कुल :–84**

**(II) कुष्ठ प्रभावितः**

(I) एडीएल किट जिसमें यूनिवर्सल कफ, नेल कटिग डिवाइस, साबुन होल्डर, बटन हुक, जीपर पुल, राइटिंग एड अथवा अडेपटिड पेन पोजिशनिंग स्पिलिंट के साथ, रबड़ के दस्ताने, इन्सुलेटिड कैंची, इन्सुलेटिड टम्बलर अथवा अडेप्टिड ग्लास होल्डर, बाइडर ब्लिम प्लेट, लॉग हैडेलंड लीवर टेप, सैल फोन शामिल हैं। (12)

(ii) व्यक्तिगत डिवाइसें (आवश्कता के अनुसार विकल्प है) जैसे अडेप्टिड स्पून, बिल्ड अप स्पून, एन्जलड स्पून, ग्रिप ऐड, लैटेक्स प्रोसथिसिस, गटर स्पलिन्ट, एक्सटेंशन आउटरिगर–छोटा, विस्तारित आउटरिगर–लम्बा, अगूंठा स्पाइका, वोलर/डोरसल कांक–अप, फिंगर लूपस, नुक्कल बेन्डर, एमसीपी ब्लॉक ओपोनेन्स स्ट्रेप, यूजर फ्रेंडली स्पून, बिल्ड–अप स्क्रू ड्राइवर, फुट डाप स्ट्रेप, फारमिंग ग्लवस, पेडिड सेंड डिगर, एंटी कला पोजिशनिंग डिवाइस/नुक्कल बेडंर स्पलिन्ट, फिक्सड एनकल ब्रास, पेटलर टेंडन वियरिंग ब्रास (आधुनिक), पैटलर टेंडन बियरिंग ब्रास (मोल्डिड), फुट आर्थोसिस मोल्डिड इन्सोल, अस्थायी घुटने की नीचे की प्रोसथिसिस, स्थायी घुटने के नीचे की प्रोसथिसिस, पैटलर टेंडन बियरिंग ओर्थोसिस, फुट ड्राप स्प्रिंग, पैटलर टेंडन बियरिंग ओर्थोसिस वेरियेन्ट, मोल्डिड सैन्डल, एमसीआर सैन्डल, कस्टम मेड साइनस प्रोसथिसिस, एनकल फुट आर्थोसिस (एएफओ)/फिक्सड एनकल ब्रेस (एफएबी), एकोमोडेटिव फुट ओर्थोसिस(34)

**कुलः 46**

**(III) बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता**

(I) आयु–वर्ग 0–3 वर्षों के लिए किट (अरली इन्टरवेंशन ग्रुप) जिसमें रैटल 3 प्रकार के, टीथर, एडीएल किटें (4 प्रकार की), पाल्म ग्रिप (चार प्रकार की), संवेदी फुटस्टैप, क्रिब

ने, ड रिंगस, लकडी के ब्लॉक, (6), संवेदी मेट, स्टीमुलेटिड खिलौने (3) अन्य त रि (3) संगीतमय पुस्तक, किट बैग आदि शामिल हैं(13)

(ii) र्ग वर्ष के लिए बहु निःशक्तता के लिए टीएलएम किट जैसे रीसोनेंस बोर्ड, प्लेट, भिन्न टेक्सचर दस्तानें एवं मौजे, प्रि–ब्रेल पुस्तक(आकार) ल ऽटेरी / ओलफैक्टरी स्टीमुलेशन किट, प्रि–केन आदि, (6)

(iii) र्ग ; वर्ष के (प्राइमरी पूर्व समूह) के लिए किट जैसे नम्बर पिक्चर ट्रे, बिल्डिंग स, मोटर स्किल नेट, पेग बोर्ड, गुडिया (महिला एवं पुरुष), रेजू शेप ट्रे, पजल्स ट ए संवेदी पुस्तकें, शब्द क्यूब, फेस पजलस, किट बैग आदि (12)

(iv) र्ग 1 वर्ष के (प्राइमरी समूह) के किट, जिसमें पिक्चर पजल, पिक्चर एवं शब्द अरेंग किट, नम्बर कार्डस, पाउण्ड खिलौने, जिगसा पजल्स, टेलिंग टाइम काएवं मैच, एलाफाबेट वार्म, बीडस, फंक्शनल लिटरेसी फ्लिप चार्ट, किट बैग शामि(12)

(v) 5 अं–18 वर्ष के आयु समूह के लिए किट (माध्यमिक और पूर्व व्यावसायिक) लब्लॉक के अक्षर युक्त, सुई काम किट अक्षर–लकड़ी क्यूब्स शब्द, फिटिंग योकेट, संख्यात्मक टायलें, माप सेट, समान्य भारत (चित्र कार्ड, शब्द कार्ड य खेल, मोबाइल फोन, संख्यात्मक क्यूब्स, गुणात्मक टेकटाइल बार्ड, किट दि न हैं) 12

(vi) व्यांतु टीएलएम किट (आयु समूह 3–6 वर्ष के लिए) जिसमें संकेत भाषा क प्रे–ब्रेल किताब या टाइपो स्कोप पढ़ाई और लिखित डिवाइस, उभरी हुई पुस्नूर्त चिन्ह और केलेन्डर प्रणाली तथा ट्रेम्पोलाइन शामिल हैं (4)

(vii) व्यांतु टीएलएम किट (आयु समूह 6–10 वर्ष और अधिक के लिए) जिसमें भाष्यापक सेट प्रि–ब्रेल बुक या टाइपो स्कोप पढ़ना और लिखित उपकरण, हुई र पुस्तक, मूर्त चिन्ह और केलेन्डर प्रणाली तथा ट्रेम्पोलाइन एवं एंड्रोइड इत्शामिल हैं (5)।

(viii) को संवेदी किट : बहु संवेदी समावेशी शिक्षा विकास (एमएसआईइडी) किट आँथ समनवय लूप / अनंत लूप युक्त, आरंभिक प्रयास मालिश गेंद लकड़ी, आदि, निचोड़ना, हवा तकिया, मेअुयल उपयोग और किट बेग शामिल हैं (8)

72

(vi) श्रवण बाधित

(क) सहायक डिवाइसें जैसे शरीर स्तर श्रवण सहायक यंत्र, एनालॉग / गैर–कार्यक्रम योग्य–(कान के पीछे (बीटीई), कान में (आईटीई), कनल में (आईटीसी), कनल में पूरी तरह से (सीआइसी); डिज़टल / कार्यक्रम योग्य– (कान के पीछे (बीटीई), कान में (आईटीई), कनल में (आईटीसी), कनल में पूरी तरह से (सीआइसी); निजी एफएम श्रवण यंत्र ब्लूटूथ नेकलूप श्रवण यंत्र, कंपन एलार्म, बच्चे के रोने के कंपन वायरलेस उपकरण, दरवाज़े घण्टी संकेत, आग धुआ एलार्म, दूरभाश संकेत, प्रवर्धित दूरभाष, दूरभाष प्रवर्धी, श्रवण इंडक्सन लूप, अवरक्त प्रणाली, हड्‌डी कंपन श्रवण यंत्र, शेक्षिक किट भाषा (शब्दावली) किताब, युक्त, अभिव्यक्ति ड्रिल किताब, कहानी की किताब, अन्य साम्रगी (परिवार हस्त कठपुतलियां 5 पहेली, मोंटेसरी उपकरण / खिलौना, आकृति सॉर्टर घड़ी, शोर निर्माताओं का एक सेट, ब्लॉक सॉर्टर बक्से, क्रिया कार्डो के सेट, 5 मुलायम खिलौने।

**कुलः–32**

(ख) कोकलियर इंपलांट : प्रति यूनिट 6.00 लाख रू की अधिकतम सीमा के साथ दृष्टि बाधिता वाले 500 बच्चों के लिए कोकलियर इंपलांट का प्रावधान है। इसकी परिणति 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए जीवन भर राहत प्रदान करने में होगी।

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण बाधित संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुम्बई मामले में सहायता उपलब्ध कराने के लिए नोडल एजेन्सी है। संस्थान समाचार पत्रों (अखिल भारत संस्करण और अपनी वेबसाइट www.adipeochlearimplant.in में विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों को एवाईजेएनआईएसएचडी, मुम्बई की वेबसाइट पर विज्ञापन / ब्यौरे के आधार पर आवेदन करना पड़ता है। कॉकलेयर इम्पलांट भारत कृत्रिम अंग निमार्ण निगम (अलिम्को), कानपुर और नामांकित अस्पतालों में उपलब्ध कराए गए अनुसार खरीदा जाएगा। सर्जरी अभिज्ञात सरकारी / राज्य सरकार अनुमोदित अस्पतालों में कराई जाएगी। कॉकलेयर इम्पलांट सर्जरी कराने के लिए, मंत्रालय में 140 अस्पतालों (दोनों सरकारी एवं निजी) को अनुमोदित किया है। 31 दिसम्बर 2016 कि स्थिति अनुसार, देश में 500 कॉकलेयर इम्पलांट सर्जरियाँ सफलता पूर्वक पुरी की गई हैं।

(v) अस्थि बाधित :

(क) **निचला सिरा प्रॉस्थेसिस :–**

(I) ट्रांस–टाइबैल प्रॉस्थेसिस (घुटने के नीचे) :– 7 प्रकार

प्रॉस्थेसिस के माध्यम से (टीके) : — 2 प्रकार

-फेमोरल (घुटने के ऊपर) प्रॉस्थेसिस :— 6 प्रकार

वेच्छेद प्रॉस्थेसिस :— 1 प्रकार

प्रॉस्थेसिस :— 1 प्रकार

— 17

(ख) सिंस्थेसिस :—

क सिलिकॉन अंगूली प्रॉस्थेसिस

क सिलिकॉन अंगूठा प्रॉस्थेसिस

क सिलिकॉन आंशिक हाथ प्रॉस्थेसिस

रेडियल या कोहनी से नीचे / कलाई विच्छेद निश्क्रिय प्रॉस्थेसिस

शक्ति प्रॉस्थेसिस (ट्रांस रेडियल या कोहनी से नीचे / कलाई विच्छेद) घटक ट्रांस रेडियल किट और सॉकेट शामिल है

हुमेरियल या कोहनी के ऊपर / कोहनी विच्छेद निश्क्रिय प्रॉस्थेसिस

शक्ति प्रॉस्थेसिस (ट्रांस हुमेरियल या कोहनी के ऊपर / कोहनी विच्छेद)

विच्छेद निश्क्रिय प्रॉस्थेसिस

विच्छेद शरीर शक्ति प्रॉस्थेसिस

— 9

(ग) इंद्री सिरा प्रॉस्थेसिस :—

शक्ति कोहनी के नीचे या ट्रांस रेडियल / कलाई विच्छेद प्रॉस्थेसिस

शक्ति ट्रांस हुमेरियल / कोहनी विच्छेद प्रॉस्थेसिस

— 2

(घ) ा ओर्थोसिस :—

र चाल ओर्थोसिस

ोडर घुटने ओर्थोसिस (इकाई मूल्य)

— 2

(ङ) इस्पाईनल ओर्थोसिस :–

(i) हेलो ब्रास

**कुल – 1**

(च) गतिशील यंत्र :–

**मोटर युक्त व्हील चेयर**

**कुल – 3**

(i) ठोडी और सिर के नियंत्रण की चार पहियों वाली व्हील चेयर

(ii) जॉय स्टिक चार पहियों वाली व्हील चेयर

(iii) मोटर युक्त व्हील चेयर (हेंडल द्वारा चालित)

**कुल : 34**

**कुल योग : 268**

**टिप्पणी :**

वित्तीय सहायता की सीमा प्रत्येक विकलांगता के लिए 10,000 रू तक और दिव्यांग छात्रों के लिए 20000 रू की लागत की डिवाइस के संबंध में 12,000 रू तक सीमित होगी। 20000 रू0 की लागत से ऊपर की सभी महंगी मदों के लिए सरकार इन मदों की लागत का 50 प्रतिशत वहन करेंगी और शेश या तो राज्य सरकार या गैर सरकारी संगठन या किसी अन्य एजैन्सी या इस योजना के अन्तर्गत बजट के 20 प्रतिशत तक सीमित मामला दर मामला आधार पर मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के अधीन संबंधित लाभार्थी द्वारा योगदान किया जाएगा।

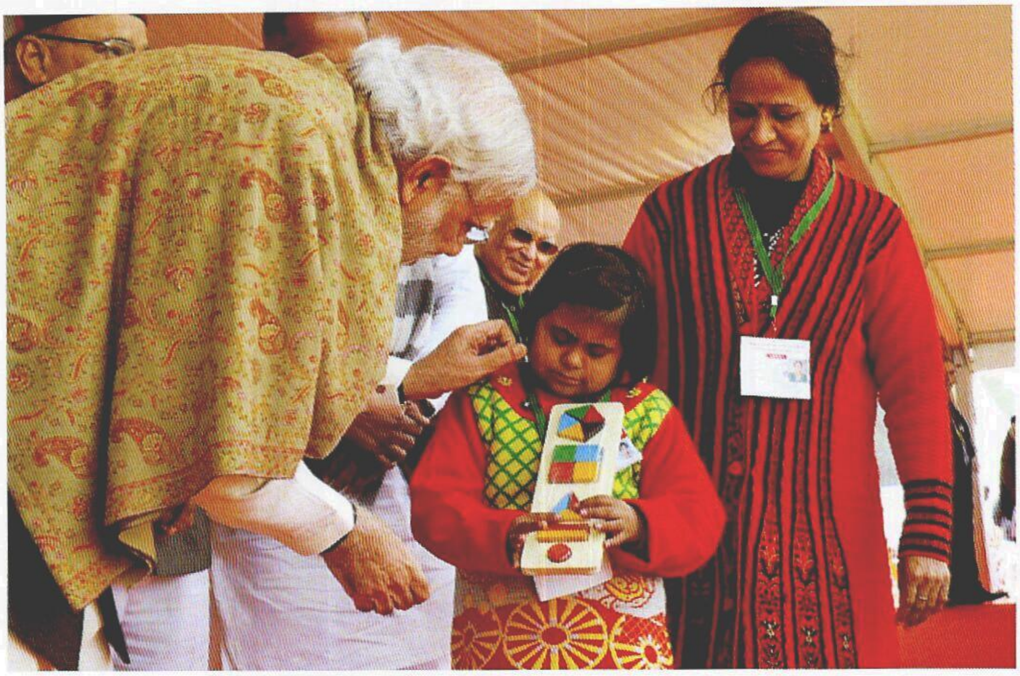

दिनांक 17.09.2016 को नवासारी, गुजरात में आयोजित किए गए कैंप के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नेरन्द्र मोदी के साथ कोकलियर इंप्लांट के लाभार्थी

## एडीआई [illegible] के अं[illegible]रयुतेपहिया तथा पहियादार कुर्सी का वितरण

- [illegible] रूप से [illegible] लोटर अक्षमताओं जैसे कि क्वाड्रिपलेजिक (एससीआई), मांसपेशीय विकृति, [illegible] प्रमास्ति[illegible]घार्तांगता और अन्य प्रकार की इसी तरह की स्थितियों जिनमें तीन/चार अंग [illegible] शरीर का [illegible] रूप से विकृत हो, के लिए मोटरयुक्त तिपहिया तथा पहियादार कुर्सियों के [illegible]ायत 25 [illegible] है
- [illegible]ायत 16 [illegible] से [illegible] आयु के लोगों को 10 वर्ष में एक बार उपलब्ध कराई जाती है।
- [illegible] रूप से वि[illegible] जसिक रूप से अक्षम हैं, वे मोटरयुक्त तिपहिया व पहियादार कुर्सी के लिए [illegible]हीं हैं क्यों[illegible] इससे दुर्घटनाओं/शारीरिक हानि की जोखिम होती है।

एडिप स्कीम के [illegible]016 दिल्ली (शक्तिनगर) में संचालित वितरण कैंप में बैटरी प्रचालित मोटरयुक्त ट्राईसाइकिल वि[illegible] हुए य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केन्द्रीय मंत्री, थावरचंद गेहलोत और [illegible]ानीगन एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रीय मंत्री, डॉ0 हर्षवर्धन

दिव्यांगजनों को 11.56 करोड रू0 के सहायक डिवाइसें एवं सहायक यंत्रों के वितरण एवं अन्य लाभांश के लिए एक अन्य मेगा कैंप 17 सितंबर, 2016 को नवासारी, गुजरात में आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में अवसर की शोभा बढ़ाई। यह अब तक का सबसे बड़ा, 159 वां एडिप कैंप था जिसमें 11330 दिव्यांगजन लाभार्थी लाभांवित किए गए।

17 सितंबर, 2016 को नवासारी, गुजरात में सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र एवं सहायक डिवाइसें वितरित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ।

दव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और एलिमको द्वारा नवासारी कैंप के दौरान, 3 गिनीज विश्व रिकॉर्ड सृजित किए गए

- प्रथमरिकॉर्ड 1000 दिव्यांगजनों द्वारा सबसे बडा व्हील चेयर/चित्र बनाया गया, जिसने समारोह को ऐतिहासिक बना दिया।

- एक ही स्थान पर केर 600 व्यक्तियों को 1200 श्रवण यंत्रों की फिटिंग द्वारा दूसरा विश्व रिकार्ड बनाया गया।

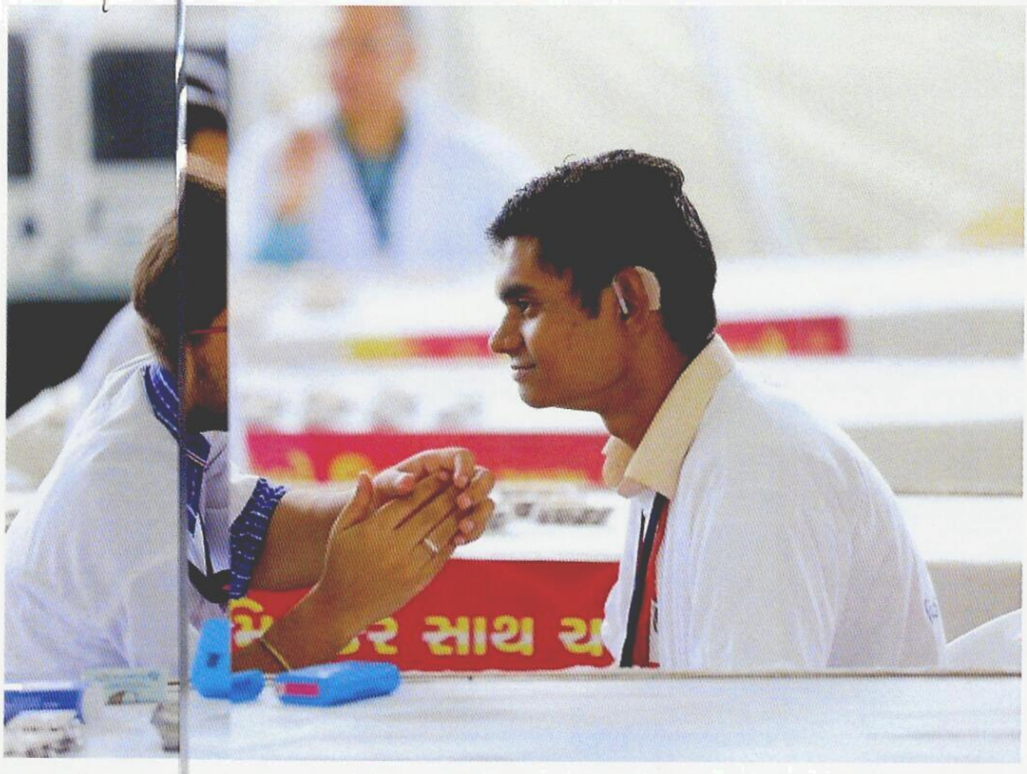


- 1000 दिव्यांगजनबर व्हीलचेयर लोगो/चित्र बनाकर तीसरा विश्व रिकार्ड, जिसने इस अवसर को ऐतिहासिक

वडोदरा, गुजरात में दिनांक 22.10.2016 को आयोजित मैगा कैंप में दिव्यांगजनों को 9.26 करोड़ रू. के सहायक यंत्र एवं उपकरण तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराये गये। माननीय प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढायी जिसमें 10578 दिव्यांग लाभार्थी लाभान्वित हुए।

दिनांक 22 अक्टूबर, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री सामाजिक अधिकारिता शिविर, वडोदरा में सहायक यंत्र एवं उपकरण वितरण करते हुए।

### 8.2.2 निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन हेतु स्कीम का कार्यान्वयन (सिपडा)

1. निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 दिव्यांगजनों को सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए उपर्युक्त सरकारों को कुछ दायित्व दिए है। केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों सहित राज्य सरकारों और अनेक अन्य निकायों को निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995, विशेषकर बाधा–मुक्त अभिगम के प्रावधान तथा पुनर्वास से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन करने के अनुवर्ती क्रियाकलापों की सहायता करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत सहायतानुदान उपलब्ध कराया जाता है। विभाग द्वारा स्थापित जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) तथा सामाजिक पुनर्वास केंद्रों (सीआरसी) को इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। ऐसी कार्यकलापों जिनके लिए सहायतानुदान बाधा मुक्त अभिगम के संबंध में उपलब्ध कराया जाता है, व्यापक है, जिनमें रैम्पस, लिफ्टें, स्पर्शीय पथ, नए उत्पाद विकास तथा अनुसंधान आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने स्कीम के अंतर्गत 1999 से निधियां जारी की है। सचिव

(डीइपीडब्ल्युडी वित्तति की अध्यक्षता में 04.01.2016 को आयोजित इसकी बैठक में स्कीम पर विचार किया ग ीमा.2016 को अधिसूचित की गई।

2. स्कीम के अंतग खियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई हैं:

(i) पीडब्नि की धारा 46 के अनुसार पीडब्ल्युडी हेतु महत्वपूर्ण सरकारी भवनों (राज्य सचि न्यत्वपूर्ण राज्य स्तर के कार्यालयों, कलक्टरेटों, राज्य विश्वविद्यालय भवनों, ाय मुख्यालयों पर चिकित्सा महाविद्यालयों तथा मुख्य अस्पतालों, अन्य महत् कारीों) में बाधा मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना। इसमें रेम्पो, रेलों, लिफ्टों, पहिय क्ति हेतु अनुकूल शौचालय, ब्रेल संकेत और श्रवण संबंधी संकेत, स्पर्शीय फ्लोरिंग आदि ान ल होंगे।

(ii) भारत के ानिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (एआर एवं पीजी विभाग) द्वारा जारी भारत र ासाइटें, जो उनकी वेबसाइट "http://darpg.nic.in" पर उपलब्ध हैं हेतु दिश अ राज्य तथा जिला स्तरों पर पीडब्ल्युडी, सुलभ सरकारी वैबसाइटें बनाना।

(iii) सरक ल जों वाले जिला मुख्यालयों/अन्य स्थानों में शीघ्र निदान और हस्तक्षेप केन्द्र स्थाि जि उद्देश्य दृष्टि बाधित, शारीरिक दिव्यांग, श्रवण बाधित, मानसिक दिव्यांग शिशु वा को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान।

(iv) दिव्य लिशल विकास कार्यक्रम पेश करना।

(v) दिव्य तु ायुक्तों के कार्यालयों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरक ा टांट की पेशकश करना।

(vi) पीडब लिशेष मनोरंजन केंद्रों के निमाणार्थ जहां उपयुक्त सरकारों/ स्थानीय प्राधि पारं की भूमि है। इस संदर्भ में, पीडब्ल्यूडी अधिनियम के अध्याय–VII, धारा 43(ग हार: किए गए हैं।

(vii) पीडब निये धारा 45 में कार्याकलाप आंकडे अर्थात व्हीलचेयर उपभोक्ताओं को आसान सुगम ए : लगाने में कटौती और सतह में ढलान बनाना के कारण, अंधें अथवा अल्प दृष्टि के जैबरा क्रासिंग की सतह पर उत्कीर्णन करना, अंधों अथवा अल्प दृष्टि दिव्य ए रेटेशन की सतह पर उत्कीर्णन और दिव्यांगता के उचित प्रतीक तैयार करना।

(viii) इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य किसी कार्यकलाप हेतु परंतु जिसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही हो/कार्य विभाग की मौजूदा स्कीमों द्वारा उसे कवर नहीं किया जा रहा हो, का मंत्रालय के अनुमोदन से मामला–दर–मामला आधार पर विचार किया जा सकता है।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम के लिए योजना के ट्रस्ट से सुगम्य भारत अभियान 03.12.2015 को शुरू किया गया।

वर्ष 2016–17 के लिए बजट प्राक्कलन 193.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से दिनांक 31.12.2016 तक इस स्कीम के तहत 107.29 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। वर्ष 2016–17 के दौरान सिपडा स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान सहायता के ब्यौरें **अनुलग्नक–8 (पृष्ठ सं. 202)** पर दिए गए है। वर्ष 2016–17 के दौरान सिपडा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न संस्थानों/संगठनों को जारी अनुदान सहायता **अनुलग्नक–9 – क, ख, ग, घ, ङ, च और छ (पृष्ठ सं. 204)** पर दी गई है।

4. पिछले दो वर्षो और चालू वित्त वर्ष के दौरान बजट आवंटन और व्यय

**रू. करोड़ में**

| क्र.सं. | वर्ष | बीई आवंटन | जारी की गई राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014–15 | 80.00 | 43.09 |
| 2 | 2015–16 | 135.00 | 69.42 |
| 3 | 2016–17 (31.12.2016 तक) | 193.00 | 107.29 |

वर्ष 2016–17 (31.1तक दौरान सिपडा स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए विभिन्न प्रकार तिविं के लिए जारी की गई निधियों का सार

| क्र.सं. | यां | कुल राशि जारी (रू.लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | सुगम्य भा न तर्गत बाधामुक्त वातावरण/ सुगम्यता का । सुगम्य भारत अभियान के अलावा | 5286.85<br>537.42 |
| 2 | कौशल प्र र्यक्र | 2097.06 |
| 3 | एससीपीडी लर सुदृढीकरण | 48.06 |
| 4 | सीआरसीए | 2499.53 |
| 5 | डीडीआरस | 95.46 |
| 6 | यूडीआईडी | 157.58 |
| 7 | एनपीसी द्व (त पार्टी कौशल प्रशिक्षण की) | 7.54 |
| | **कुल** | **1072.95** |

6. सु त ान के अंतर्गत 31.12.2016 तक जारी निधियां

| क्र.सं. | र य रक्षेत्र | राशि |
|---|---|---|
| 1. | अ वनेमें 21 भवन ) | रू. 607-13 लाख |
| 2. | त (चैनं 3 भवन) | रू.380.00 लाख |
| 3. | च ासु3 भवन) | रू.415.38 लाख |
| 4. | र धात्र दिल्ली सरकार (16 भवन) | रू.1119.03 लाख |
| 5. | म ना में 25 भवन, पुणे के नागपुर में 3 ौर में 46 भवन (कुल–142 भवन) | रू. 1539.95 लाख |
| 6. | 9 वैइट के लिए अरनेट | रू.1047.58 लाख |
| 7. | ए डेटावनों के लिए भुगतान | रू.144.04 लाख |
| | व | रू. 5253.11 लाख |

### 8.2.3 दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस)

विभाग की दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस) एक केंद्रीय स्कीम सेक्टर स्कीम है जिसमें दिव्यांगजनों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास उपलब्ध कराने की परियोजना शामिल है। स्कीम व्यक्तियों को सशक्तिकरण के लिए परियोजनाएं प्रारंभ करने हेतु वित्तीय सहायता के जरिए गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देकर और माहौल का सृजन करके निःशक्तजन अधिनियम (पीडब्ल्यूडी), 1995 के कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1999 में परिचालित की गई।

### डीडीआरएस दिशानिर्देश

वर्ष 2009 में संशोधित लागत मानकों के साथ दिनांक 1.4.2003 से लागू डीडीआरएस दिशानिर्देशों में स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त क्षेत्र सेवाओं सहित, 18 मॉडल परियोजनाएं हैं जिन्हें सहायतानुदान के माध्यम से सहायता दी जा सकती है। इन सेवाओं में शामिल हैं :

(i) स्कूल–पूर्व तथा प्रारंभिक इंटरवेंशन हेतु कार्यक्रम

(ii) विशेष शिक्षा

(iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट

(iv) सामुदायिक आधारित पुनर्वास

(v) जनशक्ति विकास

(vi) मानसिक रूग्णता वाले व्यक्तियों का मनो–सामाजिक पुनर्वास तथा

(vii) कुष्ठ रोगमुक्ति व्यक्तियों का पुनर्वास आदि।

इस स्कीम के अंतर्गत सहायता–प्राप्त विभिन्न 18 प्रकार की मॉडल परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

(i) स्कूल–पूर्व और प्रारंभिक कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण हेतु परियोजना

(ii) विशेष स्कूल

(iii) प्रमस्तिश्क घात बच्चों हेतु परियोजना

(iv) व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र

(v) आश्रय कार्यशालाएं

(vi) कुष्ठ रोगमुक्ति के पु की परियोजना

(vii) उपचारित तथा मानसिक रोगी के मनोवैज्ञानिक–सामाजिक पुनर्वास हेतु हॉफ वे होम

(viii) सर्वेक्षण, पहचान, जागरूकता संचेतना से संबंधित परियोजना

(ix) गृह आधारित पुनर्वास कार्यक्रम प्रबंधित कार्यक्रम

(x) समुदाय आधारित पसिा

(xi) निम्न दृष्टि केंद्रों जन

(xii) मानव संसाधन विकास परियोजनाएं

(xiii) संगोष्ठियां / कार्यशाला / ग्राशिविर

(xiv) दिव्यांगों के लिए अनु तथा पारिस्थितिकी उन्नयक परियोजनाएं

(xv) कम्प्यूटर हेतु अनु

(xvi) भवन का निर्माण

(xvii) कानूनी परामर्श, हायेर विश्लेषण तथा मौजूदा कानूनों के मूल्यांकन सहित कानूनी साक्षरता हेतु परियोजना

(xviii) जिला विकलांग केंद्र।

स्कीम के लागत तथा नेर्देश सरकार द्वारा संशोधित किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2009 से लागू हैं। संशोधन में मानदेय और व्यय की अनावर्ती मदों के संशोधित लागत मानक शामिल हैं। इसके अलावा, विभिन्न परियोजनाओं में जनशक्ति श्रेणियों की बुद्धिसंगत व्याख्या और विलयन किया गया है। मौलिक स्कीम 8 के ह, संशोधित सूची में 56 जनशक्ति श्रेणियां शामिल हैं। कम्प्यूटर अनुप्रयोगों और प्रोग्रामिंग, ट्रेनिंगरनेट प्रबंधन, मोबाइल मरम्मत आदि जैसे नए कौशल के लिए उभरती मांगों को समझते हुए प्रस्तुए जा सकने वाले कुल 14 नए ट्रेडों को इसमें शामिल किया जा सकता है। विभाग द्वारा स्थापित जिला पुनर्वास केंद्र भी इस स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित हैं, बाद में जिन्हें पांच वर्ष की अवधि के जम्मू कश्मीर अथवा पूर्वोत्तर में स्थापित केंद्रों हेतु) तथा बाकी देश में तीन वर्षों हेतु चलाया गया। इसके अंत,ंद्र आगे सतत रूप से जारी रखने तथा रखरखाव हेतु जिले के प्रख्यात गैर–सरकारी संगठनों को सौंपगए हैं।

डीडीआरएस स्कीम के अंतर्गत 2013–14 से 2016–17 तक वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया

(i) वित्तीय

रू. करोड़ में

| वर्ष | बजट अनुमान | व्यय |
|---|---|---|
| 2013–14 | 90 | 63.64 |
| 2014–15 | 90 | 50.08 |
| 2015–16 | 60 | 50.19 |
| 2016–17 (31.12.2016 तक) | 45 | 32ए88 |

(ii) वास्तविक

| वर्ष | लाभार्थियों की संख्या (लाख में) | | प्रतिशत उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | |
| 2013.14 | 2.50 | 2.60 | 104 |
| 2014.15 | 2.60 | 1.81 | 69.61 |
| 2015.16 | 1.75 | 2.10 | 120 |
| 2016.17 | 2.00 | 1.36 (31.12.2015 तक) | 68.00 (31.12.2015 तक) |

वर्ष 2016–17 के दौरान डीडीआरएस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों की सूची **अनुलग्नक–10 (पृष्ठ सं. 220)** पर दी गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान गैर–सरकारी संगठनों को जारी सहायतानुदान का राज्यवार ब्योरा का सार **अनुलग्नक–11 (पृष्ठ सं. 281)** पर दिया गया है।

## 8.3 अन्य केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीमें

### 8.3.1 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

**स्कीम के उद्देश्य तथा संक्षिप्त विवरणः**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय में एम.फिल तथा पीएच.डी जैसी डिग्रियों से संबंधित उच्च शिक्षा के अनुवर्तन हेतु अक्षम छात्रों के अवसरों में वृद्धि करने के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान दिव्यांग छात्रों हेतु राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति की स्कीम चलाई गई थी।

- ा केोत दिव्यांग छात्रों को प्रति वर्ष 200 शिक्षावृत्तियां (जूनियर रिसर्च फेलोज, रएप जाती हैं। दिव्यांग छात्रों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता के मामले में, वा्दौरान प्राप्त न की गई शिक्षावृत्तियों की संख्या अगले शैक्षिणिक सत्र में त एंगी।
- उपपुरस्कारों की संख्या अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक हो, यूजीसी उनकी कोरीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशतता पर आधारित अभ्यर्थियों यना है।

**फैलोप्रम**

(i) रएप एसआरएफ की फैलोशिप की दरें यूजीसी फैलोशिप के समकक्ष होंगी। इस ये न्नानुसार है :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | नियऔर प्रौद्योगिकी, विज्ञान विर्क्र समाज विज्ञान (कला/ त सहित) में फैलोशिप | प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 25,000 रुपए प्रतिमाह की दर पर (जेआरएफ) शेष कार्यकाल के लिए प्रतिमाह 28,000 रुपए की दर पर (एसआरएफ) |
| 2 | विर्क्र सामाजिक विज्ञान ा/त कला सहित) हेतु स्मि | प्रारंभिक दो वर्षों हेतु 10,000 रुपए प्रतिमाह की दर से शेष कार्यकाल हेतु 20,500 रुपए प्रतिमाह की दर से |
| 3 | न, नेयरिंग तथा प्रौद्योगिकी आकता | प्रारंभिक दो वर्षों हेतु 12000 रुपए प्रतिमाह की दर से शेष कार्यकाल हेतु 25000 रुपए प्रतिमाह की दर से |
| 4 | गीययता (समस्त विषय) | अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु मेजबान संस्थान के प्रति छात्र 3000 रुपए प्रतिमाह की दर से |
| 5 | रक्षीर सहायता (सभी विषय) | शारीरिक और दृष्टि बाधित वाले अभ्यर्थियों के मामले में 2000 रुपए प्रतिमाह की दर से |

***नोट:** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22–9 / 2010–डीडी–III के अनुसार, इसे यूजीसी फैलोशिप के बराबर बनाने के लिए फैलोशिप की दरों में 01 दिसंबर, 2014 से संशोधित किया गया है। फैलोशिप राशि की संशोधित दरें नीचे दी गई हैः

| | मौजूदा दर (प्रति माह) | संशोधित दर (प्रति माह) |
|---|---|---|
| प्रारंभिक दो वर्षों के दौरान –कनिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप | – विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान शाखा के मामलें में रू. 16,000 / –<br>– इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी शाखा के मामले में रू. 18,000 / – | रू. 25,000 / – |
| शेष हुए तीन वर्षों के दौरान –वरिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप | – विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान शाखा के मामलें में रू. 18,000 / –<br>– इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी शाखा के मामले में रू. 20,000 | रू. 28,000 / – |

(iii) मकान किराया भत्ता (एचआर) यूजीसी पैटर्न पर होगा तथा उन छात्रों को देय होगा जिन्हें छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। यदि विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा ऑफर किए गए होस्टल आवास से इन्कार किया जाता है, तो छात्र को एचआरए का अपना दावा छोड़ना होगा। चिकित्सा सुविधाएं, प्रसूति अवकाश सहित अवकाश सुविधाओं जैसी अन्य सुविधाएं उनकी शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के मामले में यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार शासित की जाएंगी।

**फैलोशिप की पात्रता**

(i) किसी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था में एम.फिल / पीएचडी डिग्री में प्रवेश प्राप्त कोई अक्षम छात्र।

(ii) दो वर्ष उपरांत, यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता के अनुसंधान कार्य की प्रगति संतोषजनक पाई जाती है, तो उसके / उसकी कार्यकाल को सीनियर रिसर्च फैलोशिप (एसआरएफ) के रूप में आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा गठित तीन सदस्य समिति द्वारा अनुसंधान कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। जेआरएफ और एसआरएफ के पुरस्कार की कुल अवधि पांच वर्ष की अवधि से अधिक होगी।

अवधि

| पाठ्यक्रम का | कतम धे | जेआरएफ और एसआरएफ की अनुमेयता जेआरएफ | एसआरएफ |
|---|---|---|---|
| एम.फिल | र्ष | 2 वर्ष | शून्य |
| पीएच.डी | र्ष | 2 वर्ष | शेष 3 वर्ष |
| एम फिल. पीए | र्ष | 2 वर्ष | शेष 3 वर्ष |

लाभार्थियों की तथा तक जारी राशि :

| वर्ष | ों | जारी राशि (करोड़ रुपए) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 2012–13 | | शून्य | आगामी वर्ष में जारी राशि |
| 2013–14 | | 0.86 | वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 दोनों वर्षों के अभ्यर्थी हेतु |
| 2014–15 | | 13.24 | विगत वर्षों तथा 2014–15 के लाभार्थियों हेतु |
| 2015–16 | | 19.97 | विगत वर्षों तथा 2014–15 के लाभार्थियों हेतु |
| 2016–17 | | 11.72 | विगत वर्षों तथा 2016–17 के लाभार्थियों हेतु |
| **कुल** | | **45.79** | |

8.3.2 दिव्या के प्रि–मैट्रिक और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्तियां

**स्कीम के उद्देश्क्षिप्तरण:**

- स्कीम ट्रिक स्तर (कक्षा 9 तथा 10) तथा पोस्ट–मैट्रिक स्तर (कक्षा 11, 12 तथा स्नात ी/ामा स्तर तक) में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता देना है।
- वित्तीय –1दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा में दो स्कीमें चलाई गई हैं।

- वित्तीय सहायता में छात्रवृत्ति, पुस्तक अनुदान, एस्कोर्ट / रीडर भत्ता आदि शामिल हैं।
- प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्तियां प्रि–मैट्रिक स्तर के लिए 46,000 तथा पोस्ट–मैट्रिक स्तर हेतु 16,650 हैं।
- इन दो छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की अनुशंसा के उपरांत मेरिट के आधार पर किया जाता है।
- ये स्कीमें वर्ष 2015–16 से इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित एक वैब पोर्टल राष्ट्रीय ई–छात्रवृत्ति पोर्टल'' (www.scholarship.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन कार्यान्वित की जा रही हैं।

**छात्रवृत्तियों का मूल्य –**

1 **प्रि–मैट्रिक छात्रवृत्तिः**

प्रि–मैट्रिक छात्रवृत्ति को मूल्य में पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि हेतु निम्नलिखित शामिल होंगेः

(I) छात्रवृत्ति तथा अन्य अनुदान;

(ii) भत्ते, और

(i) छात्रवृत्ति और अनुदान की दरें:

| मदें | दिवस स्कालर | छात्रावास |
|---|---|---|
| शैक्षणिक वर्ष में 10 माह हेतु देय छात्रवृत्ति (प्रतिमाह रुपए में) की दर | 350 | 600 |
| पुस्तक तथा तदर्थ अनुदान (वार्षिक रुपए में) | 1000 | 1,000 |

(ii) भत्तेः

| भत्ते | राशि (रुपए में) |
|---|---|
| अंधता छात्रों हेतु मासिक रीडर भत्ते | 160 |
| मासिक परिवहन भत्ता, यदि ऐसे छात्र होस्टल जो शैक्षणिक संस्था के परिसर के भीतर हेतु, में नहीं रहते हैं | 160 |

| | |
|---|---|
| गंभीर (व्यांर्थात 80 प्रतिशत अथवा उच्च दिव्यांगता वाले) िलस्यधिक अल्प दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए म कोत | 160 |
| शैक्षणिक के ्र में रहने वाले गंभीर रूप से अस्थि विकृत छात्र सहायक की जरूरत है, को सहायता देने के ोस्त किसी कर्मचारी को अनुमेय मासिक सहायक | 160 |
| मानसि औरसिक रूग्णता के छात्रों को मासिक कोचिंग | 240 |

2. **पोस्ट-छात्र**

पोस्ट–मैट्रिक छा मूलपाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि हेतु निम्नलिखित शामिल हैं :–

(I) रखरखा

(ii) पाठ्यक्र र्श ३के लिए दिव्यांग छात्रों हेतु अतिरिक्त भत्ता, तथा

(iii) अनिवार्यर्पफीस की प्रतिपूर्ति (1.50 लाख रू. तक),

(iv) सभी छ्ुस्ततो के लिए प्रतिवर्श 1,500/– रू.

**ब्यौरा निम्नानुस**

(i) **रखरख**

| समूह | रखखाव भत्ते की दर (प्रतिमाह रुप्ए में) | |
|---|---|---|
| | हास्टल | दिवस स्कालर |
| **समूह I**<br>किसी क्षेत्र में यू मा प्राप्त समस्त पीजी डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्र त्सापैथिक, चिकित्सा की भारतीय और अन्य मान्यत णाा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, वास्तुक इन,न प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा ए वेज्ञबंधन, बिजनेस वित्त/प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान ग | 1200 | 550 |

| | | |
|---|---|---|
| **समूह II**<br><br>फार्मेसी (बी फॉर्मा), एलएलबी, बीएफएस, पुनर्वास, नैदानिक आदि जैसी अन्य पैरा–मेडकिल ब्रांच, जनसंचार, होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग, ट्रैवल / पर्यटन / मेजबान प्रबंधन, आंतरिक सास–सज्जा, पोषण एवं आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (अर्थात बैंकिंग, बीमा, कराधान आदि) जिसके लिए प्रवेश अर्हता कम से कम वरिष्ठ माध्यमिक ;102द्ध है जैसे क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम | 820 | 530 |
| **समूह III**<br><br>स्नातक डिग्री वाले सभी अन्य पाठ्यक्रम समूह I तथा II अर्थात बीए / बीएससी / बी.कॉम आदि के अंतर्गत नहीं आते | 700 | 500 |
| **समूह IV**<br><br>समस्त पोस्ट–मैट्रिक स्तर गैर–डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश अर्हता हाईस्कूल (कक्षा X) अर्थात वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI तथा XII); सामान्य और व्यावसायिक स्ट्रीम दोनों, आईटीआई पाठ्यक्रम, पोलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि हैं। | 450 | 400 |

### (ii) छात्रों की दिव्यांगता पर निर्भर करते हुए अतिरिक्त भत्ते

इसके अलावा, यह स्कीम अध्ययन भ्रमण प्रभार, पुस्तक भत्ता, पुस्तक बैंक, टंकण और मुद्रण प्रभार, रीडर भत्ता, एस्कोर्ट भत्ता, कोचिंग भत्ता और विशेष भत्ता आदि।

### (iii) अनिवार्य गैर–प्रत्यार्पणीय फीस की प्रतिपूर्ति

स्कॉलरों को प्रवेश / पंजीकरण ट्यूशन, खेलों, यूनियन, पुस्तकालय, मैगनीज, चिकित्सा परीक्षा देय होगी तथा ऐसी अन्य फीस स्कालर द्वारा संस्थान अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड को प्रतिवर्श अधिकतम 1.50 लाख रू. की सीमा तक अनिवार्य रूप से देय होगी। तथापि, कॉशन मनी, सुरक्षा जमाराशि जैसी प्रत्यार्पणीय जमाराशि को बाहर रखा जाएगा।

**कैसे आवेदन करें:**

**वर्ष 2015–16 से आगे के लिए** : स्कीम इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकीय विभाग द्वारा विकसित राष्ट्रीय ई–स्कालरशिप पोर्टल (www.scholarships.gov.in) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। अभ्यर्थी उपर्युक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

**आवेदन और चयन**

क) दिव्या |क्ति विभाग स्कीम के विवरण की घोषणा करेगा तथा प्रमुख समाचार पत्रों तथा वैबसा| अन्डिया आउटफिट में विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेगा। इस प्रयोज|सिनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन कार्यक्रम www.scholarships.gov.in राष्ट्रीय ई–स्व|पोट माध्यम से आवदेन मांगे जाएंगे।

ख) आवेद|वेद प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर ऑनलाइन के माध्यम से अपन|जमा चाहिए।

ग) स्कूल| ि वह (पुरुष)/वह (स्त्री) अध्ययनरत है, आयु, जन्म–तिथि, पीडब्ल्यूडी प्रमाण|यक्र मान्यता, प्राप्त फीस आदि जैसे आवेदन में विहित तथ्यों के आवश्यक सत्या|के त संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा/दिव्यांगता कल्याण विभाग के पोर्टल के माध्य|विक्षग्रेषित करेगा। राज्य शिक्षा/दिव्यांगता कल्याण विभाग संबंधित स्कूल| कचान सहित आवश्यक समझदारी जांच का कार्यान्वयन करेगा तथा डीईपी|को सिफारिश के साथ आवेदन भेजेगा।

घ) अन्य |ाथा उस विशेष राज्य में उपलब्ध स्लाटों की संख्या पर विचार करते हुए राज्य सरक|ुशंके आधार पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा अंतिम चयन किया जाए|राज उपलब्ध स्लाटों की संख्या भारत की कुल पीडब्ल्यूडी आबादी की तुलना में उस |ीडब आबादी के प्रतिशत के आधार पर निर्णीत है।

ङ.) यदि |र्थी ाज्य का स्थाई निवासी है परंतु अन्य राज्य में अध्ययन कर रहा है, उसके आवेद|के ज्य के स्लाट के अंतर्गत विचार किया जाएगा तथा उसके आवेदन पर जिस राज्य |ार्यासी है उस राज्य की शिक्षा विभाग की अनुंशसा आवश्यक है।

च) चयन|माप निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाएगा :

(i) |ं यत्त पात्रता स्थितियों को पूरा करना

(ii) |शिभाग की संस्तुति

(iii) |में ब्ध स्लाटों की संख्या

(iv) |पर्ने प्राप्त अंकों के प्रतिशत के संबंध में अभ्यर्थी की मेरिट

(v) |कीशता के मामले में, दिव्यांगता प्रतिशत पर विचार किया जाएगा अर्थात उच्च |ात गता वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि यहां तक भी समान है तो |पर किया जाएगा अर्थात वरिष्ठ अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

## 8.3.3 दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की स्कीम मास्टर डिग्री तथा पीएचडी स्तर पर विदेश में अध्ययन कर रहे दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रत्येक वर्ष बीस (20) छात्रवृत्तियां दी जानी होती हैं जिनमें से छह महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। छात्रवृत्ति की राशि में रखरखाव भत्ता, आकस्मिकता भत्ता, ट्यूशन फीस और हवाई यात्रा आदि की लागत शामिल है। पैतृक आय सीमा प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपए है।

उक्त के अलावा, प्रतिवर्ष दो दिव्यांग छात्रों को "पैसेज अनुदान" का प्रावधान है। केवल वे दिव्यांग छात्र जिन्होंने किसी विदेशी सरकार/संगठन से स्नातकोत्तर अध्ययन, विदेश में अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण (संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, कांफ्रेंस में भाग लेने को छोड़कर) मेरिट छात्रवृत्ति प्राप्त की हैं अथवा अन्य किसी स्कीम, जिसमें पैसेज की लागत नहीं दी गई हो, पात्र होंगे। पैसेज अनुदान में एयर इंडिया के माध्यम से इकॉनामी क्लास में गृह नगर से विदेशी संस्थान तक आने–जाने का किराया शामिल है।

**न्यूनतम अर्हता :**

**पीएचडी के लिए :** प्रासंगिक मास्टर डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा 55 प्रतिशत (पचपन प्रतिशत) अंक अथवा समकक्ष ग्रेड। **मास्टर डिग्री के लिए :** प्रासंगिक स्नातक डिग्री में 55 प्रतिशत (पचपन प्रतिशत) अंक अथवा समकक्ष ग्रेड।

**आयु :** स्कीम के विज्ञापन के माह के प्रथम दिन की स्थिति के अनुसार 35 (पैंतीस) वर्ष से कम।

**आय सीमा :** प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपए

**परिवार में अधिकतम दो बच्चे :** एक ही माता–पिता/संरक्षकों के दो से अधिक दिव्यांग बच्चे पात्र नहीं होंगे।

वित्तीय सहायत्ात्र

| क्र.सं. | प्रकार | राशि |
|---|---|---|
| 1 | वरख्ता | यू.के. हेतु – जीबीपी 9,900/–<br>अन्य देशों हेतु – 15,400/– अमरीकी डालर |
| 2 | कस्त्ता | यू.के. हेतु – जीबीपी 1,100/–<br>अन्य देशों हेतु – 1,500/– अमरीकी डालर |
| 3 | प्रात्रा | अन्य देशों हेतु – 20/–अमरीकी डालर |
| 4 | ता | 1500/–रुपए |
| 5 | तस, पैसेज की लागत, सत्रा, कर, वीजा फीस, मीमांश | वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी |

**अवार्ड की अव** पी हेतु – 4 वर्ष (ख) मास्टर डिग्री हेतु – 3 वर्ष

**कैसे आवेदन**

स्कीम दिव्यांगत्तवविभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। समाचार पत्रों और विभाग की वैबसाइट में विप्रक्करके आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभाग को प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है तथा प्रक्रिरी है।

### 8.3.4 दिव्य के उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति

**उद्देश्ज**

- न वश्य अक्षम छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर गुणवत्तापरक केत्रा देना तथा मान्यता देना है।
- ी क्षेस्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा के स्तर पर अध्ययन करने की स्कीम ंग को कवर करेंगी।
- न, श्संस्था के रूप में, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और कात्रिालय द्वारा अधिसूचित 240 संस्थानों में प्रचालित की जाएगी।

1. **पात्रता की स्थितियां**

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता रखने वाला दिव्यांगजन हो तथा किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण प्त्र हो।

(ग) संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के स्तर पर पूर्णकालिक पाठ्यक्रम हेतु किन्हीं अधिसूचित संस्थाओं में चयन किया गया हो और प्रवेश पाया हो। इस स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति किसी भी स्ट्रीम में डिस्टेंस लर्निंग/अंशकालिक/साप्ताहिक पाठ्यक्रमों को करने हेतु अनुमेय नहीं होगी।

(घ) अभ्यर्थी भारत सरकार की किसी स्कीम के अंतर्गत कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो।

(ङ) **माता–पिता/अभिभावकों की आय–सीमा :** अभ्यर्थी के सभी स्रोतों तथा/अथवा उसके माता–पिता/अभिभावकों की कुल आय प्रतिवर्ष 6,00,000 से अधिक न हो (ऐसे भत्ते जिसे आयकर के प्रयोजनार्थ कुल आय के भाग के रूप में नहीं समझा जाता है, को छोड़कर)। नवीनतम कर–मूल्य निर्धारण तथा नियोक्ता से नवीनतम मासिक वेतन पर्ची की प्रति आवेदन के साथ संलग्न किए जाने की अपेक्षा है।

(च) किसी परिवार में दो बच्चे – एक ही माता–पिता/अभिभावक में दो से अधिक दिव्यांग बच्चे पात्र नहीं होंगे तथा इसके लिए अभ्यर्थी का स्व–प्रमाणन अपेक्षित होगा। बशर्ते, यदि दूसरा/तीसरा बच्चा जुड़वां हैं तो एक ही माता–पिता के दो से अधिक बच्चों को अनुमति दी जा सकती है।

(छ) एक बार पुरस्कार, पुरस्कार प्राप्तकर्ता पर दूसरी बार (अथवा उसके बाद के लिए विचार नहीं किया जा सकता) क्योंकि व्यक्ति को ''एक बार ही पुरस्कार दिया जा सकता है।

2. **वित्तीय सहायता की प्रमात्रा**

छात्रवृत्ति में निम्नलिखित शामिल होगा :

| क्र.सं. | छात्र क | प्रति पुरस्कार प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| क) | संस्थेय,तान किए जाने वाले गैर-य ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति | 2.00 लाख रुपए तक – प्रतिवर्ष (वास्तविक राशि के अध्यधीन) |
| ख) | रखा | छात्रावास में रहने वाले को प्रतिमाह 3000/– रुपए<br>दिवस छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता के लिए प्रतिमाह 1500/–रुपए |
| ग) | विशे रीजा, मार्गरक्षी भत्ता, सह ओसे अक्षमता की प्रकारों से | प्रतिमाह 2000 रुपए |
| घ) | पुस्त खनग्री | प्रतिमाह 5,000/–रुपए |
| ड.) | कंप रणखरीद के लिए व्ययों की | पूरे पाठ्यक्रम हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रति पुरस्कार प्राप्तकर्ता, 30,000/–रुपए |
| च. | चय र्थी वेशेष अक्षमता से संबंधित आ फ्टसहित सहायक भत्ता तथा सह करण खरीद हेतु व्ययों की प्रति | पूरे पाठ्यक्रम हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रति पुरस्कार प्राप्तकर्ता, 30,000/–रुपए |

साधन तथा सहा रणोम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :–

**अंधता/निम्न लिए**

(I) /ब्रेइपराइटर

(ii) रीमाफ्टवेयर वाला लेपटॉप

(iii) आसॉफ्टवेयर वाला लेपटॉप

(iv) इल सुलभता वाला साफ्टवेयर

(v) रिक्तथा प्लेयर

**श्रवण शक्ति का ह्रास के लिए–**

(i) बटन सैलों के प्रावधान वाले द्विकर्णी डिजिटल कार्यक्रम के श्रवण सहायक यंत्र

(ii) एसएमएस सिम कार्ड वाले सेलफोन

(iii) वाई फाई (बल्यू टूथ) सुविधा वाले लेपटॉप

**3. आवेदन और चयन की प्रक्रिया**

(क) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्कीम के ब्योरे की घोषणा करेगा तथा प्रमुख समाचारपत्रों में तथा वेबसाइट और अन्य मीडिया आउटफिट के माध्यम से विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेगा। इस प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ई–छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे जाएंगे।

ख) आवेदकों को अपने आवेदन, आवेदनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिएं।

ग) वह संस्थान जिसमें वह (पुरुष/स्त्री) अध्ययरत हो, आयु, जन्म–तिथि दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम की मान्यता, प्राप्त फीस आदि जैसे आवेदन में विहित तथ्यों का आवश्यक सत्यापन कराने के उपरांत संबंधित राज्य सराकर के शिक्षा विभाग को पोर्टल के माध्यम से आवेदन अग्रेषित किया जाएगा। राज्य शिक्षा विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को अपनी अनुशंसा से आवेदन अग्रेषित करने तथा संबंधित संस्थान की मान्यता सहित आवश्यक बुद्धिमत्तापूर्ण जांच करेगा।

घ) अन्य बातों के साथ–साथ उस विशेष राज्य में उपलब्ध स्लाटों की संख्या पर विचार करते हुए, राज्य शिक्षा विभाग की अनुशंसा के आधार पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण के आधार पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल पीडब्ल्यूडी आबादी की तुलना में उस राज्य की पीडब्ल्यूडी प्रतिशतता के आधार पर किसी राज्य में उपलब्ध स्लाटों की संख्या का निर्णय लिया जाएगा।

ङ.) यदि कोई अभ्यर्थी एक राज्य का स्थायी निवासी है परंतु किसी अन्य राज्य में अध्ययनरत है, उसके आवेदन पर उसके गृह राज्य के स्लाट में विचार किया जाएगा तथा उसके आवेदन को राज्य के शिक्षा विभाग, जिसका वह स्थायी निवासी है, की अनुशंसा की जरूरत होगी।

च) **चयन का मेरिट मापदंड** : निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाएगा :

न में यथा प्रदत्त पात्रता शर्तों को पूरा करना

। शिक्षा विभाग की अनुशंसा

। को उपलब्ध स्लाटों की संख्या

ा परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के विषय में अभ्यर्थी की मेरिट

ं का प्रतिशत बराबर–बराबर होने पर, पैतृक आय सीमा पर विचार किया गा अर्थात निम्न पैतृक आय सीमा वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी

यहां भी टाई होता है, अक्षमता के प्रतिशत पर विचार किया जाएगा अर्थात क अक्षमता प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

छ) स : यदि आवेदक अनुमेय छात्रवृत्ति की संख्या से अधिक हैं तो पात्रता पर रितर्थियों के चयन हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव के अनुमोदन क समिति का गठन किया जाएगा।

4. **कैसे करें**

इलैक र । प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किए गए राश्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www shov.in) के माध्यम से योजना कार्यान्वित की जा रही है। अभ्यर्थी उपर्युक्त पोर्टल न सेलाइन आवेदन कर सकते है।

## 8.3.5. दिव्य के निःशुल्क कोचिंग

1. दिव्य शक्ति विभाग ने दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की योजना हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक शुरू।

2. योज श्य से कम 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांगता वाले आर्थिक रूप से कमज यांगत्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के सक्षम बनाने और सरक जनिजी क्षेत्र में एक उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में सक्षम हो जाने हेतु कोचिंग मुहैय ।

3. इस अ निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए दिव्यांग छात्रों को कोचिंग प्रदान की जाए

i) संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित किये जाने वाली समूह 'क' और 'ख' की परीक्षायें।

ii) राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली समूह 'क' और 'ख' की परीक्षायें।

iii) इसके अंतर्गत अधिकारी स्तर पदो के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाएं।

iv) (क) इंजीनियरिंग (अर्थात आई.आई.टी.–जेईई एवं एआईईईई), (ख) मेडिकल (अर्थात एआईपीएमटी), (ग) व्यावसायिक कोर्सों–जैसे प्रबंध (अर्थात कैट) और लॉ (अर्थात कलाट) और (घ) ऐसे अन्य क्षेत्रों में जिनका मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्धारण किया जायेगा, प्रवेश हेतु प्रमुख प्रवेश परीक्षायें।

4. योजना प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। दिव्यांग छात्र, जिनकी सभी स्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय 6.00 लाख रूपये अथवा इससे कम होगी, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

5. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार योजना की नियम व शर्तो के अनुसार और संबंधित कोचिंग संस्थान के साथ किए गए समझौतें के तहत चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए गए कोचिंग के पूरे खर्च की निधियों का भुगतान किया जाएगा। कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने हेतु स्थानीय छात्रों को 2500/– रूपये प्रति छात्र की दर से मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार से बाहरी छात्रों को 5000/– रूपये प्रति छात्र की दर से मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। **रीडर भत्ते, एस्कोर्ट भत्ते, सहायक भत्ते आदि हेतु 2000/– रूपये प्रति छात्र की दर से प्रतिमाह विशेष भत्ता प्रदान किया जायेगा।**

### 8.3.6 दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निजी सेक्टर नियोक्ताओं को प्रोत्साहन

**स्कीम के उद्देश्य तथा सारांश :**

स्कीम का उद्देश्य कारपोरेट सेक्टर में दिव्यांगजनों के रोजगार को बढ़ाना है। निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने की स्कीम वर्ष 2008–09 में चलाई गई।

### स्कीम के अंतर्ग

स्कीम के अंतर्गत त्र म्क्त दिव्यांगजनों के संबंध में प्रथम तीन वर्षों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा कर्म य निंगठन की दिशा में नियोक्ताओं के अशंदान का भुगतान 25,000/–रुपए तक मासिक पारि पद्मारत सरकार द्वारा दिया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत विविध उपलब्ध अधिनियत श कर्मचारियों के वेतन के 1.1 प्रतिशत का प्रशासनिक प्रभार नियोक्ता द्वारा अदा किया जाता कीमप्रैल, 2008 से प्रभावी है।

**लाभों को प्राप्ती वधि** : प्रथम बार जब ईपीएफ और ईएसआई के तहत ऐसे लाभों का दावा किया जाता है क्षमकारी द्वारा दिव्यांग कर्मचारी को जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। र्मचावेष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 शाकीमों के लिए नियोक्ता अंशदान सीधे उपलब्ध कराएगी। इसे तीन वर्षों की अधिकतम अवधि कर्यों के संबंध में किया जाएगा। ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के वे प्रकि प्रशासनिक प्रभार संबंधी नियोक्ताओं द्वारा अदा किया जाता रहेगा।

### कार्यान्वयन प्रि

(क) पहली ईपीऔर ईएसआई के तहत ऐसे लाभ का दावा किया जाता है, नियोक्ता, सक्षम प्राधिव अक्षचारियों को जारी अक्षम प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा।

(ख) सरका ी निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनि 3 के शामिल स्कीमों के लिए नियोक्ता अंशदान सीधे उपलब्ध कराएगी। इसे तीन व धिकअवधि के लिए कर्मचारियों के संबंध में किया जाएगा। ईपीएफ अधिनियम के अंतर्ग कर्यों के वेतन के 1.1 प्रतिशत के प्रशासनिक प्रभार संबंधी नियोक्ताओं द्वारा अदा ि रहे

(ग) दिव्यां क्ति विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एकमुश्त निधि कर्मच निंगठन तथा अग्रिम के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम को उपलब्ध कराए स्के अंतर्गत नियोक्ताओं से प्राप्त अलग–अलग दावों के समायोजन के प्रयोज ोग या जाएगा। संगठनों की राशि की आवधिक रूप से पुनःपूर्ति की जाएगी।

### 8.3.7 दिव्यांगजनों में कौशल प्रशिक्षणार्थ राष्ट्रीय कार्ययोजना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 21 मार्च, 2015 को कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय के सहयोग से दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की। उक्त राष्ट्रीय कार्य योजना की संक्षिप्त विशेषताएं नीचे दी गई हैः

क. **पृष्ठभूमि**

दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार अवसरों में सुधार करना अलग–अलग दिव्यांगजनों, उनके परिवारों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण तत्व है जो बृहतेर अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यधिक लाभदायी है। अक्षम लोगों के लिए घटिया रोजगार अवसरों तथा परिणामों के कारण अलग–अलग व्यक्तियों तथा समाज को काफी कीमत चुकानी पड़ती है।

ख. **राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)** की योजना केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों, पीएसयू तथा निजी क्षेत्र जैसे सभी मुख्य हितधारकों को एक मंच पर लाने की है। एनएपी में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे।

(I) राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता सिपडा (निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की स्कीम) के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) एमएसडीई के सहयोग से डीईपीडब्ल्यूडी में एक परियोजना प्रबोधन इकाई गठित की गई है। डीईपीडब्ल्यूडी और एमएसडीई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों सहित सरकारी तथा गैर–सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षण साझेदारों की अगुवाई में कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के नेटवर्क द्वारा व्यावसायिक / कौशल प्रशिक्षण पद्रान किया जाएगा।

(iv) एमएसडीई के सहयोग से पीडब्ल्यूडी के लिए एक पृथक क्षेत्र कौशल परिषद स्थापित की गई।

(v) ऐसे प्रत्येक प्रशिक्षण कलस्टर हेतु, उनके निजी क्षेत्रीय संगठन तथा पीएसयू नक्शा तैयार करेंगे, जो उन्हें सीएसआर निधि और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराएगा तथा नियोक्ता से जोड़ेगा।

(vi) ग कंविकास निगम के साथ डीईपीडब्ल्यूडी इन प्रशिक्षण प्रदाताओं की रोजगार कथा सीएसआर सहायता प्राप्त कराने हेतु उन्हें विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों तथा यू रुकर मदद करेगा।

**(ग) एनएप डाम के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है।**

## 8.3.8 जागरूजन प्रचार स्कीम (एजीएवंपी स्कीम)

### उद्देश्य

जागरूकता सृज र रसितम्बर, 2014 में चलाई गई तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 से आगे के लिए प्रचालित है। इसे हेऔर कारगर परिणामों हेतु कार्यान्वयन के व्यापक आधार के लिए सरल बनाने तथा इसके उद्देपात्रता आदि को बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में संशोधित किया गया।

स्कीम का उद्देश्य निक, फिल्म मीडिया आदि के माध्यम से सरकार की स्कीमों/कार्यक्रमों का प्रचार करना; पी व अधिकारों के बारे में सिविल समाज तथा पीडब्ल्यूडी को शिक्षित करना; पीडब्ल्यूडी की वियक पर नियोक्ताओं में संचेतना पैदा करना; दिव्यांगता से संबंधित कारणों पर समाज की जागर बढ़था संचेतना पैदा करना; जॉब मेलों सहित पीडब्ल्यूडी हेतु कौशल विकास एवं रोजगार विकजागा अभियान में सहायता करना; सक्षम तथा अवरोध मुक्त माहौल जिसमें सुलभ भवन, सुल न, वेबसाइटें शामिल हैं, का सृजन करके तथा सुलभ लेखापरीक्षा करके सार्वभौमिक सुलभ मेंरूकता फैलाने में सहायता करना; सक्षमता सेक्टर के क्षेत्र में पृथक–पृथक श्रेष्ठता को बढ़ान डी ी कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों आदि के माध्यम से सहायता की जानी है, में प्रतिभा और प्रोत करने के लिए खेलकूद तथा एबीलिम्पिंग क्रियाकलाप करना है।

### अनुमेय घटक

1. स्कीम त ता हेतु अनुमेय घटकों में पीडब्ल्यूडी की ऑनलाइन परामर्श के लिए हेल्पल थाप्वेकस विषय–वस्तु; अंतर्राष्ट्रीय पहलों में भागीदारी अथवा गैर–सरकारी संगठन्वसा समूहों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को सहायता देना; वाणिज्यिक स्थापन योि में संचेतना पैदा करने के लिए स्वयंसेवक सेवा/आउटरीच कार्यक्रम; मनोरंज र्यटामुदायिक रेडियो में भागीदारी; मीडिया क्रियाकलाप; जॉब मेलों सहित पीडब्ल शकास तथा रोजगार सृजन हेतु जागरूकता अभियान में सहायता करना; समर्थ क्तल जिसमें सुलभ भवनों/सुलभ परिवहन, सुलभ वेबसाइटें शामिल हैं तथा सुलभ क्षा सार्वभौमिक सुलभता के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता करना; दिव्यांग र वं में वैयक्तिक श्रेष्ठता को बढ़ावा देना; पीडब्ल्यूडी जिसकी कार्यक्रमों,

जागरूकता अभियान आदि के माध्यम से सहायता की जानी है, में प्रतिभा और कौशल को बढ़ाने के लिए खेलकूद तथा एबीलिम्पिंग क्रियाकलाप शामिल हैं।

**स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध सहायता**

(क) अल्पावधि परियोजनाएं (एकबारगी के कार्यक्रम) अथवा परियोजनाएं 6 माह की अवधि से ज्यादा के नहीं होने चाहिएं); वितरण दो किस्तों में निम्नानुसार किया जाएगा :

75 प्रतिशत – अनुमोदन, स्वीकृति पर, आवश्यक बांड आदि के निष्पादन पर

25 प्रतिशत – मदवार व्यय के साथ लेखा की लेखापरीक्षा विवरण, प्रथम किस्त के लिए अंतिम रिपोर्ट और यूसी की प्राप्ति पर

(ख) दीर्घावधि परियोजनाएं (6 माह तथा और अधिक अवधि की परियोजनाएं); अनुमोदन, परियोजना की स्वीकृति तथा बैंक गारंटी / बांड के कार्यकाल आदि भेजने पर

40 प्रतिशत – अनुमोदन, परियोजना की स्वीकृति तथा बैंक गारंटी / बांड के कार्यकरण आदि ले जाने पर

40 प्रतिशत – प्रगति समीक्षा, प्रथम किस्त के यूसी की प्राप्ति के बाद

20 प्रतिशत – अंतिम रिपोर्ट, पूर्ण राशि के लिए यूसी; तथा मदवार व्यय के साथ लेखा के लेखापरीक्षित विवरण की प्राप्ति पर

(ग) जब स्कीम के अंतर्गत एक क्रियाकलाप केंद्र / राज्य सरकार के तहत सीधे ही संस्थाओं द्वारा शुरू किया जाता है, निधि वास्तविक अपेक्षाओं के अनुसार संस्वीकृत तथा जारी की जाएगी।

**अनुदान / वित्तीय सहायता के लिए पात्र संगठन**

(I) स्व–सहायता समूह

(ii) एडवोकेसी तथा सेल्फ – एडवोकेसी संगठन

(iii) समाज के रवैये में परिवर्तन लाने तथा उसके संघटन हेतु कार्यरत माता–पिता एवं समुदाय

(iv) मनोवैज्ञानिक तथा भावानात्मक सहायता सेवा

(v) समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन

(vi) पीडब्ल्यू था नि तथा समाज से अलग–अलग रहने का उन्मूलन करके, सहायता सेवाएं उपलब्ध श्रमार कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक बीमा, सहित अक्षमता सेक्टर कार्यगठन

(vii) विभागों द्यातसंस्थाओं, कॉलेजों आदि सहित केंद्र/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण ।

**पात्रता मानक**

(I) सोसाय रण नेयम, 1860 अथवा भारतीय न्यास अधिनियम 1982 के अंतर्गत पंजीकृत कोई ल अर्श्मार्थ और धर्मदा वृत्तिका अधिनियम, 1920 अथवा कंपनी अधिनियम आदि के धार र्गतकृत कोई निगम अथवा केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी प्रासंगिक अधिनि र्गत्कृत सहित 4(क) के अंतर्गत संगठनों के लिए पंजीकृत संगठन के रूप में कम से वर्ष ा ।

(ii) संगठन लातथा लाभ के लिए नहीं संगठन अथवा इसमें लाभ यदि कोई हो, अथवा धर्मार्थ देनेय आय का उपयोग करना चाहिए।

(iii) विभागे द्यालंस्थाओं, कॉलेजों आदि अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृ नेगावा केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृ केंद्रय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठन पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत प्की से छूट प्राप्त है।

(iv) विगत ी ति लेखापरीक्षित और उचित रखरखाव के लेखाओं और आय कर रिटर्न तथा प्रकाशि रिप

(v) प्रासंगि लासके लिए अनुदान/वित्तीय सहायता मांगी गई एक क्रियाकलापों के रूप में समझौ में बित होना चाहिए।

(vi) संबंधि एक ट्रैक रिकार्ड होने के रूप में ऐसे संगठन पर अनुदान हेतु विचार किया जा सकता

(vii) गैर–स गठनमामले में, प्रस्ताव हेतु राज्य सरकार से संस्तुति अपेक्षित है।

2. जागरू न पार स्कीम सितम्बर, 2014 में चलाई गई तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 से आगे के लि है स्कीम को बेहतर और कारगर परिणामों हेतु कार्यान्वयन के व्यापक आधार के लि नानेइसके कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, पात्रता आदि को बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में संश ा ग

3. वित्तीय वर्ष 2014–15 में, प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण निधियां पूर्ण जारी नहीं की गई थी, स्कीम सितम्बर, 2014 में चलाई गई तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 से आगे के लिए प्रचालित है।

4. वित्तीय वर्ष 2015–16 में, प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण निधियां पूर्ण जारी नहीं की गई थी, स्कीम को बेहतर और कारगर परिणामों हेतु कार्यान्वयन के व्यापक आधार के लिए सरल बनाने तथा इसके कार्य क्षेत्र, उद्देश्य, पात्रता आदि को बढाने हेतु वित्तीय वर्श 20152–16 में संशोधित किया गया।

5. वित्तीय वर्ष 2016–17 में, गैर–सरकारी संगठनों/संस्थानों/संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न परियोजनाओं/प्रस्तावों/कार्यक्रमों के लिए कुल स्वीकृत बजट 3.00 करोड़ रू. में से 1,76,70,276/– रू. की निधियां जारी की गई है।

**वर्ष 2016–17 की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां जिसके लिए स्कीम के अंतर्गत निधि जारी की गई।**

- दिव्यांग युवाओं के लिए आईटी प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए एनआईटी, कुरूक्षेत्र को 10.18 लाख रू. की राशि जारी की गई थी।
- पहला टी–20 एशिया कप ब्लांइड टूर्नामेंट जीतने पर 19 विजेता सदस्यों को नकद पुरस्कार के वितरण हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली को 28.50 लाख रू. की राशि जारी की गई।
- ब्राजील में रियो पैरा ऐबिलंपिक्स विजेताओं के सम्मान/नकद पुरस्कार के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली को 90.00 लाख रू. की राशि जारी की गई।

**वित्तीय लक्ष्य–**

**वर्ष 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के दौरान अनुमानित और व्यय को दर्शाने वाले विवरण के ब्यौरे।**

**रू. करोड में**

| वर्ष | बीई | आरई | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|
| 2014.15 | 3.00 | 2ए00 | 0.71 |
| 2015.16 | 5.00 | 4ए00 | 2.62 |
| 2016.17 | 3.00 | . | 1.81 |

| शीर्षल ‹ और व्यय (2016–17) (24.01.2017 तक) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | य अजा | अजजा | एनईआर | कुल |
| बजट | 0.48 | 0.24 | 0.30 | 3.00 |
| व्यय | 0 | 0 | 0 | 1.81 |
| शेश | 0.48 | 0.24 | 0.30 | 1.19 |

## 8.4 जिला विकला सद्र (डीडीआरसी)

जागरूकता विकास, ण और पुनर्वास व्यावसायिकों का मार्गदर्शन करने हेतु जिला स्तर पर अवसंरचना तथा णि जन को सुकर बनाने हेतु राज्य सरकारों की सक्रिया सहायता से मंत्रालय देश के सभी असेा में विकलांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना करके दिव्यांगजनों को व्यापक सेवाएं उपलब्ध करा रहा ागको जमीनी स्तर पर व्यापक पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए और जिला स्तर पर बुचे ता निर्माण सुविधाजनक बनाने के लिए जागरूकता सर्जन पुनर्वास और पुनर्वास व्यावसायिण व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की आउटरीच गतिविधियों के तिविव पुनर्वास केन्द्र शुरू किया गया था। डीडीआरसी की स्थापना की स्कीम नौंवी पंचवर्षीय यो रंभ ई थी।

**डीडीआरसी के**

डीडीआरसी को राज्कारों द्वारा वित्तीय, अवसंरचनात्मक, प्रशासनिक तथा तकनीकी उपलब्ध कराई जाती है त द्बंधित जिलों में दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। डीडीआरसी के बृ निमार है :–

- शिविर के न से दिव्यांगजनों का पता लगाना तथा सर्वेक्षण;
- दिव्यांग ारप्रोत्साहन देने हेतु जागरूकता विकास;
- शीघ्र ह
- सहाय गों रूरत का मूल्यांकन, सहायक उपकरणों का प्रावधान / फिटमेंट, सहायक उपकर लोमरम्मत;
- थेराप्यु एं अफेजियोथरेपी, व्यवसाय चिकित्सा, वाक चिकित्सा आदि;

- दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बस पास और अन्य छूट तथा सुविधाएं;
- सरकारी तथा धर्मार्थ संस्थान के माध्यम से चिकित्सीय करेक्शन हेतु रेफरेल और प्रबंधन;
- एनएचएफडीसी के राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों सहित बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से स्व–रोजगार के लिए ऋणों का प्रबंधन;
- दिव्यांगजनों, उनके माता–पिता तथा परिवार के सदस्यों को परामर्श देना;
- बाधामुक्त वातावरण का उन्नयन;
- दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार बढ़ाकर सहायक और पूरक सेवाएं उपलब्ध कराना।
- अध्यापकों, समुदाय और परिवारों को अभिविन्यास प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;
- शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन तथा प्रारंभिक प्रेरणा हेतु दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;
- स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त व्यवसायों का पता लगाना तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की डिजाइनिंग और उन्हें उपलब्ध कराना तथा उपयुक्त जॉबस का पता लगाना ताकि उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सके।
- मौजूदा शैक्षणिक, प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक संस्थाओं हेतु रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराना।

स्कीम राज्य और केंद्रीय सरकार का संयुक्त उद्यम है। डीडीआरसी 3 वर्षीय प्रारंभिक अवधि (पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पुडुचेरी, दमन व दीव तथा दादर व नगर हवेली मामले में 5 वर्ष) के लिए "पीडब्ल्यूडी अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु स्कीमों" के माध्यम से वित्तपोषित हैं तथा इसके उपरांत क्षीणता के आधार पर दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम के माध्यम से निधियन किया जाता है।

**258 डीडीआरसी की स्थापना की गई (अर्थात कम से कम एक बार अनुदान सहायता दी गई) चालू वर्ष 2016–17 में कुल्लू, हिमाचल प्रदेश और वाराणसी, उत्तर प्रदेश में दो नई डीडीआरसी की स्थापना की**

वर्ष 2016–17 के दडीअ को जारी निधियों के ब्यौरे अनुलग्नक–12 (पृष्ठ सं. 283)

डीडीआरसी को नि

दिशा निर्देशों की प्रमु ाए ंकार हैं:–

- आवर्ती अर्ती के लागत मानक दिनांक 1.4.2010 से संशोधित किए गए हैं। हाई एट्टीटय क्षेत्रस्टबर्ड क्षेत्रों एवं जनजातीय उप–योजना के क्षेत्रों जैसे विशेष क्षेत्रों में स्थित डी केस व्यावसायिकों को शेष देश के लिए निर्धारित दरों की तुलना में 20 प्रतिशत मान्का हक दिया जाएगा।

- **सिपडा त र्ष प्रति डीडीआरसी वर्तमान लागत मानक**

(लाख में)

| म | लागत मानक (प्रतिवर्ष) | |
|---|---|---|
| | सामान्य | विशेष क्षेत्रों हेतु 20 प्रतिशत वृद्धि |
| कुल मान | 8.10 | 9.72 |
| कार्यालय कााएं | 2.10 | 2.10 |
| उपकरण क ेतु) | 7.00 | 7.00 |
| प्रथम व न | 17.2 | 18.82 |
| द्वितीय कुल | 10.2 | 11.82 |
| तृतीय कुल | 10.2 | 11.82 |
| पीडब्ल् नियअंतर्गत कुल व्यय | 37.6 | 42.46 |

स नर्शार कुल व्यय प्रतिवर्ष 8.10 लाख रुपए तथा पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान निकोबार द्वी लक्षपुडुचेरी, दमन व दीव, दादरा व नगर हवेली तथा जम्मू व कश्मीर के मामले में 9.7 पए धेक नहीं किया जाएगा।

त्य रें, जब कभी जरूरत महसूस हो उनको उपलब्ध निर्णय में से डीडीआरसी को थवा जरूरतों की पूर्ति के लिए जिला कलेक्टरों को प्राधिकृत कर सकती हैं।

- **जिला विकलांग पुनर्वास अधिकारी (डीडीआरओ)**

  जिला प्रबंधन टीम द्वारा यथानिर्णीत डीडीआरसी के मौजूदा व्यावसायिकों में से एक अथवा एक उपयुक्त राज्य सरकार का पदाधिकारी डीडीआरओ के रूप में पदनामित किया जाएगा।

  दिन–प्रतिदिन आधार पर डीडीआरसी के समन्वयन, प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए डीडीआरओ उत्तरदायी होगा तथा प्रतिमाह 2000/–रुपए की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

- **सिपडास के अंतर्गत डीडीआरसी को निधियन की अवधि**

  पूर्व संशोधित स्कीम में, डीडीआरसी को निधियन की अवधि सभी राज्यों हेतु 3 वर्ष तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए 5 वर्ष थी। अब जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादरा व नगर हेवली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में एसआईपीडीए के अंतर्गत निधियन 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा।

- **डीडीआरसी के अंतर्गत अनुदान की टेपरिंग**

  पूर्व संशोधित स्कीम में, 3/5 वर्षों के उपरांत अनुदान की 10 प्रतिशत वार्षिक टेपरिंग की जाती है परंतु तत्कालीन संशोधित स्कीम में डीडीआरसी को अनुदान की टेपरिंग इसके बाद उन्होंने डीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत निधि प्राप्त करनी शुरू की, जो निम्नानुसार प्रतिबंधित की जाएगी :

  क) 2 वर्षों के अंतराल पर अनुमेय सहायतानुदान में 5 प्रतिशत कटौती

  ख) सहायतानुदान में टेपरिंग अनुमेय लागत का 25 प्रतिशत से अधिक न हो।

  ग) ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए टेपरिंग लागू नहीं होगी।

- **राज्य सरकार की भूमिका**

  राज्य सरकारों से डीडीआरसी के कारगर कार्यकरण में और अधिक सक्रिय भूमिका अदा करने की प्रत्याशा है। राज्य/जिला प्रशासन की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार कारगर ढंग से उनको विभिन्न क्रियाकलापों को शुरू करने हेतु डीडीआरसी की अन्य जरूरतों व मानदेय की उपयुक्त रूप से पूर्ति कर सकती है।

  राज्य सरकारें डीडीआरसी स्कीम के बृहत अनुबंध के भीतर धरातलीय सच्चाई पर विचार करते हुए डीडीआरसी के कारगर कार्यों हेतु आशोधन करने के लिए डीएमटी के अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता के तहत जिला कलेक्टरों को प्राधिकृत कर सकती है।

  राज्य सरकारें केंद्रीय फंडों को जारी करने में कार्यविधि के क्षेत्र में कठिनाइयों से पार पाने के लिए उनके डिस्पोजल पर स्थानीय निधि में से अंतरिम अग्रिम राशि देने हेतु भी जिला कलेक्टरों को प्राधिकृत कर सकती हैं।

9
अध्याय

# सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसईज)

## 9.1 राष्ट्रीय विकल[illegible]त [illegible]विकास निगम (एनएचएफडीसी)

राष्ट्रीय विकलांग वित्त औ[illegible] नि[illegible]एनएचएफडीसी) की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 जन[illegible] में [illegible]ई थी। यह कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8) के अधीन [illegible]नि[illegible] कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। यह पूर्णतया भारत सरकार द्वारा स्वाधिकृत है तथा इसकी 400 करोड़ [illegible]ए [illegible] करोड़) की अधिकृत शेयर पूंजी तथा 342.58 करोड़ रूपए की प्रदत्त पूंजी हो। कम्पनी का प्रबंध भारत[illegible]रा[illegible] निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

1. **निगम के मुख्[illegible] नीए गए है:**

   1. दिव्या[illegible]लाभार्थिक विकास गतिविधियों तथा स्व–रोजगार उद्यमों को प्रोत्साहन देना।
   2. स्व–रो[illegible]द्यमो[illegible]समुचित एवं कुशल प्रबंधन के लिए दिव्यांगजनों के उद्यम–कौशल के कोटि[illegible]ऋण[illegible] करना।
   3. दिव्यां[illegible] [illegible]यिक/तकनीकी शिक्षा हेतु ऋण प्रदान करना ताकि वे व्यवसायिक पुनर्वा[illegible]ज[illegible]सिल कर सकें।
   4. स्व–रो[illegible]ने देव्यांगजनों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु सहायता प्रदान करना।

2. **कार्यप्रणाली [illegible]:**

   एनएचएफडीसी [illegible]का[illegible] द्वारा नामित राज्य चैनल एजेन्सियों (एससीएज) और अन्य एजेन्सियों के माध्यम से दिव्यां[illegible] निके प्रवाह हेतु एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है।

(क) **क्रेडिट आधारित गतिविधियां :**

एनएचएफडीसी 40 प्रतिशत अथवा अधिक दिव्यांगता और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी ग्राह्य भारतीय नागरिकों को आय जननकारी इकाई स्थापित करने के लिए सुविधाजनक शर्तों पर रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विभिन्न स्कीमों का विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है :

| क्र. सं. | स्कीम | अधिकतम ऋण (लाख रूपए) | लाभार्थी द्वारा देय ब्याज दर | ऋण चुकाने हेतु अधिकतम अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | विक्रय/व्यापार गतिविधि में छोटा व्यवसाय | 5.00 | 5–6 प्रतिशत | 10 वर्ष |
| 2 | सर्विस सेक्टर में छोटा व्यवसाय | 7.50 | 5–7 प्रतिशत | 10 वर्ष |
| 3 | वाणिज्यिक वाहनों का क्रय | 10.00 | 5–7 प्रतिशत | 10 वर्ष |
| 4 | विशेष संवर्ग के वाणिज्यिक वाहनों का क्रय | 25.00 | 5–8 प्रतिशत | 10 वर्ष |
| 5 | लघु औद्योगिक इकाई | 25.00 | 5–8 प्रतिशत | 10 वर्ष |
| 6 | कृषि गतिविधियां | 10.00 | 5–7 प्रतिशत | 10 वर्ष |
| 7 | मानसिक अवमंदता तथा ऑटिज्म पीड़ितों के लिए स्व–रोजगार | 10.00 | 5–7 प्रतिशत | 10 वर्ष |
| 8 | दिव्यांग युवा व्यवसाइयों के लिए ऋण | 25.00 | 5–8 प्रतिशत | 10 वर्ष |
| 9 | स्वयं की भूमि पर व्यवसाय परिसर विकसित करने हेतु स्कीम | 3.00 | 5–6 प्रतिशत | 10 वर्ष |
| 10 | सहायक उपकरणों के क्रय हेतु स्कीम | 5.00 | 5–6 प्रतिशत | 10 वर्ष |
| 11 | विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण | 20.00 | 4 प्रतिशत (पुरूष) 3.5 प्रतिशत (महिला) | 7 वर्ष |
| 12 | भारत में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण | 10.00 | 4 प्रतिशत (पुरूष) 3.5 प्रतिशत (महिला) | 7 वर्ष |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | व्यवसा यन ऋण | 2.00 | 5–6 प्रतिशत | 7 वर्ष |
| 14 | मानसि त यों के लिए अभिभा सियेऋण | 5.00 | 5–6 प्रतिशत | 10 वर्ष |
| 15 | सूक्ष्म ोम (एससी ाध्य | 10.00 / एनजीओ (रू. 0.50 लाख / लाभार्थी) | 5 प्रतिशत तक | 3 वर्ष |
| 16 | दिव्यां में क्षमता विस्तार के लि एजेज हेतु स्कीम | 5.00 | 5–6 प्रतिशत | 5 वर्ष |

दिव्यां ों की स्व–रोजगारों में ब्याज पर 1 प्रतिशत और शिक्षा ऋण स्कीम के अधीन ब्याज तिशत छूट की अनुमति है।

वीएच / एको सभी स्व–रोजगारों में ब्याज पर 0.5 प्रतिशत की छूट की अनुमति है।

(ख) **गैर क्रे ार्तिविधियां** :

एनएच अप्दुदेश्य की प्राप्ति के लिए दिव्यांगजनों को निधियां उपलब्ध कराता है तथा उनकी विा तिविधियों का आयोजन भी करता है। ये हैं :

1. **ी /ाल प्रशिक्षण कार्यक्रम** : कौशल एवं उद्यमिता विकास की स्कीम के त प्र संचालन / प्रायोजन के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध ज।

2. **र पागरूकता** : एनएचएफडीसी क्रियान्वन एजेन्सियों को एनएचएफडीसी ों वापन एवं प्रचार के लिए निधियां भी उपलब्ध कराता है।

3. **-हो सहायता** : एनएचएफडीसी पंजीकृत संस्थाओं को ऋण प्राप्त करने अथवा णथानों मं प्रवेश में पीडब्ल्यूडीज को सूचना प्रदान करने, प्रक्रिया ो / वेजी औपचारिकताओं हेतु सहायता प्रदान करने के लिए प्रति पीडब्ल्यूडी / ए की हैंड–होल्डिंग सहायता भी प्रदान करता है।

3. **छात्रवृत्ति योजना :**

एनएचएफडीसी दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए दिव्यांगजना सशक्तिकरण विभाग की छात्रवृत्ति योजना कार्यान्वित कर रही हैं:–

4. **प्रदर्शन और उपब्धियां (2016–17)**

i) **भौतिक और वित्तीय उपब्धियां**

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (31–12–2016 तक), एनएचएफडीसी की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | विवरण | राशि (करोड़ रूपए में) | लाभार्थियों की संख्या (*) |
|---|---|---|---|
| (I) | स्वीकृति | 46.47 | 9916 |
| (ii) | संवितरण | 43.28 | 9870 |

*विमोचित अग्रिम निधि के विरूद्ध औसत ऋण आधार पर लाभार्थियों की अनुमानित संख्या सहित

ii) **ईडीपी तथा कौशल विकास प्रशिक्षण**

2016–17 के दौरान (31–12–2016 तक) निगम 13010 दिव्यांगजनों के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए 15.29 करोड़ रूपए की अनुदान राशि स्वीकृत कर चुका है।

5. **पहलें :**

निगम ने हाल की अवधि में इसका दायरा बढ़ाने के लिए कुछ पहल की हैं, ये निम्नानुसार हैं:

क) **एनएचएफडीसी की ऋण प्रदाय नीति की प्रभावोत्पादकता एवं पहुंच बढ़ाने के लिए उदारीकरण :**

(i) **एससीए का प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडलः** एससीए के प्राधिकारी ने लाभार्थियों को ऋण प्रत्येक परियोजना 5.0 लाख रू. से 10.00 लाख रू. बढाने को मंजूरी दी है। अब एससीए प्राधिकारी के प्रतिनिधिमंडल के तहत अग्रिम निधियों से 10.00 लाख रू. तक का ऋण मंजूर और जारी कर सकता है।

(ii) **एनएचएफडीसी विक्री/सेवा गतिविधि स्कीमों के तहत उच्च ऋण सीमा का सवर्द्धनः–**

ऋषा निम्नलिखित दो श्रेणियों के तहत बढाई गई है:–

सो

ो और व्यापार के क्षेत्र में गतिविधि : रू. 3.00 लाख रू. 5.00 लाख

सैक्टर गतिविधि : रू. 5.00 लाख रू. 7.50 लाख

(iii) **ोटीसई शर्त में शिथिलता** :– अब पार्टनर बैंक स्व–रोजगार के लिए चएणे स्कीम के अधीन विकलांगजनों को 25.00 लाख रूपए तक का ऋण यतीपर प्रदान कर सकते हैं भले ही ये गतिविधियां सीजीटीएमएसई के अधीन त हैा नहीं।

(iv) तिष्व (सीपी) शब्द के रूप में येाजना में प्रर्दशित किया गया था, मानसिक मंदता, तिष्व अथवा स्वलीनता व्यक्तियों से हटा दिया गया है। प्रमस्तिष्क घात से ग्रस्ति त क्य श्रेणियों अर्थात अस्थि विकलांग, श्रवण शक्ति का ह्मस, दृष्टि दिव्यांग की निग अन्य सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता करने के लिए अनुमति दी है।

**(ख) गैर–वित्तकम्पनी–सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी–एमएफआई) इत्यादि के साथ ी**

एनए ने एफसी–एमएफआई के व्यापक चैनल के माध्यम से दिव्यांगजनों को रियायती क्रेडि हेत्रीएफसी–एमएफआई के साथ गठबंधन की प्रक्रिया आरंभ की है क्योंकि वहां अंति वित्त हैं। इससे एनएचएफडीसी को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़ी संख्या में पीडब क ने में सहायता मिलेगी, और अन्य क्षेत्र जहां नियमित चैलेलाइजिंग एजेंसियां काम ही

**(ग) दिव्यके ाष्ट्रीय स्तर पर जॉब पोर्टल** :–

दिव्य शकिग विभाग के मार्गदर्शन में, एनएचएफडीसी ने दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पो(www.disabilityjobs.gov.in) विकसित किया है। जॉब पोर्टल सिंगल प्लेट व्याों को जॉब के अवसर, स्वरोजगार ऋण, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा ऋण आदि प्रदान । जेर्टल दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।

(घ) **सार्वत्र कों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ करार** – एनएचएफडीसी ने स्वरो र ोशिक्षा के लिए एनएचएफडीसी स्कीमों के तहत दिव्यांगजनों को रियायती क्रेडि हेट बैंक ऑफ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक के स पर ार किए है।

(ङ) **राज्य/संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) की स्कीमों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मानीटरिंग की प्रणाली:**

एनएचएफडीसी में निगम की स्कीमों तथा कार्यक्रमों के मानीटरिंग हेतु निम्नलिखित आंतरिक तंत्र मौजूद है:

I) **ऋण का उपयोग :**

क्रियान्वयन एजेन्सियों को उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग निधियां जारी करने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक है। क्रियान्वयन एजेन्सियों को जारी राशि के उपयोग के संबंध में ब्यौरें प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ii) **राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएं:**

एनएचएफडीसी इसकी राज्य चैनल एजेन्सियों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित करता है। एनएचएफडीसी स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में ऐसे सम्मेलन/कार्यशालाएं की समीक्षा की जाती है। संबंधित राज्यों में एनएचएफडीसी स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में अवरोधों/समस्याओं पर विचार–विमर्श एवं मूल्यांकन किया जाता है। उपरोक्त विचार–विमर्श के आधार पर नीतियों में एनएचएफडीसी के उद्देश्यों की सीमांतर्गत उपयुक्त संशोधन किया जाता है।

iii) **आंतरिक समीक्षा बैठक :**

विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एनएचएफडीसी की स्कीमों के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा/अनुवीक्षण किया जाता है तथा स्कीमों के कारगर प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त उपाय किए गए हैं।

## 6. दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए न्यास निधि में से वित्त पोशित दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम

निगम ने 2011–12 से दिव्यांगजनों के सशाक्तिकरण के लिए न्यास निधि में से वित्त पोशित दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम का कार्यान्वित की है

वर्ष 2011–12 से आगे और चालू वित्त वर्ष (31.12.2015 तक) के दौरान दिव्यांग छात्रों (न्यास निधि) दिव्यांग छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियां से संबंधित ब्यौरें निम्नानुसार हैं:–

| क्र.सं. | शै | प्रदान की गई छात्रवृत्ति | छात्रवृत्ति राशि (रूपए में) (नवीनीकरण छात्रवृत्ति सहित) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1000 | 57649796 |
| 2 | 20 | 1000 नई (216 नवीनीकरण) | 77748872 |
| 3 | 20 | 2000 नई (293 नवीनीकरण) | 132416657 |
| 4 | 20 | 1414 नई (158 नवीनीकरण) | 88200115 |
| 5 | 20 | 2500 नई (497 नवीनीकरण) | 175217,229 |
| 6 | 20 | 2800 नई (72 नवीनीकरण) | 19,72,79,505 |
| | कु | **9000 नई और 1732 नवीनीकरण** | 63,59,49,002 |

7. **एमओयू मूल्यां**

डीपीई (लोक उद्‌ द्वागम के प्रर्दशन/उपलब्धियों का 2015–16 के विभिंन लक्ष्यों का मूल्यांकन 2015–16 हेतु रूफया गया था।

8. **कौशल प्रशिक्ष.**

एनएचएफडीसी नों कौशल प्रशिक्षण पर बल दे रहा हैं। अब तक एनएचएफडीसी इसके फरीदाबाद केन्द्र ा सरकारी/प्रतिश्ठित भागीदारों में दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण की सुविधा है। हलां त्रों की जरुरतों को पूरा करने के लिए, एनएचएफडीसी ने उज्जैन, मध्यप्रदेश में स्वंय का कौशल न्द्र ेत किया है।

9. **प्रर्दशनी/जाग विज्जगार मेला/सम्मेलन/कार्यशालाओं के ब्यौरें**

राष्ट्रीय विकलां औरास निगम (एनएचएफडीसी) ने 2016–17 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम/जागर न ए अभियानों दिव्यांगजनों के बीच में/सार्वजनिक के बारें में इसकी स्कीमों में भाग लिया हैं :-

क) जागरुकता शिविर

1) एनएचएफडीसी ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन, ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में 13.04.2016 से 15.04.2016 तक अंबेडकर पार्क ग्वालियर, मध्य प्रदेश में भाग लिया। निगम के अधिकारियों ने जनता के लिए अपनी स्कीमों के बारे में जानकारी दी।

2) एनएचएफडीसी ने दिव्यांगजनों के लिए 26.04.2016 से 28.04.2016 तक स्पर्श मेला, बालाघाट, मध्य प्रदेश में भाग लिया और एनएचएफडीसी के अधिकारियों ने निगम की स्कीमों के बारे में जानकारी दी।

3) एनएचएफडीसी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में 07 मई, 2016 से 31 मई, 2016 तक मालवा व्यापार केन्द्र, सिंहस्त कुंभ, उज्जैन में भाग लिया। एनएचएफडीसी की स्कीमों के बारे में प्रदर्शनी में जानकारी दी गई थी।

4) एनएचएफडीसी ने 04 जून, 2016 को ए–15/7, महाकाल वाणिज्य केन्द्र, नानाखेडा, उज्जैन में क्षेत्रीय केन्द्र–सह प्रशिक्षण सुविधा केन्द्र का उद्घाटन किया। दिव्यांगजनों के लाभ के लिए निगम की स्कीमों के बारे में आगुन्तकों/जनता के लिए समझाया गया।

5) एनएचएफडीसी ने निगम के पंजीकृत कार्यालय फरीदाबाद में 21 जून, 2016 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। फरीदाबाद कौशल प्रशिक्षण केन्द्र में दिव्यांगजनों के लिए चलाये गए कौशल प्रशिक्षण और निगम के कर्मचारियों ने मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया और एनएचएफडीसी की स्कीमों के बारे में प्रशिक्षुओं (दिव्यांगजन) के बीच बताया गया।

6) एनएचएफडीसी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इंडिया गेट, नई दिल्ली में 17.07.2016 को आयोजित सुगम्य भारत अभियान (बाइक राइडर्स) में भाग लिया, दिव्यांगजनों के लिए एनएचएफडीसी स्कीमों की जानकारी दी गई।

7) एनएचएफडीसी के अधिकारियों ने एलिम्को द्वारा आयोजित 06.08.2016 को मुज्जफरनगर, उत्तर प्रदेश मेगा वितरण कैंप में एनएचएफडीसी की स्कीमों के बारे में जानकारी दी।

8) एनएचएफडीसी ने 17 सितंबर, 2016 को नवसारी, सूरत, गुजरात में आयोजित मैगा कैंप में भाग लिया और एनएचएफडीसी स्कीमों की जानकारी दी।

9) एफ ने 09.10.2016 को भावनगर, गुजरात में प्रभात इंटरप्राइजेस के उद्घाटन म ाग लिया और इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों/आगुंतकों के बीच एफ की स्कीमों की जानकारी दी।

10) एफ ने 15 अक्टूबर, 2016 को रायपुर, गुजरात में आयोजित मैगा कैंप में भाग औरचएफडीसी स्कीमों की जानकारी दी।

11) एफ ने 22 अक्टूबर, 2016 को वडोदरा गुजरात में आयोजि मैंगा कैंप में भाग औरांगजनों के लाभ के लिए स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई।

12) एफ ने एलिम्को, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण , सरकार द्वारा 25.11.2016 को सैक्टर–12 फरीदाबाद में आयोजित ाज लिए मैगा वितरण शिविर में भाग लिया। दिव्यांगजनों के लाभ के लिए कीों के बारे में शिविर में जानकारी दी गई थी।

13) एफ ने समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 1. 16 ायोजित सामान्य दिव्यांगता शिविर में भाग लिया। एनएचएफडीसी के ारिशिविर में आगुंतकों को एनएचएफडीसी की स्कीमों की जानकारी दी।

14) एफ ने क्षेत्रीय सह प्रशिक्षण सुविधा केन्द्र उज्जैन में दो ट्रेडों में 106 प्रशिक्षु ाजा (50 हस्त कढाई में + 56 मोबाईल रिपेयर में) टूल किट वितरित किए। श्री न्दगोत, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने इस अवसर की बढानएचएफडीसी की स्कीमों की प्रतिभागियों को जानकारी भी दी गई।

**(ख) प्रदर्शि मे**

1) एफ ने 26 से 29 सितंबर, 2016 तक पंडित दीनदयाल कृशि उन्नति मेले में लिसमें श्री मनु मिश्रा, प्रबंधक (परियोजना) और श्री राजू कुमार, कनिश्ठ क एचएफडीसी की स्कीमों की जानकारी दी।

2) एफ ने स्वदेशी जागरण मंच दशहरा मैदान, मोहाली, पंजाब द्वारा 19 से 23 र, तक आयोजित किए जा रहे स्वेदशी मेला में भाग लिया। जिसमें, एफ के 03 लाभार्थियों और अधिकारियों कार्मिकों सहित उनके उत्पादों का विया और एनएचएफडीसी की स्कीमों की भी जानकारी दी गई।

3) एनएचएफडीसी ने 16 से 25 दिसंबर, 2016 तक गंगटोक में आयोजित 8वे हिमालय एक्सपो में भाग लिया, इसमें एनएचएफडीसी के कर्मचारियों ने एनएचएफडीसी की स्कीमों की जानकारी दी।

(ग) रोजगार मेलाः–

1) एनएचएफडीसी के अधिकारियों ने 20 अगस्त, 2016 को आयोजित डिसेबिल्ड हैल्प लाईन फाउंडेशन द्वारा आशा विद्यालय आफ दी डीफ, जी.टी.रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए आयोजित रोजगार मेला ओर कार्यशाला में एनएचएफडीसी की स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई।

2) एनएचएफडीसी ने 07 और 08 सितंबर, 2016 को प्रशिक्षण भागीदारों के साथ (भारतीय कौशल परिषद, नई दिल्ली, एचएआरडीआईसीओएन, वीआरसीएच, नई दिल्ली और एनएसआईसी, ओखला) रोजगार मेला आयोजित किया, जिसमें 213 दिव्यांगजनों को रोजगार मेले में 12 प्रतिभागी कंपनियों द्वारा चयनित किया गया और दिव्यांगजनों को एनएचएफडीसी की स्कीमों की जानकारियां भी दी गई।

3) एनएचएफडीसी ने ब्लांइड पिपुल एसोसिएशन द्वारा आयोजित अहमदाबाद में रोजगार मेले में भाग लिया। जिसमें एनएचएफडीसी के अधिकारियों ने एनएचएफडीसी की स्कीमों की जानकारी दी।

4) एनएचएफडीसी के अधिकारियों ने 16 और 17 जनवरी, 2017 को वीआरसीएच, कडकडडुमा नई दिल्ली द्वारा आयोजित रोजगार मेले में एनएचएफडीसी की स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई।

(घ) सम्मेलन/कार्यशालाएंः–

1) **राष्ट्रीय सम्मेलनः**– एनएचएफडीसी ने एनएचएफडीसी की स्कीमों की समीक्षा और कार्यान्वयन के मुद्दों के समाधान के लिए 15.01.2016 को एनसीयूआई आडियोटाअेरियम, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–16 में चैनेलाइजिंग एजेंसियों (कार्यान्वयन एजेंसियों) के साथ सम्मेलन का आयोजन किया। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने इस अवसर का उद्‌घाटन और सम्बोधित किया।

2) **क्षेत्रीय सम्मेलनः**– एनएचएफडीसी ने पूर्वोत्तर में एनएचएफडीसी की स्कीमों की समीक्षा और कार्यान्वयन के मुद्दों के समाधान के लिए 05 जनवरी, 2017 को पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहटी में इसके भागीदारों के साथ एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

## 9.2 भारतीय कृत्रि[illegible]मनिगम (एलिम्को)

### 1. निगमि[illegible]ा

एलिम्के[illegible]ुसूच" लघुरत्न श्रेणी II केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो कम्पनी अधिनि[illegible]की 3 (लाभ के लिए नहीं उद्देश्य), (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुरुप[illegible]र्गत कृत है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्ति[illegible]ाग[illegible]ासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह भारत सरकार का 100 प्रतिशत[illegible]वात्द्रीय सावर्जनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसका उद्देश्य देश के दिव्यांगजनों को कृ[illegible]ौर पुनर्वास उपकरणों के संवर्धन, प्रोत्साहन तथा उपलब्धता बढाने, प्रयोग, आपूर्ति[illegible]रण दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास उपकरणों के निर्माण द्वारा उन्हें अधिकतम लाभान्वि[illegible] है[illegible]म का लाभप्रद के संचालन का मकसद नहीं है और इसका मुख्य जोर उचित[illegible]बडीग़ा में दिव्यांगजनों को बेहतर गुणवत्ता वाले सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध[illegible]। [illegible]इगम ने वर्श 1976 में कृत्रिम सहायक यंत्रों का निर्माण शुरु किया था। इसके भुवनेश्व[illegible]ा), [illegible]पुर (मध्य प्रदेश), बंगलुरु (कर्नाटक), और चानालोन (पंजाब) में स्थित चार आनुर्शा[illegible]दन (एएपीसी) हैं। इस निगम के नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद में चार[illegible]न्द्र [illegible]ुवाहाटी में एक आउटरीच केन्द्र है।

### 2. वर्ष 20[illegible]के निगम के वित्तीय भौतिक प्रदर्शन को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकडे नीचे दि[illegible]।

(रू. करोड़ में)

| क्र.सं. | वि[illegible] | 2015–16 की उपलब्धियां | 2014–15 की उपलब्धियां | 2014–15 का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| क | वि[illegible]र्शन | | | |
| | क[illegible] | 189.36 | 162.70 | 16.39% |
| | उत[illegible] मू[illegible] | 190.98 | 162.69 | 17.39% |
| | आ[illegible] | 46.20 | 31.65 | 45.97% |
| | नि[illegible] | 182.47 | 84.14 | 116.86% |

| ख | भौतिक प्रदर्शन (मुख्य उत्पादों का भौतिक प्रदर्शन) | उत्पादक (संख्या में) | | 2014-15 का प्रतिशत | बिक्री (संख्या में) | | 2014-15 का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014-15 | 2015-16 | | 2014-15 | 2015-16 | |
| (i) | ट्राईसाइकिल | 77,012 | 80490 | 4.52% | 75,392 | 78,598 | 4.25% |
| (ii) | व्हीलचेयर | 34,722 | 41309 | 18.97% | 37,939 | 44,536 | 17.39% |
| (iii) | क्रयचेज | 63,341 | 62991 | -0.55% | 62,409 | 67,272 | 7.79% |
| (iv) | प्रोस्थेटिक अपर और लोअर किट और कंपोनेंटस | 24,113 | 29180 | 21.01% | 37,463 | 13,940 | -62.79% |
| (v) | आर्थोटिक लोअर किटस और कंपोनेंटस | 38,831 | 10379 | -73.27% | 57,273 | 67,352 | 17.60% |
| (vi) | श्रवण यंत्र | 77,685 | 48544 | -37.51% | 79,228 | 49,367 | -37.69% |

3. बिक्री पैर्टन

वर्ष 2015–16 के दौरान बिक्री पैर्टन नीचे दिया गया हैं:

(रू. करोड. में)

| खरीद श्रेणी | 2015-16 की बिक्री | 2015-16 का अंश प्रतिशत | 2014-15 की बिक्री | 2014-15 का अंश प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय संस्थान | 5.93 | 3.13% | 11.13 | 6.84% |
| एडिप और कोकलियर | 84.45 | 44.60% | 65.21 | 40.08% |
| एसएसए (60%) | 35.65 | 18.83% | 31.79 | 19.54% |
| एसएसए (40%) | 22.83 | 12.06% | 21.19 | 13.02% |
| राज्य सरकार सीधी खरीद | 7.09 | 3.74% | 9.47 | 5.82% |

| डीलरस, | 12.74 | 6.73% | 7.63 | 4.69% |
|---|---|---|---|---|
| सीएसआर्ई, बिलाट्रल र अ | 20.67 | 10.91% | 16.28 | 10.01% |
| कुल | 189.36 | 100% | 162.70 | 100.00% |

4. एडिप कैं

निगम द्वय 014–15 में 21 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में संचालित 305 शिविरों के माध्यम 707 लाभार्थियों, जिनमें 51244 (72.41 प्रतिशत) पुरूष तथा 19521 (27.59 प्रतिशत थीं, सेवा की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 में 387 शिविरों के माध्यम से कुल 118234 ों, 87469 (73.98 प्रतिशत) पुरूष तथा 30765 (26.02 प्रतिशत) महिलाएं थीं, को सेवा कर है। इसके अतिरिक्त, 2014–15 के दौरान 18,855 लाभार्थियों को एक से अधिक पक कृत्रिम अंग / बैसाखियां प्रदान की गई थीं।

2015–न नत 387 शिविरों में से 25 शिविर पूर्वोत्तर राज्यों में संचालित किए गए थे, जिनमें र्ष 2015 में संचालित 59 शिविरों के माध्यम से कुल 8651 लाभार्थियों, जिनमें 5236 (शतत तथा 3415 (39.48 प्रतिशत) महिलाएं थीं, की सेवा की तुलना में वित्तीय वर्ष 20 कुल2 लाभार्थियों, जिनमें 3576 (67.19 प्रतिशत) पुरूष तथा 1746 (32.81 प्रतिशत थीं, सेवाएं प्रदान कर चुका है।

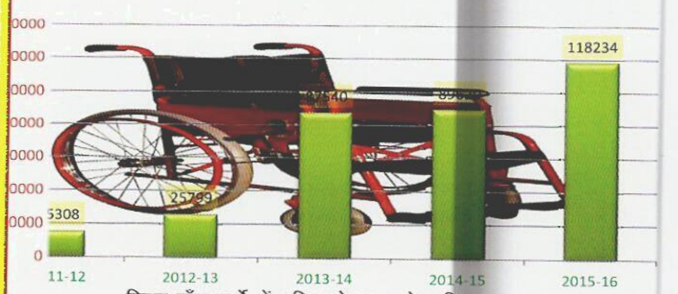

विगत पाँच वर्षों में एडिप के तहत सेवा किए गए लाभार्थियों की वर्ष वार संख्या

5. एडिप–कैंप

एडिप–स्की तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 में 20 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में 1189 शिविरों 4 व्यु वर्ग के विशेष जरूरतमंद बच्चों को कुल 74704 सीडब्ल्यूएसएन जिनमें 47237 तिशरूष तथा 27467 (36.77 प्रतिशत) महिलाएं थीं, की सेवा की तुलना में वित्तीय–1810 शिविरों कुल 79926 लाभार्थियों, जिनमें 51200 (64.06 प्रतिशत) पुरूष तथा 2894 त) महिलाएं थीं, को सेवाएं प्रदान कर चुका है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय

वर्श 2014–15 के दौरान लाभार्थियों को एक से अधिक सहायता उपकरण / कृत्रिम अंग / बैसाखियां प्रदान की गई थीं, जिसमें कुल मिलाकर 88,399 लाभार्थियों को सहायता पर विचार किया गया था।

2015–16 के दौरान संचालित 1130 शिविरों में से 171 शिविर पूर्वोत्तर राज्यों में संचालित किए गए थे, जिनमें वित्तीय वर्ष 2014–15 में संचालित 125 शिविरों के माध्यम से कुल 5609 लाभार्थियों, जिनमें 2401 (63.80 प्रतिशत) पुरूष तथा 1362 (36.20 प्रतिशत) महिलाएं थीं, की सेवा की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–1 में कुल 5609 लाभार्थियों, जिनमें 3381 (60.28 प्रतिशत) पुरूष तथा 2228 (39. 72 प्रतिशत) महिलाएं थीं, को सेवाएं प्रदान कर चुका है।

विगत पाँच वर्षों में एडिप एसएसए के तहत सेवा किए गए लाभार्थियों की वर्ष वार संख्या

6. गिनीज विश्व रिकार्ड

सामाजिक अधिकारिता शिविर और दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र / उपकरण की खरीद / फिटिंग के लिए स्कीम (एडिप) शिविर में 17 सितंबर, 2016 को नवसारी, गुजरात में तीन विश्व रिकार्ड बनाए गए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में अवसर की शोभा बढाई।

1. **पहला रिकार्ड – " एक ही स्थान पर सर्वाधिक तेल लैंपों की संख्या प्रज्वलित किए गए"** मैंगा शिविर में स्थापित किया गया था (16 सितंबर, 2016)। अविश्वसनीय 989 दिव्यांगजन एक सब नया रिकार्ड खिताब हासिल करने के लिए 500 प्रतिभागी उपलब्धि स्थापित करने के लिए एक साथ आए। प्रत्येक व्यक्ति को 30 सैकेंड के भीतर एक समान समय के साथ दीपक जलाने की चुनौती थी।

2. **दूसरा रिकार्ड – "सबसे बडा व्हील चेयर लोगो" 17 सितंबर, 2016 को नवसारी, गुजरात में तोडा गया था।** 1000 प्रतिभागियों ने व्हील चेयर तीन रंग में संदेश में कहा "जन्म दिन मुबारक हो प्रधानमंत्री"। यह 346 प्रतिभागियों के पिछले रिकार्ड से बेहतर था जो होप इंक इन मूरहेड, मिनीसोटा, संयुक्त राश्ट्र अमेरिका द्वारा बनाया गया था।

3. का " **8 घंटे में अधिकांश लोगों को श्रवण यंत्र लगाए गए**" एक ही (60ण यंत्र) एक ही दिन में स्थापित किए गए। निःशुल्क सहायक उपकरण ाह त में 1000 दिव्यांगजनों को दिए गए। इसके अलावा इस दौरान श्रवण वितर प्रयास रिकार्ड है।

इसके बा य ि विश्व रिकार्ड बनाया गया जिसमें इंफाल में आयोजित श्रवण यंत्र वितरण समारोह में त 3911 लोगों को श्रवण यंत्र लगाए गए। रोकथाम कार्यक्रम और बधिर नियंत्रण रा स्वास्थ्य मिशन मणिपुर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण (एलिम्को) और सामाजि और रारिता मंत्रालय के सहयोग से 5 नवंबर, 2016 को समारोह संयुक्त रूप से आयोजि गया पूरे भारत में इस प्रकार का सबसे बड़ा समारोह है और मणिपुर ने 17 सितंबर ो गु में 8 घंटे में 600 व्यक्तियों को श्रवण यंत्र लगाने का पूर्व में बनाया गया विश्व ि दि। गुजरात की तुलना में मणिपुर का रिकार्ड 6.5 घंटे से अधिक का है।

## एडिप शिविर तस्वीरों की झलक

माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में 22.01.2016 को आयोजित अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मैगा एडिप वितरण शिविर में भाग लिया। एलिम्को ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की और से ऐतिहासिक शिविर आयोजन किया।

माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22.01.2016 को वाराणसी में आयोजित मैगा एडिप वितरण शिविर में दिव्यांगजनों को मोटरीकृत ट्राईसाइकिल की सुविधा प्रदान करते हुए।

माननीय केन्द्र ामायाय एवं अधिकारिता, श्री थारवचन्द गेहलोत और अन्य गणमान्य नागरिकों ने को ो मुख्यालय कानपुर में माननीय सांसद, डा. मुरली मनोहर जोशी कानपुर नगर की में ारोह में एडिप वितरण शिविर में सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए गए थे। इस दौ देवेन्द्र सिंह भोले, माननीय सासंद, अकबरपुर, डा. विनोद अग्रवाल, सचिव, दिव्यां विभाग और श्री डी.आर. सरिन, सीएमडी, एलिम्को भी उपस्थित थे।

माननीय केन्द्र ामान्याय और अधिकारिता, श्री थावरचन्द गेहलोत 08.09.2015 को एडिप िर व (उ.प्र.) में सहायक यंत्र और उपकरण वितरित करते हुए।

माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, श्री थावरचन्द गेहलोत 19.06.2015 को एडिप वितरण शिविर तौहिरपुर दिल्ली में सहायक यंत्र और उपकरण वितरित करते हुए।

माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, श्री थावरचन्द गेहलोत 24.05.2015 को एडिप वितरण शिविर नासिक में मोटरीकृत ट्राईसाइकिल वितरित करते हुए।

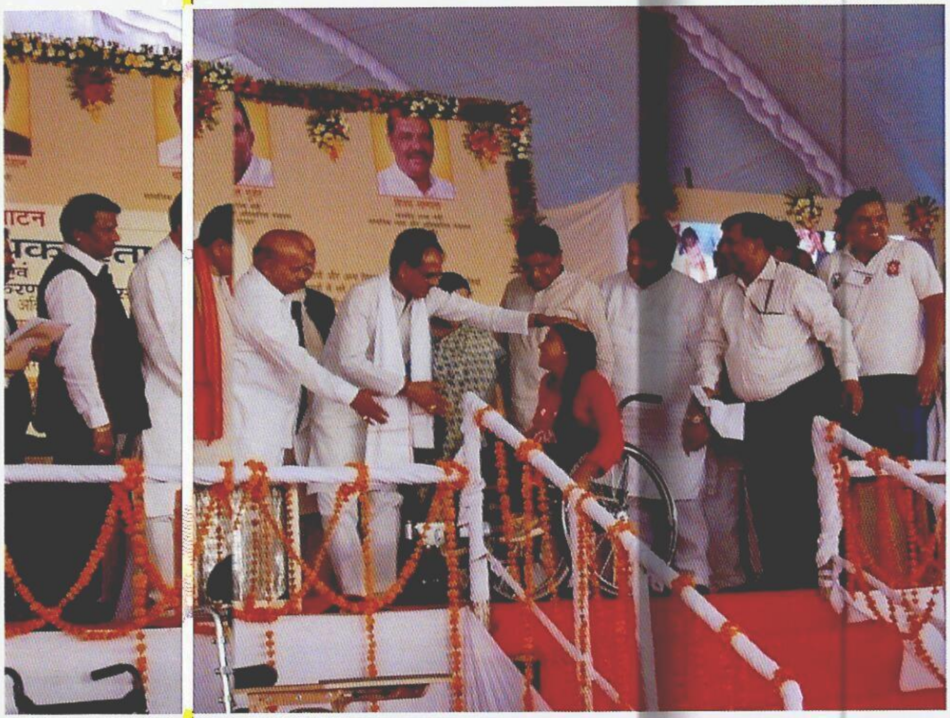

माननीय केन्द्रीय म[illegible]क और अधिकारिता, श्री थावरचन्द गेहलोत और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, श्री शिवरा[illegible]हान 2015 को एडिप वितरण शिविर रायसेन में दिव्यांगजनों को एलिम्को [illegible]ित कृत ट्राईसाइकिल की सुविधा प्रदान करतेह हुए।

माननीय केन्द्र[illegible]ामायाय एवं अधिकारिता, श्री थारवचन्द गेहलोत और अन्य गणमान्य नागरिकों ने [illegible]को [illegible] मुख्यालय कानपुर में माननीय सांसद, डा. मुरली मनोहर जोशी कानपुर नगर की[illegible] [illegible]ारोह में एडिप वितरण शिविर में सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए गए थे। इस[illegible] दौ[illegible] देवेन्द्र सिंह भोले, माननीय सासंद, अकबरपुर, डा. विनोद अग्रवाल, सचिव, दिव्यांग[illegible]तकभाग और श्री डी.आर. सरिन, सीएमडी, एलिम्को भी उपस्थित थे।

# 10 अध्याय

# राष्ट्रीय संस्थान और केंद्र

दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल सात राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं। ये राष्ट्रीय संस्थान स्वायत्त निकाय हैं और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित किए गए हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में संलग्न ये संस्थान दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवा प्रदान कर रहे हैं और अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहें हैं। ये सात संस्थान निम्निलिखित हैं–

(i) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीवीडी), देहरादून

(ii) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई

(iii) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, (एनआईएलडी), कोलकाता

(iv) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक

(v) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली

(vi) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद

(vii) राष्ट्रीय बहु–विकलांगता ग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीएमडी), चैन्नई

इन सात राष्ट्रीय की गनकारी नीचे सारणीबद्ध हैं:–

| क्र.सं. | राष्ट्रीन | स्थापना वर्ष | परिसर क्षेत्र (एकड में) | क्षेत्रीय केंद्र (आरसी)/ क्षेत्रीय खंड यदि कोई है | समेकित क्षेत्रीय केंद्र, यदि राष्ट्रीय संस्थान के अंतर्गत कोई है |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | राष्ट्रीदिव्या सशविंस्थ (एनआ), दून | 1979 | 43 | एक क्षेत्रीय केंद (चेन्नई) और दो क्षेत्रीय खंड (कोलकाता एवं सिकंदराबाद) | एक सुंदर नगर (हिमाचल प्रदेश) |
| 2. | अली रा वाक दिव्यन संस्था (एवाईएस), मुंबई | 1983 | 4.77 | चार क्षेत्रीय केंद्र (कोलकाता, सिकंदराबाद, नोएडा एवं भुवनेश्वर) | दो (भोपाल एवं अहमदाबाद) |
| 3. | राष्ट्रीन दिव्यांथान (एनअ कोता | 1978 | 3.0 | तीन क्षेत्रीय केंद्र (देहरादून, आईजोल एवं अरूणाचल प्रदेश) | एक (पटना) |
| 4. | स्वामीर पुनर्वा अ अनुसंन, (एसवीरटी), कटक | 1975 | 26.66 | कोई नहीं | एक (गुवाहाटी) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली | 1960 | 1.5 | एक (सिकंदराबाद) | दो (लखनऊ एवं श्रीनगर) |
| 6. | राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद | 1984 | 19.33 | तीन क्षेत्रीय केंद्र (नोएडा, मुबई और कोलकाता) | दो (नैल्लोर एवं देवनगेरे) |
| 7. | राष्ट्रीय बहु–विकलांगता ग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीएमडी), चैन्नई | 2005 | 15.2 | कोई नहीं | दो (कोझीकोड एवं नागपुर) |

## 1. राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीवीडी), देहरादून

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून एक स्वायतः निकाय है जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। दृष्टि बाधितों को सशक्त करना प्राथमिक उद्देश्य है और दृष्टि बाधितों को संपूर्ण सामुदायिक जीवन के सभी पहलुओं में भाग लेने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए यह एक प्रमुख संस्थान है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में, संस्थान ने तीन क्षेत्रों नामक एचआरडी और प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास तथा उत्पादन एवं ब्रेल उपकरण और ब्रेल साहित्य के वितरण की गतिविधियों का आयोजन किया है। संस्थान 116 राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड राज्य में स्थित है।

संस्थान का एक क्षेत्रीय केन्द्र, चैन्नई, (तमिलनाडु) में, और दो क्षेत्रीय खंड सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में दृष्टि बाधितों को उनके संबंधित क्षेत्रों/राज्यों में पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध प्रदान करते रहे है। यह दिव्यांगजन संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश से भी समन्वय करता है।

विशेष शिक्षा और दिव्यांगता अध्ययन विभाग के माध्यम से संस्थान दृष्टि बाधितों के क्षेत्र में विशेष शिक्षा, शिक्षकों और मोबिलिटी प्रशिक्षकों को योगदान देता है। संस्थान अब तक 11,361 विशेष शिक्षा शिक्षकों और मोबिलिटी प्रशिक्षकों को योगदान दिया है।

एनआईईपीवीडी दिव्यांगता अनुः निकाय के रूप में उभरा है। यह तीन तंत्र अनुसंधान सलाहकार समिति, भारतीय ब्रेल परिषद और विं वि इकाई को बढावा देने और अनुसंधान प्रायोजित करने के लिए है। पिछले 25 वर्षो से, संस्थान ने 125 नुसंधरियोजनाओं पर काम किया है। इन परियोजनाओं में शिक्षा की गुणवत्ता, पुनर्वास कार्यक्रमों और कौशं ण पमें काफी सुधार हुआ है।

संस्थान की दृष्टि बाधितों गई चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी भारी जिम्मेदारी है। इसके देहराई अकंदराबाद में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में विभिन्न क्षेत्रों के 22 कौशल विकास पाठ्यक्रमों को प्रदा अं00 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की क्षमता के बारे में पेशकश की है।

दृष्टि बाधितों को माडल प्ले ओं म में और उपयुक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, संस्थान ने भी एक प्लेसमैंट सैल बनाए रख य 015–16 के दौरान 318 दृष्टि बाधितों को नौकरी प्राप्त करने में मद्द मिली थी। एनआईवीएच दिव्यांग प्रि-न अवस्था से उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान भी करा रहा है, दृष्टि बाधितों के लिए इसके माड के न से जो केन्द्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। विद्यालय ने 250 दृष्टि बाधित बच्चों को सेवाएं

संस्थान का राष्ट्रीय पुस्तकालें इह का सबसे बडा पुस्तकालय है। पुस्तकालय इसे प्रिंट, ब्रेल और आडियों बुक सैक्शनों के माध्यम से लग0000 सदस्यों को वार्शिक सेवा देता है। राष्ट्रीय टाकिंग बुक पुस्तकालय संस्थान द्वारा पेश की गई अन सेके बीच एक प्रमुख स्थान रखती है। बल्कि हाईटेक पहल के हिस्से के रूप में आडियों पुस्तकें डैसी फार्म हैथान मुद्रण ब्रेल पाठ पुस्तक और पत्रिकाओं के लिए भी एक प्रभावशाली बुनियादी सुविधाओं के साथ हेद्रीय ब्रेल प्रैस देहरादून में, क्षेत्रीय ब्रेल प्रैस चैन्नई में और तीन छोटे पैमाने ब्रेल मुद्रण इकाई शिलौंग, गोर वला में बुनियादी ढांचे सहित है। साथ ही पूर्ण 12 भारतीय भाशाओं में ब्रेल पुस्तकों का उत्पादन और अं00000 व्यक्तियों की सेवाएं की है।

### भारत सरकार की फ्लैगशिं क्वयन

सामाजिक न्याय और अधिवालरत सरकार ने एनआईईपीवीडी को तीन योजनाओं जैसे कि ''दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/उपकरण द/ग की सहायता स्कीम (एडिप), ब्रेल प्रैसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन की केन्द्रीय क्षेत्र हेायता और दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम'' का क का सौपा गया है।

### संस्थान की सफलता की

**(क) श्री अजय अरोड़**

हरियाणा के सावजन्अजय अरोडा शक्ति स्तंभ और दूसरों का पालन करने के लिए एक रोशन उदाहरण है। श्री रोडाडी मेहनत का साथ एक साथ दृढ़ संकल्प किया है और इस तरह की सफलता का इराव

एक प्रतिभाशाली विद्वान है, उसकी ताकत उसकी कडी मेहनत और उपलब्धि में निहित है। वह राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून से मान्यता प्राप्त माडल स्कूल से सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त है।

इतिहास में बी.ए. (आनर्स) पास करने के बाद, उसने इतिहास में स्नातकोत्तर किया था। बाद में उसने कानूनी अध्ययन और प्रशासन के लिए जेएनयू के केन्द्र में प्रवेश लिया और उससे एम.फिल और पी.एचडी की। उसका अनुसंधान विकास और जलवायु परिवर्तन की राजनीति के क्षेत्र में अनुसंधान रहा हे।

श्री अजय अरोडा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के राम लाल आनंद कालेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया है। उसके शैक्षणिक दस्तावेजों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलनों में, अपने भाषणों और वार्ताओं की हमेशा समीक्षात्मक सराहना की गई है।

श्री अजय अरोडा ने सिविल सेवा में दो बार भाग लिया। 2015 में उसे कैडर में शामिल नहीं किया गया था, उनकी इच्छा प्रोपर आईएएस ज्वाइंन की थी। अंत में वह सफल रहा वह वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी, मसूरी में प्रशिक्षण ले रहे है। एनआईवीएच के माडल स्कूल से पास हुए है, उसने संस्थान को नाम और प्रसिद्धि दी है।

## (ख) अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामैंट में माडल स्कूल के छात्रों ने मात दी

मिशन में सफल होने के लिए, प्रत्येक को अपने लक्ष्य के लिए एकल दिमागी तौर पर मजबूत होना चाहिए। क्या

यह वहीं संस्थान स्क छात्र है जहां उन्होने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अधिक गोल बनाए। उनके शिक्षक की त ने फुटबॉल में स्टार दिग्गज बनाया है। उनके फुटवर्क और फूर्ति में सुधार से उन्होने मीडिया औ से मिली।

12 वीं कक्षा के पं के में जिनके रक्त में ही जीतने की विशिष्टिता है। उसने सितंबर, 2016 में एशियाई ब्लाइंड प म्पिय में भारत का नेतृतव किया। वह एनआईवीएच फुटबॉल टीम का कप्तान था जो कोच्चि, के ल इ इनवाईटेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामैंट में उपविजेता रहे। वे 01 से 04 दिसंबर, 2016 तक आत तीन राष्ट्रों के फुटबॉल टूर्नामैंट में भारत की तरफ से कप्तान भी रहे थे।

इसी तरह कक्षा 12वीं के छात्र संदीप सिंह मई, 2016 में कोच्चि, केरल में आयोजित आल इंडिया ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट में थे। उसने दिसंबर माह 2016 में कोच्चि, केरल में आयोजित इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व किया।

कक्षा 9वीं के एक छात्र सोवेन्द्र, को मई माह में कोच्चि, केरल में आयोजित आल इंडिया इनवाइटेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट में ''प्लेयर आफ दी टूर्नामेंट'' घोशित किया गया। उसने दिसंबर माह 2016 में कोच्चि, केरल में आयोजित उपर्युक्त तीन राष्ट्रों के फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व किया।

मास्टर नीरज चौहान और मास्टर संदीप घर का नाम रोशन किया जब उन्होने 18 से 19 अक्टूबर, 2016 तक उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय पैरालिपंकस में 200 और 100 मीटर दौड में स्वर्ण और रजत पदक जीते।

## 2016–17 में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

### (i) ''दृष्टि बाधित – शिक्षकों के लिए एक संसाधन किताब'' का विमोचन

माननीय राज्यपाल, उत्तराखंड, डा. के.के.पाल ने 23.05.2016 को राजभवन आडियाटोरियम में ''दृष्टि बाधित – शिक्षकों के लिए एक संसाधन किताब'' का विमोचन किया। पुस्तक सुश्री अनुराधा मोहित डालमिया और श्री ए. के.मित्तल द्वारा सह संपादित की गई। पुस्तक का विमोचन शिक्षकों और विशेश शिक्षा के छात्रों के मार्गदर्शन में मील का पत्थर शामिल होगा। यह दोनों हिंदी और ब्रेल लिपि में प्रकाशित की गई है।

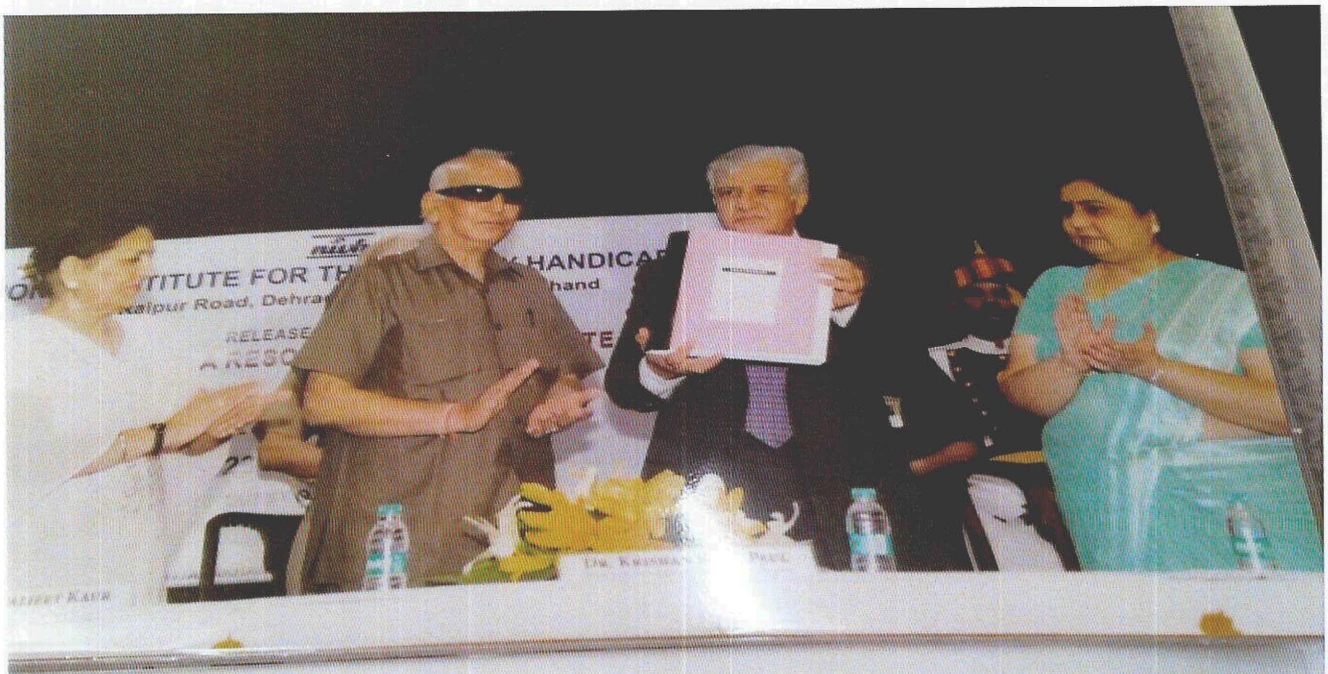

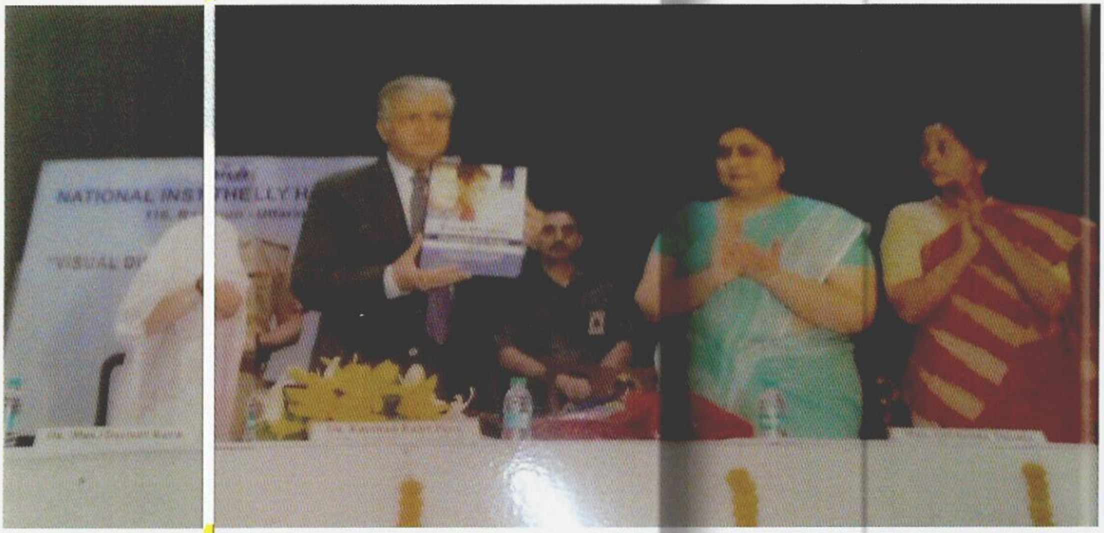

माननीय राज्यपाल न वसों की सराहना की। उन्होने कहा कि इस तरह के कदम से दृष्टि बाधितों को शिक्षित और स गें असरी और शिक्षकों को इससे बहुत मद्द मिलेगी।

(ii) **सुगम्य पुस्तकालभारआन लाईन लाइब्रेरी''**

एक निर्णायक औ दिब 24 अगस्त को श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय मंत्री, विधि और न्याय, सूचना प्रौद्योगिकी रको थावरचन्द गेहलोत, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, भारत सरकार, मा , श्रीश जावडेकर, मानव संसाधन विकास, भारत सरकार, माननीय राज्य मंत्री, श्री कृष्णपाल गुर्ज नक और अधिकारिता, भारत सरकार, और माननीय राज्य मंत्री, श्री रामदास अठावले, सामाजि गेर गरिता, भारत सरकार की शुभ उपस्थिति में श्री रवि शंकर प्रसाद, माननीय मंत्री, विधि और सूचोद्योगिकी, भारत सरकार, द्वारा विज्ञान भवन, दिल्ली में **''सुगम्य पुस्तकालय–आ ाइ** का शुभारंभ किया गया था।

परियोजना राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून और भारत के डेजी फार्म का संयुक्त प्रयास था। आनलाइन लाइब्रेरी की शुरूआत दिव्यांगजनों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और अन्य सहायतों का प्रिंट बनाएगी। यह सफल संयुक्त उद्यम एक भारत सरकार के सुगम्य भारत आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलु का सजोया और एहसास किया गया है। यह दिव्यांग प्रिंट की पहुंच के लिए सुगम्य प्रारूप में साक्षरता, शिक्षा, मनोरंजन और सूचना लाया है।

### (iii) मुद्रा और हस्ताक्षर की पहचान के उपकरण

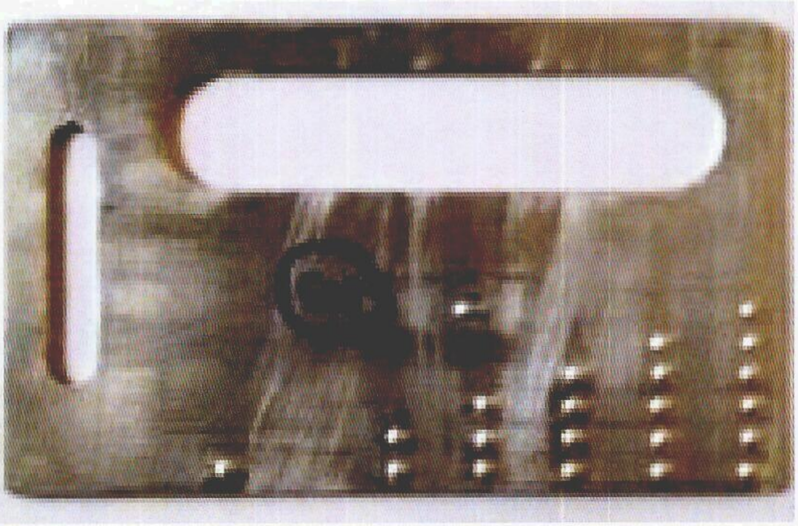

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून ने मील का पत्थर सृजित किया जब एक प्रोटो टाइप का उपकरण विभिन्न संप्रदायों की मुद्रा की पहचान और हस्ताक्षर विकसित किया गया था। यह आमतौर पर महसूस किया गया है कि दृश्टि बाधितों को अपने दैनिक लेन देन में मुद्रा की पहचान करने में गंभीर कठिनाई का सामना करना पडता है, हस्ताक्षर को लगाना भी बहुत दुश्कर है। सुगम्य भारत अभियान के मिशन को ध्यान में रखते हुए, मुद्रा और हस्ताक्षर की पहचान का उपकरण बनाया गया है।

### (iv) पुनर्वास मनोविज्ञान में नये स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का परिचय (पीजीडीआरपी)

पुनर्वास मनोविज्ञान में एक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए लंबे समय से सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी अंत में पूरा किया गया था, जब पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पीजीडीआरपी) को अंत में उचित आकार दिया गया और 16 अगस्त, 2016 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का पहला बैच 25 उम्मीद्वारों के साथ एनआईवीएच मुख्यालय में शुरू किया गया।

**(v) दृष्टि बाधितों के ूटर सहायक प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल में नये व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का परि**

वर्ष 2016–17 के दौदृश्टि बाधितों के लिए आईटी सैक्टर में रोजगार के उचित अवसर पैदा करने, कंप्यूटर और प्रौद्ध्यों के इस्तेमाल में नये व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का परिचय। इस पाठ्यक्रम का पहल उर्म्म के साथ 14.12.2016 को एनआईवीएच मुख्यालय में शुरू किया गया।

**(vi) दृष्टि–बाधितों क्रम एवं सहायक तकनीक के प्रयोग में नए वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को भारना**

सूचना प्रौद्योगिकी जग उपयुक्त अवसर उत्पन्न करने के लिए संस्थान द्वारा वर्ष 2016–17 में दृष्टि–बाधितों के ूटर सहायक तकनीक के प्रयोग में 6 मास की अवधि का नया वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किया है। इस पाठ्यक्रम का पहला बैच दिनांक 14.12.2016 को 10 छात्रों के साथ एनआईवीएच में किया गया।

**(vii) दृष्टि बाधितों को ामवं आरबीडी सुविधाएं उपब्ध कराके सशक्तिकरण की ओर उठाया गया कदम**

संस्थान द्वारा अंधत दृलि व्यक्तियों के लिए देश सबसे बडा पुस्तकालय बनाया गया है। संस्थान द्वारा सेवा रहित एज त्रों में 80 पुस्तकालय विस्तार काउंटर भी स्थापित किए गए और यह दृश्टि बाधित छात्रों एवं कि वरदान साबित हुई है। विभिंन शिक्षण संस्थाओं कुल 70 आरबीडीएस (रिफ्रेशेबल ब्रेल डिटम)ब्ध कराए गए, जिससे पुस्तकालय ओर अधिक समृद्ध हो गए।

**2. अली यावर जंग ाक्श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुम्बई**

एवाईजेएनआईएस), की स्थापना 9 अगस्त, 1983 को की गयी। यह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक अरिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अंगतर्गत एक स्वायतः निकाय है। संस्थान, बान्म), ई, में है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों में श्रवण हानि / वाक् भाषा केशीघ्र उपचार एवं सेवाएं उपलब्ध कराना है।

इस संस्थान के प्रके.िनिदेशक, एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) है तथा इसमें आडियोलोजी, वाक् भाषा पैथोलोजी ग्री स, सूचना एवं प्रलेखीकरण, सामाजिक, आर्थिक पुनर्वास तथा आउटरीच एवं विस्तार के 08 मित

संस्थान के उद्दे **वण**तों की शिक्षा एवं पुनर्वास के सभी पहलुओं में अनुसंधान कराना, इसे प्रायोजित करना त व (ii) **श्रवण** बाधितों के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए प्रशिक्षुओं एवं शिक्षकों, नियोक्ता अधिका वैज्ञों, वोकेशनल काउंसलरों का उत्तरदायित्व लेना अथवा उन्हें प्रायोजित करना (iii) श्रवण ी पुनर्वास एवं शिक्षाके किसी भी पहलु को बढावा के लिए प्रोटो टाइप के

निर्माण में सहायता देना तथा सभी प्रकार के अथवा किसी एक प्रकार डिजाइन किए गए यंत्रों, को विकसित करना एवं वितरित करना, है।

संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र कलकत्ता (1984), नई दिल्ली (1986), सिकन्दराबाद (1986), बधिरों के शिक्षकों के लिए राज्य सहयोग से प्रशिक्षण केन्द्र, उडीसा (1986) तथा वयस्क बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद (1986) स्थापित किए गए है। भोपाल तथा अहमदाबाद में दिव्यांगजनों के केन्द्र क्रमशः 2006 एवं 2011 से एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे है। इन केन्द्रों का लक्ष्य मानवशक्ति विकास एवं सेवाओं के अर्थों में स्थानीय तथा क्षेत्रीय आवश्कताओं को पूरा करना है।

जहां तक लंबी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संबंध है, यह संस्थान डाक्टोरल, स्नातकोत्तर, स्नातक, पूर्व–स्नातक, तथा शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा (श्रवण बाधित), वाक् एवं श्रवण (आडियोलोजी एवं वाक् भाशा पैथोलोजी) तथा मीडीया एवं दिव्यांगता संचार पाठ्यक्रम चलाता है। संस्थान एवं इसके क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा डीटीपी श्रवण बाधितों के लिए कम्प्यूटर एप्लीकेशन तथा भारतीय संकेत भाशा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते है।

संस्थान श्रवण बाधितों को समेकित डायगनोस्टिक, थैरापेटिक, शिक्षा एवं वोकेशनल सेवाएं उपलब्ध कराता है। अनुसंधान संस्थान की गतिविधियों का एक अभिन्न अंग भी है। एवाईजेएनआईएसएच (एवाईजेएनआईएचएच) नामक एक वार्षिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है।

**एववाईजेएनआईएसएचडी (डी) ने अनेक उपलब्धियां हासिल की, जिसमें से कुछ है:**

- सार्वभौमिक डिजाइन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार–2011
- सर्वोत्तम लघु फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार–2011
- सुगम्य वेबसाइट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार–2011
- ऑनलाइन श्रवण जांच के राष्ट्रीय पुरस्कार–2009
- सीआरओएस श्रवण यंत्र विकसित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार–2002
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सर्वोत्तम नियोक्ता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार–1996

**सहायक यंत्र एवं उ जडिप) के अंतर्गत कोकलियर इंपलांट–नयी पहल:**

एवाईजेएनएसएचडी र्ग ह कोकलियर इम्प्लांट कार्यक्रम को लागू करने की नोडल एजेंसी है। कोकलियर इंप्लांट लिए देश में 140 अस्पतालों को पैनल बनाया गया है। कोकलियर इम्प्लांट बधिर व्यक्तियों के ल र अक तकनीक है। सर्जरी के पश्चात बधिर बच्चे सुन पाते है तथा उपयुक्त प्रशिक्षण से वे बोल सम जाते हैं। भारत सरकार 15000/–रुपए से कम की मासिक आय वाले माँ–बाप को 6.00 ल प्रति की आर्थिक–सहायता उपलब्ध करा रही है।

अब तक–486 आप जा है।

एवाईजेएनआईएस ) द्वब श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए एडिप योजना के अंतर्गत इयर हियरिंग उप छे ल प्रोग्रामेबल उपलब्ध कराया जा रहा है।

## सफलता की कहानी

### 1. सुश्री अनुशा गुनटूपल्ली

G.ANUSHA

सुश्री अनुशा गुन्टूपल्ली का जन्म बायलिटरल प्रोफाउंड सेन्सोरिन्यूरल हियरिंग लास की 100 प्रतिशत श्रवण विकलांग दिव्यांगता के साथ गुन्टूर, आंन्ध्र प्रदेश में हुआ। उसके माता–पिता को श्रवण–दिव्यांगता की पहचान 9 मास की आयु में हुई 12 मास की आयु में एक्सटेंसिव वाक् एवं भाषा थैरेपी के साथ–साथ उसमें उपयुक्त श्रवण सहायक यंत्र फिट किया गया। जिसके परिणामस्वरुप 6 वर्ष की आयु में उसे एक नियमित स्कूल में दाखिला मिल गया। कोकलियर इम्प्लांट साढे छः वर्ष की आयु में किया गया तथा बायें कानमें न्यूक्लस फ्रीडम कोकलियर इम्प्लांट के साथ फिट किया गया। स्विच ऑन करने के पश्चात सफल पोस्ट इम्प्लांट इंटरवेंशन तत्काल आरम्भ हो गया। उनमें सीबीएससी, नई दिल्ली से 10 वीं कक्षा की परीक्षा सफलतापूर्वक उर्त्तीण की, जहां उसे 10 में से 9.8 प्रतिशत प्राप्त हुआ। उसने आन्ध्रा प्रदेश राज्य बोर्ड 91.4 अंक प्राप्त करके 12 वीं की परीक्षा उर्त्तीण की। उसने जीवन–कौशल, कार्य शिक्षा, दृश्य एवं प्रदर्शन कला, मनोवृत्ति एवं मूल्य, सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों एवं शारीरिक शिक्षा में भी 'ए' ग्रेड प्राप्त किया।

वह बएएसएलपी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए एबाईजेएनआईएसएचडी (डी) मुंबई की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा, में शामिल हुई और 150 में से 52 अंक प्राप्त करके 133 छात्रों में से मेरिट सूची में 11 स्थान पर रहीं। शारीरिक दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित सूची में वे शीर्ष स्थान पर रही। अब वे लिखित एवं प्रैक्टिकल दोनों में किसी भी प्रकार की कठिनाई अनुभव न करते हुए महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य विज्ञान से संबद्ध एफ.वाई. बीएएसएलपी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढा रही है। अतः वे श्रवण दिव्यांगता के संबंध में शीघ्र पहचान एवं शीघ्र उपचार का आदर्श उदाहरण हैं। वह जन्मजात दिव्यांगता वाले बच्चों के माता–पिता के लिए उपयुक्त मॉडल हो सकती है।

2. **श्री सुविरोग**

श्री सुवरो सेनगुप्ता पूतन्न विश्व में रह रहे है। वह अपने माता–पिता छत्र है जो 22 जुलाई 1982 को 100 प्रतिश के पुत्र पैदा हुआ उन्हें उनकी माता द्वारा श्रंगों ए तत्कालीन अली यावर जंग राष्ट्रीय सं अगे यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान, जो अब अजंग्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान जााता है, में वोकेशनल मूल्यांकन एवं कैरियर मेंदर्शन के लिए लाया गया। उनमें कम्प्यूटर ी प हुई और तत्पश्चात वे ईस्टर क्षेत्रीय केन्ताम्प्यूटर पाठ्यक्रम में दाखिल हो गये। उन्ा व्द्यिालय से वर्श 2008 में वाणिज्य–स्नातक पूरा करने के लिए भी मार्गदर्शन दिया गया।

कम्प्यूटर पाठ्यक्रम पू कोत् वह महालेखा परीक्षक के कार्यालय में कनिष्ठ लेखा परीक्षक के रुप में नियुक्त हुए। ठ वी उन्हें सरल, विनम्र ईमानदार तथा एक मैत्रीपूर्ण व्यक्ति के रुप में पसंद करते हैं।

सुवरो ने वर्श 1999 एमश्रेयर एवं सीनियर राश्ट्रीय स्तर की टेबल–टेनिस चैम्पियन जीती।

'रुपासी बगंला' नाम सिद्धज्ञी चैनल में "दस अवतार" नामक रियेलिटी शो में जज के रुप में कार्य करने के लिए उअग्रकेया गया, जो जून एवं दिसम्बर 2009 में प्रसारित किया जायेगा।

उसकी सबसे बडी शा स्वन एवं प्रकृति के अनुचित–न्याय को चुनौती देने की इच्छा है।

श्री रामदास अठावले, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिनांक 30.07.2016 के अपने दौरे के दौरान नारियल वृक्षारोपण करते हुए।

श्री राम व्यास, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में दिनांक 06.11.2016 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सामाजिक न्याय मंत्रालय की स्थाई समिति का एवाईजेएनआईएसएचडी (डी) में दौरा।

↑

श्री थावरचंद गेहलोत य केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का दिनांक 17.12.2016 का दौरा।

↓

## 3. राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, (एनआईएलडी) कोलकाता

राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), लोको मोटर जैसी विकलांगता विशिष्ट क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए देशभर में विकास एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में सेवा देने के प्रयोजन से कोलकाता, प. बंगाल में स्थापित किया गया था। एनआईओएच पुनर्वास प्रबंधन, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। इस प्रकार यह लोको मोटर विकलांगजनों के लिए निवारक, प्रोत्साहक और पुनर्वास सेवाओं के लिए आवश्यक जनशक्ति विकसित करता है। एनआईओएच लोको मोटर विकलांग व्यकक्तियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ–साथ समय पर और विशेष शल्यि हस्तओक्षेप और अन्यव उपचारात्मिक सेवाओं के अनुप्रयोग के महत्वेपूर्ण क्षेत्र में जनशक्ति और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने वाला एक शीर्ष संगठन है।

### उद्देश्य

**इस संस्थान की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी :**

- अस्थि दिव्यांगता जिसमें संयोजन अथवा गतिशीलता की समस्या के साथ तंत्रिका विकलांगता भी शामिल है, की शिक्षा और पुनर्वास के सभी पहलूओं में अनुसंधान करना, प्रायोजित करना, समन्वय करना।
- जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी में प्रायोजन, समन्वय करना, जिससे सहायक यंत्रों अथवा उपयुक्ति शल्यय/चिकित्सा प्रक्रियाओं अथवा नये सहायक यंत्रों के विकास का प्रभावी मूल्यांकन हो सके।
- अस्थि दिव्यांगजनों की शिक्षा, प्रशिक्षण अथवा पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए संस्थान द्वारा जैसा आवश्यक समझा गया हो, प्रशिक्षुओं और शिक्षकों, रोजगार अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, व्यावसायिक सलाहकारों और इस तरह के अन्य कर्मियों के प्रशिक्षण का संचालन या प्रायोजन के लिए।
- अस्थि दिव्यांगजनों की शिक्षा, पुनर्वास या चिकित्सा के किसी भी पहलू को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया किसी भी या सभी सहायक यंत्रों के निर्माण के लिए विनिर्माताओं को वितरण, बढावा अथवा छूट प्रदान करना।

### गतिविधियों की एक झलक

इस संस्थान की गतिविधियों में मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

1) मानव संसाधन विकास

2) पुनर्वास सेवाएं

3) अनुसंधान और विकास

4) पुस्तका ब्रन सूचना का प्रसार

5) गैर–स ठननिगरानी

6) जागरू

7) छात्रों न

8) अन्य ग

### मानव संसाधन विकास

मूल विचार देश में गतिशील जनोंआवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और मौजूदा मानव संसाधन के ज्ञान को अद्यतन करने के लिए नवधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, संस्थान को सौंपे गए कार्य के लिए उपयोगिता के इष्टतम ल्निव संसाधन उपलब्ध कराना है। सामान्यतया इन्हें दो श्रेणीयों में बांटा जा सकता है :–

क. दीर्घ अ क्षणक्रम

ख. लघु अ क्षणक्रम

### पुनर्वास सेवाएं

पुनर्वास सेवाएं अस्पताल भ , बरोगियों और आम पहुंच से दूर क्षेत्रों के लोगों को संस्थान मुख्यालय, क्षेत्रीय केंद्रों, सीबीआर परियोजना न्य गी केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

(क) संस्था त से

(ख) आम र क्षेसेवाएं

(ग) समुद त पु सेवाएं (सीबीआरएस) और

(घ) क्षेत्रीय योग केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं।

**क. संस्थागत सेव**

**ये संस्थागत सेवाएं निम्न विश के माध्यम से प्रदान की जाती हैं:–**

1) चिकि स

2) फिजि

3) व्याव रेपी

4) प्रोसो टं अंकस

5) साम र्थकॉस

6) पुनर्वास नर्सिंग

7) पुनर्वास अभियांत्रिकी।

## ख. आउटरीच सेवाएं

संस्थान अपने आउटरीच यूनिट के माध्यम से डिसेबिलिटी कार्य विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को (एडिप) स्कीम के कार्यान्वयन करने के लिए शिविरों का आयोजन करता है।

## ग. समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाएं (सीबीआरएस)

संस्थान के सामाजिक आर्थिक पुनर्वास विभाग ने समुदाय आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से विस्तृत पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में सीबीआर परियोजनाएं आयोजित की हैं। इस वर्ष विभाग ने नवीन परियोजना क्षेत्र के रूप में इसे इंफाल पश्चिम, मणिपुर में आरंभ किया है।

## घ. क्षेत्रीय और सहयोगात्मक केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं

क. क्षेत्रीय केन्द्र–निम्नलिखित क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

- i. देहरादून, उत्तराखंड
- ii. आईजोल, मिजोरम
- iii. नाहरलागून, अरूणाचल प्रदेश
- iv. दिव्यांग अध्ययन केंद्र, मिजोरम विश्वविद्‌यालय परिसर

ख. एनआईएलडी ने एनटीपीसी फाउंडेशन (एक सार्वजनिक चौरिटेबल ट्रस्ट) के साथ एनटीपीसी परियोजना स्थल के निकट शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों को सेवा प्रदान करने और सशक्त करने के लिए एनटीपीसी फाउंडेशन के सहयोग से एनटीपीसी फाउंडेशन एनआईएलडी दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (एनएफएनडीआरसी) शुरु किया है। एनएफएनडीआरसी का मूल उद्देश्य इस जिले और समीप के क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है।

## अनुसंधान परियोजना

विश्व भारती (केंद्रीय विश्वविद्यालय), सामाजिक आर्थिक पुनर्वास विभाग, एनआईएलडी, कोलकाता के सहयोग से चलाई जा रही 'पश्चिम बंगाल में जनजातियों में दिव्यांगता की व्यापकता तथा उनका पुनर्वास' नामक एक परियोजना आरंभ की जा रही है।

## नवीन गतिविधियां

1. एनआईएलडी, कलकाता की की सिपडा योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. आईजोल, मिजोरम में दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र का निर्माण कार्य।

आर.के.मिशन, एन कोल में राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी दयानंद जी महाराज, का स्वागत।

श्री कृशणपाल गुर्जर, माननीय न्यर अधिकारिता राज्य मंत्री, द्वारा एनआईएलडी के प्रशिक्षण सहयोगियों को कौशल प्रक्रिार्यक्रम के लिए प्रमाण पत्र वितरण करते हुए।

श्री कृशणपाल गुर्जर माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता द्वारा
एनआईएलडी कोलकाता में गेट लैब का उद्घाटन

श्री गुर्जर, जेक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री द्वारा एनआईएलडी,
क्ता में नये शैक्षणिक व खंड का उद्घाटन

एनआईएलडी कोलकाता लगूणाचल प्रदेश में आयोजित गैर–सरकारी संगठनों का उन्नमुखीकरण कार्यक्रम

# दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के चित्र

## ांग सशक्तिकरण विभाग के चित्र

ीनदउपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान,
नली में रक्त दान शिविर का उद्घाटन

रन्यास, स्वास्थ्य कार्ड जारी करते हुए

## दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के चित्र

निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 का उत्सव

दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

## ांग सशक्तिकरण विभाग के चित्र

## 4. स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (स्वनिरतार ), कटक

यह संस्थान मानव संसाधन का विकास करने तथा सेवा प्रदान करने संबंधी कार्यक्रमों, अनुसंधानों और आऊटरीच कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से कार्य करता आ रहा है। यह दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रॉस्थटिस्टों, ऑर्थोटिस्टों, फिजयोथेरेपिस्टों, व्यावसायिक थेरेपिस्टों , बहुउद्देश्य पुनर्वास थेरेपिस्टों जैसे कार्मिकों तथा ऐसे ही अन्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का दायित्व ग्रहण करता है और उसे प्रायोजित एवं समन्वित करता है।

गतिविशयक निःशक्तता के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की लगातार बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए, यह संस्थान फिजयोथेरेपी, आक्यूपेशनल थेरेपी, प्रॉस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्सि में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करता है।

व्यावसायिकों / गैर–सरकारी संगठनों को अधिकाधिक प्रेरित करने और समुदाय आधारित पुनर्वास के विषय में उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, यह संस्थान पुनर्वास के क्षेत्र में लघु अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) पाठ्यक्रम, लगातार चलने वाले चिकित्सा, शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम, कार्यशालाएं तथा सेमिनार संचालित करता है।

संस्थान शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों को प्रत्यक्ष सेवाएं भी प्रदान करता है। इन सेवाओं में शारीरिक विकृतियों का सर्जिकल सुधार, फिजयोथेरेपी, आक्यूपेशनल थेरेपी तथा स्पीच थेरेपी शामिल हैं। इस संस्थान में कृत्रिम अंगों की फिटिंग की जाती है तथा यह अपने यहां और शिविरों के आयोजन द्वारा, न केवल ओडिशा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के दूरस्थ इलाकों में बल्कि जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल, उ.प्र., बिहार, म.प्र., छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में भी व्हील चेयर और तिपहिया साइकिल जैसे चलने में मदद करने वाले सहायक यंत्रों और उपकरणों की आपूर्ति करता है।

## फलता की कहानी

**सुश्री जूली कर**

**एटी–बसंती कालोनी ला,**

सुश्री जूली कार (18 व ला) क स्तर की वाणिज्य छात्रा है जिनका मल से तैयार कुरुप ि मजों (घुटने से पैर तक) है। वे संस्थान में अत्यधिक आशा के स कि स प्रकार अन्य व्यक्तियों की भांति चल सकेंगी और सीधा ख गीनी कुरुप ज्यामितीय शारीरिक संरचना को ध्यान में रखते ह अंग सीधा करने के लिए किसी प्रकार की सर्जरी के लिए एम ने ते इस पक्ष में नहीं है। प्रोसथेसिस एंड आर्थोसिस विभाग ने न एान के लिए एक नयी जटिल पोस्ट विंडों डिजाइन प्रोसथिस ी से उच्च शक्ति के फाइबर प्लास्टिक रिइनफोंर्सगि प्रकिय न तैयार किया गया।

अब, सुश्री जूली न ी हो सकती हैं, बल्कि कृत्रिम अंग के साथ अपनी दैनिक जीवन चर्या के कार्य भी कर लेनी वा गति के नृत्य कर पाने में भी समर्थ हैं और अन्यों की भांति आनन्दमय कॉलेज जीवन व्य के साथ अपेन आप को अधिक हर्शित भी अनुभव करती हैं।

## 5. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राश्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, (पीडीयूआईपीपीडी) नई दिल्ली

पंडित दीन दयाल दिव्यांगजन राष्ट्रीय संस्थान, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत निकाय है। संस्थान की स्थापना वर्ष 1960 में एक गैर--सरकारी संगठन के रुप में हुई थी। इसे वर्ष 1975 में पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया और वर्ष 1976 में, शारीरिक विकलांगों का संस्थान, नई दिल्ली नाम से यह एक पजीकृत सोसाइटी के रुप में परिवर्तित हो गयी।

यह गतिविशयक निःशक्तता जैसे पोलियों सुशुंना सूजन, प्रमास्तिशक घात, अभिघातक विकृतियां, मस्तिशक--घात मामलें आदि से पीडित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान का नाम वर्ष 2002 में बदल कर प0 दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संस्थान कर दिया गया। अब इस संस्थान का नाम दिव्यांगजन प0 दीन दयाल राष्ट्रीय संस्थान हो गया है।

पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्थान द्वारा साढ़े चार वर्ष अवधि प्रत्येक के शारीरिक थैरेपी (बीपीटी), व्यवासायिक थैरेपी (बीओटी) में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

संस्थान में आने वाले दिव्यांगजनों को, उनकी क्षमता को अधिकतम स्तर तक बढाने के लिए संस्थान द्वारा समेकित पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही है। उनकी पुनर्वास अपेक्षाओं के लिए उनका मूल्यांकन आर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाइिशियन / पुनर्वास विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है।

संस्था सीआरसी लखनऊ एवं सीआरसी श्रीनगर के कार्य--कलापों में सहयोग प्रदान कर रही है। संस्था द्वारा बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय संस्थान सिकंदराबाद कैम्पस में अपना दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र (एसआरसी) भी स्थापित किया गया है और अब संस्थान डीडीआरसी टोंक भी स्थापित करने जा रहा है।

### मुख्य घटनाक्रमः--

संस्थान द्वारा "प्रिवेंशन ऑफ फाल्ज इन एलडरली" पर दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 को रोगी जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 41 रोगियों ने भाग लिया, जो फाल्ज के लिए चुने गए तथा पंजीकृत हुए थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अनूप अग्रवाल विभागाध्यक्ष ओक्यूपेशनल थैरेपी द्वारा फाल्ज, उनके परिणाम एवं रोकथाम के संबंध में एक पावर प्वांइट के प्रस्तुतिकरण सहित की गयी। प्रशिक्षुओं ने फाल्ज के मामलों में उठाए गए कदमों को व्यवहारिक प्रदर्शन द्वारा समझाया। वृद्धों में फाल्ज की रोकथाम के लिए करने तथा न करने योग्य बातों को उल्लेख करते हुए पर्चे बाटें गए एवं इस पर चर्चा भी की गई। फैकल्टी ने नियमित शारीरिक व्यायाम के महत्व तथा फाल्ज की रोकथाम में इसके प्रभाव पर भी विचार किया। इसके पश्चात प्रश्न--उत्तर सत्र हुआ, जिसमें भाग लेने वाले ने विशेषज्ञ पैनल एवं संस्थान के फैकल्टी सदस्यों से अपने प्रश्न पूछे। तत्पश्चात वृद्धों के लिए प्रश्नोत्तरी एवं खेलकूद का आयोजन हुआ।

संस्थान ने दिसम्बर 2016 ाय जेक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत की उपस्थिति में राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संग ीअसहयोग से अपने परिसर में एक रक्त दान कैंप आयोजित किया। रक्त दान कैंप में बड़ी संख्या में लोग लियल 214 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। (इसके फोटोग्राफ निचे दिए गए हैं।)

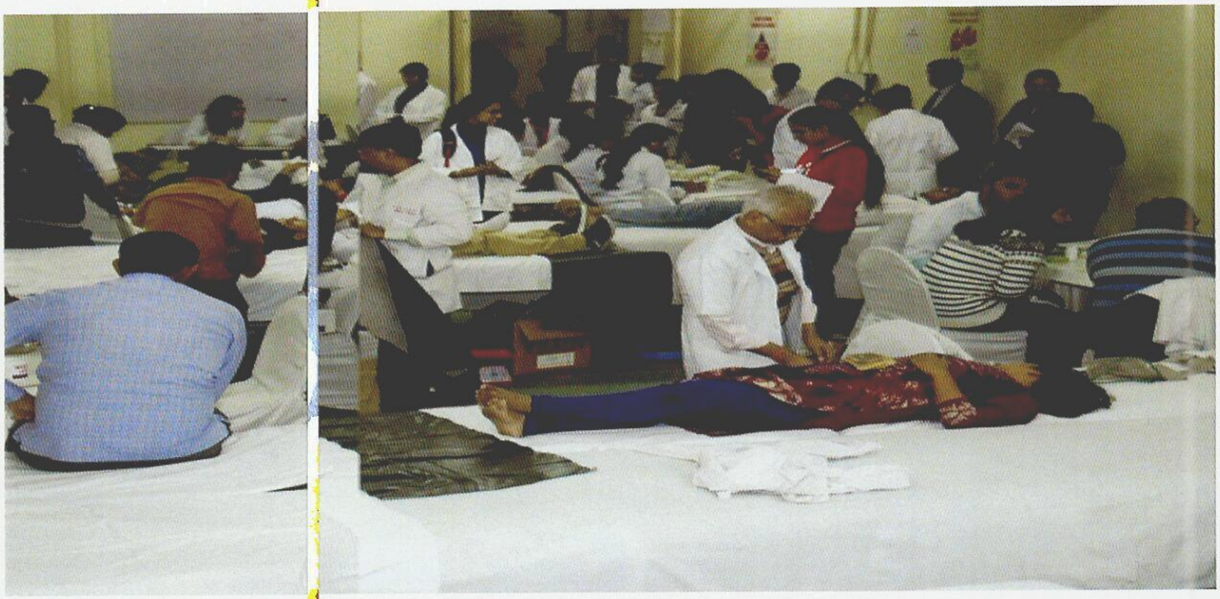

संस्थान द्वारा दिनांक 28.10.2016 को विज्ञान भवन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रियो पैरा अबिलपिक्स टी–20 एशिया कप इंडिया ब्लांइड क्रिकेट टीम एवं इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडों टीम के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, श्री थावरचन्द गेहलोत ने मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में युवा मामलें एवं खेल राज्य मंत्री, श्री विजय गोयल, राज्यमंत्री (प्रभारी) योजना, शहरी विकास मंत्रालय माननीय श्री इंद्रजीत सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री माननीय रामदास अठावले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री माननीय श्री कृशणपाल गुर्जर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री माननीय श्री विजय सांपला एवं डा0 विनोद अग्रवाल, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भी सम्मिलित हुए।

दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 19.09.2016 को इलाहाबाद, यू.पी. में एक कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत मुख्य अतिथि थे तथा इस कैम्प में पीडीयूएनआईपीपीडी के 10 कर्मचारी एवं सीआरसी लखनऊ के 19 कर्मचारी शामिल हुए। संस्थान द्वारा इसकी गतिविधियों के लिए प्रर्दशनी का एक स्टॉल भी लगाया गया। कुल 4773 लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए।

शाहजहांपुर, कानपुर, पीलीभीत, इटावा, सन्त कबीर, इलाहाबाद एवं उत्तर प्रदेश में पोलियों निवारक सर्जरी कैम्प का आयोजन किया गया। 321 लाभार्थियों द्वारा 429 अंगों का आपरेशन कराया गया। इन कैम्पों का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से किया गया।

विश्व फिजिकल थैरेपी दिवस तथा ओक्यूपेशनल थैरेपी दिवस का आयोजन फिजियोथैरेपी एवं ओक्यूपेशनल थैरेपी दिवस का आयोजन फिजियोथैरेपी एवं ओक्यूपेशनल थैरेपी विभाग के संबंधित विभागों द्वारा किया गया। यह दिन संपूर्ण देश के शारीरिक एवं ओक्यूपेशनल थैरेपिस्टों के लिए यह जागरुकता उत्पंन करने का अवसर है कि व्यक्तियों का स्वस्थ, गतिशील एवं स्वतंत्र बनाये रखने में इस व्यवसाय का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। यह पीटी एवं ओटी विभाग के व्यवसाय के संबंध में जागरुकता एवं स्वास्थ्य संबंधी आंदोलन है।

## 6. राष्ट्रीय बौद्धिक गजशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीआईडी) सिकंदराबाद

इस संस्थान की स्थापना व ऐसव संसाधन तैयार करने के मूल उद्देश्य से की गई है जो जीवन चक्र की आवश्यकताओं के आधार पर के ना पूर्ण मॉडलों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने हेतु पूरी तरह से तैयार हो। यह संस्थान एक शीर्ष निकाय श ासिक मन्दता के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने, अनुसंधान कराने और सेवाएं प्रदान करने का त्रिपक्षीय कार्य व इस में नवीनतम गतिविधियों और हाल के रूझानों के आधार पर, संस्थान अनुसंधान और विकास के म ए त्मों के आयोजन तथा सृजनात्मक कार्यों के प्रयास कर रहा है।

संस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ोग त्र में अपनी विभिन्न गतिविधियों में संगठन की वैशविक विशेषताओं को दर्शाता है। एनआईईपीआइ ार्यन्प दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अधिदेशों (यूएनसीआरपीडी), विधायी ां तव्यांगजनों के लिए प्रख्यापित राष्ट्रीय नीति के अनुसार नियोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन करण्थान, (एनआईईपीआईडी) का मुख्यालय सिकंदराबाद, तेलंगाना में है। इस संस्थान में छह विभाग हैं य स्वतेवन, सामुदायिक पुनर्वास तथा परियोजना प्रबंधन, पुस्तकालय तथा सूचना सेवाएं, चिकित्सा विज्ञान, पु विज्ञौर विशेष शिक्षा। एनआईईपीआईडी के तीन क्षेत्रीय केंद्र नोएडा, कोलकाता और नवी मुंबई, प्रत्येक में एनपीआईडी का एक माडल विशेष शिक्षा केंद्र (एमएसईसी) नोएडा में है। एनआईएमएच का अपना स द्र गं, सिक्किम राज्य में हैं। इस संस्थान की प्रमुख गतिविधियोंको प्रशासनिक अनुभाग से सहयोग प्राप्त है।

### एनआईएमएच के उद्देश्य

- मानसि जन्सेवाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधनों का विकास तथा श्रम शक्ति का सृजन
- देश में विान के देखरेख तथा पुनर्वास के लिए उपयुक्त मॉडलों का विकास करना
- भारती के उपयुक्त मानसिक विकृति जन के देखरेख तथा पुनर्वासन के लिए उपयुक्त मॉडल स ।
- मानसि वितन के क्षेत्र में स्वंयसेवी संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- मानसि शनत्र में दस्तावेज एवं सूचना केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करना।

- ग्रामीण तथा निम्न आय श्रेणी, तथा जरूरतमंद लोगों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाओं का विकास
- मानसिक रिटार्डेशन के क्षेत्र में विस्तार तथा आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन

यह संस्थान मानसिक मन्दता, समुदाय–आधारित पुनर्वास, पुनर्वास चिकित्सा विज्ञान, आरंभिक हस्तक्षेप और पुनर्वास मनोविज्ञान के क्षेत्र में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करता है। विभिन्न स्तरों पर विशेष शिक्षकों की आवश्यकता के मद्देनजर, संस्थान विशेष शिक्षा में बी.एड. कार्यक्रम भी संचालित करता है। यह विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में एम.फिल. कार्यक्रम का भी संचालन करता है जो मानसिक मंदता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए छात्रों को तैयार करता है। एम.फिल. (पुनर्वास मनोविज्ञान) कार्यक्रम से ऐसे व्या वसायिकों को तैयार किया जाता है जो मानसिक मन्दकता से ग्रस्त व्यक्तियों को व्यांपक सेवाएं प्रदान कर सकें।

मानसिक मन्दाता से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्य को आरंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के माध्यम से किया जाता है, जैसे–फिजियोथेरेपी/ऑर्थो, बायोकेमिस्ट्री, स्पीच एंड ऑडियोलॉजी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, व्यवहार आशोधन, माता–पिता को परामर्श प्रदान करना तथा व्यावसायिक आकलन–संबंधी सेवाएं आदि। यह संस्थान पुनर्वास एवं देखरेख के लिए मॉडल भी विकसित करता है। संस्थान में एक विशेष शिक्षा केन्द्र (एसईसी) भी है जो संस्थान के मानव संसाधन विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। विशेष शिक्षा केंद्र की स्थापना सेवा–पूर्व और सेवा–कालीन प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक परिदृश्य उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त संस्थान नई दिल्ली में इसी प्रकार का एक मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र भी संचालित करता है जो नोएडा और नई दिल्ली से कार्य करता है। दोनों ही केन्द्र मानसिक मंदता की भिन्न–भिन्न मात्राओं से ग्रस्त बच्चों सहित 3 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का पंजीकरण करते हैं।

ऐसे बच्चों के अभिभावकों को, जो दूरस्थ स्थानों से आते हैं और संस्थान की सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, संस्थान के परिसर में पारिवारिक कुटीर उपलब्ध कराए जाते हैं जहां गृह–आधारित प्रशिक्षण और प्रदर्शनों के लिए कार्यक्रम योजना प्रदान की जाती है। इन कुटीरों में अपने प्रवास के दौरान, अभिभावकों को यह अवसर प्राप्त होता है कि वे अपने रोजमर्रा के कामों से दूर रहते हुए बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। इसके अतिरिक्त, एनआईईपीआईडी ने विभिन्न जांच उपकरणों, जागरूकता सृजन सामग्रियों और प्रबंधन पैकजों को विकसित किया है, जिनका देश में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

वयस्क स्वतंत्र जीवन विभाग (डीएआईएल) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार प्लेसमेंट की सेवाओं के माध्यम से मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के पुनर्वास को प्रोत्साहित करती है। मानसिक मंद वयस्कों को जैनेरिक कौशलों तथा विशिष्ट कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और तत्पश्चात ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाएं व्यावसायिक कार्यों, मार्गदर्शन, काउंसलिंग तथा वर्कस्टेशनों के रूप में प्रदान की जाती हैं। वर्कस्टेशन प्रशिक्षण के उत्पादों जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोकॉपिंग, स्टेशनरी उत्पादों (राइटिंग पैड, फाइल पैड आदि) तथा ऑफसेट प्रिंटिंग का प्रयोग संस्थान द्वारा आंतरिक प्रयोग के लिए किया जाता है। अन्य उत्पादों जैसे ग्रीटिंग कार्ड, ग्लास पेंटिंग, सॉफ्ट टाय, क्राफ्ट वर्क आदि को आगंतुकों और स्टाफ के सदस्यों द्वारा खरीद लिया जाता है। इन लेनदेनों से होने वाली आय को प्रशिक्षु क्लाइंटों को वापस कर दिया जाता है जो कि उनके प्रयासों की प्रतिपूर्ति स्वरूप है।

इस संस्थान के पास बौद्धि ता संबंधित क्षेत्रों में 14000 से अधिक पुस्तकों और जर्नलों के संग्रह वाला एक सुसज्जित पुस्तकालय है। ीअने आज की तिथि तक 98 मौलिक प्रकाशन किए हैं। संस्थान इंटरनेट के माध्यम से जर्नल आर्टिकलो कॉप्लब्ध कराता है, एनआईएमएच के प्रकाशनों, वीडियो कैसिटों तथा फ्लापियों का वितरण करता है, नैमी प्र सेप्रदान करता है, तथा इंटरनेट के माध्य,म से रीडिंग सूची तथा समाचारपत्रों की क्लिपिंग और सूचना से कर।

संस्थान वर्ष 2016–17 में 7 न ग्मों का संचालन कर रहा है। संस्थान बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर लोगों के लिए 60- कालार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। प्रति वर्ष सामान्य सेवाओं के अंतर्गत औसतन 9000 से अधिक ों त000 हजार फौलो अप मामलों को देखा जाता है। संस्थान प्रति वर्ष एक राष्ट्रीय अभिभावक बैठक, अकि बैठकों और एक विशेष कर्मचारी राष्ट्रीय बैठक का आयोजन करता है। एनआईईपीआईडी प्रत्येक व क्षेत्रागों में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

एनआईईपीआईडी मानसिव से ग्र्यक्तियों एवं उनके कल्याण अनु.जा. / अनु.जन.जा. अभिभावकों के लिए भी गहन कार्यक्रमों का आयोज है। ार्यक्रम में शामिल हैं :–

- अनु.ज न.र संबंधित मानसिक मन्दाता से ग्रस्त व्यक्तियों को कंप्यूटर सहयोगी निदेश (सीए थ ल्क लैपटापों का वितरण।
- सीएअ पर ा / अनु.ज.जा. से संबंधित व्यावसायिकों को प्रशिक्षण।
- अनु.ज .जासंबंधित दीर्घ अवधि के पाठयक्रमों के छात्रों को पाठयक्रम शुल्क, छात्रावास शुल्क तथााप की प्रतिपूर्ति।
- मानसि से व्यक्तियों को यात्रा भत्ता, अध्यापन शुल्क, यूनिफार्म तथा पुस्तकों की प्रतिपू

एनआईईपीआईडी ने संर र्गाायों पर एक सीडी विकसित की है, जिसे देश के विभिन्न भागों में एनआईईपीआईडी द्वारा वि कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया गया है। उपर्युक्त सीडी के अतिरिक्त, एनआईईपीआईडी ने अनेव यर / वीडियो फिल्में भी विकसित की हैं जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक महत्व की हैं। री लेशन के माध्यम से मानसिक मंदता वाले बच्चों में अत्यधिक सुधार लाया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यते र्ष के दौरान एनआईएमएच द्वारा मल्टी सेंसरी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। एनआईईपीअ वेब (www.nimhindia.gov.in) को आशोधित किया गया है ताकि फ्लैश चित्रों के द्वारा उसे नया रूप प्रद ा और दिव्यांगजनों को सहिष्णु बनाया जा सके। संस्थान ने हिन्दी में भी अपनी वेबसाइट को विकसित कि

## केयर एसोसिऐट प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीएटीपी)

दिव्यांगजनों को लगातार देखभाल एवं पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए एनआईईपीआईडी ने वर्ष 2016–17 के दौरान 3 मास की अवधि का केयर एसोसिएट प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीएटीपी) आरम्भिक प्रशिक्षण (बौद्धिक दिव्यांगताएं, स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार, प्रमास्तिश्क घात एवं बहु–प्रकारीय दिव्यांगताओं इन के परिवारों, संस्थानों, स्कूल एवं अस्पताल, एनजीओ आदि) कार्यक्रम किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देखभाल प्रशिक्षण उपलब्ध तथा की अत्यधिक आवश्यकता वाले स्वलीनता रोगियों की सहायता के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना है। इस पाठ्यक्रम के भाग के रुप में प्रशिक्षुओं को आईडी, स्वलीनता, प्रमास्तिश्क घात, एवं बहुप्रकारीय दिव्यांगताओं वाले बच्चों की देखभाल के दिशा निर्देश दिए जाते है।

## संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, देवनगिरी

मंत्रालय ने देवनगिरी, कर्नाटक में संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया तथा विभिंन स्तरों पर 19 पद स्वीकृत किए गए। तदनुसार, एनआईईपीआईडी, ने कर्नाटक सरकार द्वारा आवंटित–भवन का अधिग्रहण कर लिया संस्थान द्वारा संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने स्टाफ की भर्ती करने का कार्य किया जा रहा है।

**दीप प्रकाश–एमए**

दीप प्रकाश, 17 वर्षी निको एनआईईपीआईडी मॉडल स्पेशल एजुकेशन सेंटर (एम में किरके, हिट करके, ग्लासों को तोडने, छीन–झपटी, बडों क सुननरे बच्चों को मारने आदि की व्यवहार संबंधी शिकायतों के या था। बहु अनुशासनिक टीम द्वारा पूरे आकलन के पश्चात न त की अल्प बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त पाया गया। उसे पीएमएसइसी में सितम्बर 2014 में प्रि–वोकेशनल प्रभाग ल गया। अपनी व्यवहारगत समस्याओं के कारण वह पढाइ य धियों में ध्यान केन्द्रित नहीं पाता। लगातार प्रशिक्षण के बादन स्वयं को अनुकूल बना लिया और उसमें सुधार दिखाई । शिक्षकों ने पाया कि वह चित्रकला एवं कम्प्यूटर परिचालन में विशेष रुचि दिखा रहा है। इन कलाओं में प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया गया। लगातार प्रयासों के कारण उसने स्कू एल्प के विभिंन क्षेत्रों में सुधार दिखाया। उसने स्कूल स्तर की अनेक चित्रकला प्रतियोगि ग और ओवला केन्द्र में आयोजित भारत के पर्वों पर आठवी वार्षिक चित्रकला प्रतियोगित प्रथस्कार प्राप्त किया। उसने मोइक चित्रकारी की और अनेक पुरस्कार जीते उसने वायुसेन यंर्तल द्वारा आयोजित अंतर विद्यालय कार्यक्रम में कम्प्यूटर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम प्राप्ता। दसवी कक्षा की परीक्षा के लिए उसका पंजीकरण एनआईओएस के साथ हुआ और भी एं सफलतापूर्वक दी। वह एफ–टेक कम्प्यूटर एजुकेशन कार्यक्रम मालवीय नगर, नई म क्यूटर संस्थान में भी पंजीकृत हुआ और एमएस ऑफिस एवं एमएस एक्सेल प्रमाणपत्र को ता पूर्वक पूर्ण किया। हम उसके उज्जवल भविश्य की कामना करते हैं।

माननीय मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत द्वारा 18 अक्टूबर, 2016 को नागदा, मध्य प्रदेश में टीएलएम के किटों का वितरण करते हुए

श्री कृष्णपाल गुर्जर राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता भारत सरकार, का दिनांक 04.09.2016 को क्षेत्रीय केन्द्र कोलकाता का दौरा

## 7. राष्ट्रीय बहु–तता जन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीएमडी) चैन्नई

भारत सरकार के दिव्यांगजकर्भाग, सामाजिक न्यासय एवं अधिकारिता मंत्रालय, के अधीन राष्ट्रीय बहु विकलांगता सशक्तिकरण रनअएमडी) की स्थापना मुटुकाडू जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु में वर्ष 2005 में बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियकेके लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। एक से अधिक दिालेतयों को निःशक्तजन अधिनियम, 1995 में किए गए उल्लेख तथा राष्ट्रीय न्यास (1999) अधिनियम र अकता आधारित पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। देश में सेवाओं की उपलब्धतता में कमी को ध्यते हु संस्थान की स्थापना समूह भावना के माध्यम से अंतर्वेशन की सुविधा, बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों र केक्तिकरण का सुनिश्चिय किए जाने के मिशन को ध्यान में रखकर की गई थी।

### उद्देश्यों का सारांश

- बहु–दिालेतयों के लिए प्रबंधन हेतु मानव संसाधनों का विकास, प्रशिक्षण, पुनर्वास, शिक्षा, एवंजिक विकास को विकसित करने का कार्य ।
- बहु दि संब्सभी क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य कराना एवं उसका संर्वधन।
- सामार्लिस लेए अनुशासात्मक मॉडलों एवं नीतियों को विकसित करना तथा बहु दिव्यांग्यक्किे विभिंन समूहों की आवश्कताओं की पूर्ति करना।
- बहु दि के ोवाओं एवं आउटरीच कार्यक्रमों को कराना।

दिव्यांगजनों को, जीवन कार ोवन व्यतीत करने का समान अधिकार है। ऐसा, प्रतिबद्ध व्यवसायिकरण सुगम्य वातावरण, समान अकार सोच तथा उपयुक्त, वहन करने योग्य, स्वीकार्य एवं उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप से प्राप्त किया जा

ऐसा, आवश्कता आधारित ुनवोम प्रस्ताव सरलीकरण समावेश, बहु दिव्यांगजनों एवं उनके परिवारों का सशक्तिकरण सुनिश्चित अ वं िपर आधारित प्रमाणीकरण उपलब्ध कराके संभव हो सकता है।

बहु दिव्यांगता वाले व्यक्ति वन को ग्राहकों, परिवारों, व्यावसायिक एवं सामुदायिक एजेसिंयों के समान सहभागिता से उन्नत किया है

### प्रदत्त सेवाएं

- चिकित्क्षेप करल
- शीघ्र हाएं
- शारीरि पु

- फिजियोथैरेपी
- व्यवासायिक थैरेपी
- संवेदी इन्टीग्रेशन थैरेपी
- विशेष स्कूल
- प्रोसथिटिक्स एवं ओर्थेओइक्स
- इन्क्लूसिव प्रिपेटरी स्कूल
- अभिभावक सशक्तिकरण कार्यक्रम
- आडियोगत विकास
- वाक् एवं भाषा हस्तक्षेप
- मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप
- मार्गदर्शन एवं परामर्श
- विशेष शिक्षा सेवाएं
- प्रौढ स्वतंत्र जीवन चर्चा कार्यक्रम
- मोबाइल सेवाएं
- डे–केयर सेंटर
- व्यवसायिक प्रशिक्षण
- स्मुदाय / आउटरीच कार्यक्रम
- सहायक यंत्रों एवं उपकरणों का वितरण
- परिवार काटेज सेवाएं
- प्रलेखीकरण प्रसार सेवाएं
- विश्राम देखभाल सेवाएं
- टोल–फ्री हैल्पलाइन

संस्थान में एचआरडी, आर एंव डी एवं सेवा केन्द्र कार्यक्रमों को चलाने के लिए निम्नलिखित विभाग स्थापित किए गए हैः

- ➢ शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग
    - शीघ्र हस्तक्षेप
    - फीजियोथैरेपी
    - ओक्युपेशन थेरेपी
    - प्रॉसथैटिक एवं आर्थोटिक्स

- ➤ क्लीनि विज्ञभाग
- ➤ विशेष ाग
    - ालय शिक्षा
    - धि
    - ष्क
    - नतट्रम विकार
    - बहु गताएं
- ➤ वाक्, सप्रेशभाग
- ➤ प्रौढ स नचभाग
- ➤ सामा विभ
- ➤ सूचना ेकभाग

डा. विनोद अग्रवा , सारत सरकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मं 08 2016 को सेवा गतिविधियों की समीक्षा और वृक्षारोपण करते हुए।

श्री थावरचन्द गेहलोत, केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, ने सिहंस्थ कुंभ मेला, उज्जैन, मध्य प्रदेश में मेले के दौरान 07 मई, 2016 को एनआईईपीएमडी स्टाल का दौरा करते हुए

नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन इन री हैबिलेशन (एनबीईआर) –
आरसीआई की 08 से 09 जून, 2016 की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम समन्वयक बैठक

बहु–दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के समग्र प्रबंधक पर स्वास्थी प्रिमियम,
उडिसा में 31 अगस्त से 01 सितंबर, 2016 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन

## सफलता की कहानी

**नामः मास्टर मोहम्मद**

सुपुत्रः मोहम्मद सादिक

2 वर्ष 10 माह, पुरूष, बै निव्चैन्नई

**पूर्व इतिहासः** मास्टर सा्कि वर्ष 6 माह की आयु में सक्रिय एवं मिलनसार लड़का क्यूत्र थैरेपी से संबंधित समस्याओं की जांच के विस्तृत मूल्यांव यूपे थैरेपी विभाग में आया।

दिव्यांगताः विकास में दे

**हस्तक्षेपः**

पहचान की गयी मुख व्ययेक प्रदर्शन घटक निवल मोटर, फाइन मोटर, पूर्व लिखि ज्ञाफ–बौधात्मक कौशल, विजवोमोटर कौशल, एडीएल स्वः दे शल स्वयं खाना एवं खेल कौशल आयु के अनुसार नहीं है।

व्यावसायिक थैरेपी यू मने, उसके ऊपर उल्लिखित कार्यात्मक दोशो के लिए व्यक्तिमूलक व्यावसायिक थैरेपी दी।

- न्यूात्मपी (एनडीटी)
- प्रो व नांसपेशीय फेसिलिटेशन (पीएनएफ)
- रू च
- बा ल च
- ब उदी
- हैं थैपादि तथा आवश्यकता के आधार पर अन्य विविध ओटी तकनीकी

**प्रबंधन**

हस्तक्षेपों के माध्यम से नि कौशल जैसे ऊपरी अंग–समीपस्थ स्थिरता, जिहा नियंत्रण कौशल, उत्तम मोटर कौशल में क से सुधार हुआ है। इन कौशलों के द्वारा इसके हस्तकार्य कौशल जैसे पहुंच, पकड, उठाना, धी नों में भी संतोशजनक विकास हो रहा है। ऐसा उसके लेखन कौशल अर्थात घसीटने, दिये में रना, सहायता सहित छपाई करना आदि में दिखाई देता है। वह अपने आप बहुत देर तक बैठ स तथा गेंद फेकने, पैग बोर्ड खेलों, ज्ञानात्मक बोधात्मक कौशल में भी प्रदर्शन कर पाता है। क थेहस्तक्षेप प्रणाली से वह स्वतंत्र रूप से रेंगते हुए धरती से बिस्तर एवं बिस्तर से धरती आदि के र गति कौशल में भी सुधार हो रहा है। वह अपने कार्यों को करने में, मूलभूत स्व देखभाल जनैसे खाद्य सामग्री प्रबंधन, पानी की बोतल को पकड़ना, और कम से कम सहायता लेकर क पीदि के कार्य कर रहा है। उसकी आयु उनके उपयुक्त विकास के लिए अभिभावकों को उपयुक दिया।

## सफलता की कहानी

**नामः जी.सुरथा**

सुपुत्रः श्री गोथनदम

22 वर्षीय थयार, कैलंबकम, चैन्नई, निवासी

**पूर्व इतिहासः**

वह अपने परिवार का 02 वर्षीय पुत्र है। उसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है और उसकी हृदय शल्य चिकित्सा भी हुई है।

दिव्यांगता का कारणः उसकी वाक् कठिनाई स्थिति से संबंद्ध औसत बौद्धिक दिव्यांगता के रूप में पहचान की गई।

**हस्तक्षेपः**

उसने 11 जून, 2012 को एनआईईपीएमडी से संपर्क किया। उसका मूल्यांकन बहु–अनुशासनीय टीम द्वारा किया गया और स्वतंत्र जीवन कौशल विकसित किया। इसके बाद उसे प्रौढ़ स्वतंत्र जीवन विभाग में अग्रेशित किया गया। जहां एक विस्तृत व्यावसयिक प्रशिक्षण तैयार किया गया और व्यक्तिगत कौशल, घरेलू कौशल, सुरक्षा कौशल, शिक्षा ओरिएंटेशन और गतिशीलता, कार्य व्यवहार, कार्यात्मक शैक्षणिक कौशल का प्रशिक्षण दिया गया और निम्नलिखित व्यक्तिगत योग्यताओं और क्षमताओं की पहचान की गई और उसमें प्रशिक्षित किया।

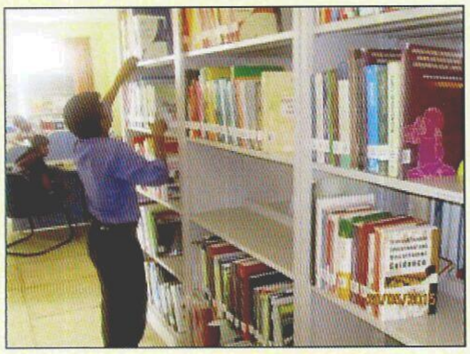

तीन वर्ष की अवधि के भीतर वह व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सहायता से सुचारू प्रशिक्षण द्वारा सफलता के मार्ग पर पहुंचा। निजी स्वच्छता कौशल में प्रशिक्षण पर अधिक महत्व दिया गया। जो परिवार और समुदाय के सदस्यों में तत्काल स्वीकार्य है। उसके वर्तमान कौशल, को देखते हुए पुस्तकालय में किताबों को साफ रखने और क्रम में रखने के लिए पुस्तकालय सहायक के रूप में कार्य करने, पुस्तकालय की पुस्तकों को प्रतिदिन व्यवस्थित करने, दैनिक समाचार पत्रों से महत्वपूर्ण समाचारों को कार्यालय उद्देश्य से काट के रखने, दैनिक समाचार पत्र को व्यवस्थित रखने के उनके कौशल को देखते हुए वर्तमान में वह वर्तमान में वह एसएसएन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, तिरपुरूर, कांचीपुरम में अन्य माननीय स्टाफ सदस्यों के साथ कार्य कर रहा है।

## ुक्त क्षेत्रीय केन्द

निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 199 हे परिणामस्वरूप जो सरकार के ऊपर दिव्यांगजनों के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए ानेउत्तरदायित्व देता है, संयुक्त क्षेत्रियों केन्द्रों को स्थापित किए जाने की योजना तैयार की गई। संयुक्त न्द्रोस्थापित किये जाने की योजना देशभर में दिव्यांगजनों तक पहुंचने की संपूर्ण नीति का एक भाग है। ककतन्न करने, पुनर्वास व्यावसायिकों को प्रशिक्षण, सेवा सुपुर्दगी इत्यादि के लिए केन्द्रीय, राज्य तथा जि औरलें स्तरों पर आवश्यक अवसंरचना और क्षमता निर्माण के सृजन को सुविधाजनक बनाया है। यह कि स सेवाओं को स्थापित किए जाने की प्रक्रिया की गति को बढ़ाने के लिये और राष्ट्रीय संस्थानों, क्षेत्रिय वं ण केन्द्रों डी.जी.आर.सी. इत्यादि द्वारा विकसित सेवाओं के नवीन माडल का राज्य सरकार से भागीद औक्त लोगों जिन तक नहीं पहुंच पाए तक पुनर्वास सेवाओं को स्थापित, सुदृढ़ एवं प्रोन्नत करने के निभी करना। उन स्थानों पर जहां दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं वर्तमान अवसंरचना मे थी जहां ऐसे केन्द्रों को स्थापित किये जाने की अति आवश्यकता थी में केन्द्रों को स्थापित किये जाने का प्र

### चल रहे संयुक्त क्षेत्रिय के

वर्तमान मे 12 संयुक्त क्षे सुन्दर (हिमाचल प्रदेश) श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) लखनऊ (उत्तर प्रदेश), गुवहाटी (असम), पटना भो(मध्य प्रदेश), अहमदाबाद (गुजरात), कोझीकोड (केरल), राजनंदगांव (छत्तीसगढ़), नैल्लोर (आंध्र कर्नाटक) तथा नागपुर (महाराष्ट्र) में कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय संस्थानों / संयुक्त न्द्रों चलाये जा रहे लंबी अवधि के पाठ्यक्रमों (एक अथवा एक से अधिक वर्ष की अवधि) का विवरण **अनुल** **(पृ. 285)** उपलब्ध है।

# विभाग की विशेष उपलब्धियां एवं नये अवसर

**11**
**अध्याय**

## 11.1 सुगम्य भारत अभियान

### सुगम्य भारत अभियान

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द मोदी ने 03 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान प्रारंभ किया जिससे कि भवन वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौधोगिकी (आईसीटी) पर्यावरण प्रणाली में दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता सृजित की जा सके। अभियान दिव्यांगता के इस सामाजिक मॉडल के सिद्धांत पर आधरित है कि दिव्यांगता इस कारण कि समाज को संगठित किया जा सके न कि व्यक्ति की सीमाओं और बाधाओं को। शारीरिक, सामाजिक, ढाचागत एवं दृश्टिकोण मूलक बाधाएं दिव्यांगजनों को–सामाजिक--सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में समान भागीदारी को सुकर बनाना है और स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण जीवन को बढावा देता है। अभियान का विजन एक समावेशी समाज विकसित करना है जिसमें दिव्यांगजनों को वृद्धि एवं विकास के समान अवसरों की व्यवस्था हो ताकि वे उत्पादक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन की और अग्रसर हो सकें।

### (I) निर्मित वातावरण की सुगम्यताः

i. 50 शहरों में कम से कम 25--50 अति महत्वपूर्ण भवनों का सुगम्यता ऑडिट पूरा करना और उन्हे प्रथम चरण में जुलाई 2016 तक पूर्णत सुगम्य बनाना।

संशोधित समय अवधिः दिसम्बर 2017

ii. द्वितीय चरण में जुलाई 2018 तक राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्य राजधानियों के 50 प्रतिशत सरकारी भवनों को पूर्णत सुगम्य बनाना

संशोधित समय अवधिः दिसम्बर 2018

iii. लक्ष्य (i) और (ii) में कवर न किए गए राज्यों के 10 अति महत्वपूर्ण शहरों / कस्बों को तृतीय चरण में जुलाई 2019 तक पूर्णत सुगम्य बनाना

संशोधित समय अवधिः दिसम्बर 2019

**(II) परिवहन प्रणाली :**

(i) दिसम्ब तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का सुगम्यता ऑडिट पूरा करना और उन्हें पूर्णत सुगम्य

(ii) मार्च, सरेलू हवाई अड्डों का सुगम्यता ऑडिट पूरा करना और उन्हें पूर्णत सुगम्य बनाना

(iii) दिसम्ब तक ए1, ए एव बी श्रेणी के स्टेशनों को सुगम्य बनाना और सभी स्टेशनों में से 50 प्रतिश को 2018 तक पूर्णत सुगम्य बनाना

(iv) मार्च, सा स्वामित्व के सार्वजनिक परिवहन कैरियरों में से 10 प्रतिशत को पूर्णत सुगम्य

**(III) नॉलेज और आ को म की सुगम्यताः**

(i) मार्च, केऔर राज्य सरकारों की कम से कम 50 प्रतिशत वैबसाइटों द्वारा सुगम्यता मानक ा। 2018 तक प्रलेखों के कम से कम 50 प्रतिशत सार्वजनिक प्रलेखों द्वारा सुगम्य पूरे।

(ii) मार्च, 20 रिक्त संकेत भाषा दुभाषियों को प्रशिक्षित करना और विकसित करना। (iii) सार्वज विज्माचार–जुलाई, 2016 तक कैपशनिंग और संकेत भाषा व्याख्या पर राष्ट्रीय मानक रन अंगीकरण करना। मार्च, 2018 तक सरकारी चैनलों पर कम से कम 25 प्रतिश िक वेजन कार्यक्रमों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करना।

**(IV) सुगम्य भारत अ ी ब्धियां**

(i) राज्य द्वारा भवनों की पहचान की गयी जिसमें से 1637 भवनों की लेखा परीक्षा का कार्य कों पूरा कर लिया गया।

(ii) राज्य प्रेक को 1293 सुगम्यता लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

(iii) निःशव मानसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, (सिपडा) योजना के अंतर्ग नों स्ताव प्राप्त हुआ है तथा 225 भवनों के लिए 4061.49 लाख रू. की राशि की स्वीकृ की ग

(iv) विभाग ने मुबंई, अहमदाबाद, जयपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, चैन्नई एवं रांची में जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें सुगम्य भारत अभियान के विभिन्न पहलुओं पर अंर्तदृष्टि डाली गयी। यह दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मिलित करने की सार्वभौमिक सुगम्यता की प्राप्ति की यात्रा में विभिन्न स्टेकहोल्डरों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व पर गहन विचार विमर्श सहित इनकियोन रणनीति निदेशों की पुष्टि में है।

(v) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 39 भवनों को रैलिंग सहित रैंप, दिव्यांगता अनुकूल शौचालय, वाक् एवं दृश्य संकेत तथा बहु–मंजलीय भवनों के मामले मे लिफ्टों में ब्रेल बटन सहित सुगम्यता उपलब्ध करायी गयी।

(vi) **हवाई अड्डें**

32 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से 25 हवाई अड्डों में रैंप, सुगम्य शौचालयों, ब्रेल संकेतों एवं आडिटरी संकेतों सहित लिफ्टों के सुगम्य मानक उपलब्ध कराये गये। घरेलू हवाई अड्डों में दिसंबर, 2017 तक सुगम्यता मानक उपलब्ध करा दिये जायेगे। तथा दिव्यांगजनों के लिए हैल्प डेस्क का प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) **रेलवे स्टेशन**

| स्टेशनों के प्रकार | ए1 | ए | बी | कुल |
|---|---|---|---|---|
| स्टेशनों की कुल संख्या | 75 | 332 | 302 | 709 |
| सुगम्य बनाए गए स्टेशनों की संख्या | 75 | 305 | 221 | 601 |

(viii) अन्य सभी ए1, ए एवं बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों में 31 मार्च, 2017 तक अल्प अवधि सुगम्यता सुनिश्चित की जायेगी जिसमें रैलिंग सहित रैंप, दिव्यांगों के लिए पार्किंग, पार्किंग से भवन तक न फिसलने वाला पथ, संकेत चिहन, पीने के पानी की सुविधाएं, भूतल पर सुगम्य शौचालय एवं ''मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ'' बूथ की स्थापना शामिल हैं।

(ix) लंबी अवधि के सुगम्यता मानक जिसमें अंतर प्लेटफार्म स्थानांतरण एवं प्लेटफार्म की टैक्सटाइल फ्लोरिंग, शामिल है।

**अन्य उपलब्धियां**

(I) सड़क एवं मार्ग मंत्रालय ने राज्यों एवं उपक्रमों के संगठनों के कार्यकारी निदेशकों को निदेश दिये हैं कि वे मार्च, 2018 तक सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक परिवहन का 10 प्रतिशत दिव्यांगजनों के लिए पूर्णतः सुगम्य बनाना सुनिश्चित करें।

(ii) सड़क एवं मार्ग मंत्रालय ने सितंबर, 2016 में बस बाडी कोड अधिसूचित किया जिसमें दिव्यांगों के प्रावधान किया गया है, जिसमें दो चरणों में, अर्थात 01.01.2017 से प्रथम चरण एवं 2018 से दूसरा चरण का कार्यान्वयन लागू है।

(iii) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सभी जिला कलैक्टरों / जिलाधीशों को जनवरी, 2016 में निदेश जारी किए जिनमें दिव्यांगजनों के लिए एमपीएलएडी अनुकूलता के अंतर्गत भविष्य में टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन आवश्यक बनाने के लिए तथा एमपीएलएडी के अंतर्गत तैयार वर्तमान टिकाऊ परिसंपत्तियों में रेट्रोफिटिंग कार्य को अनिवार्य किया गया है।

(iv) पांच संस्थाओं, अर्थात समर्थ्यम, मुरूगकर, अरूशि सामर्थयम एवं सुगम्य वातावरण राष्ट्रीय केन्द्र, श्री सुभाष वशिष्ठ सुश्री अनीता नारायण को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए पैनल में लिया गया। सुगम्य अभियान के अंतर्गत प्रत्येक के द्वारा 100 सुगम्य लेखा परीक्षो को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी किया गया।

(v) विशाखापत्तनम, मुंबई और नई दिल्ली में तीन कार्यशालाओं का आयोजन क्रमशः 05.01.2017, 11.01.2017, और 18.01.2017 को किया गया जहां दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सीपीएसयू को इंपुट उपलब्ध कराये।

(vi) भारतीय मानक ब्यूरो ने सूचित किया कि संशोधित राष्ट्रीय भवन कोड में दिव्यांगता पक्षों को शामिल किया गया है।

(vii) स्कूल शिक्षा विभाग ने सूचित किया कि सुगम्यता लैंस से प्राइमरी स्तर पर संशोधित पाठयक्रम की रूपरेखा विकसित कर ली गयी है । दिव्यांग बच्चों की सुगम्यता के संबंध में एक विस्तृत दिशानिर्देश विकसित किया गया ।

(viii) सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के लिए सरकार के सुगम्य भारत अभियान को पूरा करने के अगले अध्याय के रूप में विभाग ने प्रिंट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए ऑनलाईन सुगम्य पुस्तकालय आरंभ किया। दृष्टिबाधितों छात्रों के लिए उच्च स्तर की टैक्टाइल मानचित्र पुस्तक प्रकाशित की गयी। डेजी (डिजिटल एक्सेसिबल इन्फारमेशन सिस्टम) में मानचित्र पुस्तक का आडियो हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में विकसित किया गया।

(ix) संकेत भाषा पर एक माडयूल विकसित करने के लिए एक टॉस्क फोर्स स्थापित की गयी।

(x) सितम्बर 2016 तक 98 संकेत भाषा दुभाषियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा अन्य 200 को नये स्थापित भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा मार्च, 2018 तक प्रशिक्षित कर दिया जाएगा।

(xi) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य सरकार की 917 वेबसाइटों का कार्य आदेश ई आर एन ई टी इंडिया को दिनांक 28.12.2016 को जारी किया जो मई, 2017 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। वित्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 19.11.2015 के परिपत्र द्वारा सभी विभागों को निदेश जारी किया कि वे अपनी वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए उपयुक्त बजट आवंटित करे।

(xii) आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि संबंधित मंत्रालय/विभागों को पब्लिक कार्यालय एवं वेबसाइटों की सुगम्यता उनके निजी बजट से करानी है।

(xiii) एमइआईटीवाई ने सूचित किया कि सरकारी अधिसूनाओं/परिपत्रों आदि को सुगम्य बनाने, उन्हें ईपीयूबी अथवा ओसीआर आधारित पीडीएफ में डालने का, तथा खरीद के लिए आरएफपी में सुगम्यता के अनुपालन पर एक धारा को शामिल करने का निदेश जारी किया गया है ।

(xiv) एमईआईटीवाई ने आगे सूचित किया कि कन्टेन्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत 100 सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाना अनिवार्य है। 56 मंत्रालय/विभाग सी एम एफ की ओर आगे बढ गये है, अब तक 30 वेबसाइटों को जीवन्त कर दिया गया है तथा 26 वेबसाइटें अगले तीन मास में आरम्भ हो जायेगी।

(xv) विज्ञान एवं तकनीक विभाग (डीएसटी) ने सूचित किया कि इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की विषय वस्तु दिव्यांगता है।

(xvi) इस विभाग की राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत सुगम्यता पुरस्कारों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

(xvii) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 9 अगस्त, 2016 को दिशानिदेश जारी किये गये कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सभी सामुदायिक शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के अंतर्गत किया जाए। इसके संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा एक हैंडबुक जारी की गयी।

(xviii) **राइड 4 सुगम्यता** "राइड 4 एन एक्सेसिबल इंडिया" पर दिनांक 24.7.2016 को इंडिया गेट, लोदी गार्डन बसन्त कुंज तथा साउथ एक्सटेंशन पर एक मोटर साइकिल रैली आयोजित की गयी, जिसमें 600 से अधिक मोटर बाइक सवार तथा 6000 युवाओं छात्रों ने भाग लिया। माननीय श्री थावरचन्द गेहलोत, केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ने रैली का उदघाटन किया। मानव संसाधन

विकार ननी प्रकाश जावेडकर, तथा विज्ञान एवं तकनीक मंत्री, माननीय डा0 हर्शवर्धन, सामाि एवकारिता राज्य मंत्री, माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर तथा समाज सेवक एवं अभिने क ाय भी समारोह में उपस्थित हुए। सुगम्य भारत अभियान के प्रति आम जन समूह कर लिए कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोकप्रिय रंगमंच समूह कड ? तथा 'रंगरेज' रॉक बैंड के प्रदर्शन का आयोजन भी हुआ। सभी केन्द्रीय पुलिस ी पदाधिकारियों को नामित करके तथा अपना बैंड उपलब्ध करवाकर अपना सहयो ास समारोह को रंगीन बना दिया।

अभियान न केवल जनेतु उन सभी युवाओं और वृद्वों, जो इस अभियान में भाग लेने के लिए शामिल हुए, में उल्लास जनें सफल करा। अभियान की मीडिया रणनीति सतर्कता से इस उद्देश्य के साथ तैयार की के बनाने वालों तथा सामान्य व्यक्तियों में सुगम्यता को जागृत किया जा सके तथा वे अपने अ के वण में बाधामुक्त वातावरण तैयार कर सके। अभियान का उद्देश्य युवाओं और छात्रों को औ र ाभियान का हिस्सा बनाना भी रहा।

## 11.2 शोध और वि

दिव्यांगजन सश विने 'दिव्यांगता संबंधी तकनीक, उत्पाद और मुद्दों पर शोध' पर एक नई केन्द्रीय योजना कि जनवरी 2015 में व्यक्तियों और उनके परिवारों के विकास व जीवन चक्र के आधार पर कई सर्विडल व कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य के संग कार्य किया जा रहा है और त ताओं व सहायक उपकरणों के विकास के लिए विज्ञान और तकनीक के अनुप्रयोग के दिव्य से बचाव में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए व दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लि क्षमवरण का निर्माण कर रही है। इस योजना में दो घटक हैं: क. सहायक तकनीक और कारकरणों का शोध व विकास और ख. दिव्यांगता के संबंध में आंकड़ों के अध्ययन/शोध टर्नऔर आवधिक एकत्रीकरण के लिए योजना। राष्ट्रीय संस्थानों, राज्य सरकारों के अंत ों सना के अनुपालन में उनके प्रस्तावों को जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

वर्ष 2016–17 व प्रस्तो पहले चरण में प्राप्त किया गया जिसमें से 3 प्रस्तावों को विभाग के द्वारा अनुमोदित किय ालानआईएमएचएएनएस, बैगलोर नामक एक एजेंसी ने उनके द्वारा ली गई परियोजना को क लिए हस्ताक्षर किए हैं। तद्नुसार, और एनआईएमएचएएनएस के लिए 6 लाख रूपयों की जा गई है। अन्य दूसरी टीआईएसएस, मुंबई नामक एजेंसी करार पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया में है में प्र4 प्रस्तावों के दूसरे चरण में, 2 प्रस्तावों को कुल 23.84 लाख की लागत के संग स्टीयरिंग द्वाराोदित किया गया है।

## 11.3 भारतीय संकेत भाषा प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र की स्थापनाः (आईएसएलआरटीसी)

- सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में भारतीय संकेत भाषा प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है, शुरूआत में विभाग के सहायक के रूप में कार्य कर रही है। इस प्रभाव के आदेश 28 सितंबर 2015 को जारी हो गए है।

- केन्द्र के मुख्य उद्देश्य भारतीय संकेत भाषा में अनुप्रयोग के लिए जनशक्ति का विकास, प्रशिक्षित और अनुसंधान करेगा।

- आईएसआरटीसी का पंजीकरण 01.02.2016 को सोसाइटी के रूप में किया गया। 33 पदों के सृजन के लिए आदेश 06.02.2016 को जारी किया गया। केन्द्र के लिए 33 पदों के अनुमोदन के मुकाबले, 10.12.2016 तक 16 ने पदभार ग्रहण कर लिया है। भारतीय संकेत भाषा व्याख्या में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रथम बैच 15 छात्रों की क्षमता के साथ 28.10.2016 से चालू है। दूसरा बैच 14.12.2016 से शुरू किया गया है। लगभग 6000 शब्दों का संकेत भाषा शब्दकोश बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। आईएसएलआरटीसी भारत में आईएसएल ब्याख्याओं की डायरेक्ट्री बनाने की योजनाबद्ध है।

- केन्द्र वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, 4, विशणु दिगंबर मार्ग, नई दिल्ली–110002 में स्थित है। केन्द्र का कार्यालय परिशर ओखला फेस–2, नई दिल्ली में किराया पर (6700 स्क्वायर फीट) लिया गया है।

- 12वीं पंचवर्शीय योजना के दौरान आईएसएलआरटीसी के लिए बजट आवंटन 25 करोड़ रू. और योजना के अंतर्गत 2016–17 के लिए बीई 3 करोड़ रू. है। 31.12.2016 तक 75 लाख रू. की निधियां जारी की गई है।

## 11.4 समावेशी और सार्वभौमिक डिजाइन के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एनआईआईयूडी):

1. मंत्रालय ने समावेशी और सार्वभौमिक डिजाइन के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एनआईआईयूडी) को स्थापित करने का प्रस्ताव यूनिवर्सल डिजाइन के इंक्लुसिव एजेंडा पर दिया है जो दिव्यांगता से पीड़ित लोगों के द्वारा सुगम्यता के लिए ज्यादा महत्ता के माध्यम से हर किसी के लिए सुगम्य वातावरण पर जोर देगा। इस संबंध में 12वीं योजना अवधि में 40 करोड़ रूपए की एक रूपरेखा भी बनाई जा चुकी है।

2. मंत्राल आईक़ी स्थापना के लिए मार्गदर्शन और समन्वय के लिए यूनिवर्सल डिजाइन के क्षेत्र में आईड्डी की स्थापना के लिए विभाग के सहयोग से प्रतिष्ठित 2–3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान चान प्रक्रिया में है। इंक्लूशिव डिजाइन केन्द्र और सुगम्य पर्यावरण, यूनिवर्सिटी आफ याव पहचान की गई है जिसमें विभाग सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्ष या

## 11.5 दिव्यांगता खे न्द्र

दिव्यांगता हेतु खे द्र स करने का प्रस्ताव है जिनके लिये 12 वीं योजना अवधि हेतु 20.00 करोड़ रूपये आबंटित ि। व में यह विभाग 03 दिव्यांगता खेलकूद केन्द्र की स्थापना पर विचार कर रहा है, जिसमें जीरक ी, राज्य सरकार, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, राज्य सरकार और ग्वालियर, मध्य प्रदेश राज्य भूति कर ली है।

दिव्यांग खेलकूद अतय उत्कृष्टता स्तर के केन्द्र स्थापित करने हेतु परामर्शन सेवायें प्रदान करने और स्थल विशि पनिा तैयार करने हेतु परामर्शदाताओं के चयन करने की प्रक्रिया में है, तीन केन्द्रों को अंतिम जा है।

राष्ट्रीय निधि से बनालिए व्यय का दायित्व पूरा करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक की अध्‍ देव्या सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय निधि प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

## 11.6 राज्य स्पाईन केन्द्र स्थापना पर केन्द्रीय क्षेत्रक योजना

1. विभाग टेट नल इंजरी सेंटर के गठन के लिए एक योजना का निर्माण किया है जिसके लिए जन्क 20 करोड़ रूपए की एक रूपरेखा को बनाया गया है। स्टेट स्पाइनल सेंटर ध्याय्र रूप से मेरूदंड की चोटों के उचित प्रबंधन पर होगा। इस योजना के अंतर्गत संघात क्षेत्रों की राजधानी में जिला अस्पतालों में एक विस्तृत पुर्नवास केन्द्र को बनाया और 12 बेड इसी के लिए होंगे।

2. योजन मार्क को अधिसूचित किया गया है। इस विभाग ने अपने राज्यों में केन्द्रों की स्थाप सज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति मांगी है। अभी तक राजस्थ र उम्मू कश्मीर से प्रस्ताव प्राप्त हुए है और एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर (राजर गमेडिकल कालेज, जम्मू (जम्मू और कश्मीर) में केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रत्येक 2.रोड़ रू. की अनुदान सहायता अनुमोदित की गई है।

3. वर्ष 2016–17 के लिए कुल आवंटित बजट 4.00 करोड़ रू. में से, 31.12.2016 तक आईएसआईसी को 3.50 करोड़ रू. जारी कर दिए गए है।

## 11.7 सार्वजनिक–निजी भागीदारी

1. दी इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर (आईएसआईसी), नई दिल्ली, एक गैर सरकारी संगठन मेरूदंड की चोट से पीड़ित लोगों को और संबंधित रोगियों को एक पूरी तरह से पुर्नवास की सेवाएं प्रदान करता है। इनमें पुर्नरचना सर्जरी, स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन, फिजिकल पुर्नवास, मनो–सामाजिक पुर्नवास और पेशेवर पुर्नवास सेवाएं शामिल हैं।

2. केन्द्रीय मंत्रीमंडल के निर्णय के अनुसार, सरकार गरीब मरीजों के उपचार के लिए 25 बेड मुफ्त मे देने का प्रस्ताव करती है। इसके अतिरिक्त केन्द्र गरीब मरीजों को 5 बेड प्रदान करती है।

3. पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आईएसआईसी को विभाग द्वारा जारी किया गया अनुदान नीचे दिया गया है।:–

**रू. करोड़ में**

| वित्तीय वर्ष | बजट अनुमान | जारी की गई राशि |
|---|---|---|
| 2014.15 | 2.00 | 1.80 |
| 2015.16 | 2.00 | 2.00 |
| 2016.17<br>(31.12.2016 तक) | 2.00 | 1.00 |

4. विभाग ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिशद (एनपीसी), नई दिल्ली के आईएसआईसी को निधियों की प्रतिपूर्ति की प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन की योजना के संचालन के लिए अनुबंध प्रदान किया है। एनपीसी ने विभाग को अध्ययन की मसौदा रिपोर्ट 24.08.2016 को प्रस्तुत कर दी है।

## 11.8 ''ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के लिए सहायता'' की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना

सरकार ने दृष्टि बाधितों के लाभ के लिए नवंबर, 2014 में ''ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के लिए सहायता'' की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना शुरू की है।

- परियो द्दे
  - (i) ी ब्रेों की सीापना
  - (ii) ज्य में 03 लघु स्तरीय ब्रेल प्रेसों की सीापना
  - (iii) ानीप्रेसों का आधुनिकीकरण
  - (iv) धुन्लि प्रिंटिंग प्रेसों की ब्रेल प्रिंटिंग क्षमता को बढाना ।
- सरका क 32016 तक निम्नलिखित ब्रेल प्रेसों को स्वीकृत किया ।

  नयी ब्रे ी स्र — 6 संख्या

  वर्तमा कनिकीकरण — 2 संख्या

  ब्रेल प्रे तावृद्धि — 3 संख्या
- योजन ीत वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में 31.12.2016 तक, के दौरान योजन ार्गत प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के लिए जारी अनुदा ा ाकार हैः–

| वर्ष | बजट आबंटन | जारी अनुदान |
|---|---|---|
| 2014- | 3.86 करोड रूपए | 3.86 करोड रूपए |
| 2015- | 9.8 करोड रूपए | 9.8 करोड रूपए |
| 2016- (31.12 क) | 9.1 करोड रूपए | 8.4 करोड रूपए |
| | **कुल** | **22.06 करोड रूपए** |

- 31.12. जाधियों (श्रेणीवार) का विवरण **अनुबंध 14 (पृष्ठ संख्या 291)** के अनुसार है।

**बजट अनुभाग की योजन**

1. **पांच क्षेत्रों में प्र धि लिए कालेज की स्थापनाः–**

योजना का उद्दे बागित्रों को उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा उच्च शिक्षा द्वारा

बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है। जो श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा में नामांकन के विशय में ढिलाई एवं आरक्षण उपलब्ध कराने के बावजूद अभी भी हासिल किया जाना है।

स्कीम, यूजीसी अनुमोदित विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त एक कॉलेज में वित्तीय सहायता की परिकल्पना करती है, विद्यमान कॉलेज की अवसंरचना के विस्तार के लिए देश के पाँच क्षेत्रों में प्रत्येक में, सहायक यंत्र/उपकरण, कार्यालय उपकरण कम्प्यूटर, फर्नीचर एवं स्थाई वस्तुएं आदि की खरीद और कॉलेज फेकल्टी, स्टाफ ओर संकेत भाषा रूपांतरकों के लिए वेतन एवं भत्तों की भुगतान की दिशा में कॉलेज द्वारा उठाई गई लागत की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता की परिकल्पना करती है।

## 2. राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के पदधारियों को सेवा कालीन प्रशिक्षण एवं सुग्राहीकरण

स्कीम का उद्देश्य राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर कार्याशाला के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन के कारण दिव्यांगता क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले नए एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के पदधारियों को प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों और दिव्यांगजनों की क्षमता के बारे में देखने वाले समूहों के मध्य जाकरूकता करना है, दिव्यांगता संबंधी विधानों, विकास कार्यक्रमों/स्कीमों के बारे में जागरूकता उतपन्न करना है। प्रशिक्षण पंचायत स्तर/ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर दिव्यांगता क्षेत्र से जुड़े मुख्य पदधारियों के लिए है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की पुनर्वास परिशद स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। स्कीम के तहत अभी तक 3736 मुख्य पदधारी प्रशिक्षित किए गए हैं।

**वित्तीय/वास्तविक प्रगति :–**

| वर्ष | वित्तीय/ वास्तविक (दर्शयी गई ईकाई) | | | उपलब्धी |
|---|---|---|---|---|
| | स.अ. | व्यय | वित्तीय/ वास्तविक लक्ष्य | |
| 2014–15 | 0.01 | 0.00 | स्कीम 29.12.2014 को अनुमोदित की गई थी | |
| 2015–16 | 2.00 | 2.00 | वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पूर्ण बजट आवंटन उपयोग में लाया गया था | 2015–16 के दौरान 3736 मुख्य पदधारी प्रशिक्षित किए गए हैं। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2016-2.00 | 1.26 (आज की तारीख तक) | 2016–17 में लगभग 2500 मुख्य पदधारी प्रशिक्षित किए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। | आज की तारीख तक 1.68 करोड़ रू. की राशि बढ़ाई गई है। |

## 3. दिव्यांगजन सश ि में कानून सेल

कानून सेल विभा लरलों को समन्वित करेगा। विभाग के न्यायलय मामलों को सभालने के लिए मोडस अपरेन्डी उसी संस्थान/अनुभाग/कार्यालय/निगम/ट्रस्ट की होगी जिसे न्यायलय मामलों का नोटी ताह इसके बारे में तात्काल रूप से कानून सेल को अधिसूचित करेगा और तत्काल रूप से न क्थेत्व/याचिका की फोटोप्रति भी उपलब्ध कराएगा। उसके बाद विभाग का संस्थान/अनुभा नय म/ट्रस्ट कानून सेल को मामले की पृष्ठभूमी सहित निविष्टियां और पैरा–वार टिप्पणि ा ताकि वह वकील जो मामले का प्रतिवाद करेगा के लिए मसौदा प्रतिउत्तर तैयार करने में क कीसके। इसके अतिरिक्त कानून सेल की यह जिम्मेदारी होगी कि न्यायलय मामले प्रतिवाद मां से एक वकील नियुक्त कराए। ये सुश्चित करेंगे कि न्यायलय मामले संभालने में कोई हुऔर विभाग को न्यायलय में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तथापि संबंधित ार्यजैसे कि राष्ट्रीय संस्थान, अलीम्को, भारत पुनर्वास परिषद, राष्ट्रीय ट्रस्ट, दिव्यांगजन मुख्य के लय और एनएचएफडीसी के न्यायलय मामले संभालने की प्रथम जिम्मेदारी संगठन के पास कान्ल केवल सहायक भूमिका अदा करेगा। इन संगठनों/अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि ामउपलब्धियों और मामले की तारीखों के बारे में कानून सेल को नियमित रूप से अद्यतन करे। /अरी अपने बताए गए कानून अधिकारी/कानून परामर्शदाता रखेंगे।

## 4. सांख्यिकीय सेल

विभिन्न अनुभागों टेंग्ठनों के पास उपलब्ध डाटा को बढ़ानें के विषय में विभाग में एक सांख्यिकीय सेल प्रारंभ किया रित की गई है कि विभिन्न स्कीमों और विभाग की गतिविधियों पर ये डाटा विश्लेषण नीति को प्रदान करेगा।

# दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

12
अध्याय

दिव्यांगजनों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए और दिव्यांजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य में करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस तरह के पुरस्कार संस्थापित करने का उद्देश्य जनभावना का ध्यान ऐसे व्यक्यिों की भलाई के लिए दिलाना है जो कि दिव्यांग है और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ये पुरस्कार हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार 14 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं–

I. श्रेष्ठ कर्मचारी/स्वरोजगार रत विकलांगय

II. (क) श्रेष्ठ कर्मचारी एवं (ख) श्रेष्ठ नियोजन अधिकारी अथवा एजेंसीय

III. (क) श्रेष्ठ व्यक्ति तथा (ख) श्रेष्ठ संस्थान–दिव्यांगजनों हेतु कार्य करने वालाय

IV. आदर्श व्यक्तित्वय

V. दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्यार्थ श्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान अथवा नवप्रवर्तन अथवा उत्पाद विकासय

VI. दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण सृजित करने में किया गया उत्कृष्ट कार्यय

VII. पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वोत्तम जिलाय

VIII. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की श्रेष्ठ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसीय

IX. श्रेष्ठ सृजनशील व्यस्क दिव्यांगजनय

X. श्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बच्चाय

XI. श्रेष्ठ ब्रेल प्रेसय

XII. सर्वोत्तम ''एक्सेसिबल'' वैबसाइटय

XIII. दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण संवर्धन में सर्वोत्तम राज्यय तथा

XIV. सर्वोत्तम दिव्यांग स्पोर्टपर्सन।

2. महामहिम भारत के राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2016 के लिए 78 व्यक्तिगत/संस्थागत को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2016 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं की सूची **अनुलग्नक–15 (पृष्ठ सं. 293)** पर दी गई है।

**अनुबंध–1**

## वि नाक्तिकरण विभाग को आबंटित कार्य

भारत सरकार (कार्य आवंटन ली ुसार, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग को आबंटित विषय हैं:–

1. **निम्लिखित वि विधी 7वीं अनुसूची की सूची ।** – संघ सूची के अन्तर्गत आते हैं :

   दान में दी गई वस्तुआपूर्तियों के कर–मुक्ति आयात हेतु भारत–अमेरिका, भारत–यू.के., भारत–जर्मनी, भ जरतथा भारत–स्वीडन अनुबंध तथा इस प्रकार की आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामलें।

2. **निम्निलिखित सां की 7वीं अनुसूची की सूची।।।** – समवर्ती सूची के अन्तर्गत आते हैं (केवल विधान के

   "सामाजिक सुरक्ष जिमा, किसी अन्य विभाग को आबंटित सीमा को छोड़कर"

3. संघ राज्य क्षेत्रों म्नत विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची ।।– राज्य सूची अथवा सूची ।।। – सम के उ आते हैं, जहां तक ऐसे क्षेत्रों के संबंध में वे विद्यमान हैं :

   "विकलांगों और नु अव्यक्तियों को सहायता; सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आबंटि ो घर।"

4. विकलांगता और नोंबंधित मामलों के संबंध में नोडल विभाग की भांति कार्य करना :

   टिप्पणी : विकल क्ति विभाग विकलांगजनों से संबंधित कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना तथा समन्वय के ि व्होगा। तथापि, इस समूह के संबंध में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समग्र प्रबंधन और निगरानी आदि यितंधित केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होगा। प्रत्येक केन्यय विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित नोडल उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।

5. विकलांगजनों के थाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लक्षित विशेष योजनाएं, जैसे सहायक यं पक्की आपूर्ति, छात्रवृत्तियां, आवासीय विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण, रियायती ऋण और स्व–रो लिएाडी आदि।

6. पुनर्वास व्यावसा क्षाप्रशिक्षण।

7. विभाग से संबंधि पर्राष्ट्रीय सम्मेलन और करार, जैसे संयुक्त राष्ट्र विकलांग–जन अधिकार सम्मेलन।

8. विभाग को आबंटि के में जागरूकता सृजन, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण।

9. विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में धर्मार्थ और धार्मिक अनुदान तथा स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन और विकास।

**10. अधिनियम / विधान**

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34);

(ii) विकलांग–जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1);

(iii) ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44)।

**11. सांविधिक निकाय**

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद।

(ii) विकलांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त।

(iii) ऑटिज्म, मानसिक पक्षाघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता से ग्रस्त) व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास।

**12. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / स्वाययत्त निकाय**

(I) राष्ट्रीय विकलांग–जन वित्त एवं विकास निगम–कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत।

(ii) कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर।

**13. राष्ट्रीय संस्थान**

(i) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीवीडी), देहरादून

(ii) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई

(iii) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, (एनआईएलडी), कोलकाता

(iv) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक

(v) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली

(vi) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद

(vii) राष्ट्रीय बहु–विकलांगता ग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीएमडी), चैन्नई

(viii) भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र , नई दिल्ली।

अनुबंध–2

## 2011 की नाअनुसार दिव्यांगों की राज्य–वार जनसंख्या

| क्र.स | ाज्य | 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यागों की कुल जनसंख्या |
|---|---|---|
| क | ख | ग |
| 1 | प्रदेश | 12,19,785 |
| 2 | ाचल प्रदेश | 26,734 |
| 3 | | 4,80,065 |
| 4 | | 23,31,009 |
| 5 | ागढ़ | 6,24,937 |
| 6 | ो | 2,34,882 |
| 7 | | 33,012 |
| 8 | ात | 10,92,302 |
| 9 | ाणा | 5,46,374 |
| 10 | ाल प्रदेश | 1,55,316 |
| 11 | और कश्मीर | 3,61,153 |
| 12 | ाण्ड | 7,69,980 |
| 13 | ाक | 13,24,205 |
| 14 | | 7,61,843 |
| 15 | प्रदेश | 15,51,931 |
| 16 | ाष्ट्र | 29,63,392 |
| 17 | ुर | 58,547 |
| 18 | ारम | 15,160 |
| 19 | ालय | 44,317 |

| | | |
|---|---|---|
| 20 | नागालैंड | 29,631 |
| 21 | उड़ीसा | 12,44,402 |
| 22 | पंजाब | 6,54,063 |
| 23 | राजस्थान | 15,63,694 |
| 24 | सिक्किम | 18,187 |
| 25 | तमिलनाडू | 11,79,963 |
| 26 | तेलंगाना | 10,46,822 |
| 27 | त्रिपुरा | 64,346 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 41,57,514 |
| 29 | उत्तराखण्ड | 1,85,272 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 20,17,406 |
| 31 | अण्डमान एवं निकोबार द्वीप | 6,660 |
| 32 | चंडीगढ़ | 14,796 |
| 33 | पदमन एवं दीव | 2,196 |
| 34 | दादर एवं नागर हवेली | 3,294 |
| 35 | लक्षद्वीप | 1,615 |
| 36 | पुडुचेरी | 30,189 |
| | **कुल** | **2,68,14,994** |

अनुबंध–3

## 20.01.2017 त[illegible]माणपत्र जारी करने की नवीनतम राज्यवार स्थिति

| क्र.सं. | राज्य | कुल दिव्यांगजन संख्या | दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किए गए व्यक्तियों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| | | कुल | प्रतिशतता | |
| (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (ड़) |
| 1 | आंध्र प्र | 1103789 | 938220 | 85.00 |
| 2 | अरूणा | 33315 | 2377 | 7.13 |
| 3 | असम | 480065 | 276030 | 57.50 |
| 4 | बिहार | 2331009 | 1235434 | 53.00 |
| 5 | छत्तीस | 624900 | 315833 | 50.54 |
| 6 | दिल्ली | 234882 | 134705 | 57.35 |
| 7 | गोवा | 33012 | 19164 | 58.05 |
| 8 | गुजरात | 1092302 | 489629 | 44.83 |
| 9 | हरिया | 455040 | 339190 | 74.54 |
| 10 | हिमाच | 155316 | 78799 | 50.73 |
| 11 | जम्मू [illegible]र | 361153 | 179385 | 49.67 |
| 12 | झारख | 769980 | 420895 | 54.66 |
| 13 | कर्नाट | 1324205 | 972305 | 73.43 |
| 14 | केरल | 761843 | 422087 | 55.40 |
| 15 | मध्य प्र | 810368 | 660313 | 81.48 |
| 16 | महारा | 2963392 | 1347949 | 45.49 |
| 17 | मणिपु | 54110 | NA | N.A. |
| 18 | मिज़ोर | 15160 | 9514 | 62.76 |
| 19 | मेघाल | 44317 | 33685 | 76.01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | नागालैंड | 29631 | 1752 | 5.91 |
| 21 | उड़ीसा | 1244402 | 842250 | 67.68 |
| 22 | पंजाब | 654063 | 358206 | 54.77 |
| 23 | राजस्थान | 1563694 | 449618 | 28.75 |
| 24 | सिक्किम | 18187 | 10533 | 57.91 |
| 25 | तमिलनाडू | 1179963 | 1119151 | 94.85 |
| 26 | तेलंगाना | 1046822 | 461970 | 44.13 |
| 27 | त्रिपुरा | 64346 | 71419 | 110.99 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | 4157514 | 1943868 | 46.76 |
| 29 | उत्तराखण्ड | 185272 | 98881 | 53.37 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | 2017406 | 1081316 | 53.60 |
| 31 | अण्डमान एवं निकोबार द्वीप | 6660 | 7019 | 105.39 |
| 32 | चंडीगढ़ | 14796 | 22437 | 151.64 |
| 33 | दमन एवं दीव | 2196 | 328 | 14.94 |
| 34 | दादर एवं नागर हवेली | 3294 | 2523 | 76.59 |
| 35 | लक्षद्वीप | 1678 | 1302 | 77.59 |
| 36 | पुडुचेरी | 30189 | 26745 | 88.59 |
| | **कुल** | 25868271 | 14374832 | 55.57 |

अनुबंध–4

## एडिप योजना के अंतर्गत 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों / राष्ट्रीय संगठनों / एएलआईएमसीओ को जारी की गई निधि का विवरण

| | | 2014–15 | | | 2015–16 | | | 2016–17 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (रु0 लाख | संख्या | | (रु0 लाख | संख्या | | निधियां में) | संख्या |
| | आंध्र प्रदेश | 50 | 1147.19 | 21160 | 37 | 421.49 | 6328 | 17 | 567.41 | 5175 |
| 2 | बिहार | 55 | 250.46 | 5472 | 5 | 70.80 | 1108 | 9 | 139.10 | 2439 |
| | छत्तीसगढ़ | 67 | 340.84 | 4608 | 62 | 298.96 | 3772 | 32 | 234.41 | 2236 |
| 4 | गोवा | 5 | 12.67 | 230 | 3 | 8.53 | 137 | 2 | 3.59 | 50 |
| | गुजरात | 39 | 192.32 | 5356 | 31 | 121.98 | 1700 | 9 | 1572.16 | 21278 |
| 6 | हरियाणा | 29 | 541.66 | 5689 | 10 | 424.82 | 4942 | 20 | 597.32 | 9293 |
| | हिमाचल प्रदेश | 2 | 129.06 | 8552 | 14 | 59.61 | 3295 | 92 | 51.11 | 1588 |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 14 | 76.28 | 1569 | 4 | 85 | 994 | 20 | 136.8 | 2213 |
| | झारखण्ड | 267 | 368.03 | 9181 | 4 | 12.79 | 182 | . | . | . |
| 10 | कर्नाटक | 24 | 218.18 | 4001 | 20 | 443.46 | 6421 | 13 | 221.32 | 4557 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | केरल | 24 | 207.68 | 3213 | 8 | 203.28 | 4574 | 4 | 57.37 | 706 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 132 | 656.41 | 15318 | 189 | 848.38 | 17341 | 89 | 975.31 | 14995 |
| 13 | महाराष्ट्र | 108 | 972.97 | 22062 | 343 | 1651.3 | 27065 | 114 | 1054.22 | 18916 |
| 14 | उड़ीसा | 88 | 311.17 | 7921 | 179 | 758.83 | 13429 | 48 | 389.01 | 6353 |
| 15 | पंजाब | 13 | 228.92 | 2860 | 104 | 1271.83 | 13373 | 34 | 517.51 | 7306 |
| 16 | राज्यस्थान | 51 | 674.82 | 12712 | 44 | 551.19 | 9272 | 3 | 114.19 | 1263 |
| 17 | तमिलनाडू | 35 | 408.68 | 10183 | 61 | 853.29 | 9243 | 45 | 232.36 | 4443 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 403 | 2605.12 | 43324 | 326 | 3012.77 | 41309 | 148 | 3414.43 | 45375 |
| 19 | उत्तराखण्ड | 20 | 455.74 | 15168 | 34 | 327.73 | 5184 | 30 | 181.79 | 6134 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 188 | 476.58 | 16246 | 208 | 1150.98 | 18783 | 49 | 826.93 | 12862 |
| 21 | अण्डमान एवं निकोबार | 10 | 27.16 | 750 | . | . | . | 7 | 9.27 | 323 |
| 22 | चंडीगढ़ | 1 | 2.75 | 59 | . | . | . | 1 | 1.32 | 391 |
| 23 | दादर एवं नागर हवेली | 3 | 12.36 | 342 | 2 | 1.51 | 58 | 3 | 2.04 | 54 |
| 24 | दमन एवं दीव | 2 | 3.81 | 83 | 2 | 3.9 | 35 | 2 | 2.94 | 60 |
| 25 | दिल्ली | 26 | 169.31 | 4208 | 7 | 88.48 | 3779 | 21 | 265.78 | 4029 |
| 26 | लक्षद्वीप | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 27 | पुडुचेरी | . | . | . | . | . | . | 1 | 1.14 | 82 |
| 28 | अरूणाचल प्रदेश | 2 | 5.22 | 60 | 1 | 7.92 | 353 | 3 | 8.43 | 198 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | असम | 186 | 920.25 | 12962 | 147 | 685.21 | 9129 | 36 | 407.61 | 7111 |
| 30 | मणिपुर | 6 | 111.33 | 2908 | 5 | 42.31 | 348 | 2 | 484.72 | 6383 |
| 31 | मेघालय | 7 | 36.67 | 1015 | 3 | 16.26 | 120 | 4 | 31.26 | 439 |
| 35 | त्रिपुरा | 2 | [illegible] | 150 | 49 | 98.30 | [illegible] | 14 | [illegible] | [illegible] |
| 36 | तेलंगाना | 4 | 72.61 | 835 | 4 | 111.89 | 982 | 12 | 63.34 | 1719 |
| | **कुल** | 1889 | 11728.01 | 239560 | 1918 | 13661.19 | 205614 | **895** | **12681.58** | **190521** |

अनुबंध–5

## वर्ष 2016–17 के दौरान एडिप स्कीम के अंतर्गत कैंप/मुख्यालयी गतिविधियों हेतु एनजीओ/राज्य निगमों/आईआरसीएस को जारी अनुदान सहायता का राज्यवार विवरण (31.12.2016 तक)

| क्र. सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | कार्यान्वयन एजेंसियां | जिलें | जारी की गई राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान | नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर, राजस्थान | उदयपुर | 100.00 |
| | | कुल | | 100.00 |

अनुबंध–6

## वर्ष 2016–1 रा1.12.2016 तक) एडीआईपी योजना के अंतर्गत एनआईएस/सीआरस लि की विभिन्न गतिविधियों के लिए जारी की गई निधि

जारी की गई निधि (रू. लाख में)

| क्र.सं. | राज्य | का | हेडक्वाटर गतिविधि | कैम्प गतिविधि | एडी आईपी – एस एसए | कोचि लियर इंप्लांट | वह राज्य जिनको कैम्प गतिवि–धियों के लिए निधि जारी की गई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तराखंड | त गिगों य स एच6, ड, 24 | 225.00 | 175.00 | . | . | पेन इंडिया |
| 2 | आंध्र प्रदेश | विव य स मए ाद, ा | 15.00 | 466.00 | . | . | पेन इंडिया |
| 3 | पश्चिम बंगाल | क ागों य न ोएच ड, ो, ा–70 | 40.00 | 200.00 | . | . | पेन इंडिया |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | महाराष्ट्र | बाधिर विकलांगों हेतु अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएचएच), के.सी. मार्ग, बांद्रा रीक्लेमेशन, बांद्रा, मुम्बई–400050 | 150.00 | 175.00 | . | . | पेन इंडिया |
| 5 | दिल्ली | शारीरिक असक्षम विकलांगों हेतु संस्थान (आईपीएच), 4, विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली | 25.00 | 75.00 | . | . | पेन इंडिया |
| 6 | उड़ीसा | पुर्नवास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान हेतु स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, उड़ीसा | 150.00 | 70.00 | . | . | पेन इंडिया |
| 7 | बिहार | विकलांग जन हेतु समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी, भोपाल), गांधी मैदान पटना | 20.00 | 10.00 | . | . | पटना में उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय (एनई) कैम्प गतिविधि |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | पीडब्ल्यूडी हेतु समग्र क्षेत्रीय केंद्र, महामाया मंदिर के समीप, सुरेंद्रनगर, जिला, मंडी, हिमाचल प्रदेश–175018 | . | 50.00 | . | . | हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कैम्प गतिविधि |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | गुजरात | [illegible]य [illegible] पी [illegible]मद- [illegible] | 10.00 | 10.00 | . | . | गुजरात के अहमदाबाद जिले में कैम्प गतिविधि |
| 10 | जम्मू एवं कश्मीर | [illegible]य [illegible]म्मू [illegible] | 7.00 | 18.00 | . | . | जम्मू एवं कश्मीर में कैम्प गतिविधि |
| 11 | छत्तीसगढ़ | [illegible]य [illegible], [illegible] | 20.00 | 20.00 | . | . | छत्तीसगढ़ में कैम्प गतिविधि |
| 12 | उत्तर प्रदेश | [illegible]त्रि [illegible]निग [illegible]एमर [illegible]त्तरा | 550.00 | 5898.00 | 2671.00 | 500.00 | पेन इंडिया |
| | | | 100.00 | 555.00 | 100.00 | 445.00 | पेन इंडिया और पूर्वी क्षेत्र (एनई) |
| | | [illegible] | 1312.00 | 7722.00 | 2771.00 | 945.00 | |

अनुबंध–7

**2016–17 के दौरान (31.12.2016 तक) एडीआईपी योजना के अंतर्गत आयोजित विशेष कैम्प**

| राज्य | क्र.सं. | कैम्प का स्थान | लाभार्थियों की संख्या | उपयोग की गई राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 1 | विजयवाडा | 139 | 12.55 |
| अरूणाचल प्रदेश | 2 | ईटानगर | 89 | 7.12 |
| छत्तीसगढ़ | 3 | राजनंदगांव | 220 | 25.00 |
| | 4 | बलोदा बाज़ार | 726 | 71.68 |
| | 5 | रायपुर | 726 | 71.68 |
| दिल्ली | 6 | शक्ति नगर | 976 | 147.31 |
| | 7 | नार्थ ईस्ट और रूटरी कल्ब दिल्ली | 1052 | 86.05 |
| | 8 | द्वारका, दक्षिण–पश्चिम | 77 | 7.19 |
| | 9 | विस्वास नगर एसेम्बली | 260 | 22.61 |
| मध्य प्रदेश | 10 | सागर | 369 | 40.7 |
| | 11 | इंदौर | 196 | 23.10 |
| | 12 | मंदसौर | 2655 | 162.38 |
| | 13 | भोपाल | 1278 | 114.24 |
| | 14 | पंना कटनी | 135 | 12.59 |
| | 15 | उज्जैन | 285 | 29.61 |
| | 16 | टिकमगढ़ | 1055 | 86.13 |
| | 17 | सिओनी | 1233 | 105.83 |
| | 18 | बैतुल | 663 | 63.04 |
| राजस्थान | 19 | सवाई मादोपुर | 387 | 40.3 |
| | 20 | टांग | 347 | 35.66 |
| | 21 | बरन और आत्रो | 598 | 99.61 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 22 | बरेली (उत्तर प्रदेश) | 1576 | 122.17 |
| | 23 | पीलीभीत | 727 | 55.45 |
| | 24 | अमरोहा, (उत्तर प्रदेश) | 405 | 32.02 |
| | 25 | महाराजपुर, (उत्तर प्रदेश) | 193 | 13.83 |
| | 26 | अमेठी | 1043 | 87.26 |
| | 27 | झांसी | 1847 | 131.06 |
| | 28 | लखनऊ | 1079 | 86.09 |
| | 29 | हरदौई | 744 | 56.02 |
| | 30 | कौशांबी | 1032 | 75.07 |
| | 31 | शाहजहानपुर | 1040 | 80.79 |
| | 32 | शाहजहानपुर | 2897 | 215.73 |
| | 33 | गोसी (मऊ) | 530 | 34.77 |
| | 34 | सुकुरतल, मुजफ्फरनगर | 312 | 25.44 |
| | 35 | हाथरस | 346 | 26.30 |
| | 36 | बाघपत | 222 | 15.67 |
| | 37 | फतेहपुर | 1167 | 79.14 |
| | 38 | संबल | 1200.0 | 99.30 |
| | 39 | मुजफ्फरनगर | 1436.0 | 104.85 |
| | 40 | मुरादाबाद | 289 | 22.33 |
| | 41 | इलाहाबाद और फूलपुर | 4527 | 349.01 |
| | 42 | शरस्वती | 284 | 22.66 |
| | 43 | आजमगढ़ (लालगंज) | 1444 | 105.50 |
| | 44 | जौनपुर | 6621 | 403.46 |
| | 45 | फैज़ाबाद | 795 | 58.39 |
| | 46 | गाजीपुर | 1017 | 101.16 |
| | 47 | फेफना, बलिया | 584 | 45.45 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 48 | लखीमपुर खिरी | 127 | 46.99 |
| | 49 | रायबरेली | 2907 | 214.9 |
| | 50 | चित्रकूट | 1009 | 74.56 |
| | 51 | बिधुना, ओरईया | 769 | 66.00 |
| गुजरात | 52 | नवसारी | 10217 | 765.86 |
| | 53 | वडोदरा | 8096 | 582.59 |
| हरियाणा | 54 | सोनीपथ | 1162 | 109.00 |
| | 55 | अम्बाला | 340 | 30.2 |
| | 56 | पलवल | 3412 | 288.00 |
| | 57 | फरीदाबाद | | |
| | 58 | कुरुक्षेत्र | 2829 | 209.27 |
| कर्नाटक | 59 | शिवमोंगा | 140 | 11.91 |
| | 60 | चिक्काबल्लापुर | 324 | 24.85 |
| | 61 | उदुपी और चिकमागलुरू | 327 | 22.4 |
| | 62 | मेसूर | 1135 | 96.76 |
| | 63 | बगलपुर | 227 | 25.62 |
| | 64 | शिवमोंगा | 255 | 21.47 |
| मणिपुर | 65 | इम्फाल | 6383 | 444 |
| पंजाब | 66 | जालन्धर | 954 | 67.62 |
| | 67 | लुधियाना | 2371 | 272.21 |
| | 68 | फरिदकोट | 481 | 41.63 |
| | 69 | फिरोजपुर | 334 | 27.12 |
| | 70 | सुमन, संगरूर | 498 | 37.33 |
| | 71 | होशियारपुर | 207 | 14.95 |
| बिहार | 72 | महाराजगंज, सिवान | 274 | 18.43 |
| | 73 | अराह | 294 | 25.64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 74 | पाटलीपुत्र (पटना) | 799 | 50.93 |
| महाराष्ट्र | 75 | बीद और पाली | 411 | 34.41 |
| | 76 | थाणे, महाराष्ट्र | 512 | 50.78 |
| | 77 | वरधा | 571 | 33.45 |
| | 78 | सिद्धगढ़ | 2714 | 234.86 |
| | 79 | यावतमल, चन्द्रपुर | 893 | 93.68 |
| पश्चिम बंगाल | 80 | डार्जिलिंग | 1216 | 116.08 |
| | 81 | नेहाती और खरदाह | 1087 | 97.16 |
| | 82 | बिनपुर (पश्चिम मिदनापुर) डोमकाल (मुर्शीदाबाद) तारापथ (बिरभूम) | 969 | 66.53 |
| | 83 | बेनगांव | 1373 | 93.03 |
| | 84 | कुमारी, नदिया, गोपालपुरगाट | 700 | 46.05 |
| त्रिपुरा | 85 | अगरतला | 538 | 50.00 |
| तेलगांना | 86 | खम्माम | 617 | 40.21 |
| | 87 | मलकागिरी | 239 | 24.63 |
| मेघालय | 88 | हेपी वेली, सिलोंग | 126 | 12.24 |
| | 89 | तुरा (गरो हिल्लस) | 191 | 16.41 |
| | | **कुल** | 104851 | 8313.06 |

अनुबंध–8

## 2016–17 के दौरान सिपडा स्कीम के तहत विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रदेशों को बाधामुक्त वातावरण के लिए जारी निधि

### मुख्य शीर्ष "3601"

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | उद्देश्य | जारी की गई राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | मध्य प्रदेश सरकार | मंदसौर, मध्य प्रदेश में पालिका भवन में बाधामुक्त का सृजन (01 लिफ्ट) | 19.37 |
| 2 | तमिलनाडु सरकार | सुगम्य भारत अभियान के तहत 03 राज्य सरकार भवनों में बाधामुक्त का सृजन | 380.00 |
| 3 | ओडिशा सरकार | सुगम्य भारत अभियान के तहत 10 भवनों/स्थानों में बाधामुक्त का सृजन | 115.43 |
| | | सुगम्य भारत अभियान के तहत 11 भवनों/स्थानों में बाधामुक्त का सृजन | 491.71 |
| 4 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | सुगम्य भारत अभियान के तहत 02 भवनों/स्थानों में बाधामुक्त का सृजन | 19.03 |
| | | सुगम्य भारत अभियान के तहत 14 भवनों/स्थानों में बाधामुक्त का सृजन | 1099.99 |
| 5 | महाराष्ट्र सरकार | सुगम्य भारत अभियान के तहत 91 भवनों/स्थानों में बाधामुक्त का सृजन | 994.45 |
| | | सुगम्य भारत अभियान के तहत 51 भवनों/स्थानों में बाधामुक्त का सृजन | 545.51 |
| 6 | जम्मू एवं कश्मीर सरकार | दिव्यांगजनों के राज्य आयुक्तों के कार्यालय का सुदृढीकरण | 15.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | पंजाब सरका | देव्यांगजनों के राज्य आयुक्तों के कार्यालय का सुदृढीकरण | 5.60 |
| 8 | उत्तर प्रदेश स | देव्यांगजनों के राज्य आयुक्तों के कार्यालय का सुदृढीकरण | 15.00 |
| 9 | मेघालय सरक | देव्यांगजनों के राज्य आयुक्तों के कार्यालय का सुदृढीकरण | 12.46 |
| | | कुल | 3713.53 |

अनुबंध–9

## (क) 2016–17 के दौरान सिपडा स्कीम के तहत बाधामुक्त वातावरण के लिए संस्थानों/संगठनों के लिए जारी निधि

### मुख्य शीर्ष "2235"

| क्र.सं. | संगठन | उद्देश्य | निर्मुक्त राशि (रू0 लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | दिव्यांगजनों के लिए डा0 अंबेडकर प्रौद्योगिकीकरण संस्थान (एआईटीएच), कानपुर, उत्तर प्रदेश | बाधामुक्त वातावरण सृजन | 31.30 |
| 2 | जीसस एंड मैरी कॉलेज, नई दिल्ली | बाधामुक्त वातावरण सृजन | 34.37 |
| 3 | एनआईओएच कोलकाता, पश्चिम बंगाल | बाधामुक्त वातावरण सृजन के लिए एनआईओएच को दूसरी किस्त | 21.29 |
| 4 | बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश | बाधामुक्त वातावरण सृजन | 307.75 |
| 5 | चंडीगढ़ प्रशासन | चंडीगढ़ में 43 विभिन्न भवनों में बाधामुक्त वातावरण सृजन | 415.38 |
| 6 | दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी), नई दिल्ली | दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण सृजन | 123.34 |
| 7 | ईआरएनईटी भारत, नई दिल्ली | 917 सरकारी वैबसाइटों को सुगम्य बनाना | 1047.58 |
| | | **कुल** | **1981.01** |

## (ख) सिपडा के 2016–17 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु की गई अनुदान सहायता

| क्र. सं. | संगठन | उद्देश्य | जारी की गई जीआईए राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय वित्त विकास (एचासी), नई दिल्ल | 17000 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की तीसरी किस्त (जीआईए 2015–16) | 617.00 |
| | | 17000 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एनएचएफडीसी को चौथी किस्त (जीआईए 2015–16) | 563.20 |
| | | 2016–17 के दौरान 20000 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रथम किस्त | 458.58 |
| 2 | एनएसअ राबा | जीआईए 2013–14 की 430 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु दूसरी एवं अंतिम किस्त | 9.64 |
| 3 | अली या ष्ट्रीक एवं श्रवण दि संस (दिव्यांग ईजेईएसएचडी), मुंबई | 3000 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु दूसरी किस्त | 100.88 |
| 4 | पंडित दी उपा शारीरिक दिव्यांगज न (गजन) (पीडीयूए डी) दिल्ली | 1470 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु दूसरी किस्त (2015–16) | 67.50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 1470 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु तीसरी किस्त (2015–16)<br><br>1780 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रथम किस्त (2016–17) | 45.00<br><br>58.13 |
| 5 | राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून, उत्तराखंड | कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एनआईवीएच को दूसरी किस्त | 109.77 |
| 7 | पश्चिम बंगाल इलैक्ट्रॉनिक उद्योग विकास निगम लि0 (डब्ल्यूबीईआईडीसीएल), कोलकाता, पश्चिम बंगाल | 850 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम | 24.13 |
| 8 | हिमाचल कंस्लटैंसी संगठन लि0 (एचआईएमसीओएन), शीमला, हिमाचल प्रदेश | 150 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम | 4.12 |
| 9 | हरडीकोन लिमिटेड, नई दिल्ली | 540 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम | 12.10 |
| 10 | मध्य प्रदेश कंस्लटैंसी संगठन लि0 (एमपीसीओएन लि.), भोपाल, मध्य प्रदेश | 840 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम | 21.88 |
| 11 | उत्तर भारत तकनीकी कंस्लटैंसी संगठन लि0 (एनआईसीटीसीओएन लि.) चंडीगढ़ | 100 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम | 1.97 |
| 12 | पूर्व नगर निगम, समुदायिक सेवा विभाग, दिल्ली (ईडीएमसी / सीएसडी), दिल्ली | 90 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम | 2.57 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | संयुक्त क्षे[illegible] (रसी), अहमदाब[illegible]त | 295 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु दूसरी किस्त (2015–16) | 9.58 |
| 14 | सेन्ट्रल [illegible]लुधि पंजाब | 50 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम | 2.03 |
| 15 | बंदीपोरा [illegible]द्यो कॉलेज (बीसीआ[illegible]तू एश्मीर | 220 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम | 6.29 |
| 16 | राष्ट्रीय [illegible]गज्शक्तिकरण संस्थान, [illegible]पीर चेन्नई, [illegible] | 400 दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एनआईईपीएमडी को दूसरी किस्त | 45.00 |
| | **कुल** | **24620 दिव्यांगजन** | **2159.37** |

(ग) सिपडा स्कीम के तहत 2016–17 के दौरान यूडीआईडी परियोजना के लिए जारी अनुदान

| क्र. सं. | संगठन | उद्देश्य | जारी की गई अनुदान सहायता राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | नेशनल इनफार्मेटिक सेंटर सर्विसस इनकोर्पोरेटिड (एनआईसीएसआई), नई दिल्ली | यूडीआईडी प्रयोजना की परियोजना प्रबंधन ईकाई के लिए 2 सलाहकारों के प्रावधान के लिए एनआईसीएसआई के साथ संविदा विस्तार | 52.82 |
| 2 | जिला कलेक्टर, रतलाम, मध्य प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 3 | जिला कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 4 | जिला कलेक्टर, रायसन, मध्य प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 5 | जिला कलेक्टर, झाबुआ, मध्य प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 6 | जिला कलेक्टर, देवास, मध्य प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 7 | जिला कलेक्टर, अगार मालवा, मध्य प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 8 | जिला कलेक्टर, बारवानी, मध्य प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 9 | जिला कलेक्टर, इन्दौर, मध्य प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 10 | जिला कलेक्टर, जबलपुर, मध्य प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 11 | जिला कलेक्टर, सियोनी, मध्य प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 12 | जिला कलेक्टर, मंदसौर, मध्य प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 13 | जिला कलेक्टर, भिन्ड, मध्य प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | जिला कलेक्ाटा प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 15 | जिला कलेक्ा, प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 16 | जिला कलेक्ुर, प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 17 | जिला कलेक्र, मदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 18 | जिला कलेक्ा, मदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 19 | जिला कलेक्ड, मदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 20 | जिला कलेक्, अदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 21 | जिला कलेक्र, प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 22 | जिला कलेक्, अदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 23 | जिला कलेक्ाबात्तर प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 24 | जिला कलेक्ा, प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 25 | जिला कलेक्भीतर प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 26 | जिला कलेक्पुर, प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 27 | जिला कलेक्ी, प्रदेश हेतु | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी | 1.00 |
| 28 | जिला कलेक्कूट, प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 29 | जिला कलेक्री, प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 30 | जिला कलेक्जउत्तर प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 31 | जिला कलेक्ा, प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | जिला कलेक्टर, चंदौली, उत्तर प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 33 | जिला कलेक्टर, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 34 | जिला कलेक्टर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 35 | जिला कलेक्टर, अमरोहा, उत्तर प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 36 | जिला कलेक्टर, जालान, उत्तर प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 37 | जिला कलेक्टर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 38 | जिला कलेक्टर, नंदूरबार, महाराष्ट्र | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 39 | जिला कलेक्टर, गढचिराली, महाराष्ट्र | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 40 | जिला कलेक्टर, यवतमल, महाराष्ट्र | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 41 | जिला कलेक्टर, परभानी, महाराष्ट्र | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 42 | जिला कलेक्टर, नयागढ़, ओडिशा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 43 | जिला कलेक्टर, झारसुगुड़ा, ओडिशा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 44 | जिला कलेक्टर, नबरंगपुर, ओडिशा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 45 | जिला कलेक्टर, कटक, ओडिशा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 46 | जिला कलेक्टर, बोध, ओडिशा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 47 | जिला कलेक्टर, बालनगीर, ओडिशा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 48 | जिला कलेक्टर, केन्द्रपारा, ओडिशा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 49 | जिला कलेक्टर, गनजमा, ओडिशा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50 | जिला कलेक्ट[illegible]र, शा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 51 | जिला कलेक्ट[illegible], अ | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 52 | जिला कलेक्ट[illegible]पुरड़ेशा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 53 | जिला कलेक्ट[illegible]र, शा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 54 | जिला कलेक्ट[illegible]ोर, शा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 55 | जिला कलेक्ट[illegible]त, शा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 56 | जिला कलेक्ट[illegible]ोरि | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 57 | जिला कलेक्ट[illegible], अ | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 58 | जिला कलेक्ट[illegible], आ | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 59 | जिला कलेक्ट[illegible]र्डीडिशा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 60 | जिला कलेक्ट[illegible]गढ़स्थान | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 61 | जिला कलेक्ट[illegible], रान | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 62 | जिला कलेक्ट[illegible]बंध,स्थान | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 63 | जिला कलेक्ट[illegible] नगरियाणा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 64 | जिला कलेक्ट[illegible]ना, णा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 65 | जिला कलेक्ट[illegible], हा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 66 | जिला कलेक्ट[illegible], हा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 67 | जिला कलेक्ट[illegible]बादयाणा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 68 | जिला कलेक्टर, भिवानी, हरियाणा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 69 | जिला कलेक्टर, गुड़गांव, हरियाणा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 70 | जिला कलेक्टर, नारनौल, हरियाणा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 71 | जिला कलेक्टर, करनाल, हरियाणा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 72 | जिला कलेक्टर, पंचकुला, हरियाणा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 73 | जिला कलेक्टर, कुरूक्षेत्र, हरियाणा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 74 | जिला कलेक्टर, सीनीपथ, हरियाणा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 75 | जिला कलेक्टर, मेवात, हरियाणा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 76 | जिला कलेक्टर, जिन्द, हरियाणा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 77 | जिला कलेक्टर, पलवल, हरियाणा | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 78 | जिला कलेक्टर, त्रिवल्लूर, तमिलनाडु | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 79 | जिला कलेक्टर, धर्मपुरी, तमिलनाडु | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 80 | जिला कलेक्टर, सालेम, तमिलनाडु | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 81 | जिला कलेक्टर, काम्बटूर, तमिलनाडु | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 82 | जिला कलेक्टर, नागापत्तीनाम, तमिलनाडु | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 83 | जिला कलेक्टर, इरोड, तमिलनाडु | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 84 | जिला कलेक्टर, करूर, तमिलनाडु | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 85 | जिला कलेक्टर, दिन्दीगुल, तमिलनाडु | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 86 | जिला कलेक्ट नगनेलनाडु | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 87 | जिला कलेक्ट तम्हि | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 88 | जिला कलेक्ट ड़ी, ानाडु | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 89 | जिला कलेक्ट लूर,लनाडु | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 90 | जिला कलेक्ट ताडु | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 91 | जिला कलेक्ट, ताडु | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 92 | जिला कलेक्ट त्रि | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 93 | जिला कलेक्ट त्रिप् | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 94 | जिला कलेक्ट टी,ग | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 0.75 |
| 95 | जिला कलेक्ट के | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 96 | जिला कलेक्ट लमल | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 97 | जिला कलेक्ट ी, | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.00 |
| 98 | जिला कलेक्ट ोट,ात | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 99 | जिला कलेक्ट ार,ात | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 100 | जिला कलेक्ट, गु | दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी हेतु | 1.25 |
| 101 | राष्ट्रीय डिज़ा न, अहमदाबाद, | यूडीआईडी कार्ड के डिज़ाइन और ऑन लाइन आवेदन फार्म हेतु | 2.76 |
| | | **कुल** | **157.58** |

## (घ) सिपडा स्कीम के तहत 2016–17 के दौरान समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों (सीआरसी) को जारी निधियां

| क्रं. स. | संगठन | उद्देश्य | जारी की गई जीआईए राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | सीआरसी लखनऊ, उत्तर प्रदेश | सीआरसी लखनऊ, को प्रथम किस्त | 64.7 |
| | | निर्माण के लिए सीआरसी लखनऊ, को प्रथम किस्त | 467.7 |
| | | सीआरसी लखनऊ, को द्वितीय किस्त | 115.00 |
| 2 | सीआरसी, भोपाल, मध्य प्रदेश | सीआरसी, भोपाल, को प्रथम किस्त | 59.84 |
| | | सीआरसी, भोपाल, को द्वितीय किस्त | 34.63 |
| | | सीआरसी, भोपाल, को तृतीय किस्त | 35.00 |
| 3 | सीआरसी, गुवाहाटी, असम | सीआरसी, गुवाहाटी, को प्रथम किस्त | 23.44 |
| | | सीआरसी, गुवाहाटी, को द्वितीय किस्त | 23.00 |
| | | निर्माण के लिए सीआरसी गुवाहाटी, को द्वितीय किस्त | 91.00 |
| | | सीआरसी, गुवाहाटी, को तृतीय किस्त | 31.56 |
| | | सीआरसी, गुवाहाटी, को चतुर्थ किस्त | 20.00 |
| 4 | सीआरसी, पटना, बिहार | सीआरसी, पटना, को प्रथम किस्त | 57.00 |
| | | सीआरसी, पटना, को द्वितीय किस्त | 15.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | सीआरसी, पटना, को तृतीय किस्त | 241.36 |
| | | सीआरसी, पटना, को प्रथम किस्त (2016–17) | 299.97 |
| 5 | सीआरसी, सु[illegible]हिमप्रदेश | सीआरसी, सुन्दरनगर, को प्रथम किस्त | 52.50 |
| | | सीआरसी, सुन्दरनगर, को द्वितीय किस्त | 25.00 |
| | | सीआरसी, सुन्दरनगर, को तृतीय किस्त | 154.58 |
| | | सीआरसी, सुन्दरनगर, को चतुर्थ किस्त | 92.50 |
| 6 | सीआरसी, को[illegible]केर | सीआरसी कोजीकोड़े, को प्रथम किस्त | 44.00 |
| | | निर्माण के लिए सीआरसी कोजीकोड़े, को प्रथम किस्त | 100.00 |
| | | सीआरसी कोजीकोड़े, को द्वितीय किस्त | 20.00 |
| | | सीआरसी, कोजीकोड़े, को प्रथम किस्त (2016–17) | 28.00 |
| 7 | सीआरसी, अ[illegible] गु[illegible] | निर्माण के लिए सीआरसी अहमदाबाद, को प्रथम किस्त | 35.00 |
| | | सीआरसी, अहमदाबाद, को प्रथम किस्त | 16.00 |
| | | सीआरसी, अहमदाबाद, को द्वितीय किस्त | 26.00 |
| 8 | सीआरसी, श्री[illegible]ू [illegible]श्मीर | सीआरसी, श्रीनगर को प्रथम किस्त | 179.40 |
| 9 | सीआरसी, दे[illegible]र्नाट | सीआरसी, देवानगेर, को प्रथम किस्त | 50.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | सीआरसी, नेलौर, आंध्र प्रदेश | सीआरसी, नेलौर, को प्रथम किस्त | 34.85 |
| | | सीआरसी, नेलौर, को द्वितीय किस्त | 10.00 |
| 11 | सीआरसी, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ | सीआरसी, राजनंदगांव, को प्रथम किस्त | 38.00 |
| 12 | सीआरसी, नागपुर, महाराष्ट्र | सीआरसी, नागपुर, को प्रथम किस्त | 14.50 |
| | | **कुल** | **2499.53** |

## (ड़) सिपडा स्कीम 2016–17 के दौरान डीडीआरसी को जारी निधियां

| क्रं. स. | संस्था | उद्देश्य | जारी की गई जीआईए राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | डीडीआरसी, उत्तरा | द्वितीय वर्ष की प्रथम किस्त | 2.76 |
| | | तृतीय वर्ष की प्रथम किस्त | 3.24 |
| 2 | डीडीआरसी, बेहा | द्वितीय वर्ष की प्रथम किस्त | 3.28 |
| 3 | डीडीआरसी, पु | तृतीय वर्ष सहायता अनुदान | 1.08 |
| 4 | डीडीआरसी, अ | पूर्ण एवं अन्तिम सहायता अनुदान | 8.38 |
| | | 2015–16 वर्ष के लिए अन्तिम किस्त | 2.79 |
| | | 2016–17 वर्ष के लिए प्रथम किस्त | 6.47 |
| 5 | डीडीआरसी, असम | पाँचवें वर्ष की पूर्ण एवं अन्तिम किस्त | 3.87 |
| 6 | डीडीआरसी, ाचल प्रदेश | पूर्ण एवं अन्तिम प्रथम वर्ष अनुदान सहायता | 17.20 |
| 7 | डीडीआरसी, उत्तर प्रदेश | पूर्ण एवं अन्तिम प्रथम वर्ष अनुदान सहायता | 17.20 |
| 8 | डीडीआरसी, ार | द्वितीय वर्ष की प्रथम किस्त | 4.42 |
| 9 | डीडीआरसी, हार | द्वितीय वर्ष की प्रथम किस्त | 1.93 |
| 10 | डीडीआरसी, ारहार | तृतीय वर्ष अनुदान सहायता | 1.91 |
| 11 | डीडीआरसी, र, प्रदेश | पूर्ण एवं अन्तिम द्वितीय वर्ष अनुदान सहायता | 0.99 |
| 12 | डीडीआरसी, जम्मू कश्मीर | चतुर्थ वर्ष की प्रथम किस्त | 3.75 |
| 13 | डीडीआरसी, म, प्रदेश | तृतीय वर्ष अनुदान सहायता की प्रथम किस्त | 3.42 |
| 14 | डीडीआरसी, हार | पूर्ण एवं अन्तिम तृतीय वर्ष अनुदान सहायता | 1.33 |
| 15 | डीडीआरसी, ध्य | पूर्ण एवं अन्तिम द्वितीय वर्ष अनुदान सहायता | 2.62 |
| 16 | डीडीआसी, इचमंपुर | प्रथम किस्त | 5.30 |
| 17 | डीडीआरसी, अ | प्रथम किस्त | 3.52 |
| | | **कुल** | **95.46** |

## (च) सिपडा स्कीम के तहत 2016–17 के दौरान सुगम्य ऑडिट हेतु जारी निधियां

| क्रं. स. | संगठन | उद्देश्य | जारी की गई जीआईए राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | समर्थयम ट्रस्ट, नई दिल्ली | भुवनेश्वर में 50 भवनों का सुगम्य संचालन | 19.28 |
| | | पूणे में 50 भवनों का सुगम्य संचालन | 13.06 |
| | | तिरूवनंतपुरम में 50 भवनों का सुगम्य संचालन | 13.79 |
| | | चेन्नई में 25 भवनों का सुगम्य संचालन | 7.94 |
| | | रायपुर में 58 भवनों का सुगम्य संचालन | 15.62 |
| 2 | कविता अभिजीत, मुर्गकार | पणजी में 31 भवनों का सुगम्य ओडिट संचालन | 7.84 |
| | | कायम्बटूर में 23 भवनों का सुगम्य ओडिट संचालन | 6.26 |
| 3 | स्वाभिमान | पटना में 28 भवनों का सुगम्य ओडिट संचालन | 7.20 |
| | | जम्मू एवं श्रीनगर में 25 भवनों का सुगम्य ओडिट संचालन | 10.29 |
| | | गंगटोक में 36 भवनों का सुगम्य ओडिट संचालन | 9.02 |
| 4 | द लेपरोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली | 26 भवनों का सुगम्य ओडिट संचालन | 7.82 |
| 5 | स्वयं, नई दिल्ली | 26 भवनों का सुगम्य ओडिट संचालन | 1.96 |
| | | 44 भवनों का सुगम्य ओडिट संचालन | 8.96 |
| | | 47 भवनों का सुगम्य ओडिट संचालन | 9.72 |
| | | 26 भवनों का सुगम्य ओडिट संचालन | 5.28 |
| | | **कुल** | **144.04** |

## (छ) स्कीम के तहत 2016–17 के दौरान विविध तिर्यों के लिए जारी निधियां

| क्र. सं. | संगठन का न | उद्देश्य | जारी की गई राशि (रू. लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय उत्पाद द सी), नई दिल्ली | दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की तृतीय पक्ष निगरानी | 7.54 |
| | | कुल | 7.54 |

अनुबंध–10

## वर्ष 2016–17 (31.12.2016 तक) के दौरान दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस) के तहत एनजीओ को जारी की गई अनुदान सहायता के ब्यौरे

| क्र. सं. | राज्य | गैर सरकारी संगठन का नाम | परियोजना का नाम | वर्ष 2015–16 के दौरान जारी की गई अनुदान सहायता के ब्यौरे | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | किस्त | वर्ष हेतु | राशि (रू.) |
| | | | आंध्र प्रदेश | | | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | एदी आंध्र शिक्षा समिति | एमआर एवं एमडी के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 506978 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | आंध्र शिक्षा समिति | एचआई के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 70054 |
| 3 | आंध्र प्रदेश | मानसिक विकलांग एवं अन्य दिव्यांग के लिए अनसंधान एवं पुनर्वास हेतु अंजलि संस्थान | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 1152171 |
| 4 | आंध्र प्रदेश | मानसिक विकलांग एवं अन्य दिव्यांग के लिए अनसंधान एवं पुनर्वास हेतु अंजलि संस्थान | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 373257 |
| 5 | आंध्र प्रदेश | श्रवण एवं शारीरिक विकलांग एवं शिशु देखभाल केंद्र | श्रवण एवं ओएच के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 866478 |
| 6 | आंध्र प्रदेश | दिव्यांग बच्चों के लिए केंद्र | एमआर एवं एचएच के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 168502 |
| 7 | आंध्र प्रदेश | चेतना दिव्यांग कल्याण समिति | एमआर एंड सीपी के लिए आवास एवं दिवस देखभाल प्रशिक्षण केंद्र | प्रथम | 2015–16 | 622920 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | आंध्र प्रदेश | व्यां समि | एमआर एंड सीपी के लिए आवास एवं दिवस देखभाल प्रशिक्षण केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 622920 |
| 9 | आंध्र प्रदेश | शिक्ष ना न | एमआर एवं बधिर के लिए स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 832266 |
| 10 | आंध्र प्रदेश | हिडली | बधिर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 1188297 |
| 11 | आंध्र प्रदेश | हिडली | बधिर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 369099 |
| 12 | आंध्र प्रदेश | हिडली | बधिर के लिए विशेष स्कूल | शेष | 2015–16 | 27000 |
| 13 | आंध्र प्रदेश | विक स | ओएच के लिए आवासीय स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 342577 |
| 14 | आंध्र प्रदेश | लिन स्कू | बधिर के लिए आवासीय स्कूल एवं पुनर्वास केंद्र | प्रथम | 2015–16 | 799623 |
| 15 | आंध्र प्रदेश | नेट ऑफ सा | बधिर के लिए आवासीय विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 900236 |
| 16 | आंध्र प्रदेश | य रे सोर ना | ओएच लड़कों के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 564356 |
| 17 | आंध्र प्रदेश | य सो ना | ओएच लड़कों के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 126739 |
| 18 | आंध्र प्रदेश | र ए जे जे दया न | एमआर के लिए विशेष स्कूल एवं वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 481373 |
| 19 | आंध्र प्रदेश | ी सिमिति | एचआई और मूक एवं बधिर के लिए आवासीय स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 127281 |
| 20 | आंध्र प्रदेश | ी म मंडली | पीएच के लिए वीटीसी एवं पुनर्वास | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 394137 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | आंध्र प्रदेश | लीमा बधिर एवं मानसिक विकलांग कल्याण संघ | बधिर एवं एमएच के लिए आवासीय दिवस केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 605792 |
| 22 | आंध्र प्रदेश | लीमा बधिर एवं मानसिक विकलांग कल्याण संघ | बधिर एवं एमएच के लिए आवासीय दिवस केंद्र | प्रथम | 2015–16 | 946091 |
| 23 | आंध्र प्रदेश | लीमा बधिर एवं मानसिक विकलांग कल्याण संघ | बधिर एवं एमएच के लिए आवासीय दिवस केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 429889 |
| 24 | आंध्र प्रदेश | मानसिक विकास केंद्र | व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 284721 |
| 25 | आंध्र प्रदेश | मानसिक विकास केंद्र | व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र | प्रथम | 2015–16 | 325125 |
| 26 | आंध्र प्रदेश | मानसिक विकास केंद्र | सर्वे, आईडीईएन, अवार, ई.आई.एच. बीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम | शेष | 2014–15 | 687040 |
| 27 | आंध्र प्रदेश | मानसिक विकास केंद्र | सर्वे, आईडीईएन, अवार, ई.आई.एच. बीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम | प्रथम | 2015–16 | 423045 |
| 28 | आंध्र प्रदेश | मानसिक विकास केंद्र | एमआर के लिए विशेष स्कूल (खमाम) | तीसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 254175 |
| 29 | आंध्र प्रदेश | मानसिक विकास केंद्र | एमआर के लिए विशेष स्कूल (खमाम) | प्रथम | 2015–16 | 542827 |
| 30 | आंध्र प्रदेश | मानसिक विकास केंद्र | एमआर के लिए विशेष स्कूल (खमाम) | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 542828 |
| 31 | आंध्र प्रदेश | मानसिक विकास केंद्र | प्री–स्कूल एवं माता–पिता काउंसिलिंग | षेश | 2014–15 | 238668 |
| 32 | आंध्र प्रदेश | मानसिक विकास केंद्र | प्री–स्कूल एवं माता–पिता काउंसिलिंग | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 119993 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | आंध्र प्रदेश | क ि | एमआर के लिए केंद्र (विजयवाड़ा) | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 1485776 |
| 34 | आंध्र प्रदेश | क ि | एमआर के लिए केंद्र (विजयवाड़ा) | प्रथम | 2015–16 | 354938 |
| 35 | आंध्र प्रदेश | र ा | वीएच के लिए स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 761565 |
| 36 | आंध्र प्रदेश | क ि र ल न इटी | बधिर के लिए विशेष स्कूल एवं घर | प्रथम | 2015–16 | 725685 |
| 37 | आंध्र प्रदेश | | श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 339816 |
| 38 | आंध्र प्रदेश | | श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 877161 |
| 39 | आंध्र प्रदेश | | श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 582015 |
| 40 | आंध्र प्रदेश | कलां क ए संस | एमआर एवं बधिर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 554730 |
| 41 | आंध्र प्रदेश | क के पलाशन | एमआर के लिए विशेष स्कूल | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 500445 |
| 42 | आंध्र प्रदेश | क के पलाशन | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 349425 |
| 43 | आंध्र प्रदेश | वेर्टी | एमआर के लिए विशेष स्कूल (आवासीय) | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 935813 |
| 44 | आंध्र प्रदेश | वेर्टी | एमआर के लिए विशेष स्कूल (आवासीय) | प्रथम | 2015–16 | 850778 |
| 45 | आंध्र प्रदेश | वेर्टी | एचएच के लिए स्कूल (आवासीय) | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 699758 |
| 46 | आंध्र प्रदेश | वेर्टी | एचएच के लिए स्कूल (आवासीय) | प्रथम | 2015–16 | 644779 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | आंध्र प्रदेश | राष्ट्रीय सेवा समिति | तिरूपति एवं चित्तूर में एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 378825 |
| 48 | आंध्र प्रदेश | राष्ट्रीय सेवा समिति | अनंतपूर में एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 328650 |
| 49 | आंध्र प्रदेश | राष्ट्रीय सेवा समिति | अनंतपूर में एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 328650 |
| 50 | आंध्र प्रदेश | राष्ट्रीय सेवा समिति | एमआर बच्चों के लिए आवासीय स्कूल | द्वितीय | 2015–16 | 623092 |
| 51 | आंध्र प्रदेश | राष्ट्रीय सेवा समिति | एमआर बच्चों के लिए आवासीय स्कूल | तीसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 676134 |
| 52 | आंध्र प्रदेश | राष्ट्रीय सेवा समिति | डीएमआर पाठ्यक्रम | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 208040 |
| 53 | आंध्र प्रदेश | राष्ट्रीय सेवा समिति | पुरोधातुर, कडपा जिला में एमआर के लिए दिवस देखभाल केंद्र | प्रथम | 2014–15 | 356874 |
| 54 | आंध्र प्रदेश | राष्ट्रीय सेवा समिति | पुरोधातुर, कडपा जिला में एमआर के लिए दिवस देखभाल केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 324136 |
| 55 | आंध्र प्रदेश | राष्ट्रीय सेवा समिति | पुरोधातुर, कडपा जिला में एमआर के लिए दिवस देखभाल केंद्र | प्रथम | 2015–16 | 257625 |
| 56 | आंध्र प्रदेश | राष्ट्रीय सेवा समिति | पुरोधातुर, कडपा जिला में एमआर के लिए दिवस देखभाल केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 257625 |
| 57 | आंध्र प्रदेश | राष्ट्रीय सेवा समिति | कडपा में एमआर के लिए दिवस देखभाल केंद्र | प्रथम | 2015–16 | 343069 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | आंध्र प्रदेश | सेमेति | कडपा में एमआर के लिए दिवस देखभाल केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 343069 |
| 59 | आंध्र प्रदेश | भार ा एहत | एमएच के लिए स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 503602 |
| 60 | आंध्र प्रदेश | भार ा एहत | एमएच के लिए स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 503603 |
| 61 | आंध्र प्रदेश | आर. वेर टी | बधिर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 365981 |
| 62 | आंध्र प्रदेश | आर. वेर टी | बधिर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 168767 |
| 63 | आंध्र प्रदेश | ना ट्रज | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 611595 |
| 64 | आंध्र प्रदेश | की शिवं वि | एमआर के लिए आवासीय विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 623448 |
| 65 | आंध्र प्रदेश | दन | एमआर बच्चों के लिए दिवस एवं आवासीय स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 259641 |
| 66 | आंध्र प्रदेश | केश टी | एमआर के लिए आवासीय एवं दिवस देखभाल केंद्र | शेष | 2014–15 | 36660 |
| 67 | आंध्र प्रदेश | केश टी | एमआर के लिए आवासीय एवं दिवस देखभाल केंद्र | प्रथम | 2015–16 | 1249776 |
| 68 | आंध्र प्रदेश | केश टी | एमआर के लिए आवासीय एवं दिवस देखभाल केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 1249776 |
| 69 | आंध्र प्रदेश | पुनकेंद्र | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 462078 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | आंध्र प्रदेश | बधिर एवं अंध शिक्षा समिति | बधिर एवं हॉस्टल के लिए स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 399574 |
| 71 | आंध्र प्रदेश | बधिर एवं अंध शिक्षा समिति | बधिर एवं हॉस्टल के लिए स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 1132207 |
| 72 | आंध्र प्रदेश | बधिर एवं अंध शिक्षा समिति | बधिर एवं हॉस्टल के लिए स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 382458 |
| 73 | आंध्र प्रदेश | मानसिक रूप से विकलांग के लिए हिडन सपराउटस विशेष स्कूल | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 21600 |
| 74 | आंध्र प्रदेश | सफूर्ती कल्याण समिति | एचएच के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 597487 |
| 75 | आंध्र प्रदेश | सफूर्ती कल्याण समिति | एचएच के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 589487 |
| 76 | आंध्र प्रदेश | श्री विवेकानंद शिक्षा समिति | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 665091 |
| 77 | आंध्र प्रदेश | श्री दक्षिणा भाव समिति | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 1027969 |
| 78 | आंध्र प्रदेश | संत अन्ना सामाजिक कल्याण समिति द्वारा चलाया गया संत अन्ना मनोविकास केंद्र | एमआर के लिए आवासीय स्कूल (कुर्नूल) | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 883230 |
| 79 | आंध्र प्रदेश | सनलाइट शिक्षा समिति | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 33818 |
| 80 | आंध्र प्रदेश | एम.एच. के कल्याण के लिए सूर्य किरण माता–पिता संघ | एमआर के लिए विशेष स्कूल (मेकराला) | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 744863 |
| 81 | आंध्र प्रदेश | एम.एच. के कल्याण के लिए सूर्य किरण माता–पिता संघ | एमआर के लिए विशेष स्कूल (पिडुगुराला) | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 348653 |
| 82 | आंध्र प्रदेश | एम.एच. के कल्याण के लिए सूर्य किरण माता–पिता संघ | एमआर के लिए विशेष स्कूल (नालगोंडा) | प्रथम | 2015–16 | 503054 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | आंध्र प्रदेश | क्षण्विं ो र दिव्य कें ररर्स | डीडीआरसी पूर्व गोदावरी | पूर्ण एवं अंतिम | 2015–16 | 590290 |
| 84 | आंध्र प्रदेश | क्षण्विं ो र नोि | एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 734070 |
| 85 | आंध्र प्रदेश | क्षण्विं ो र नोि की | एमआर एवं शीघ्र हस्तक्षेप के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 1120417 |
| 86 | आंध्र प्रदेश | क्षण्विं ो र नोि कार्य) | एमआर एवं शीघ्र हस्तक्षेप के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 401498 |
| 87 | आंध्र प्रदेश | | एमएच के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 1601949 |
| 88 | आंध्र प्रदेश | ग्रा र्सा | बधिर के लिए नवजीवन विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 659701 |
| 89 | आंध्र प्रदेश | ग्रा र्सा | बधिर के लिए नवजीवन विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 1453050 |
| 90 | आंध्र प्रदेश | ग्रा र्सा | बधिर के लिए नवजीवन विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 1112022 |
| 91 | आंध्र प्रदेश | ो वे फल्य | व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 622333 |
| 92 | आंध्र प्रदेश | एवं के | एमआर के लिए स्कूल वीटीसी एवं हॉस्टल | प्रथम | 2015–16 | 1211571 |
| 93 | आंध्र प्रदेश | एन्जल टी | अंध एवं विकलांग बच्चों के लिए स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 446327 |
| | | | | | कुल | 54342577 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आरूणाचल प्रदेश | | | | | | |
| 1 | आरूणाचल प्रदेश | मंजूश्री चेरिटेबल सोसइटी (डीडीआरसी) तवांग | (डीडीआरसी) तवांग | दूसरा एवं अन्तिम | 2015—16 | 387190 |
| | | | | | कुल | 387190 |
| असम | | | | | | |
| 1 | असम | देस्टीनेशन | हाफ वे होम | प्रथम | 2014—15 | 134190 |
| 2 | असम | दिक्रोंग वेली इनवायरमेंट एवं ग्रामीण विकास समिति | हाफ वे होम | दूसरा एवं अन्तिम | 2014—15 | 369410 |
| 3 | असम | दिक्रोंग वेली इनवायरमेंट एवं ग्रामीण विकास समिति | हाफ वे होम | दूसरा एवं अन्तिम | 2014—15 | 326914 |
| 4 | असम | दुरपंग पिछला आचलिक विकलांग अनुस्थान | दिव्यांग व्यक्ति के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र | प्रथम | 2014—15 | 167685 |
| 5 | असम | वैश्विक स्वास्थ्य एवं शिक्षा केंद्र (जीएचईसी) | दिव्यांग के लिए वीटीसी | प्रथम | 2014—15 | 403025 |
| 6 | असम | वैश्विक स्वास्थ्य एवं शिक्षा केंद्र (जीएचईसी) | दिव्यांग के लिए वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014—15 | 127066 |
| 7 | असम | ग्राम विकास परिषद | दिव्यांग के लिए वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014—15 | 184793 |
| 8 | असम | गुवाहाटी युथ सोसाइटी | हाफ वे होम | दूसरा एवं अन्तिम | 2015—16 | 184473 |
| 9 | असम | कच्चाजोली शारीरिक विकलांग स्कूल एवं प्रशिक्षण केंद्र | बधिर एवं मूक तथा वीटीसी हेतु विशेष स्कूल | तीसरा एवं अन्तिम | 2014—15 | 557165 |
| 10 | असम | कच्चाजोली शारीरिक विकलांग स्कूल एवं प्रशिक्षण केंद्र | बधिर एवं मूक तथा वीटीसी हेतु विशेष स्कूल | प्रथम | 2015—16 | 1056366 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | असम | र्व ग्र स्वै एअ | हाफ वे होम | प्रथम | 2015–16 | 529551 |
| 12 | असम | ातिः कादृ ट व क | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 567218 |
| 13 | असम | | वीटीसी एवं सेल्टर्ड वर्कशाप | प्रथम | 2015–16 | 486891 |
| 14 | असम | | वीटीसी एवं सेल्टर्ड वर्कशाप | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 135000 |
| 15 | असम | | कम दृष्टि केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 78516 |
| 16 | असम | | कम दृष्टि केंद्र | प्रथम | 2015–16 | 140832 |
| 17 | असम | | हाफ वे होम | प्रथम | 2015–16 | 531414 |
| | | | | | कुल | 5980509 |
| | | | बिहार | | | |
| 1 | बिहार | नोस डीके ा दृ वेल टी) के | आशा स्कूल, दानापुर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 88703 |
| 2 | बिहार | यन मू वेद्या | एचएच लड़कियों के लिए विशेष स्कूल | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 978925 |
| 3 | बिहार | रीब ग | एचएच के लिए विशेष स्कूल | द्वितीय | 2014–15 | 273952 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | बिहार | बाबा गरीब नाथ विकलांग सहजन सेवा संस्थान | एचएच के लिए विशेष स्कूल | तीसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 357520 |
| 5 | बिहार | बिहार विकलांग कल्याण परिषद | पीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 130786 |
| 6 | बिहार | ज्ञान नेत्रहीन विद्यालय | अंधे बच्चों के लिए आवासीय स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 244310 |
| 7 | बिहार | कोशी छत्रीय विकलांग,विधवा, वृद्ध कल्याण समिति | पीएच के लिए आवासीय स्कूल एवं वीटीसी | प्रथम | 2014–15 | 112793 |
| | | | | | कुल | 2186989 |
| | | | छत्तीसगढ़ | | | |
| 1 | छत्तीसगढ़ | अंकुर | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर चिल्डरन | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 194894 |
| 2 | छत्तीसगढ़ | लाइनस चेरिटेबल ट्रस्ट | एचएच के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 155375 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | लाइनस चेरिटेबल ट्रस्ट | एचएच के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 153542 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | नेत्रहीन व विकलांग शिक्षण प्रशिक्षण एवं धर्मार्थ समिति | स्पेशल स्कूल फॉर वीआई | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 92334 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | निशक्त जन कल्याण सेवा समिति | स्पेशल स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डेफ चिल्डरन | प्रथम | 2015–16 | 376323 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | श्रवण मूक विकलांग अभिभावक संघ | स्कूल फॉर एचएच | प्रथम | 2015–16 | 234592 |
| | | | | | कुल | 1207060 |
| | | | दिल्ली | | | |
| 1 | दिल्ली | एक्शन फॉर एबिलिटी डेवलपमेंट एंड इनक्लूज़न | कम्यूनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 165450 |
| 2 | दिल्ली | एक्शन फॉर एबिलिटी डेवलपमेंट एंड इनक्लूज़न | कम्यूनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन | प्रथम | 2015–16 | 210000 |
| 3 | दिल्ली | अक्षय प्रतिष्ठान | स्कूल फॉर द डिसेबल्ड | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 393407 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | दिल्ली | ष्ठ | स्कूल फॉर द डिसेबल्ड | प्रथम | 2015–16 | 551737 |
| 5 | दिल्ली | ति ट्र | प्री स्कूल एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर द डिसेबल्ड | प्रथम | 2015–16 | 319584 |
| 6 | दिल्ली | ति ट्र | प्री स्कूल एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर द डिसेबल्ड | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 215513 |
| 7 | दिल्ली | ति ट्र | इंटेग्रेटेड स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 1288761 |
| 8 | दिल्ली | सिं र्मा श्रव शिवं संस्थ | स्पेशल स्कूल फॉर एचएच | प्रथम | 2015–16 | 559000 |
| 9 | दिल्ली | र | चाइल्ड गाइडलाइन सेंटर | प्रथम | 2014–15 | 34915 |
| 10 | दिल्ली | र संटी | चाइल्ड गाइडलाइन सेंटर | प्रथम | 2015–16 | 186848 |
| 11 | दिल्ली | सोन लाइ | ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ब्रेली एंड लार्ज प्रिंट | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 328386 |
| 12 | दिल्ली | सोन लाइ | ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ब्रेली एंड लार्ज प्रिंट | प्रथम | 2015–16 | 282292 |
| 13 | दिल्ली | सोन लाइ | होस्टल फॉर वीएच | तीसरा एवं अंतिम | 2014–15 | 295484 |
| 14 | दिल्ली | साक्र समि | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 362979 |
| 15 | दिल्ली | संटी लप शल | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर चिल्डरन | प्रथम | 2015–16 | 478777 |
| | | | | | कुल | 5673133 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गोवा | | | | | | |
| 1 | गोवा | विकलांग बच्चों के लिए लोक विश्वास प्रतिष्ठान स्कूल | मूक बधिर के लिए स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 489853 |
| | | | | | कुल | 489853 |
| गुजरात | | | | | | |
| 1 | गुजरात | अपंग मानव कल्याण केंद्र | वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम | प्रथम | 2015–16 | 529615 |
| 2 | गुजरात | भारत लोक हित सेवा समिति | स्पे. स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 14314 |
| 3 | गुजरात | ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन | महिलाओं के लिए कौशल विकास इकाई | प्रथम | 2014–15 | 45020 |
| 4 | गुजरात | ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन | कम दृष्टि केंद्र | प्रथम | 2015–16 | 109545 |
| 5 | गुजरात | ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन | बीपीए समाचार अक्षर | प्रथम | 2014–15 | 149175 |
| 6 | गुजरात | डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इण्डिया | स्कूल फॉर ओएच | दूसरा | 2015–16 | 344388 |
| 7 | गुजरात | भारत विकलांग कल्याण ट्रस्ट | स्कूल फॉर ओएच | तीसरा एवं अंतिम | 2015–16 | 536187 |
| 8 | गुजरात | जिला विकलांग पुर्नवास केंद्र वडोदरा | डीडीआरसी, वडोदरा | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 207587 |
| 9 | गुजरात | मानव विकास एवं अनुसंधान फाउंडेशन | एम आर के लिए घर आधारित पुनर्वास / व्यवसाय | प्रथम | 2015–16 | 425898 |
| 10 | गुजरात | मानव विकास एवं अनुसंधान फाउंडेशन | एम आर के लिए घर आधारित पुनर्वास / व्यवसाय | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 8849 |
| 11 | गुजरात | खुद्दार एजुकेशन ट्रस्ट | एमआर के लिए वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 15004 |
| 12 | गुजरात | मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 351135 |
| 13 | गुजरात | मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 69507 |
| | | | | | कुल | 2806224 |

| हरियाणा | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हरियाणा | रत: हसं | वीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 799740 |
| 2 | हरियाणा | रत: हसं | वीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 756810 |
| 3 | हरियाणा | ति | एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 42245 |
| 4 | हरियाणा | ल ा ल्या ई f ) | आशा स्कूल, अंबाला | प्रथम | 2014–15 | 220800 |
| 5 | हरियाणा | ल ग | एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 282087 |
| 6 | हरियाणा | ा रं ल्या | आशा स्कूल, हिसार | प्रथम | 2015–16 | 318855 |
| 7 | हरियाणा | वा लि कर | सिरसा में एचएच के लिए आरकेजे कल्याण समिति | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 293802 |
| 8 | हरियाणा | क्र (हि | पीएच के लिए आवासीय स्कूल एवं वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 169697 |
| 9 | हरियाणा | क्र (रें) | एमआर बच्चोंके लिए घर एवं वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 276154 |
| 10 | हरियाणा | क्र | एमआर बच्चोंके लिए घर एवं वीटीसी | प्रथम | 2015–16 | 630748 |
| 11 | हरियाणा | क्र | एमआर के लिए विशेष स्कूल (कलानोर) | प्रथम | 2015–16 | 245201 |
| 12 | हरियाणा | लफे | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर चिल्डरन | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 244530 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | हरियाणा | लोक कल्याण फाउंडेशन | स्पे. स्कूल फॉर मेंटली हेंडीकेप चिल्डरन | प्रथम | 2015–16 | 397971 |
| 14 | हरियाणा | मॉडर्न एजूकेशन सोसाइटी | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 525015 |
| 15 | हरियाणा | मॉडर्न एजूकेशन सोसाइटी | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 375624 |
| 16 | हरियाणा | सर्वोदय एजूकेशन सोसाइटी | एमआर एवं एचएच के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 284850 |
| 17 | हरियाणा | सर्वोदय एजूकेशन सोसाइटी | एमआर एवं एचएच के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 132235 |
| 18 | हरियाणा | तपन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी | ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन एंड एज्यूकेशनसेंटर फॉर एचएच एंड एमआर चिल्डरन | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 639870 |
| | | | | | कुल | 6636234 |
| | | | हिमाचल प्रदेश | | | |
| 1 | हिमाचल प्रदेश | आस्था वेलफेयर सोसाइटी | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 39269 |
| 2 | हिमाचल प्रदेश | चेतना | डे केयर सेंटर फॉर एम.आर. | प्रथम | 2015–16 | 517662 |
| 3 | हिमाचल प्रदेश | चेतना | डे केयर सेंटर फॉर एम.आर. | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 479232 |
| 4 | हिमाचल प्रदेश | चेतना | डे केयर सेंटर फॉर एम.आर. | प्रथम | 2016–17 | 506280 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | चेतना | सीबीआर प्रोग्राम | प्रथम | 2015–16 | 168696 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | चेतना | सीबीआर प्रोग्राम | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 168039 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (कुल्लू) | दृष्टिहीन के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 93888 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | पेराडाइज चिल्ड्रन केयर सेंटर | एमआर के लिए दे केयर सेंटर | प्रथम | 2014–15 | 119979 |
| | | | | | कुल | 2093045 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जम्मू एवं कश्मीर | | | | | | |
| 1 | जम्मू एवं कश्मीर | आ एफंड | आशा स्कूल, उद्यमपुर | प्रथम | 2014.15 | 325374 |
| | | | | | कुल | 325374 |
| झारखण्ड | | | | | | |
| 1 | झारखण्ड | सृ | स्पे. स्कूल फॉर एच.आई. एंड एम.आर. | प्रथम | 2015–16 | 94213 |
| | | | | | कुल | 94213 |
| कर्नाटक | | | | | | |
| 1 | कर्नाटक | अटि वहास | रेसीडेंशियल स्कूल फॉर द डिसेबल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 127251 |
| 2 | कर्नाटक | अटि वहास | रेसीडेंशियल स्कूल फॉर द डिसेबल | प्रथम | 2015–16 | 261637 |
| 3 | कर्नाटक | श्रति भ वि र | रेसीडेंशियल स्कूल फॉर ओएच | प्रथम | 2015–16 | 880875 |
| 4 | कर्नाटक | श्रति भ वि र | रेसीडेंशियल स्कूल फॉर ओएच | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 242325 |
| 5 | कर्नाटक | महा फॉर | ओएच के लिए वीटीसी (टीआरडीसी) | प्रथम | 2014–15 | 513792 |
| 6 | कर्नाटक | महा फॉर | ओएच के लिए वीटीसी (टीआरडीसी) | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 476604 |
| 7 | कर्नाटक | मह फॉर | ओएच के लिए वीटीसी (टीआरडीसी) | प्रथम | 2015–16 | 525276 |
| 8 | कर्नाटक | मह फॉर | वीएच के लिए स्कूल एवं वीटीसी (एसआरएमएबी) | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 59106 |
| 9 | कर्नाटक | मह फॉर | वीएच के लिए स्कूल एवं वीटीसी (एसआरएमएबी) | शेष | 2014–15 | 390771 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | कर्नाटक | श्री रमना महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाइंड | डीएसई (प्राइमरी वीआई) | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 182589 |
| 11 | कर्नाटक | श्री रमना महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाइंड | डीएसई (प्राइमरी वीआई) | प्रथम | 2015–16 | 163853 |
| 12 | कर्नाटक | श्री रमना महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाइंड | डीएसई (प्राइमरी वीआई) | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 163853 |
| 13 | कर्नाटक | श्री रमना महर्षि दिव्यांगजन ट्रस्ट | एलपीसी का पूनर्वास | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 580367 |
| 14 | कर्नाटक | श्री रमना महर्षि दिव्यांगजन ट्रस्ट | एलपीसी का पूनर्वास | प्रथम | 2015–16 | 1112943 |
| 15 | कर्नाटक | विश्वधर्म महिला माटू मकाला शिक्षण सेवाश्रम समिति | पीएच के लिए आवासीय स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 1040099 |
| 16 | कर्नाटक | येदीयूः श्री सिद्धालिंगेश्वर विद्यापीठ | पीएच के लिए आवासीय स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 405011 |
| 17 | कर्नाटक | येदीयूः श्री सिद्धालिंगेश्वर विद्यापीठ | ओएच के लिए आवासीय स्कूल (रेनूका) | प्रथम | 2014–15 | 491973 |
| | | | | | कुल | 7618325 |
| | | | केरल | | | |
| 1 | केरल | अल्फोन्स सोसल सेंटर | एमआर के लिए स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 494316 |
| 2 | केरल | अल्फोन्स सोसल सेंटर | एमआर के लिए स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 411192 |
| 3 | केरल | अनुग्रह सदन | बहु दिव्यांगता वाले सीपी बच्वें | प्रथम | 2015–16 | 366885 |
| 4 | केरल | अनुग्रह सदन | बहु दिव्यांगता वाले सीपी बच्वें | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 241414 |
| 5 | केरल | आशा भवन | पीएच के लिए वीटीएस | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 145557 |
| 6 | केरल | आशा भवन | पीएच के लिए वीटीएस | प्रथम | 2015–16 | 328014 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | केरल | नयमल ंटर | स्कूल फॉर एमआर (कोट्टायम) | दूसरा एवं अन्तिम | 2014.15 | 215820 |
| 8 | केरल | के पु | पीएच लड़कियों के लिए वीटीएस | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 344957 |
| 9 | केरल | के पु | पीएच लड़कियों के लिए वीटीएस | प्रथम | 2015–16 | 335107 |
| 10 | केरल | के पु | पीएच लड़कियों के लिए वीटीएस | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 258532 |
| 11 | केरल | ट झेक सोर | एमआर बच्चों के लिए केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 99000 |
| 12 | केरल | ज्यो स्टी | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 664467 |
| 13 | केरल | के ाण टेब ी | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 254180 |
| 14 | केरल | के ाण टेब ी | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 642611 |
| 15 | केरल | महेतु वेशेूल | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 830943 |
| 16 | केरल | स्थ | गंभार रूप से दिव्यांग एलसीपी के लिए घर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 193849 |
| 17 | केरल | ंटर | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 296491 |
| 18 | केरल | ंटर | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 639580 |
| 19 | केरल | वेल | मानसिक रूप से दिव्यांग हेतू विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 638395 |
| 20 | केरल | वेल | मानसिक रूप से दिव्यांग हेतू विशेष स्कूल | प्रथम | 2016–17 | 845451 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | केरल | इरनाकुलम महिला संघ | एमआर के लिए शिक्षा एवं वीटीसी | प्रथम | 2015–16 | 240300 |
| 22 | केरल | इरनाकुलम महिला संघ | एमआर के लिए शिक्षा एवं वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 198300 |
| 23 | केरल | फेथ इंडिया | वीटीसी | प्रथम | 2014–15 | 102107 |
| 24 | केरल | फेथ इंडिया | वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 83543 |
| 25 | केरल | फेथ इंडिया | दिव्यांग प्रशिक्षण एवं पुनर्वास (इरनाकुलम) | प्रथम | 2015–16 | 414351 |
| 26 | केरल | फेथ इंडिया | दिव्यांग प्रशिक्षण एवं पुनर्वास (इरनाकुलम) | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 409646 |
| 27 | केरल | फेथ इंडिया | एमआर के लिए विषेष स्कूल (पालाकाड) | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 962447 |
| 28 | केरल | फेथ इंडिया | दिव्यांग के लिए पेलेसमेंट सेवा (इरनाकुलम) | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 184225 |
| 29 | केरल | हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर विजूअली इम्पेयर्ड | वीटीसी फॉर वीएच | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 298656 |
| 30 | केरल | हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर विजूअली इम्पेयर्ड | वीटीसी फॉर वीएच | प्रथम | 2015–16 | 424476 |
| 31 | केरल | जेनी सेंटर | एमआर के लिए स्कूल एवं वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 57014 |
| 32 | केरल | दिव्यांग पुनर्वास हेतु जेकी सोसाइटी | एमआर बच्चों के लिए संस्थान | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 175568 |
| 33 | केरल | दिव्यांग पुनर्वास हेतु जेकी सोसाइटी | एमआर बच्चों के लिए संस्थान | प्रथम | 2015–16 | 374008 |
| 34 | केरल | के वेलायुधन मेमोरियल ट्रस्ट | एमआर के लिए स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 89996 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | केरल | ना | ओएच के लिए पुनर्वास केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 412758 |
| 36 | केरल | ना | ओएच के लिए पुनर्वास केंद्र | प्रथम | 2015.16 | 423524 |
| 37 | केरल | चेरि | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 114822 |
| 38 | केरल | ध न | वीएच के लिए वीटीसी एवं पुनर्वास केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 338778 |
| 39 | केरल | ध न | वीएच के लिए वीटीसी एवं पुनर्वास केंद्र | प्रथम | 2015–16 | 338461 |
| 40 | केरल | ारीरूप वेत संर रोव | दिव्यांग के लिए वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 303624 |
| 41 | केरल | ारीरूप वेत संर रोव | दिव्यांग के लिए वीटीसी | प्रथम | 2015–16 | 311018 |
| 42 | केरल | चैरि टी | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 759593 |
| 43 | केरल | चैरि टी | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 41352 |
| 44 | केरल | ोम बल टी | एमआर के लिए स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 359370 |
| 45 | केरल | म हे वन | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 244741 |
| 46 | केरल | म हे वन | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 579150 |
| 47 | केरल | म हे वन | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 579150 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | केरल | पोप जोन पाल पीस होम | गहन एमआर बच्चों के लिए प्रशिक्षण केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 632268 |
| 49 | केरल | पोप जोन पाल पीस होम | गहन एमआर बच्चों के लिए प्रशिक्षण केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 615438 |
| 50 | केरल | पोप जोन पाल पीस होम | गहन एमआर बच्चों के लिए प्रशिक्षण केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 533628 |
| 51 | केरल | प्रतिक्षा चेरीटेबल सोसाइटी | एमआर के लिए विशेष स्कूल एवं वीटीसी | प्रथम | 2015–16 | 642975 |
| 52 | केरल | प्रतिक्षा चेरीटेबल सोसाइटी | एमआर के लिए विशेष स्कूल एवं वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 612675 |
| 53 | केरल | मानसिक मंदता बच्चों के लिए प्रतिक्षा भवन | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 817215 |
| 54 | केरल | विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल के लिए रक्षा सोसाइटी | एमआर के लिए दे केयर सेंटर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 238632 |
| 55 | केरल | पुनर्वास फाउंडेशन | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 422319 |
| 56 | केरल | पुनर्वास फाउंडेशन | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 345632 |
| 57 | केरल | पुनर्वास फाउंडेशन | विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रोटरी संस्थान | प्रथम | 2016–17 | 396920 |
| 58 | केरल | विषेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रोटरी संस्थान | एमआर के लिए स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 1166951 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | केरल | खभी ्ता ल्टिरी | एमआर के लिए स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 1047642 |
| 60 | केरल | अद | स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली हेंडीकेप | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 198990 |
| 61 | केरल | क | एमआर के लिए स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 845821 |
| 62 | केरल | क | एमआर के लिए स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 272355 |
| 63 | केरल | क | एमआर के लिए स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 786888 |
| 64 | केरल | क | एमआर के लिए स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 687222 |
| 65 | केरल | वनल | ओएच बच्चों के लिए वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 183357 |
| 66 | केरल | वनल | ओएच बच्चों के लिए वीटीसी | प्रथम | 2015–16 | 226950 |
| 67 | केरल | र्ग र सेत्मेति | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 398061 |
| 68 | केरल | र्ग र सेत्मेति | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 398061 |
| 69 | केरल | केत | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 426030 |
| 70 | केरल | केत | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 503184 |
| 71 | केरल | ार. ेमोा काय्ट | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 122845 |
| 72 | केरल | ार. ेमोा काय्ट | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 457485 |
| 73 | केरल | ादन | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 325619 |
| 74 | केरल | ादन | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 526905 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | केरल | स्नेहानिलयाम विशेष स्कूल (जिसस सोसाइटी के स्केयर्ड हार्ट के हेंड मेंडस द्वारा प्रबंधन) | एमआर बच्चों के लिए स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 118168 |
| 76 | केरल | स्नेहराम चेरीटेबल सोसाइटी | एमआर के लिए स्कूल एवं प्रशिक्षण केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 972941 |
| 77 | केरल | समाज कल्याण केंद्र | एमआर ग्रोनअप लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 761934 |
| 78 | केरल | समाज कल्याण केंद्र | एमआर बच्चों के लिए संस्थान | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 1051965 |
| 79 | केरल | मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के पुनर्वास हेतू सोसाइटी | एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 180715 |
| 80 | केरल | सेंट जोसेफ सोशल सेंटर | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 877486 |
| 81 | केरल | विकास सामाजिक सेवा समिति | एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 644242 |
| 82 | केरल | विमला महिला समाज | एमआर बच्चों के लिए स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 932904 |
| 83 | केरल | विमला महिला समाज | एमआर बच्चों के लिए स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 466452 |
| 84 | केरल | महिला कल्याण केंद्र | एमआर के लिए आवासीय स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 279404 |
| 85 | केरल | यंग महिला ईसाई संघ | एमआर के लिए केंद्र | प्रथम | 2014–15 | 199280 |
| | | | | | कुल | 37385298 |
| | | | मध्य प्रदेश | | | |
| 1 | मध्य प्रदेश | अंकुर प्रगतिशील महिला केंद्र | वीएच के लिए विशेष स्कूल | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 384171 |
| 2 | मध्य प्रदेश | दीन दयाल अंत्योदय मिशन, बालाघाट | डीडीआरसी, बालाघाट | प्रथम | 2015–16 | 610956 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | मध्य प्रदेश | ल दय ला | डीडीआरसी, बालाघाट | पूर्ण एवं अंतिम | 2015–16 | 189317 |
| 4 | मध्य प्रदेश | ड द्वा जि पुन ए/ | डीडीआरसी, रेवा | प्रथम | 2015–16 | 294611 |
| 5 | मध्य प्रदेश | टी शन्र, | डीडीआरसी मंदसौर | प्रथम | 2015–16 | 250425 |
| 6 | मध्य प्रदेश | हिल समि | मूक बधिर के लिए वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 330444 |
| 7 | मध्य प्रदेश | रेड सी) | डीडीआरसी, जबलपुर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 130107 |
| 8 | मध्य प्रदेश | नर रो फ एंड चि | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 372930 |
| 9 | मध्य प्रदेश | कल समि | एमआर बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 221991 |
| 10 | मध्य प्रदेश | सं र र | बधिर के लिए विषेष स्कूल एवं बहु उद्देष्य प्रशिक्षण केंद्र | प्रथम | 2014–15 | 365883 |
| 11 | मध्य प्रदेश | ोनत ल्या | बहु दिव्यांग हेतु विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 815105 |
| 12 | मध्य प्रदेश | ि | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 25070 |
| 13 | मध्य प्रदेश | स बा फ ट सा | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 151500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | मध्य प्रदेश | सीमा सोशल वेलफेयर सोसाइटी | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 241861 |
| 15 | मध्य प्रदेश | श्री श्री उत्कर्श समिति | वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 117837 |
| 16 | मध्य प्रदेश | श्री श्री उत्कर्श समिति | वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर | दूसरा | 2015–16 | 292237 |
| 17 | मध्य प्रदेश | श्री श्री उत्कर्श समिति | वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर | तीसरा एवं अंतिम | 2015–16 | 267610 |
| 18 | मध्य प्रदेश | वंदन पुर्नवास एवं अनुसंधान संस्थान | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 484330 |
| 19 | मध्य प्रदेश | विकलांग सेवा भारती | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर चिल्डरन | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 480645 |
| | | | | | कुल | 6027030 |
| | | | महाराष्ट्र | | | |
| 1 | महाराष्ट्र | अहिल्यादेवी होल्कर शिक्षण प्रसारक मंडल | श्रवण बाधित हेतु विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 831996 |
| 2 | महाराष्ट्र | अहिल्यादेवी होल्कर शिक्षण प्रसारक मंडल | श्रवण बाधित हेतु विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 717275 |
| 3 | महाराष्ट्र | अपंग जीवन विकास संघ | विकलांग हेतु व्यवसायिक स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 304920 |
| 4 | महाराष्ट्र | अपंग जीवन विकास संघ | डीडीआरसी, अमरावती | प्रथम | 2015–16 | 459000 |
| 5 | महाराष्ट्र | अपंग जीवन विकास संघ | डीडीआरसी, अमरावती | दूसरा | 2015–16 | 374922 |
| 6 | महाराष्ट्र | अपंग जीवन विकास संघ | विशेष शिक्षा हेतु डी. एड कॉलेज | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 161550 |
| 7 | महाराष्ट्र | अपंग जीवन विकास संघ | विशेष शिक्षा हेतु डी. एड कॉलेज | प्रथम | 2015–16 | 267792 |
| 8 | महाराष्ट्र | अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट | दिव्यांग सेंटर | प्रथम | 2014–15 | 321888 |
| 9 | महाराष्ट्र | अयोध्या चैरिटेबल ट्रस्ट | दिव्यांग सेंटर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 321889 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | महाराष्ट्र | ा चेंल | दिव्यांग सेंटर | प्रथम | 2015–16 | 435120 |
| 11 | महाराष्ट्र | र ा<br>श्य ग<br>ग म | रेसीडेंसियल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 292739 |
| 12 | महाराष्ट्र | केकास्था | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 13828 |
| 13 | महाराष्ट्र | केकास्था | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 497223 |
| 14 | महाराष्ट्र | ार.व्यक<br>श्य । | वीआई के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 20792 |
| 15 | महाराष्ट्र | विक्संस्था | दिव्यांग आवासीय स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 268605 |
| 16 | महाराष्ट्र | विक्संस्था | दिव्यांग आवासीय स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 492624 |
| 17 | महाराष्ट्र | ा शि<br>क म | एचएच के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 190782 |
| 18 | महाराष्ट्र | एज्न<br>नफे<br>टी | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 337500 |
| 19 | महाराष्ट्र | स्वर<br>मोरान | एचएच के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 109121 |
| 20 | महाराष्ट्र | स्वर<br>मोरान | एचएच के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 364313 |
| 21 | महाराष्ट्र | न | टाकिंग बुक | प्रथम | 2015–16 | 600000 |
| 22 | महाराष्ट्र | न | टाकिंग बुक | दूसरा एवं अन्तिम | 2012–13 | 265845 |
| 23 | महाराष्ट्र | न | टाकिंग बुक | पूर्ण एवं अंतिम | 2013–14 | 650000 |
| 24 | महाराष्ट्र | न | टाकिंग बुक | प्रथम | 2014–15 | 600000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | महाराष्ट्र | राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे) | क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस | प्रथम | 2015–16 | 670191 |
| 26 | महाराष्ट्र | राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे) | क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस | दूसरा एवं अन्तिम | 2012–13 | 447725 |
| 27 | महाराष्ट्र | राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे) | क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस | पूर्ण एवं अंतिम | 2013–14 | 1350000 |
| 28 | महाराष्ट्र | राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे) | क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस | प्रथम | 2014–15 | 1350000 |
| 29 | महाराष्ट्र | राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे) | पलेसमेंट सेवा | प्रथम | 2015–16 | 105000 |
| 30 | महाराष्ट्र | राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे) | पलेसमेंट सेवा | दूसरा एवं अन्तिम | 2012–13 | 51600 |
| 31 | महाराष्ट्र | राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे) | पलेसमेंट सेवा | पूर्ण एवं अंतिम | 2013–14 | 120000 |
| 32 | महाराष्ट्र | राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे) | पलेसमेंट सेवा | प्रथम | 2014–15 | 102600 |
| 33 | महाराष्ट्र | राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे) | पुनर्वास विभाग | प्रथम | 2015–16 | 240000 |
| 34 | महाराष्ट्र | राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे) | पुनर्वास विभाग | दूसरा एवं अन्तिम | 2012–13 | 210708 |
| 35 | महाराष्ट्र | राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे) | पुनर्वास विभाग | पूर्ण एवं अंतिम | 2013–14 | 450000 |
| 36 | महाराष्ट्र | राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (बोम्बे) | पुनर्वास विभाग | प्रथम | 2014–15 | 360000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | महाराष्ट्र | प्रबे | श्रवण बाधित | प्रथम | 2015–16 | 416358 |
| 38 | महाराष्ट्र | नेके | एमआर के पुनर्वास केंद्र | प्रथम | 2015–16 | 339340 |
| 39 | महाराष्ट्र | बहु | डीडीआरसी, गोंदिया | प्रथम | 2015–16 | 256745 |
| 40 | महाराष्ट्र | | एमआर एवं प्रमस्तिष्क घात बच्चों के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 293422 |
| 41 | महाराष्ट्र | देई हुउ संर | धुले में एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 77030 |
| 42 | महाराष्ट्र | से शन | दृष्टिहीन बच्चों के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 383204 |
| 43 | महाराष्ट्र | द प्रस | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 185211 |
| 44 | महाराष्ट्र | अप | रेसीडेंसियल स्कूल फॉर डेफ एंड डंब | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 253047 |
| 45 | महाराष्ट्र | षिक्ष य कल्प | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 343986 |
| 46 | महाराष्ट्र | हुउ | एचएच के लिए आवासीय स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 416358 |
| 47 | महाराष्ट्र | हुउ | एचएच के लिए आवासीय स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 416358 |
| | | | | | कुल | 17738607 |

| मणिपुर | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मणिपुर | ऑल मणिपुर डिसेबल्ड एंड हेंडीकेप पर्सन्स डवलपमेंट एजेंसी | वाकेशनल ट्रेनिंग सेंटर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 156868 |
| 2 | मणिपुर | ऑल मणिपुर हेंडीकेप पर्सन्स वेलफेयर एसोसिएशनन | वाकेशनल ट्रेनिंग सेंटर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 134783 |
| 3 | मणिपुर | ऑल मणिपुर मेंटली हेंडीकेप पर्सन्स वेलफेयर ऑग्रेनाइजेशन | वीटीसी फॉर पर्सन्स विद सीपीएमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 522729 |
| 4 | मणिपुर | बेटर लिविंग कंडीशन एंड रिसर्च ऑग्रेनाइजेषन | स्पेशल स्कूल ऑफ मेंटली हेंडीकेप चिल्डरन | प्रथम | 2015–16 | 326165 |
| 5 | मणिपुर | विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट रूरल सोशल वेलफेयर सोसाइटी | दिव्यांग विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 113292 |
| 6 | मणिपुर | विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट रूरल सोशल वेलफेयर सोसाइटी | दिव्यांग विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 558228 |
| 7 | मणिपुर | सेंटर फॉर डवलपमेंट एक्टीविटिस | हाफ वे हॉम | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 29097 |
| 8 | मणिपुर | सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर कम वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 231248 |
| 9 | मणिपुर | सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन | मेंटेनेंस ऑफ एमआर चिल्डरन | प्रथम | 2015–16 | 509118 |
| 10 | मणिपुर | सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन | मेंटेनेंस ऑफ एमआर चिल्डरन | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 169707 |
| 11 | मणिपुर | सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन | हाफ वे हॉम फॉर मेंटली इल पर्सन्स | प्रथम | 2015–16 | 572265 |
| 12 | मणिपुर | सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन | हाफ वे हॉम फॉर मेंटली इल पर्सन्स | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 190755 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | मणिपुर | ल । ंट ड ले एल | रेसीडेंसियल स्कूल फॉर पीएच | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 350502 |
| 14 | मणिपुर | वं । संग मा | वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 674311 |
| 15 | मणिपुर | विव न भार | वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 219531 |
| 16 | मणिपुर | विव न भार | वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर | प्रथम | 2015–16 | 420336 |
| 17 | मणिपुर | गा ी | वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 232011 |
| 18 | मणिपुर | गा ी | एमआर एवं बहु दिव्यांग के लिए विषेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 967977 |
| 19 | मणिपुर | गा ी | प्री स्कूल एंड ई. आई. एंड ट्रेनिंग सेंटर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 126454 |
| 20 | मणिपुर | ूट डवा कर | वीटीसी फॉर डिसेबल्ड | प्रथम | 2014–15 | 139227 |
| 21 | मणिपुर | ूट डवा कर न | वीटीसी फॉर डिसेबल्ड | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 139228 |
| 22 | मणिपुर | ूट डवा कर | एचएच के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 797933 |
| 23 | मणिपुर | ूट डवा कर | एचएच के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 177319 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | मणिपुर | कहा–मणिपुर पेरेंट एसोसिएशन फॉर द डिसेबल्ड | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर एंड सीपी चिल्डरन | प्रथम | 2015–16 | 438311 |
| 25 | मणिपुर | कहा–मणिपुर पेरेंट एसोसिएशन फॉर द डिसेबल्ड | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर एंड सीपी चिल्डरन | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 438311 |
| 26 | मणिपुर | मणिपुर गाइडेंस सेंटर (एमएजीसी) | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 258489 |
| 27 | मणिपुर | सामाजिक सेवा में अग्रिणी लोग (पीएएसएस) | मानसिक रूप से बिमार व्यक्तियों के लिए विषेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 1101933 |
| 28 | मणिपुर | रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेंडीकेप पर्सन्स | दिव्यांग के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 749414 |
| 29 | मणिपुर | ग्रामीण विकास समिति, थौबाल, मणिपुर | हाफ वे हॉम | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 266526 |
| 30 | मणिपुर | ग्रामीण शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास संगठन | वीटीसी फॉर डिसेबल्ड | प्रथम | 2015–16 | 713513 |
| 31 | मणिपुर | सोशल एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन | वाकेशनल ट्रेनिंग सेंटर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 112545 |
| 32 | मणिपुर | सोशल एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन | हाफ वे हॉम | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 300339 |
| 33 | मणिपुर | द डेवलपमेंट फॉर वूमन्स प्रोग्राम सेंटर | वाकेशनल ट्रेनिंग सेंटर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 424225 |
| 34 | मणिपुर | द डेवलपमेंट फॉर वूमन्स प्रोग्राम सेंटर | वाकेशनल ट्रेनिंग सेंटर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 137214 |
| 35 | मणिपुर | द वूमन्स इकोनोमिक डेवलपमेंट सोसाइटी | वीटीसी फॉर डिसेबल्ड | प्रथम | 2015–16 | 1130086 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | मणिपुर | [illegible] | वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबल्ड | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 1100395 |
| 37 | मणिपुर | [illegible] | वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 202632 |
| 38 | मणिपुर | [illegible] | वीटीसी | प्रथम | 2015–16 | 348003 |
| | | | | | कुल | 16081020 |
| | | | मेघालय | | | |
| 1 | मेघालय | ...नकेंद्र ...कल्य ...ल्र्ल | आशा स्कूल, शिलोंग | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 301711 |
| 2 | मेघालय | ...सो | हॉस्टल फॉर डिसेबल्ड | प्रथम | 2015–16 | 804100 |
| 3 | मेघालय | ...जिंग ... फॉ ...रननीड ... स्पे ...केश | एज्यूकेशन कम वीटीसी फॉर एमआर एंड स्पेस्टिक्स | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 349586 |
| 4 | मेघालय | ...फोर्ट ...एन्न | विशेष स्कूल एवं हॉस्टल | प्रथम | 2014–15 | 953552 |
| 5 | मेघालय | ...फोर्ट ...एन्न | विशेष स्कूल एवं हॉस्टल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 856895 |
| 6 | मेघालय | ...यांगमाण ...ति | श्रवण बाधित हेतु विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 344377 |
| 7 | मेघालय | ...यांगमाण ...ति | विशेष शिक्षा हेतु मेरी राइस सेंटर | प्रथम | 2015–16 | 703382 |
| | | | | | कुल | 4313603 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मिजोरम | | | | | | |
| 1 | मिजोरम | समर्थन एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड | स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 607541 |
| 2 | मिजोरम | मिजोरम स्पास्टिक सोसइटी | सीपी, एमएच एवं एचएच के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 130634 |
| | | | | | कुल | 738175 |
| ओडिशा | | | | | | |
| 1 | ओडिशा | ऑल इंण्डिया वूमन्स कॉन्फ्रेंस | स्पे. स्कूल फॉर मल्टीपल हेंडीकेप्ड | प्रथम | 2015–16 | 391655 |
| 2 | ओडिशा | ऑल इंण्डिया वूमन्स कॉन्फ्रेंस | स्पे. स्कूल फॉर मल्टीपल हेंडीकेप्ड | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 328585 |
| 3 | ओडिशा | अरूण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स | वीटीसी फॉर डिसेबल्ड | प्रथम | 2015–16 | 356756 |
| 4 | ओडिशा | अरूण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स | वीटीसी फॉर डिसेबल्ड | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 257112 |
| 5 | ओडिशा | एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटिज | वीटीसी फॉर डिसेबल्ड (जगतसिंहपुर) | प्रथम | 2015–16 | 399600 |
| 6 | ओडिशा | एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटिज | वीटीसी फॉर डिसेबल्ड (जगतसिंहपुर) | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 377275 |
| 7 | ओडिशा | एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटिज | दिव्यांग के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 950190 |
| 8 | ओडिशा | एसोसिएशनन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटिज | दिव्यांग के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 920164 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ओडिशा | एशर एव | स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, डीफ एंड एमआर | प्रथम | 2014–15 | 0 |
| 10 | ओडिशा | एशर एव | स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, डीफ एंड एमआर | प्रथम | 2014–15 | 84150 |
| 11 | ओडिशा | एशर एव | रिहेबिलिटेशन ऑफ एलसीपी | प्रथम | 2014–15 | 37673 |
| 12 | ओडिशा | एशर एव | सीबीआर प्रोग्राम | प्रथम | 2014–15 | 28158 |
| 13 | ओडिशा | लb | वीटीसी फॉर ओएच | प्रथम | 2015–16 | 296352 |
| 14 | ओडिशा | लb | स्पेशल स्कूल फॉर मल्टीपल हेंडीकेप्ड | प्रथम | 2015–16 | 623138 |
| 15 | ओडिशा | लb | रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ एलसीपी (हॉम फॉर द लेप्रोसी) | प्रथम | 2015–16 | 308120 |
| 16 | ओडिशा | लb | सीबीआर प्रोग्राम | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 461934 |
| 17 | ओडिशा | ज्यो | स्पेशल स्कूल फॉर हेंडीकेप चिल्डरन | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 1025250 |
| 18 | ओडिशा | ॉर टेः एंडर्व एस | स्पास्टिक बच्चों के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 739377 |
| 19 | ओडिशा | ॉर टेश्वर्विस र्च | सीबीआर प्रोग्राम | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 491760 |
| 20 | ओडिशा | रर्स र | डीडीआरसी, नबरंगपुर | प्रथम | 2015–16 | 294204 |
| 21 | ओडिशा | वेक कें | डीडीआरसी, फूलबानी | प्रथम | 2015–16 | 221940 |
| 22 | ओडिशा | ट ल्ड | स्पेशल स्कूल फॉर डिसेबल्ड | प्रथम | 2015–16 | 880032 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ओडिशा | डिस्ट्रीक्ट डिसेबल्ड स्कूल | स्पेशल स्कूल फॉर डिसेबल्ड | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 818784 |
| 24 | ओडिशा | इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी | एमआर के लिए विशेष स्कूल (सहाया) | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 205852 |
| 25 | ओडिशा | जया किसान यूथ क्लब | रिहेबिलिटेशन ऑफ एलसीपी | प्रथम | 2015–16 | 650902 |
| 26 | ओडिशा | जीवनज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर मेंटली एंड फिजिकली हेंडीकेप्ड | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 1033911 |
| 27 | ओडिशा | महाबीर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट | स्पेशल स्कूल फॉर डेफ | प्रथम | 2014–15 | 1075507 |
| 28 | ओडिशा | महाराजा कृष्णा चंद्रा गजपति स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डेफ | स्पेशल स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डेफ | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 437835 |
| 29 | ओडिशा | नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआरडीसी) | वीटीसी फॉर एलसीपी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 179798 |
| 30 | ओडिशा | नेहरू सेवा संघ | पीएच के लिए औद्योगिक, संगीत संबंधी एवं सामान्य संस्थान | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 732971 |
| 31 | ओडिशा | नेहरू सेवा संघ | पीएच के लिए औद्योगिक, संगीत संबंधी एवं सामान्य संस्थान | प्रथम | 2015–16 | 414652 |
| 32 | ओडिशा | नेहरू सेवा संघ | पीएच के लिए औद्योगिक, संगीत संबंधी एवं सामान्य संस्थान | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 414653 |
| 33 | ओडिशा | नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान | दिव्यांग के लिए वीटीसी | प्रथम | 2015–16 | 304920 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ओडिशा | ल न | स्पेशल स्कूल फॉर डेफ एंड डंब | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 377204 |
| 35 | ओडिशा | लि | प्रमस्तिष्क घात बच्चों के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 482205 |
| 36 | ओडिशा | लि | प्रमस्तिष्क घात बच्चों के लिए विषेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 406455 |
| 37 | ओडिशा | पुनएवं ान | स्पास्टिक बच्चों के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 511565 |
| 38 | ओडिशा | पुनएवं ान | एमआर बच्चों के लिए आवासीय स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 365239 |
| 39 | ओडिशा | डवट से एर्स | हाफ वे हॉम | प्रथम | 2015–16 | 273483 |
| 40 | ओडिशा | युव | वाक एवं श्रवण बाधित के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 562083 |
| 41 | ओडिशा | ी ल शन | स्कूल फॉर एचएच /एमआर/ब्लाइंड | प्रथम | 2015–16 | 381817 |
| 42 | ओडिशा | टी रमेंट मेंट ोए) | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 1036161 |
| 43 | ओडिशा | प्रशिएवं नमक– संघ | दिव्यांग के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 1013039 |
| 44 | ओडिशा | प्रशिएवं नमव धि | दिव्यांग के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 269684 |
| 45 | ओडिशा | क ंघ | स्पेशल स्कूल फॉर डेफ एंड एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 902084 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ओडिशा | विजया | दृष्टिहीन, मूक एवं बधिर लड़कियों के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 651176 |
| 47 | ओडिशा | वोलेंट्री ऑग्रेनाइजेशन फॉर रूरल इम्प्रूवमेंट | स्पे. स्कूल फॉर ब्लाइंड एंड डेफ | प्रथम | 2015–16 | 541856 |
| 48 | ओडिशा | महिला समुदाय प्रबंधन समूह | एलसीपी के लिए पुनर्वास केंद्र | प्रथम | 2015–16 | 629539 |
| 49 | ओडिशा | महिला समुदाय प्रबंधन समूह | एलसीपी के लिए पुनर्वास केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 541069 |
| | | | | | कुल | 24687869 |
| | | | पुडुचेरी | | | |
| 1 | पुडुचेरी | श्री पतचेअप्पन सोसाइटी फॉर एज्यूकेशन, रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द हियरिंग इम्पेयर्ड | स्पेशल स्कूल फॉर एचएच | प्रथम | 2015–16 | 716820 |
| | | | | | कुल | 716820 |
| | | | पंजाब | | | |
| 1 | पंजाब | आशा दीप कल्याण समिति | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 391365 |
| 2 | पंजाब | विकलांग बच्चों के लिए चेतक आशा स्कूल, भाटिन्डा | आशा स्कूल, भाटिन्डा | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 236175 |
| 3 | पंजाब | विकलांग बच्चों के लिए चेतक आशा स्कूल, भाटिन्डा | आशा स्कूल, भाटिन्डा | प्रथम | 2015–16 | 351870 |
| 4 | पंजाब | इण्डियन रेड क्रॉस सोसाइटी, (फरीदकोट) | दृष्टिहीन के लिए विशेष स्कूल | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 218369 |
| 5 | पंजाब | इण्डियन रेड क्रॉस सोसाइटी, (फरीदकोट) | एमआर बच्चों के लिए स्कूल | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 286010 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | पंजाब | न ग़ॅस टी, कोि | एमआर बच्चों के लिए स्कूल | षेष | 2014–15 | 57203 |
| 7 | पंजाब | न ग़ॅस टी, रूर) | डीडीआरसी | प्रथम | 2015–16 | 222270 |
| 8 | पंजाब | न न | दृष्टिहीन बच्चों के लिए संस्थान | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 267907 |
| 9 | पंजाब | विनीष स्कू | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 829463 |
| 10 | पंजाब | के रेड स्कू | मूक बधिर बच्चों के लिए विशेष स्कूल | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 628116 |
| 11 | पंजाब | यिर्व्वास ग | दृष्टिहीन के लिए शिक्षा वीटीसी कार्यशाला | प्रथम | 2015–16 | 579283 |
| 12 | पंजाब | यिर्व्वास ग | दृष्टिहीन के लिए शिक्षा वीटीसी कार्यशाला | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 576637 |
| 13 | पंजाब | काआर्मी न वेर एशना ग र) | आशा स्कूल, चांदीमंदिर | प्रथम | 2014–15 | 362062 |
| 14 | पंजाब | काआर्मी न वेर एशना ग र) | आशा स्कूल, चांदीमंदिर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 120688 |
| | | | | | कुल | 5127418 |
| | | | राजस्थान | | | |
| 1 | राजस्थान | आस्कूल | आशा स्कूल, जोधपुर | प्रथम | 2015–16 | 298494 |
| 2 | राजस्थान | बाकास | हॉस्टल एंड वीटीसी फॉर डेफ | प्रथम | 2015–16 | 300570 |
| 3 | राजस्थान | बाकास | हॉस्टल एंड वीटीसी फॉर डेफ | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 34395 |
| 4 | राजस्थान | वि ए पोत | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 77152 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | राजस्थान | दिषा– विकलांग के लिए एक स्रोत केंद्र | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 84781 |
| 6 | राजस्थान | दिषा– विकलांग के लिए एक स्रोत केंद्र | एमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 267919 |
| 7 | राजस्थान | जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र, जालोर | डीडीआरसी, जालोर | पूर्ण एवं अंतिम | 2015–16 | 259084 |
| 8 | राजस्थान | इण्डियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर | वीटीसी फॉर डिसेबल्ड | प्रथम | 2014–15 | 403025 |
| 9 | राजस्थान | इण्डियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर | वीटीसी फॉर डिसेबल्ड | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 134342 |
| 10 | राजस्थान | इण्डियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर | वीटीसी फॉर डिसेबल्ड | प्रथम | 2015–16 | 362370 |
| 11 | राजस्थान | जेमिनी शिक्षण एवं ग्रामिण विकास संस्था | वीटीसी फॉर डिसेबल्ड | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 282626 |
| 12 | राजस्थान | कौशल सेवा संस्थान | वीटीसी फॉर डिसेबल्ड | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 40928 |
| 13 | राजस्थान | एलकेसी श्री जगदंबा अंध विद्यालय समिति | अंध एवं बधिर के लिए स्कूल एवं हॉस्टल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 929370 |
| 14 | राजस्थान | मरूधारा बाल षिक्षण संस्थान | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 341400 |
| 15 | राजस्थान | मर्सी रिहेबिलिटेशन सोसाइटी | स्पेशल स्कूल कम रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मल्टी डिसऑर्डर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 339565 |
| 16 | राजस्थान | नारायण सेवा संस्थान | जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 332100 |
| 17 | राजस्थान | नारायण सेवा संस्थान | वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर डिसेबल्ड | प्रथम | 2015–16 | 280147 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | राजस्थान | ा रं | सीबीआर प्रोग्राम | प्रथम | 2015–16 | 189638 |
| 19 | राजस्थान | ना क क विद | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 519489 |
| 20 | राजस्थान | केा न म ग ा र ाई) | दृष्टिहीन के लिए हॉस्टल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 28000 |
| 21 | राजस्थान | संर | रेसिडेंसियल स्कूल फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 648765 |
| 22 | राजस्थान | सेंतर एजन केश | स्पेशल एज्यूकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर | प्रथम | 2015–16 | 493716 |
| 23 | राजस्थान | सेंतर एजन केश | स्पेशल एज्यूकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 374750 |
| 24 | राजस्थान | ामता र टी | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 166889 |
| 25 | राजस्थान | सि | वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 43099 |
| 26 | राजस्थान | सि | वीटीसी | प्रथम | 2015–16 | 137133 |
| 27 | राजस्थान | ए लांगलिए कूल | आटिज्म एवं बहुविकलांग के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 275838 |
| 28 | राजस्थान | तना वेज्ञाध | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 341614 |
| 29 | राजस्थान | क ािग ग्राण | निर्मल विवेक स्कूल एवं हॉस्टल | प्रथम | 2014–15 | 38685 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | राजस्थान | उमंग | मानसिक मंदता स्कूल एवं सीपी के लिए परियोजना | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 128497 |
| | | | | | कुल | 8154381 |
| | | | तमिलनाडु | | | |
| 1 | तमिलनाडु | मानसिक मंदता के लिए कारमल सेंटर | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 504480 |
| 2 | तमिलनाडु | क्रिस्टियन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड–इण्डिया | ट्रेनिंग कम रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर डिसेबल्ड | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 209633 |
| 3 | तमिलनाडु | क्रिस्टियन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड–इण्डिया | ब्रेली प्रेस फॉर द वीएच | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 337659 |
| 4 | तमिलनाडु | क्रिस्टियन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड–इण्डिया | ब्रेली प्रेस फॉर द वीएच | षेष | 2014–15 | 260008 |
| 5 | तमिलनाडु | डेवलपमेंट एज्यूकेषन | स्पेशल स्कूल फॉर एम.आर. | प्रथम | 2014–15 | 394273 |
| 6 | तमिलनाडु | अंध के लिए आई.ई. एल.सी. स्कूल | हॉस्टल एवं वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 488153 |
| 7 | तमिलनाडु | इण्डियन एसोसिएशनन फॉर द ब्लाइंड | ब्रेल लाइब्रेरी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 27000 |
| 8 | तमिलनाडु | कोंगू अरीवालायम स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर चिल्डरन | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 843183 |
| 9 | तमिलनाडु | लाइफ ऐड सेंटर फॉर द डिसेबल्ड | रेसिडेंसियल स्कूल फॉर द डेफ | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 330118 |
| 10 | तमिलनाडु | लाइफ ऐड सेंटर फॉर द डिसेबल्ड | रेसिडेंसियल स्कूल फॉर द डेफ | प्रथम | 2015–16 | 496686 |
| 11 | तमिलनाडु | मधुरम नारायण सेंटर फॉर एक्ससेप्शनल चिल्डरन | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 50115 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | तमिलनाडु | नार ॉर शन न | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 436177 |
| 13 | तमिलनाडु | स्कूर चित | स्पेशल स्कूल एंड टीआरजी फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 133308 |
| 14 | तमिलनाडु | भार ोइर एवं ल ान | श्रवण बाधित के लिए स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 102391 |
| 15 | तमिलनाडु | ति | वीटीसी फॉर हेंडीकेप एंड एमआर | प्रथम | 2014–15 | 53160 |
| 16 | तमिलनाडु | सेमेति | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर चिल्ड्रन | प्रथम | 2015–16 | 403945 |
| 17 | तमिलनाडु | री स | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | प्रथम | 2014–15 | 440754 |
| 18 | तमिलनाडु | फग ल्डाल ग) | स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 370305 |
| 19 | तमिलनाडु | फग ल्डाल ग) | स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड | प्रथम | 2015–16 | 367278 |
| 20 | तमिलनाडु | टक री डू | सीपीएमआर के लिए वीटीसी | प्रथम | 2015–16 | 264838 |
| 21 | तमिलनाडु | टक री डू | जनशक्ति विकास परियोजना | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 84231 |
| 22 | तमिलनाडु | ापत य क | फिजियोथेरेपी उपचार यूनिट | प्रथम | 2014–15 | 82031 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | तमिलनाडु | तिरूचिरापल्ली बहुउद्देश्य सामाजिक सेवा समिति | फिजियोथेरेपी उपचार यूनिट | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 75469 |
| 24 | तमिलनाडु | विजय मानव सेवा | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | प्रथम | 2014–15 | 157466 |
| 25 | तमिलनाडु | विजय मानव सेवा | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 52489 |
| | | | | | कुल | 6965150 |
| | | | तेलंगाना | | | |
| 1 | तेलंगाना | दिव्यांग आशा ज्योति कल्याण संघ | मानसिक एवं बहु विकलांग के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 181609 |
| 2 | तेलंगाना | दिव्यांग आशा ज्योति कल्याण संघ | मानसिक एवं बहु विकलांग के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 771694 |
| 3 | तेलंगाना | बीआरईएसएच भद्राचलम एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन एंड एज्यूकेशनसोसाइटी फॉर हेंडीकेप | रेसिडेंसियल स्कूल फॉर एचआई, एमआर, एंड वीटीसी | प्रथम | 2015–16 | 1244700 |
| 4 | तेलंगाना | बीआरईएसएच भद्राचलम एजेंसी फॉर रूरल डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन एंड एज्यूकेशन सोसाइटी फॉर हेंडीकेप | रेसिडेंसियल स्कूल फॉर एचआई, एमआर, एंड वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 1162890 |
| 5 | तेलंगाना | देवनार अंध फाउंडेशन | अंध के लिए आवासीय स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 2479055 |
| 6 | तेलंगाना | इको क्लब ब्रह्मा इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हेंडीकेप्ड | स्पेशल स्कूल फॉर एमएच | पूर्ण एवं अंतिम | 2015–16 | 798343 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | तेलंगाना | वं नक<br>बच्चलिए<br>केलल | बधिर एवं एमआर बच्चों के लिए दिवस एवं आवासीय स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 942173 |
| 8 | तेलंगाना | | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 667269 |
| 9 | तेलंगाना | ना | स्पे स्कूल फॉर एमआर पर्सन | प्रथम | 2015–16 | 668145 |
| 10 | तेलंगाना | बे<br>ानइटी | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 1041900 |
| 11 | तेलंगाना | एस्शन<br>मेंट<br>ड | स्कूल एज्यूकेशन एंड वीटीसी फॉर एमएच | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 60075 |
| 12 | तेलंगाना | प | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 623771 |
| 13 | तेलंगाना | प (ग्री) | स्पेशल स्कूल एंड वीटीसी फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 814804 |
| 14 | तेलंगाना | प (ग्री) | स्पेशल स्कूल एंड वीटीसी फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 728925 |
| 15 | तेलंगाना | प<br>गर | वीटीसी फार एमआर | प्रथम | 2015–16 | 628473 |
| 16 | तेलंगाना | प<br>गर | स्पेशल स्कूल एंड वीटीसी फार एमआर | प्रथम | 2014–15 | 538522 |
| 17 | तेलंगाना | प<br>गर | स्पेशल स्कूल एंड वीटीसी फार एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 323084 |
| 18 | तेलंगाना | प<br>राबा | वीटीसी फार एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 79102 |
| 19 | तेलंगाना | प<br>राबा | वीटीसी फार एमआर | प्रथम | 2015–16 | 233650 |
| 20 | तेलंगाना | कय<br>यों<br>पेता | एमआर के लिए वीटीसी एवं पुनर्वास केंद्र | प्रथम | 2015–16 | 260187 |
| 21 | तेलंगाना | प | वीटी एवं सेल्टर्ड वर्कशॉप (मनोचेतना) | प्रथम | 2015–16 | 844537 |
| 22 | तेलंगाना | लि<br>य र | अंध के लिए आवासीय स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 1005375 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | तेलंगाना | अंध के लिए आवासीय स्कूल | अंध के लिए आवासीय स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 1058400 |
| 24 | तेलंगाना | सबिथा एज्यूकेशन सोसाइटी | मानसिक विकलांग हेतु विशेष शिक्षा एवं वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 166601 |
| 25 | तेलंगाना | सबिथा एज्यूकेशन सोसाइटी | मानसिक विकलांग हेतु विशेष शिक्षा एवं वीटीसी | प्रथम | 2015–16 | 398131 |
| 26 | तेलंगाना | श्री साई एज्यूकेशन सोसाइटी | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | तीसरा एवं अंतिम | 2014–15 | 72711 |
| 27 | तेलंगाना | श्री साई एज्यूकेशन सोसाइटी | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 519187 |
| 28 | तेलंगाना | श्री साई एज्यूकेशन सोसाइटी | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 519188 |
| 29 | तेलंगाना | विशेष बच्चों के लिए श्री विद्या केंद्र | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 345595 |
| 30 | तेलंगाना | विशेष बच्चों के लिए श्री विद्या केंद्र | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 1478012 |
| 31 | तेलंगाना | स्वर्णा स्वयंकरूशि सोसाइटी | स्पेशल स्कूल एंड वोकेशनल सेंटर फॉर एमएच | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 526448 |
| 32 | तेलंगाना | स्वयंकरूशि | हॉम फॉर एज्ड एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 68957 |
| 33 | तेलंगाना | द करीमनगर जिला फ्रिडम फाइटर ट्रस्ट | एम आर के लिए स्कूल एवं वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 530412 |
| 34 | तेलंगाना | थेरेसा मेंटली चेलेंज्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर चिल्डरन | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 629235 |
| 35 | तेलंगाना | वेगेंसा फाउंडेशन | स्कूल फॉर पीएच | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 915678 |
| 36 | तेलंगाना | वेगेंसा फाउंडेशन | स्कूल फॉर पीएच | प्रथम | 2015–16 | 1045647 |
| 37 | तेलंगाना | आत्मीय मानसिक विकास केंद्रम | स्पेशल स्कूल एंड वीटीसी फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 950842 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | तेलंगाना | देश ॉर केत्कर | रेसी. स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 278007 |
| 39 | तेलंगाना | ह्यू | वीटीसी फार एमआर | प्रथम | 2015–16 | 210450 |
| 40 | तेलंगाना | ह्यू | वीटीसी फार एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 210450 |
| 41 | तेलंगाना | ह्यू | रेसी. एंड डे केयर सेंटर फॉर एमआर. | प्रथम | 2015–16 | 878595 |
| 42 | तेलंगाना | ह्यू | रेसी. एंड डे केयर सेंटर फॉर एमआर. | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 878595 |
| 43 | तेलंगाना | पेशटर | रेसीडेंसियल स्कूल एंड वीटीसी फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 648018 |
| 44 | तेलंगाना | दि | स्पेशल स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 1696887 |
| 45 | तेलंगाना | दिरेंद्र | स्पेशल स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 1479303 |
| 46 | तेलंगाना | ास सं | वीएच के लिए हॉस्टल एवं विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 1113635 |
| 47 | तेलंगाना | देश ल ब. हिला), | वोके. ट्रेनिंग / रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर हेंडीकेप्ड | तीसरा एवं अंतिम | 2014–15 | 284552 |
| 48 | तेलंगाना | देश ल ब. हिला), | वोके. ट्रेनिंग / रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर हेंडीकेप्ड | प्रथम | 2015–16 | 827685 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | तेलंगाना | दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर (आंध्रा महिला सभा), हैदराबाद | स्पेशल एज्यूकेशनसेंटर फॉर एमआर/एचएच | प्रथम | 2015–16 | 1127497 |
| 50 | तेलंगाना | दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर (आंध्रा महिला सभा), हैदराबाद | स्पेशल एज्यूकेशनसेंटर फॉर एमआर/एचएच | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 1056248 |
| 51 | तेलंगाना | ग्रेसी ऑग्रेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट सर्विस | स्कूल फॉर डेफ एंड डंब | प्रथम | 2015–16 | 541265 |
| 52 | तेलंगाना | मानव संसाधन विकास समिति | पीएच के लिए वीटीसी एवं पुनर्वास केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 726276 |
| 53 | तेलंगाना | मानव संसाधन विकास समिति | पीएच के लिए वीटीसी एवं पुनर्वास केंद्र | प्रथम | 2015–16 | 1254937 |
| 54 | तेलंगाना | लक्ष्य साधना सोसाइटी फॉर द मेंटली हेंडीकेप्ड | रेसीडेंसियल स्कूल एंड वीटीसी फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 530175 |
| 55 | तेलंगाना | लक्ष्य साधना सोसाइटी फॉर द मेंटली हेंडीकेप्ड | रेसीडेंसियल स्कूल एंड वीटीसी फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 530175 |
| 56 | तेलंगाना | पामेनकेप | स्पेशल स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 622773 |
| 57 | तेलंगाना | पामेनकेप (सिकंदराबाद) | वीटीसी फार एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 233651 |
| 58 | तेलंगाना | पामेनकेप | वी.टी. एवं सेल्टर्ड वर्कशॉप (मनोचेतना) | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 281513 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | तेलंगाना | न | एमआर के लिए विशेष शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र एवं पुनर्वास केंद्र (मनोकरूशि) | प्रथम | 2015–16 | 2045493 |
| 60 | तेलंगाना | युव | वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहेब. सेंटर फॉर डिसेबल्ड | प्रथम | 2015–16 | 465570 |
| 61 | तेलंगाना | टीत्फॉर रेटा | स्पे स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 173703 |
| 62 | तेलंगाना | टीत्फॉर रेटा | स्पे स्कूल फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 331492 |
| 63 | तेलंगाना | सो टली ड | स्पे स्कूल फॉर एंड वीटीसी फार एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 490894 |
| 64 | तेलंगाना | सो टलीकेप्ड | रेसिडेंसियल स्पेशल स्कूल फॉर एमआर एट नालगोंडा | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 670323 |
| 65 | तेलंगाना | वा | स्कूल एंड वीटीसी फॉर एमआर | प्रथम | 2015–16 | 628326 |
| 66 | तेलंगाना | केत | मानसिक विकलांग हेतु आवासीय संस्थान | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 928849 |
| 67 | तेलंगाना | केत | मनौवेज्ञानिक– सामाजिक पुनर्वास के लिए ऑफ वे होम और उपचार | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 265645 |
| 68 | तेलंगाना | फान | दिव्यांग के लिए आवासीय स्कूल एवं वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 939495 |
| 69 | तेलंगाना | ग्रार्म ण | स्पे स्कूल फॉर एमआर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 575569 |
| 70 | तेलंगाना | ग्रार्म ण | दृष्टिबाधित के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 297607 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | तेलंगाना | सोसाइटी फॉर एज्यूकेशनएंड रेह ऑफ विजुअली हेंडीकेप्ड | सीबीआर प्रोग्राम | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 493925 |
| 72 | तेलंगाना | सोसाइटी फॉर एज्यूकेशनएंड रेह ऑफ विजुअली हेंडीकेप्ड | सीबीआर प्रोग्राम | प्रथम | 2015–16 | 431616 |
| 73 | तेलंगाना | स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस | बधिर शिक्षक हेतु प्रशिक्षण संस्थान | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 65663 |
| 74 | तेलंगाना | स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस | स्पे स्कूल फॉर एमआर चिल्ड्रन | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 915522 |
| 75 | तेलंगाना | स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस | स्पेशल स्कूल फॉर डेफ | प्रथम | 2015–16 | 2481000 |
| 76 | तेलंगाना | ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन। मानसिक विकलांगों हेतु | स्पेशल इंस्टीट्यूट फॉर एमआर (हैदराबाद) | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 1194530 |
| 77 | तेलंगाना | ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन। मानसिक विकलांगों हेतु | स्पेशल इंस्टीट्यूट फॉर एमआर (हैदराबाद) | प्रथम | 2015–16 | 1047132 |
| 78 | तेलंगाना | ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहेबिलिटेशन। मानसिक विकलांगों हेतु | डीएसई (एमआर) पाठ्यक्रम | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 83888 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | तेलंगाना | रि ट ंड टेश विगों | डीएसई (एमआर) पाठ्यक्रम | प्रथम | 2015–16 | 243870 |
| 80 | तेलंगाना | रि ट ंड टेश विगों | डीएसई (एमआर) पाठ्यक्रम | प्रथम | 2015–16 | 98963 |
| 81 | तेलंगाना | रि ट ंड टेश विगों | डीएसई (एमआर) पाठ्यक्रम | प्रथम | 2015–16 | 97650 |
| 82 | तेलंगाना | रि ट ंड टेश विगों | डीएसई (एमआर) पाठ्यक्रम | प्रथम | 2015–16 | 354420 |
| 83 | तेलंगाना | रि ट ंड टेश विगों | डीएसई(एमआर) पाठ्यक्रम | प्रथम | 2015–16 | 168750 |
| 84 | तेलंगाना | एजन ो | पीएच के लिए वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 597384 |
| 85 | तेलंगाना | र्वो न ो | पीएच बच्चों के लिए आवासीय स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 298435 |
| | | | | | कुल | 58119728 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| त्रिपुरा | | | | | | |
| 1 | त्रिपुरा | अभय मिशन | एमआर वाले बहु विकलांगता के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 32228 |
| 2 | त्रिपुरा | अभय मिशन | एमआर वाले बहु विकलांगता के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 6446 |
| 3 | त्रिपुरा | जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र | डीडीआरसी, उत्तर त्रिपुरा | प्रथम | 2015–16 | 507565 |
| 4 | त्रिपुरा | त्रिपुरा बाल कल्याण परिषद | सीपीएमआर के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 138486 |
| | | | | | कुल | 684725 |
| उत्तर प्रदेश | | | | | | |
| 1 | उत्तर प्रदेश | आदर्श मूक बधिर विद्यालय | एचएच के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 155836 |
| 2 | उत्तर प्रदेश | आदर्श मूक बधिर विद्यालय | एचएच के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 548156 |
| 3 | उत्तर प्रदेश | अखिल भारतीय कल्याण समिति | शिक्षा एवं वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 847905 |
| 4 | उत्तर प्रदेश | अंबेडकर शिक्षा समिति | दिव्यांगों के लिए वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 214681 |
| 5 | उत्तर प्रदेश | आर्या सुगंध स्थान (पूर्व में अपंग आशा जन विकास संस्थान के रूप में) | दिव्यांगों के लिए आवासीय स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 555830 |
| 6 | उत्तर प्रदेश | आर्या सुगंध स्थान (पूर्व में अपंग आशा जन विकास संस्थान के रूप में) | दिव्यांगों के लिए आवासीय स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 514250 |
| 7 | उत्तर प्रदेश | आर्या सुगंध स्थान (पूर्व में अपंग आशा जन विकास संस्थान के रूप में) | दिव्यांगों के लिए आवासीय स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 702900 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | उत्तर प्रदेश | गंधन अपंशा कास्थान में) | दिव्यांगों के लिए आवासीय स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 583467 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | बलास | मूक बधिर के लिए आवासीय स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 364313 |
| 10 | उत्तर प्रदेश | से | विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 179867 |
| 11 | उत्तर प्रदेश | से | विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय | प्रथम | 2015–16 | 550834 |
| 12 | उत्तर प्रदेश | चौ | विकलांगों के लिए शिक्षा और वीटीसी | प्रथम | 2015–16 | 835065 |
| 13 | उत्तर प्रदेश | चौ | विकलांगों के लिए शिक्षा और वीटीसी | शेष | 2014–15 | 67318 |
| 14 | उत्तर प्रदेश | ग्रा संर | विकलांगों के लिए शिक्षा और वीटीसी | प्रथम | 2014–15 | 326461 |
| 15 | उत्तर प्रदेश | | एमआर के लिए विद्यालय | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 273289 |
| 16 | उत्तर प्रदेश | धिरों प्र | मूल और बधिरों का विद्यालय | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 910128 |
| 17 | उत्तर प्रदेश | ट लेर्ट नएश | डीडीआरसी, बलिया | प्रथम | 2015–16 | 697125 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | ऑप ड इ | बधिरों व मानसिक विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय | प्रथम | 2015–16 | 965705 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | ज्वा | एचआई के लिए विशेष विद्यालय | तीसरा एवं अंतिम | 2015–16 | 344538 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | ड युट द ड | रेसिडेंशियल स्कूल फॉर हैंडीकैप्ड | प्रथम | 2015–16 | 758250 |
| 21 | उत्तर प्रदेश | ड युट द ड | रेसिडेंशियल स्कूल फॉर हैंडीकैप्ड | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 506052 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | उत्तर प्रदेश | इंटीग्रेटिड इंस्टीट्युट फॉर द डिसेबल्ड | रेसिडेंशियल स्कूल फॉर हैंडीकैप्ड | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 566654 |
| 23 | उत्तर प्रदेश | जॉनसन एकेडमिक इंस्टीट्युट | सुनने में अक्षम बच्चों के लिए विशेष विद्यालय | प्रथम | 2015–16 | 632258 |
| 24 | उत्तर प्रदेश | केएसजे हाई स्कूल | विकलांग के लिए आवासीय स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 1213335 |
| 25 | उत्तर प्रदेश | किरण सोसाइटी, वाराणसी, यू.पी. | दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 388308 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | मंगलम | विकलांगों के लिए वीटीसी | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 48193 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | मनीष सेवा संस्थान | एमआर के लिए विशेष स्कूल (ग्रामीण परियोजना) | प्रथम | 2014–15 | 248071 |
| 28 | उत्तर प्रदेश | मेरठ बाल कल्याण न्यास | एमएच बच्चों के लिए विशेष विद्यालय | प्रथम | 2015–16 | 569095 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | निर्वाण | एमआर के लिए शिक्षा एवं वीटीसी | प्रथम | 2014–15 | 69859 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | पावाहारी स्मृति परिषद | वीएच के लिए आवासीय विद्यालय | प्रथम | 2015–16 | 335858 |
| 31 | उत्तर प्रदेश | पावाहरी स्मृति परिषद | मूक बधिरों के लिए आवासीय विद्यालय | प्रथम | 2015–16 | 536842 |
| 32 | उत्तर प्रदेश | प्राग नारायण मूक बधिर विद्यालय समिति | बधिरों के लिए विद्यालय | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 379845 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | रचना (विकलांगों के लिए एकीकृत संस्थान की शाखा ) | मानसिक विकलांगों और विविध विकलांगो के लिए विशेष विद्यालय | प्रथम | 2015–16 | 615728 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | रावत शिक्षा समिति | एचआई एवं वीआई के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 623536 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | उत्तर प्रदेश | सेटी, गाख ी | डीडीआरसी, रायबरेली | पूर्ण एवं अंतिम | 2015–16 | 182585 |
| 36 | उत्तर प्रदेश | विक | प्रीस्कूल और अर्ली इंटरवेंशन सेंटर | प्रथम | 2014–15 | 139236 |
| 37 | उत्तर प्रदेश | एान टी | दिव्यांग हेतु एचएच एंड वीटीसी के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 450996 |
| 38 | उत्तर प्रदेश | उ | एचएच के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 200957 |
| 39 | उत्तर प्रदेश | वाान | एमआर के लिए विशेष विद्यालय | दूसरा | 2014–15 | 100611 |
| 40 | उत्तर प्रदेश | मानद अं य | देखने में अक्षम के लिए आवासीय विद्यालय | शेष | 2014–15 | 428366 |
| 41 | उत्तर प्रदेश | मानद अं य | देखने में अक्षम के लिए आवासीय विद्यालय | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 701379 |
| 42 | उत्तर प्रदेश | योा टी | श्रवण बाधित के लिए आवासीय स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 841779 |
| 43 | उत्तर प्रदेश | योा टी | श्रवण बाधित के लिए आवासीय स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 1822230 |
| 44 | उत्तर प्रदेश | क ने ग क्कों याण त्तरा वकाान | मानसिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय और वीटीसी | प्रथम | 2014–15 | 381880 |
| 45 | उत्तर प्रदेश | ा र ा स | डीडीआरसी, रामपुर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 165913 |
| 46 | उत्तर प्रदेश | प्रदेश विद्य | बधिर के लिए आवासीय स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 1790257 |
| 47 | उत्तर प्रदेश | प्रदेश विद्य | बधिर के लिए आवासीय स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 1701653 |
| | | | | | कुल | 26037394 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | उत्तराखंड | | | |
| 1 | उत्तराखंड | हैपी फैमिली हेल्थ केयर एंड रिसर्च एसोसिएशनन | डीडीआरसी हरिद्वार | दूसरा | 2014–15 | 423300 |
| 2 | उत्तराखंड | रफेल रेडार चेषायर अंतरराष्ट्रीय केंद्र | एमआर के लिए वीटीसी एवं हॉस्टल तथा डे केयर सेंटर | प्रथम | 2014–15 | 385760 |
| 3 | उत्तराखंड | रफेल रेडार चेशायर अंतरराष्ट्रीय केंद्र | एमआर के लिए वीटीसी एवं हॉस्टल तथा डे केयर सेंटर | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 385760 |
| 4 | उत्तराखंड | रफेल रेडार चेशायर अंतरराष्ट्रीय केंद्र | एमआर के लिए वीटीसी एवं हॉस्टल तथा डे केयर सेंटर | प्रथम | 2015–16 | 606203 |
| 5 | उत्तराखंड | रफेल रेडार चेशायर अंतरराष्ट्रीय केंद्र | एलसीपी के लिए केंद्र | प्रथम | 2014–15 | 129786 |
| 6 | उत्तराखंड | रफेल रेडार चेशायर अंतरराष्ट्रीय केंद्र | एलसीपी के लिए केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 129787 |
| 7 | उत्तराखंड | विकलांग मंदबुद्धि कल्याण समिति | एमएच के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 382953 |
| | | | | | कुल | 2443549 |
| | | | पश्चिम बंगाल | | | |
| 1 | पश्चिम बंगाल | अलाकेंदु बोध निकेतन रेसिडेंशियल | वीटीसी उपकरणों सहित एमआर हेतु विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 89009 |
| 2 | पश्चिम बंगाल | अलाकेंदु बोध निकेतन रेसिडेंशियल | एमआर हेतु विशेष स्कूल एवं वीटीसी (जैमो यूनिट) | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 1206954 |
| 3 | पश्चिम बंगाल | अलाकेंदु बोध निकेतन रेसिडेंशियल | एमआर हेतु विशेष स्कूल एवं वीटीसी (मुख्य यूनिट) | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 157416 |
| 4 | पश्चिम बंगाल | अलाकेंदु बोध निकेतन रेसिडेंशियल | मैन पावर डेवलपमेंट टीचयर्स ट्रेनिंग | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 73134 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | पश्चिम बंगाल | भव | एचएच के लिए विशेष स्कूल एवं वीटीसी | प्रथम | 2014–15 | 226791 |
| 6 | पश्चिम बंगाल | भव | अस्थी विकलांग हेतु पुनर्वास केंद्र | प्रथम | 2014–15 | 257836 |
| 7 | पश्चिम बंगाल | ोलदम | विशेष बाल विकास केंद्र | प्रथम | 2014–15 | 263352 |
| 8 | पश्चिम बंगाल | ोलदम | विशेष बाल विकास केंद्र | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 263353 |
| 9 | पश्चिम बंगाल | अलो | एमआर बच्चों और थेरेपी पाठ्यक्रमों के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 68085 |
| 10 | पश्चिम बंगाल | अलो | एमआर बच्चों और थेरेपी पाठ्यक्रमों के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 68085 |
| 11 | पश्चिम बंगाल | भा सेंटी | पीएच के लिए उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र और फिजि.डेप. (झारग्राम) | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 534242 |
| 12 | पश्चिम बंगाल | यन | एमआर के लिए डे केयर सेंटर | प्रथम | 2015–16 | 597772 |
| 13 | पश्चिम बंगाल | यन | एमआर के लिए डे केयर सेंटर | दूसरा एवं अन्तिम | 2015–16 | 585773 |
| 14 | पश्चिम बंगाल | न ट ोल | वीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 457252 |
| 15 | पश्चिम बंगाल | न ट ोल | वीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 440940 |
| 16 | पश्चिम बंगाल | न सेद्र | एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 166814 |
| 17 | पश्चिम बंगाल | द्र मुकर | मूक एवं बधिर हेतु शैक्षणिक संस्थान | प्रथम | 2014–15 | 839613 |
| 18 | पश्चिम बंगाल | द्र मुकर | मूक एवं बधिर हेतु शैक्षणिक संस्थान | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 657081 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | पश्चिम बंगाल | डम डम डीप डैफ एवं डंब एंड डंब स्कूल क्रेच | श्रवण विकलांगों के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 325953 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | ईस्टर्न कमांड ऑफ आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशनन | आशा स्कूल, कोलकाता, (आर्मी वेल्फेयर सोसायटी) | प्रथम | 2014–15 | 173705 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | मालदा हेदरपुर सेल्टर | डीडीआरसी, मालदा | प्रथम | 2015–16 | 276575 |
| 22 | पश्चिम बंगाल | होप | वीटीसी घटक सहित एच.एच के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 544397 |
| 23 | पश्चिम बंगाल | होप | वीटीसी घटक सहित एच.एच के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 388855 |
| 24 | पश्चिम बंगाल | इंस्टि्टयूट फॉर द हैंडिकैप्ड एंड बैकवर्ड पीअुपल | विकलांगजन हेतु विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 540840 |
| 25 | पश्चिम बंगाल | इंस्टि्टयूट फॉर द हैंडिकैप्ड एंड बैकवर्ड पीअुपल | विकलांगजन हेतु विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 540840 |
| 26 | पश्चिम बंगाल | जलपाइगुड़ी वेल्फेयर ऑर्गेनाइजेशन | एमआर / एचएच / वीआई के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 228159 |
| 27 | पश्चिम बंगाल | जलपाइगुड़ी वेल्फेयर ऑर्गेनाइजेशन | एमआर / एचएच / वीआई के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 535365 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | कोरक प्रतिबंधी कल्याण केंद्र | एमएच के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 258437 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | कोरक प्रतिबंधी कल्याण केंद्र | एमएच के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2015–16 | 236400 |
| 30 | पश्चिम बंगाल | कोवाली सलेहा मेमोरियल स्कूल फॉर हियरिंग एंड मेंटली हैंडिकैप्ड | एमएच / एचएच के लिए विशेष स्कूल | पूर्ण एवं अंतिम | 2014–15 | 219580 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | पश्चिम बंगाल | कास लटेंड इंस्टि हैंड | एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 85501 |
| 32 | पश्चिम बंगाल | कास लटेंड इंस्टि हैंड | एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 168430 |
| 33 | पश्चिम बंगाल | कास लटेंड इंस्टि हैंड | एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 148201 |
| 34 | पश्चिम बंगाल | कास लटेंड इंस्टि हैंड | एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल | दूसरा एवं अन्तिम | 2014–15 | 28502 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | कास लटेंड इंस्टि हैंड | एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल | प्रथम | 2014–15 | 301499 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | कास लटेंड इंस्टि हैंड | एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल | पहली | 2014–15 | 151481 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | कास लटेंड इंस्टि हैंड | एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल | पहली | 2014–15 | 661957 |
| 38 | पश्चिम बंगाल | कास लटेंड इंस्टि हैंड | एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 157468 |
| 39 | पश्चिम बंगाल | कास लटेंड इंस्टि हैंड | एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 100500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | पश्चिम बंगाल | मनोविकास केंद्र रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉम द हैंडीकैप्ड | एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 50494 |
| 41 | पश्चिम बंगाल | मनोविकास केंद्र रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉम द हैंडीकैप्ड | एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 56143 |
| 42 | पश्चिम बंगाल | मनोविकास केंद्र रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉम द हैंडीकैप्ड | एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल | पहली | 2015–16 | 138950 |
| 43 | पश्चिम बंगाल | मनोविकास केंद्र रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉम द हैंडीकैप्ड | एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 220652 |
| 44 | पश्चिम बंगाल | मनोविकास केंद्र रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉम द हैंडीकैप्ड | एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल | पहली | 2015–16 | 398131 |
| 45 | पश्चिम बंगाल | मनोविकास केंद्र रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉम द हैंडीकैप्ड | एमआर (6 यूनिट) के लिए विशेष स्कूल | पहली | 2015–16 | 183206 |
| 46 | पश्चिम बंगाल | मोयोना रामाकृष्णन एसोसिएशन | एचएच के लिए विशेष स्कूल | पहली | 2014–15 | 283548 |
| 47 | पश्चिम बंगाल | निमतोरी तालुक उन्नयन समिति | दिव्यांगो के लिए वीटीसी | पहली | 2014–15 | 364312 |
| 48 | पश्चिम बंगाल | निमतोरी तालुक उन्नयन समिति | दिव्यांगो के लिए वीटीसी | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 121438 |
| 49 | पश्चिम बंगाल | निमतोरी तालुक उन्नयन समिति | दिव्यांगो के लिए वीटीसी | पहली | 2015–16 | 365805 |
| 50 | पश्चिम बंगाल | निमतोरी तालुक उन्नयन समिति | दिव्यांगो के लिए वीटीसी | पहली | 2014–15 | 110534 |
| 51 | पश्चिम बंगाल | नार्थ बंगाल पुनर्वास समिति | एचएच एवं एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 868766 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | पश्चिम बंगाल | च्चोंलिए पेतामेत्व क | बधिर बच्चों के लिए स्कूल | पहली | 2015–16 | 268086 |
| 53 | पश्चिम बंगाल | ानाफ | हॉफ वे होम | पहली | 2014–15 | 118702 |
| 54 | पश्चिम बंगाल | ानाफ | हॉफ वे होम | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 118702 |
| 55 | पश्चिम बंगाल | ा मि बॉर ो | कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रशिक्षण | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 373095 |
| 56 | पश्चिम बंगाल | ा मि बॉर ो | कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रशिक्षण | पहली | 2015–16 | 356295 |
| 57 | पश्चिम बंगाल | ा मि बॉर ो, न्र | स्वीमिंग पूल | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 72253 |
| 58 | पश्चिम बंगाल | ा मि बॉय ो, न्र | स्वीमिंग पूल | पहली | 2015–16 | 75815 |
| 59 | पश्चिम बंगाल | ा मि बॉय ा, न्र | ब्रेल प्रेस मैनटेनेंस | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 886724 |
| 60 | पश्चिम बंगाल | ा मि बॉय ा, न्र | ब्रेल प्रेस मैनटेनेंस | बकाया राशि | 2014–15 | 737422 |
| 61 | पश्चिम बंगाल | ट टक लामेति | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 219458 |
| 62 | पश्चिम बंगाल | ोएच | विशेष बाल विकास केंद्र | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 501875 |
| 63 | पश्चिम बंगाल | ोएच | विशेष बाल विकास केंद्र | पहली | 2015–16 | 332550 |
| 64 | पश्चिम बंगाल | ा का | वीटीसी घटक के साथ एचएच एवं एमआर के लिए विशेष स्कूल | पहली | 2014–15 | 175608 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | पश्चिम बंगाल | सेवायतन कल्याण केंद्र | मूक, बधिर एवं एमआर हेतु विशेष स्कूल | पहली | 2014–15 | 265345 |
| 66 | पश्चिम बंगाल | सेवायतन कल्याण केंद्र | मूक, बधिर एवं एमआर हेतु विशेष स्कूल | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 747793 |
| 67 | पश्चिम बंगाल | सेवायतन कल्याण केंद्र | मूक, बधिर एवं एमआर हेतु विशेष स्कूल | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 98457 |
| 68 | पश्चिम बंगाल | सेलटर | एमआर के लिए विशेष स्कूल | पहली | 2014–15 | 118621 |
| 69 | पश्चिम बंगाल | सेलटर | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 350159 |
| 70 | पश्चिम बंगाल | सेलटर | एमआर के लिए विशेष स्कूल | पहली | 2015–16 | 413430 |
| 71 | पश्चिम बंगाल | सेलटर | एमआर के लिए विशेष स्कूल | दूसरी एवं अंतिम | 2015–16 | 413431 |
| 72 | पश्चिम बंगाल | सोसाइटी फार मेंटल हेल्थ केयर | एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल | पहली | 2014–15 | 254576 |
| 73 | पश्चिम बंगाल | सोसाइटी फार मेंटल हेल्थ केयर | एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल | दूसरी एवं अंतिम | 2014–15 | 254577 |
| 74 | पश्चिम बंगाल | सोसाइटी फार मेंटल हेल्थ केयर | डीआरएस (एमआर) शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम | पहली | 2014–15 | 134212 |
| 75 | पश्चिम बंगाल | युवा उन्नयन सेवा समिति | सीपीएमआर बच्चों के लिए विशेष जस्कूल एवं पुनर्वास केंद्र | पहली | 2015–16 | 306606 |
| 75 | पश्चिम बंगाल | युवा उन्नयन सेवा समिति | सीपीएमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल एवं पुनर्वास केंद्र | पहली | 2015–16 | 23781918 |
| | | | | | कुल | 47563836 |

अनुबंध–11

## 2016–17 दौ[illegible]द विकलांग पुनर्वास योजना के तहत गैर–सरकारी संगठनों को [illegible]ी अनुदान सहायता के राज्य–वार विवरण का सार 1.12.2016 के अनुसार)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | जारी की गई राशि (रू. लाख में) | सहायता किए गए गैर–सरकारी संस्थान | सहायता की गई परियोजनाएं | लाभार्थी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 543.42 | 45 | 60 | 9807 |
| 2 | बिहार | 21.86 | 6 | 6 | 657 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 12.07 | 5 | 5 | 422 |
| 4 | गोवा | 4.89 | 1 | 1 | 86 |
| 5 | गुजरात | 28.00 | 8 | 10 | 5505 |
| 6 | हरियाणा | 66.36 | 13 | 14 | 1063 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 20.93 | 4 | 5 | 279 |
| 8 | जम्मू एवं कश्मी | 3.25 | 1 | 1 | 58 |
| 9 | झारखंड | 0.94 | 1 | 1 | 70 |
| 10 | कर्नाटक | 76.18 | 6 | 9 | 1357 |
| 11 | केरल | 373.85 | 47 | 51 | 6423 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 60.27 | 16 | 17 | 1078 |
| 13 | महाराष्ट्र | 177.38 | 21 | 26 | 15721 |
| 14 | ओडिसा | 246.87 | 29 | 38 | 6347 |
| 15 | पंजाब | 51.27 | 9 | 10 | 1092 |
| 16 | राजस्थान | 81.54 | 21 | 23 | 2608 |
| 17 | तमिलनाडू | 69.65 | 17 | 19 | 2481 |
| 18 | तेलांगना | 581.19 | 42 | 55 | 9857 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 260.37 | 35 | 37 | 5026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | उत्तराखंड | 24.43 | 3 | 4 | 319 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 237.81 | 30 | 38 | 13180 |
| पूर्वोत्तर क्षेत्रीय राज्य | | | | | |
| 1 | अरूणाचल प्रदेश | 3.87 | 1 | 1 | 27 |
| 2 | असम | 59.80 | 10 | 12 | 1367 |
| 3 | मणिपुर | 160.81 | 20 | 28 | 2419 |
| 4 | मेघालय | 43.13 | 5 | 6 | 676 |
| 5 | मिजोरम | 7.38 | 2 | 2 | 221 |
| 6 | नागालैंड | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | सिक्किम | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | त्रिपुरा | 6.84 | 3 | 3 | 129 |
| | संघ शासित प्रदेश | | | | |
| 1 | अंडमान एवं निकोबर | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | दादरा एवं नागर हवेली | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | दमन एवं दीव | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | दिल्ली | 56.73 | 8 | 10 | 2589 |
| 6 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | पुडुचेरी | 7.16 | 1 | 1 | 108 |
| | डीडीआरसी | | 0 | 0 | 45000 |
| | कुल | 3288.25 | 410 | 493 | 135990 |

अनुबंध–12

## 2016–17 वर्ष के दौ[illegible]डीडीआरसी के अंतर्गत डीडीआरसीएस को जारी की अनुदान सहायता

16.01.2017 तक)

| क्र. सं. | डीडीआरसी | राज्य/संघ राज्य | स्कीम | जारी की गई राशि (रू.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | देवरिया | यु.पी. | सिपडा | 275775 |
| 2 | पुरनिया | बिहार | सिपडा | 327626 |
| 3 | कराईकल | पुडुचेरी | सिपडा | 107961 |
| 4 | लखीमपुर | असम | सिपडा | 838065 |
| 5 | जोरहाट | असम | सिपडा | 387091 |
| 6 | कुल्लु | हिमाचल प्रदेश | सिपडा | 1720000 |
| 7 | बरेली | यु.पी. | सिपडा | 441651 |
| 8 | नागपुर | महाराष्ट्र | सिपडा | 193300 |
| 9 | वाराणशी | यु.पी. | सिपडा | 1720000 |
| 10 | पश्चिम चंप | बिहार | सिपडा | 191143 |
| 11 | उदयपुर | राजस्थान | डीडीआरएस | 332100 |
| 12 | वडोदरा | गुजरात | डीडीआरएस | 207587 |
| 13 | बलिय | यु.पी. | डीडीआरएस | 697125 |
| 14 | फूलबनी | ओडिशा | डीडीआरएस | 221940 |
| 15 | अमरावती | महाराष्ट्र | डीडीआरएस | 459000 |
| 16 | हरिद्वार | उत्तराखंड | डीडीआरएस | 423300 |
| 17 | नवरंगपूर | ओडिशा | डीडीआरएस | 294204 |
| 18 | संगरूर | पंजाब | डीडीआरएस | 222270 |
| 19 | बालाघा | एम.पी. | डीडीआरएस | 610956 |
| 20 | तवांग | आंध्र प्रदेश | डीडीआरएस | 387190 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | देवरिया | यु.पी. | सिपडा | 324342 |
| 22 | कुशीनगर | यु.पी. | सिपडा | 98515 |
| 23 | उद्यमपुर | जे. और के. | सिपडा | 375000 |
| 24 | ईस्ट गोदावरी | आंध्र प्रदेश | डीडीआरएस | 590290 |
| 25 | जालौर | राजस्थान | डीडीआरएस | 259084 |
| 26 | विजयानगर | आंध्र प्रदेश | सिपडा | 342000 |
| 27 | मंदसौर | एम.पी. | डीडीआरएस | 250425 |
| 29 | अमरावती | महाराष्ट्र | डीडीआरएस | 374922 |
| 30 | गोंदिया | महाराष्ट्र | सिपडा | 132913 |
| 31 | गोंदिया | महाराष्ट्र | डीडीआरएस | 256745 |
| 32 | मालदा | पश्चिम बंगाल | डीडीआरएस | 276575 |
| 33 | रेवा | एम.पी. | डीडीआरएस | 294611 |
| 34 | सेहोर | एम.पी. | सिपडा | 262383 |
| 35 | इम्फाल वेस्ट | मणिपुर | सिपडा | 530200 |
| 36 | गेलाघाट | असम | सिपडा | 351768 |
| 37 | राय बरेली | यु.पी. | डीडीआरएस | 182585 |
| 38 | नार्थ त्रिपुरा | त्रिपुरा | डीडीआरएस | 507565 |
| 39 | रामपुर | यु.पी. | डीडीआरएस | 165913 |
| 40 | बलाघाट | एम.पी. | डीडीआरएस | 189317 |
| 41 | बैदून | यु.पी. | सिपडा | 443603 |
| 42 | लखीमपुर | असम | सिपडा | 926095 |
| 43 | जबलपुर | एम.पी. | डीडीआरएस | 130107 |
| 44 | सागर | एम.पी. | डीडीआरएस | 304560 |
| 45 | उज्जैन | एम.पी. | डीडीआरएस | 233397 |
| | | | कुल | **17861199** |

अनुबंध–13

## राष्ट्रीय संस्थान केत्रीय केंद्र द्वारा संचालित दीर्घ अवधि पाठ्यक्रमों यक वर्ष से अधिक) का विवरण

1. अली यावर जंग रा ण ांग संस्थान, (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई

एवाईजेएनआईएस बईठ्यक्रम

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | मास्टर ऑफ ऑ , स– लेंग्वेज पैथोलॉजी | 2 वर्ष | 19 |
| 2. | मास्टर ऑफ एज़ ेयरम्पियर्ड) | 2 वर्ष | 23 |
| 3. | बैचलर ऑफ ऑ औच–लेंग्वेज पैथोलॉजी | 4 वर्ष | 43 |
| 4. | बैचलर ऑफ एज़ ेयरम्पियर्ड) | 2 वर्ष | 39 |
| 5. | साइन लेंग्वेज इं ोर्सड्प्लोमा | 1 वर्ष | 15 |

ईआरसी, कोलकाता क्रम

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | मास्टर ऑफ ऑ , स– लेंग्वेज पैथोलॉजी | 2 वर्ष | 15 |
| 2. | मास्टर ऑफ एज़ ेयरम्पियर्ड) | 2 वर्ष | 10 |
| 3. | बैचलर ऑफ ऑ औच–लेंग्वेज पैथोलॉजी | 4 वर्ष | 31 |
| 4. | बैचलर ऑफ एज़ ेयरम्पियर्ड) | 2 वर्ष | 23 |
| 5. | बैचलर ऑफ एज़ वणशक्त) डिस्टेंस मोड | 2 वर्ष | 40 |
| 6. | डिप्लोमा इन एज़ पेशनुकेशन–डीएचएच) | 2 वर्ष | 31 |
| 7. | साइन लेंग्वेज इं ोर्सडिप्लोमा | 1 वर्ष | 15 |
| 8. | कंप्यूटर एप्लिके टपिकोर्स | 1 वर्ष | 20 |

एसआरसी, सिकंद्राबाद क्र

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | मास्टर ऑफ सा डियो, स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी) | 2 वर्ष | 15 |
| 2. | बैचलर ऑफ सा डियो, स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी) | 4 वर्ष | 33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | बैचलर ऑफ एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयर्ड) | 2 वर्ष | 31 |
| 4. | डिप्लोमा इन स्पेशन एजुकेशन (डीएचएच) | 2 वर्ष | 31 |

**एनआरसी, नोएडा में पाठ्यक्रम**

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी और स्पीच–लेंग्वेज पैथोलॉजी | 4 वर्ष | 31 |
| 2. | डिप्लोमा इन स्पेशन एजुकेशन (डीएचएच) | 2 वर्ष | 31 |
| 3. | डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच | 1 वर्ष | 31 |
| 4. | साइन लेंग्वेज इंटरप्रेटर कोर्स में डिप्लोमा | 1 वर्ष | 15 |
| 5. | श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर एप्लिकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स | 1 वर्ष | 20 |

**टीसीटीडी, जनला, ओडिसा में पाठ्यक्रम**

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | डिप्लोमा इन स्पेशन एजुकेशन (डीएचएच) | 2 वर्ष | 31 |
| 2. | डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच | 1 वर्ष | 31 |

**2. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, ओडिसा**

**एसवीएनआईआरटीएआर, कटक में पाठ्यक्रम**

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी) | 4 ) वर्ष | 62 |
| 2 | बैचलर ऑफ ऑकोपेशनल थेरेपी (बीओटी) | 4 ) वर्ष | 62 |
| 3 | बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स (बीपीओ) | 4 ) वर्ष | 46 |
| 4 | मास्टर इन फिजियोथेरेपी (एमपीटी) | 02 वर्ष | 15 |
| 5 | मास्टर ऑफ ऑकोपेशनल थेरेपी (एमओटी) | 02 वर्ष | 15 |
| 6 | डिप्लोमेट इन फिजीकल मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन | 02 वर्ष | 04 |

3. राष्ट्रीय बहुविक अरिता संस्थान (एनआईईपीएमडी, चेन्नई

एनआईईपीएमई मेयक्रम

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | डी.एड. स्पेशल (ए) | 2 वर्ष | 25 |
| 2 | डी.एड. स्पेशल (र्स | 2 वर्ष | 25 |
| 3 | डी.एड. स्पेशल (र्ड | 2 वर्ष | 25 |
| 4 | डी.एड. स्पेशल (ए | 2 वर्ष | 25 |
| 5 | बी.पी.टी.* | 4½ वर्ष | 25 |
| 6 | बी.एकृ स्पेशल (ए)* | 2 वर्ष | 30 |
| 7 | बी.एकृ स्पेशल (र्ड | 2 वर्ष | 30 |
| 8 | बी.एकृ स्पेशल (ए | 2 वर्ष | 30 |
| 9 | एम.एकृ स्पेशल (ए)* | 2 वर्ष | 20 |
| 10 | एम.एकृ स्पेशल (ए | 2 वर्ष | 20 |
| 11 | एम.फिल (क्लि जो | 2 वर्ष | 06 |
| 12 | पीजीडीडीटी (ड | 1¼ वर्ष | 25 |
| 13 | पीजीडीईआई | 1 वर्ष | 25 |

*पाठ्यक्रम नवम्बर 2016 से प्रारंभ किए गए

4. राष्ट्रीय मानलांस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंद्राबाद

एनआईईपीआक्यूकंद्राबाद में पाठ्यक्रम

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | एम.फिल इन शिनकलॉजी (एमआर) | 2 वर्ष | 14 |
| 2 | एम.एड इन स्केशनआर) | 2 वर्ष | 25 |
| 3 | पोस्ट ग्रेजुएशन इर्नी इंटरवेंशन | 1 वर्ष | 20 |
| 4 | बी.एकृ इन स्केशनआर) | 2 वर्ष | 25 |
| 5 | डिप्लोमा इन डहुशल एजुकेशन (एमआर) | 1 वर्ष | 25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | बी.एक् स्पेशल एजुकेशन (एमआर) | 2 वर्ष | 25 |
| 7 | डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (एमआर) | 1 वर्ष | 25 |

**एनआईईपीआईडी क्षेत्रीय केंद्र, नोएडा में पाठ्यक्रम**

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (एमआर) | 2 वर्ष | 30 |

**एनआईईपीआईडी क्षेत्रीय केंद्र, नवी मुंबई में पाठ्यक्रम**

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (एमआर) | 2 वर्ष | 25 |
| 2. | डिप्लोमा इन अर्ली चाइडहुड स्पेशल एजुकेशन (एमआर) | 1 वर्ष | 25 |
| 3. | डिप्लोमा इन वोकशनल रिहैबीलिटेशन (एमआर) | 1 वर्ष | 25 |

**एनआईईपीआईडी क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता में पाठ्यक्रम**

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (एमआर) | 2 वर्ष | 25 |
| 2. | डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन (एमआर) | 2 वर्ष | 31 |
| 3. | डिप्लोमा इन वोकशनल रिहैबीलिटेशन (एमआर) | 1 वर्ष | 31 |

5. **राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एनआईओएच), कोलकाता**

**एनआईओएच, कोलकाता में पाठ्यक्रम**

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | मास्टर इन फिजियोथेरेपी (एमपीटी) | 2 वर्ष | 6 |
| 2 | मास्टर इन ऑकोपेशनल थेरेपी (एमओटी) | 2 वर्ष | 6 |
| 3 | मास्टर इन साइंस प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स | 2 वर्ष | 6 |
| 4 | डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड इन फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबीलिटेशन डीएनबी (पीएमआर) | 3/2 वर्ष | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | पोस्ट ग्रुजेएट िन ाीलिटी रिहैबीलिटेशन एंड मैनेजमेंट (पीजीएम) | 1 वर्ष | 15 |
| 6 | एम.एससी. रिहै(आरहैबीलिटेशन) | 2 वर्ष | 10 |
| 7 | बैचलर ऑफ पिी टी) | 4 एवं ½ वर्ष | 52 |
| 8 | बैचलर ऑफ अ थ(बीओटी) | 4 एवं ½ वर्ष | 51 |
| 9 | बैचलर ऑफ प्रएंड टिक्स (बीपीओ) | 4 एवं ½ वर्ष | 34 |
| 10 | पोस्ट ग्रुजेएट िन इंजीनियरिंग | 1 वर्ष | 10 |

**क्षेत्रीय केंद्र, आईजोल यक्र**

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | डिप्लोमा इन िन(रटी) | 2½ | 10 |

**क्षेत्रीय केंद्र, देहरादून क्र**

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | डिप्लोमा इन िन(रटी) | 2 ½ | 10 |
| 2 | सीपीओ | 1 वर्ष | 10 |

**6. पंडित दीनदयाशारीरिक विकलांग संस्थान, (पीडीयूआईपीएच), नई दिल्ली**

**पीडीयूआईपीदिलें पाठ्यक्रम**

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | बैचलर ऑफ िपी | 4½ वर्ष | 54 |
| 2 | बैचलर ऑफ अल | 4½ वर्ष | 54 |
| 3 | बैचलर ऑफ प्रएंडोटिक्स | 4½ वर्ष | 31 |

7. राष्ट्रीय दृष्टि बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु संस्थान(एनआईईपीवीडी), देहरादून

एनआईईपीवीडी, देहरादून में पाठ्यक्रम

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | एम.एड स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयर्ड) | 2 वर्ष | 20 |
| 2 | बी.एड स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयर्ड) | 2 वर्ष | 150 |
| 3 | डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयर्ड) | 2 वर्ष | 550 |
| 4 | पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकलॉजी | 1 वर्ष | 15 |
| | डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (VI एंड डीबी) | 2 वर्ष | 2150 |
| **ग)** | **स्कील डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम** | | |
| क | कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट | 1 वर्ष | 21 |
| ख | प्रैक्टिशनर कोर्स इन जैपनीज़ मेडिकल मैनुअल थेरेपी | 2 वर्ष | 30 (15x2 वर्ष) |
| ग | ब्रेल शॉर्टहैंड (हिंदी) | 1 वर्ष | 16 |

ग) क्षेत्रीय केंद्र, चेन्नई में पाठ्यक्रम

| क्र.सं. | पाठ्यक्रम का नाम | पाठ्यक्रम की अवधि | सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| क) | बी.एड स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयर्ड) | 2 वर्ष | 40 |
| ख) | डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयर्ड) | 2 वर्ष | 50 |
| | **स्कील डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम** | | |
| क) | एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी–सिप फार द ब्लाइंड | 1 वर्ष | 15 |

अनुबंध–14

## ब्रेल प्रेसों क नाधुनिकिकरण / क्षमता बढाने की सहायता हेतु केत जारी की गई निधियों के ब्यौरे

(i) 6 नयी ब्रेल प्रेस प्राप

| क्र.सं. | संगठन/संस्थाम | जारी की गई कुल अनुदान सहायता |
|---|---|---|
| 1 | संयुक्त क्षेत्रीय द्र हिमाचल प्रदेश | 1,60,18,000 रू. |
| 2 | आंध्र प्रदेश विकसहकनिगम, हेदराबाद | 1,29,77,000 रू. |
| 3 | समाजिक कल्यालसीसगढ़ सरकार, रायपुर | 56,42,000 रू. |
| 4 | जोरहाट बलाइंअसरकार | 31,95,913 रू. |
| 5 | डिपार्टमेंट आफ ंड री, मेघालय सरकार, शिलोंग | 63,84,000 रू. |
| 6 | शुभम (एजीओ), पुर,र | 79,61,000 रू. |
| 7 | राष्ट्रीय दृष्टिहीन रिद हरियाणा | 84,24,000 रू. |
| (ii) | 12 विद्यमान सों प्राधुनिकीकरण | |
| 1 | सेंट्रल ब्रेल प्रेस, एच्रादून | 1,53,05,000 रू. |
| 2 | राजस्थान नेत्रहीग रुयपुर, राजस्थान | 1,50,00,000 रू. |
| 3 | तेलंगाना स्टेट ा री निगम, हेदराबाद | 92,56,076 रू. |
| 4 | रामकृष्ण मिशन ल फ्रोलकाता, पश्चिम बंगाल | 97,07,605 रू. |
| 5 | मित्रा ज्योति चेस्ट, रू, कर्नाटक | 1,83,64,450 रू. |
| 6 | समाजिक कल्यलयीसगढ़ सरकार, बिलासपुर | 1,89,90,000 रू. |
| 7 | सामाजिक सुरक्षा एवं विकास विभाग, पंजाब सरकार | 1,00,00,000 रू. |
| 8 | सामाजिक कल्या, सी ब्रेल प्रेस, भोपाल, मध्य प्रदेश | 97,38,000 रू. |
| 9 | राष्ट्रीय दृष्टिहीन हमद, गुजरात | 37,61,000 रू. |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, मुम्बई, महाराष्ट्र | 86,56,789 रू. |
| 11 | केरल दृष्टिहीन परिसंघ, तिरूवनंतपुरम | 91,40,500 रू. |
| **(iii)** | **3 ब्रैल प्रेसों की क्षमता बढ़ाना** | |
| 1 | एनआईवीएच क्षेत्रीय केंद्र, चेन्नई | 1,72,67,000 रू. |
| 2 | राष्ट्रीय दृष्टिहीन परिसंघ, नई दिल्ली | 49,50,000 रू. |
| 3 | अखिल भारत दृष्टिहीन परिसंघ, दिल्ली | 84,51,162 रू. |
| | **कुल** | **21,91,89,495 रू.** |

**(iv) 31.12.2016 तक क्षेणी–वार जारी की गई कुल निधियां:–**

| नई ब्रेल प्रेसों की स्थापना | ब्रेल प्रेसों का आधुनिकीकरण | ब्रेल प्रेसों की क्षमता बढ़ाना |
|---|---|---|
| 5,52,05,989 / –रू. | 3,06,68,162 / – रू. | 13,33,15,344 / –रू. |

**(v) 31.12.2016 तक जारी की गई सकल अनुदान सहायता** **21,91,89,495 / –रू.**

अनुबंध–15

## पुर, 2016 के प्राप्तकर्ताओं की सूची

I. सर्वश्रेष्ठ कर्मचा यो दिव्यांग

| संख्या | पुरस्कारो– श्रेणी एव | पुरूष / महिला | नाम | पता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दृष्टि बाधि | पुरूष | श्री कृणाल राजेन्द्रभाई जोशी | अहमदाबाद, गुजरात |
| | | पुरूष | श्री रक्षित सेठी | आईबीएलयूआर जंगसन, बैंगलूरू, कर्नाटक |
| | | महिला | श्रीमति सीमा पाहुजा | सोनीपत, हरियाणा |
| 2 | निम्न दृष्टि | पुरूष | श्री थामस हुसेन एम.जे. | विल्लूपूरम, तमिलनाडु |
| | | पुरूष | गजानन विनायक राव बेल्लाले | लातूर, महाराष्ट्र |
| | | महिला | – | . |
| 3 | कुष्ठ रोग | पुरूष | श्री पटेल नरवतभाई मंगाभाई | वडोदरा, गुजरात |
| | | पुरूष | श्री के. गणेसन | विल्लूपूरम, तमिलनाडु |
| | | महिला | – | . |
| 4 | श्रवण बाधि | पुरूष | श्री बाबू सी | स्लेम, तमिलनाडु |
| | | महिला | कुमारी रंजनी रामानुजन | बैंगलूरू, कर्नाटक |
| 5 | गतिविशयतत | पुरूष | डॉ. मौहम्मद इरफानूर रहीम | नागपुर, महाराष्ट्र |
| | | महिला | श्रीमति विमला एन. | चेन्नई, तमिलनाडु |
| 6 | प्रमस्तिश्क | पुरूष | श्री ऋशि भुट्टन | नई दिल्ली |
| | | पुरूष | श्री विवेक जोशी | जलंधर पंजाब |
| | | महिला | – | . |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | मानसिक मंदता | पुरुष | श्री जितेश बी | तिरूवेन्द्रम, केरल |
| | | महिला | ए. पुनीता | श्रीपेरूम्बुदूर, तमिलनाडु |
| | | | कुमारी देवांशी जोशी | नई दिल्ली |
| 8 | मानसिक रूग्णता | पुरुष | . | . |
| | | महिला | श्रीमति टीएमटी मलार | विल्लूपूरम, तमिलनाडु |
| 9 | स्वलीनता | पुरुष | दृ | . |
| | | महिला | दृ | . |
| 10 | बहु निःशक्तता | पुरुष | श्री कृष्ण कुमार पी. नायर | इर्नाकुलम, केरल |
| | | | श्री मेहतो दिलीप कुमार | सूरत, गुजरात |
| | | | श्री निशाद पोपटलाल शाह | पुणे, महाराष्ट्र |
| | | महिला | . | . |

**II सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमैंट अधिकारी / एजेंसी**

| सं. | | उप–श्रेणी | |
|---|---|---|---|
| 1 | सर्वश्रेश्ठ नियोक्ता | (i) सरकारी संगठन | कोई पात्र नहीं पाया गया |
| | | (ii) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम / स्वायत्त / स्थानीय सरकारी निकाय | 1 केरल साइन्स एंड टेक्नोलॉजी संग्रालय, तिरूवेंदरम, केरल<br>2 स्टेट बैंक आफ इंडिया, कॉरपोरेट ओफिस, स्टेट बैंक भवन, कॉरपोरेट सेंटर, मेडम कामा मार्ग, मुम्बई, महाराष्ट्र |
| | | (iii) निजी / गैर सरकारी संगठन | 1 सनराइज केंडल्स, वेक्स म्युजियम, जिला सतारा महाराष्ट्र |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2 बैथनी सोसाइटी, लेडी वेरोनिका लेन लिथुमखरा शिलौंग, मेघालय |
| | | | 3 लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड लेमन ट्री प्रिमियर–दिल्ली एयरपोर्ट, आईजीआई, एयरपोर्ट, नई दिल्ली |
| | | | 4 आछी मसाला, चेन्नई, तमिलनाडू |
| | | | 5 एजिस लिमिटेड, कुरला (पश्चिम), मुम्बई, महाराष्ट्र |
| 2 | सर्वश्रेष्ठ [illegible] अधिकारी [illegible] | (i) स्वायत्त सरकारी संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम | श्री भारत सिंह गौर, इंदौर, मध्य प्रदेश |
| | | (ii) निजी/गैर सरकारी संगठनों/ कार्यालय | विशेष लर्निंग सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडू |

III. सर्वश्रेष्ठ [illegible] एस्थान सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत

| सं. | | उप–श्रेणी | नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | सर्वश्रेष्ठ [illegible] | व्यवसायिक | 1 सुश्री यमुनाम इबेचोबी देवी, इम्फाल, मणिपुर<br>2 श्री पंकज मारू, उज्जैन, (मध्य प्रदेश) |
| | | गैर व्यवसायिक | 1 श्रीमति राधा बोर्डे, नागपुर, महाराष्ट्र<br>2 श्री प्रीतेश अशोक कुमार शाह, अहमदाबाद, गुजरात |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | सर्वश्रेष्ठ संस्थान | (i) ऐसे संगठन जो विकलांगजनों को संपूर्ण व्यापक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। | 1 एनआईएमएचएएनएस, बैंगलूरू, कर्नाटक<br>2 नेशनल फेडेरेशन आफ द ब्लाइंड, नई दिल्ली<br>3 स्पास्टिक सोसाइटी आफ सिक्किम, गेंगटाक, सिक्किमए<br>4 स्पर्श फाउंडेशन, हैदराबाद, तेलंगाना<br>5 जनकल्याण समिति लातूर (महाराष्ट्र) |
| | | (ii) ऐसे संगठन जो बच्चों/ विकलांगजनों की सम्मिलित शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहें हैं | 1 सेवा इन एक्शन (एएसएसएन), कोरामंगला, बैंगलूरू, कर्नाटक<br>2 रामकृष्णा मिशन ब्लाइंड ब्याइज एकेडमी, नरेन्द्रपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल |

**IV रोल मॉडल पुरस्कार**

| सं. | उप–श्रेणी | | नाम | पता और दूरभाष सं /ई–मेल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | दृष्टि बाधिता / निम्न दृष्टि | पुरूष | श्री दीपित सतीस जैन | नई दिल्ली |
| | | महिला | श्रीमती ममता शर्मा | पश्चिम मिदिनीपुर, पश्चिम बंगाल |
| 2 | कुष्ठ रोगमुक्ति | पुरूष | श्री ए. गुणाशेखरन | चेन्नई, तमिलनाडु |
| 3 | श्रवण बाधित | पुरूष | श्री के. मुराली | कोयम्बटूर, तमिलनाडु |
| | | महिला | कुमारी अश्वनी मेलवानी | पुणे, महाराष्ट्र |
| 4 | गतिविशयक निःशक्तता / प्रमस्तिष्क घात | पुरूष | डॉ. बिपीन कुमार तिवारी | नई दिल्ली |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | श्री पी. जनार्दन राव, हैदराबाद | कंचनबाग, हैदराबाद, तेलंगाना |
| | | महिला | सुश्री आभा खेतरपाल मौर्य | नई दिल्ली |
| 5 | मानसिक निःशक्तता | [illegible]हु पुरूष | श्री प्रसाद बासवराज, गोलासंगी | बासवन गुडी गोकाक, कर्नाटक |
| | | महिला | कुमारी टी.जे. नवेदिता | बैंगलूरू, कर्नाटक |

V दिव्यांग [illegible] कोन में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रयुक्त सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान/नवाचार/[illegible]विक

| क्र.सं. | उप–श्रेणी | पुरस्कार विजेता |
|---|---|---|
| 1 | विकलांगज[illegible]वन्ाधार के लक्ष्यार्थ स[illegible]ुसंध प्रौद्योगिकी | श्री आर.हरि, महाप्रबंधक, एचआर, लैमन ट्री होटल लि., एरोसिटी हास्पिटिलिटी डिस्टिक, नई दिल्ली |
| 2 | विकलांगज[illegible]वन्ाधार के लक्ष्यार्थ प्र[illegible]त [illegible]ीनतम उत्पाद के[illegible] में स हेतु | 1. श्री अनुप नारंग, निदेशक, विपणन एवं श्री आलोक नारंग, निदेशक तकनीकी, एएलपीएस श्रवण अनुसंधान, आर्शीवाद कांपलैक्स, ग्रीन पार्क, दिल्ली<br>2. श्री राजेश शर्मा, निदेशक, आनंद मोटर, कृष्णा कालोनी, जयपुर |

VI. दिव्यांग [illegible]के बाधामुक्त वातावरण सृजन में उत्कृष्ठ कार्य

| क्र.सं. | उप–श्रेणी | पुरस्कार विजेता |
|---|---|---|
| 1 | सरकारी [illegible]भाग/कार्यालय/सार्वजनिक उप/स्वायत्त निकाय | जिला कलक्टर, कन्नूर, केरल<br>1 जिला कलक्टर, झालावार, राजस्थान<br>2 जिला कलक्टर, इंदौर<br>3 अधीक्षक आर्कोलोजिस्ट, आर्कोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का कार्यालय, केंद्रीय सदन, 5वां तल, एफ विंग, कोरामंगला, बैंगलूरू, कर्नाटक– 560034<br>(क्रम सं. 1 से 3 को केवल प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुए) |
| 2 | स्थानीय [illegible] | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | निजी क्षेत्र/गैर सरकारी संगठन | | आशा भवन केन्द्र, केथिला, बैनिटेबल, उलूबेरिया, हावड़ा, पश्चिम बंगाल, |
| **VII.** | **सर्वश्रेष्ठ जिलों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु पुरस्कार** | | **इलाहाबाद जिला (यू.पी.)**<br><br>1 तिरूचिलापल्ली (तमिलनाडु)<br>2 बिलासपुर (छत्तीसगढ़)<br>3 जबलपुर (मध्य प्रदेश)<br>4 संबलपुर (औडिशा)<br>5 झाबुआ (मध्य प्रदेश)<br>6 चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)<br>(क्रम सं. जिला 1 से 6 प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिला) |
| **VIII.** | **राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ राज्य चेनालाइजिंग एजेंसी** | | 1 तमिलनाडु राज्य शीर्श, सहकारी बैंक लि.<br>2 मेघालय शीर्श, सहकारी बैंक लि.<br>3 महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम सहकारी लि., मुम्बई<br>4 हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम, शिमला<br>5 राजस्थान एससी/एसटी राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम सहकारी लि., (आरएससी/एसटीएफडीसीसी), जयपुर<br>6 छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त आवाम विकास निगम<br>7 जे एंड के राज्य महिला विकास निगम<br>(क्रम सं. जिला 4 से 7 प्रशस्ति प्रमाण प्त्र मिला) |
| IX | दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उत्कृष्ठ रचनात्मक व्यस्क व्यक्ति | पुरूष | श्री प्रशांत सी., परिवंचरम, केरल |
| | | महिला | कुमारी योगिता अरून थामले, मुम्बई, महाराष्ट्र |

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | सर्वश्रेष्ठ दिव<br>रचनात्मक ब | ड़का | श्री उद्देश्य सिंह, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) |
| | | ड़की | कुमारी थोकचोम शाहू देवी, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर |
| XI | सर्वश्रेष्ठ ब्रेल | | रामकृष्ण मिशन क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस, पी. ओ., नरेनद्रपुर, कोलकाता – 700 103 |
| XII | श्रेष्ठ एक्से साः | | |
| क्र.सं. | उप–श्रेणी | | पुरस्कार विजेता |
| 1. | सरकारी | | . |
| 2. | पीएसयू/ | | . |
| 3. | निजी क्षे | | |
| XIII | दिव्यांगज शक्ति को बढ़ावा दे श्रेष्य | | कर्नाटक |
| XIV | सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी | पुरूष | श्री बी. आनंद कुमार, बैंगलूरू, कर्नाटक |
| | | महिला | कुमारी प्रज्ञा गिलडीयल, नई दिल्ली |

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

## निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में परिभाषित पदों की शब्दावली

(क) ''अंधता'' उस अवस्था को निर्दिष्ट करती है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित है, अर्थातः–

i दृष्टि का पूर्ण अभाव; या

ii सुधारक लेंसो के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता 6 / 60 या 20 / 200 (स्नेलन) से अधिक न हो, या

iii दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे बदतर है

(ख) ''निःशक्तता'' से अभिप्रेत है

(i) अन्धता;

(ii) कम दृष्टि;

(iii) कुष्ठ रोग मुक्त;

(iv) श्रवण शक्ति का ह्रास;

(v) चलन निःशक्तता;

(vi) मानसिक मंदता;

(vii) मानसिक रूग्णता;

(ग) ''स्थापन'' से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम अथवा सरकार अथवा किसी स्थानीय अथवा कम्पनी के स्वामित्वधीन या सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय अभिप्रेत है और सरकार के विभाग भी सम्मिलित हैं;

(घ) ''श्रवण'' शक्ति का ह्रास'' से अभिप्रेत है आवृत्ति की संवाद संबंधी रेंज में बेहतर कर्ण में साठ डेसीबल या अधिक की हानि;

(ङ) ''विकलांगजनों के लिए संस्था'' से अभिप्रेत हैं विकलांगजनों के प्रवेश, देखरेख, संरक्षण, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास या किसी अन्य सेवा के लिए संस्था;

(च) ''कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कुष्ठ से रोग मुक्त हो गया है किन्तु–

i. हाथों या पैरों में सवेंदना की कमी और नेत्र और पलक में कमी, सवेंदना की कमी और आंशिक घात से ग्रस्त है किन्तु प्रकट विरूपता से ग्रस्त नहीं है;

ii. प्रकट [illegible]र क घात से ग्रस्त है, किन्तु उसके हाथों और पैरो में पर्याप्त गतिशीलता है, जिससे [illegible]य ऊ क्रियाक्लाप कर सकता है;

iii. अत्यन्त [illegible]विरऔर अधिक वृद्धावस्था से ग्रस्त है जो उसे कोई भी लाभपूर्ण उपजीविका चलाने [illegible]ै अंद "कुष्ठ रोगमुक्त" का तदनुसार अर्थ लिया जाएगा;

(छ) "चलन निःशक्तत[illegible]ड्यड़ो या मांसपेशियों की कोई ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, जिससे अंगों की गति में पर्याप्त नि[illegible]सीर का प्रमस्तिष्क घात हो;

(ज) "चिकित्सा प्राधिक[illegible]ई पंस्पताल या संस्था अभिप्रेत है जो समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के [illegible]के ग़िनिर्दिष्ट की जाए;

(झ) "मानसिक रूग्णत[illegible]प्रेत ई मानसिक विकार जो मानसिक मंदता से भिन्न हो;

(ञ) "मानसिक मंदता" [illegible] हैी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरूद्ध या अपूर्ण विकास की अवस्था जो विशेष रूप से बुद्धिमत्ता [illegible]न्यरा अभिलक्षित होती है;

(ट) "विकलांगजन" से[illegible] व्यअभिप्रेत है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमार्णित किसी निःशक्तता के कम से कम चा[illegible]त त्त है;

(ठ) "कम दृष्टि वाला [illegible] ऐसई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात् भी दृष्टि [illegible]ह्रसाया है किन्तु जो समुचित सहायक मुक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए [illegible]पयरता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ है;

(ड) "पुर्नवास" ऐसी प्र[illegible]सव्करता है जिसका उद्देश्य विकलांगजनों को, उनका सर्वोत्तम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मा[illegible]साक़ कार्यात्मक स्तर प्राप्त करने और उसे बनाए रखने में समर्थ बनाना है;

(ढ) "विशेष रोजगार [illegible]से ऐसा कार्यालय या स्थान अभिप्रेत है जो सरकार द्वारा रजिस्टर रखकर अन्यथा निम्नलिखि[illegible]त क़ारी का संग्रहण करने और देने के लिए स्थापित और अनुरक्षित किया गया है:–

i. ऐसे व्य[illegible]शक्से ग्रस्त व्यक्तियों में से कर्मचारियों को काम में लगाना चाहते है;

ii. ऐसे विक[illegible] जो जन चाहते है; और

iii. ऐसे रिक[illegible]जनए नियोजन चाहने वाले विकलांगजनों की नियुक्ति की जा सकती है

## ओटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुविकलांग ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में परिभाषित पदों की शब्दावली

(क) ''ओटिज्म'' स्वप्रणायता का अर्थ है असमानता निपुणता की स्थिति जो मनुष्य की संचार व्यवहार और सामाजिक योग्यताओं को प्रभावित करती है और बांरबारता मूलक और विधिवादी व्यवहार से चिंहित करती है;

(ख) ''बहुनिश्क्तता'' का अर्थ है दो या अधिक निश्क्तताओं का सहयोजन, जैसा कि अशकताओं वाला व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का 1) की धारा (2) के खंड ;पद्ध में परिभाषित किया जाता है;

(ग) "निश्क्तता वाले व्यक्ति" का अर्थ ऐसा व्यक्ति है जो स्वप्राणयता का मस्तिष्क का घात, मानसिक मंदिता अथवा किसी स्थिति या ऐसी दो या दो से अधिक निष्क्रियता से ग्रस्त है और इसमें गंभीर बहुनिश्क्तता वाला व्यक्ति भी शामिल होता है,

(घ) ''पेशेवर''का अर्थ किसी क्षेत्र में विशेष दक्षता रखने वाले व्यक्ति से है जो निश्क्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देगा;

(ङ) ''गंभीर निश्क्तता'' का अर्थ ऐसी निश्क्तता है जो एक या अधिक बहुनिश्क्तताओं का 80 प्रतिशत या अधिक भाग रखती है।

## भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 में परिभाषित पदों की शब्दावली

(क) ''मान्यताप्राप्त पुनर्वास अर्हता'' से आरसीआई अधिनियम अनुसूची में सम्मिलित कोई अर्हता अभिप्रेत है।

(ख) ''पुनर्वास पेशेवर'' से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं

(i) श्रवण वैज्ञानिक और वाक् चिकित्सक;

(ii) नैदानिक मनोविज्ञानिक;

(iii) श्रवण सहाय और कर्णसंच तकनीशियन;

(iv) पुनर्वास इंजीनियर और तकनीशियन;

(v) असुविधाग्रस्त को शिक्षण और प्रशिक्षण देने के लिए विशेष अध्यापक;

(vi) असुविधाग्रस्त से संबंधित व्यवसाय परामर्शी, रोजगार अधिकारी और स्थानन अधिकारी;

(vii) बहुउद्देशीय पुनर्वास चिकित्सक, तकनीशियन; अथवा

(viii) पेशेवरों के ऐसे अन्य प्रवर्ग, जिन्हें केंद्रीय सरकार, परिषद् के परामर्श, से समय–समय पर, अधिसूचित करे।

## महत्वपूर्ण और साम क्तदों तथा संक्षिप्त अक्षरों की शब्दावली (एनआईएमएच)

| शब्द | संक्षिप्त अक्षर | परिभाषा |
|---|---|---|
| एक्टीव रेंज ऑफ मोशन | एआरओएम | रेंज ऑफ मोशन एक शब्द है जिसका अर्थ है शरीर का एक जोड़ अथवा हिस्सा जो सामान्य गति से काम करता है। |
| एक्टीविटिज ऑफ डेली ली | एडीएल | इसका तात्पर्य दैनिक स्वयं के क्रियाक्लापों से है जैसे खाना, नहाना, कपड़े पहनना आदि। |
| ऐसिसटेंस टू डिसेब्ल्ड ॉर परचेज/फीटिंग ऑफ अपलाईनसिस | एडीप | विकलांगजनों को चलाने फिरने में मदद करने के लिए देश में अच्छी गुणवत्ता वाले यंत्रों एवं सहायक उपकरणों की आपूर्ति योजना। |
| एटेनशन डेफिसिट हाइ डिस्आर्डर | एडीएचडी | एक ऐसी कमी जो बचपन में विकसित होती है, ध्यानहीनता, अतिसक्रियता, आवेशशीलता के रूप में चिन्हित की जाती है। |
| ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्आ | एएसडी | यह एक विकास संबंधी कमी है जो सामान्यतः तीन वर्ष की आयु से पहले होती है तथा सामाजिकरण, बातचीत और एक समान व्यवहार के मिलने के रूप में चिन्हित की जाती है। |
| क्रोनोलोजिकल एज | सीए | व्यक्ति के जन्म से अब तक कि शारिरिक आयु (समय)। |
| कम्युनिटी बेस्ड रिहाब्लि | सीबीआर | विकलांगजनों का और पुनर्वास, अवसरों की सामान्यत सामाजिक व्यवहार के विकास के लिए समुदाय विकास के भीतर एक योजना। |
| कम्पोजिट रिहाब्लिटेशन | सीआरसी | देश में फोक्स किए गए क्षेत्रों मे विकलांग पुनर्वास गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए डिसेबिलिटी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राष्ट्रीय संस्थान का एक विस्तार केंद्र। |

| | | |
|---|---|---|
| डेवलेपमेंटल कोशिएन्ट | डिक्यू | जब किसी व्यक्ति की विकासात्मक आयु वास्तविक आयु द्वारा विभाजित करके 100 से गुणा की जाती है तब बनाया गया एक तरीका |
| डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहाब्लिटेशन सेन्टर | डीडीआरसी | जिला स्तर पर विकलांगजनों हेतु पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए डिसेबिलिटी कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक योजना। |
| डॉउनस सिन्ड्रोम | डीएस | डाउन सिन्ड्रोम क्रोमोसोमल ऐबरेन्ड स्थिति है जो बौधिक विकलांगता से जुड़ी है। शैशव काल में फेशियल एम्पीयल्स और कमजोर मस्ल के रूप में दिखाई देता है। इससे ग्रसित सभी व्यक्ति संज्ञात्मक विलम्ब महसूस करते है परन्तु बौद्धिक विकलांगता आमतौर पर कम अथवा मामूली होती है। |
| इन्डीविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम | आईईपी | किसी विशेष व्यक्ति की समग्र योग्यता के आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करता हैं। |
| इन्टेलीजेन्स कोशियन्ट | आईक्यू | मानसिक आयु और वास्तविक आयु को 100 से गुणा करने पर प्राप्त औसत/ मानसिक आयु इन्टेलीजेन्स जांच द्वारा प्राप्त की जाती है। |
| लर्निंग डिसेबिलिटी/स्पेसिफीक लरनिंग डिसेबिलिटी | एलडी/एसएलडी | सामान्य बौद्धिक कार्यचालन औसत अथवा औसत अथवा से ऊपर होने पर भी अधिग्रहण तथा सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तार्किक तथा गणितीय योग्यता के प्रयोग में कठिनाइयां द्वारा विकसित कमी। |
| मेन्टल एज | एमए | इंटेलीजेन्ट टेस्ट से प्राप्त |
| सोशल एज | एसए | एसए एक कार्य सक्षमता है जो बातचीत स्वयं निर्देशक, सामाजिक संदर्भ में इस उम्र में ऐसे लक्षण से प्राप्त की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| सोशल स्कील ट्रेनिंग | एसएसटी | सामाजिक कौशल बढ़ाने के लिए थेराप्युटिक स्टियुलेशन दिया जाता है। |
| वोकेशनल रिहाब्लिटेशन | वीआरसी | श्रम मंत्रालय के अंर्तगत वीआरसी में विकलांगजन के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार हेतु श्रमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। |
| वोकेशनल ट्रेनिंग | वीटी | वयस्क विकलांगो को स्वतंत्र जीवन यापन के लिए विभिन्न रोजगारों उन्मुख गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है |

## एलिम्को

### महत्वपूर्ण संक्षिप्त अक्षर

| संकेत अक्षर/ संक्षिप्त अक्षर | परिभाषा |
|---|---|
| एलिम्को | भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम |
| जीआईए | अनुदान सहायता |
| पीडब्ल्यूडी | दिव्यांगजन |
| टी/सी | ट्राईसाइकिल |
| एच/ए | श्रवण यंत्र |
| एएफओ | एंकल फुट ऑर्थोसिस (लघु पैर ब्रेस) |
| एचकेएएफओ | हिप–नी फुट ऑर्थोसिस |
| आरसीआई | भारतीय पुनर्वास परिषद् |
| एएण्डए | यंत्र एवं उपकरण |
| पीएण्डओ | प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोसिस |
| डब्ल्यू/सी | व्हीलचेयर |
| बीटीई | बिहाइन्ड द इयर हिएरिंग एट |
| केएचएफओ | नी एंकल फुट ओरथोसिस |
| बीआईएल | द्विपक्षीय |
| एमआर | मानसिक मंदता |
| सीडब्ल्यूएसएन | विशेष ध्यान दिए जाने हेतु बच्चा |

## ि विंग प्रबंधन– संक्षिप्ताक्षरों की सूची

| | |
|---|---|
| एएसी | न्टेटिव एंड आलटरनेटिव कम्यूनिकेशन |
| एबीआर | ारी ब्रेनस्टैम्प रेस्पोन्स |
| एआईआएसएच | ब भारतीय वाक श्रवण संस्थान |
| एआईपीएमआर | ब भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान |
| एवाईजेएनआईएवए | याावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान |
| बीएमएफ | ी मिलेनियम फ्रेमवर्क |
| सीसीसी | र समन्वय समिति |
| सीसीपीडी | ांगों हेतु मुख्य आयुक्त |
| सीईओ | र कार्यकारी समिति |
| सीआरई | रपुनर्वास शिक्षा |
| डीएआईएसई | टल एक्सेसिबल इंफोरमेशन सिस्टम |
| डीडीआरसी | ि विकलांगता पुनर्वास केंद्र |
| डीएफए | फॉर ऑल |
| डीपीईपी–आईईडी | क्ट प्राइमरी एज्यूकेशन प्रोग्राम – इंटिग्रेडिट एज्यूकेशन फॉर ेबल |
| डीपीओ | ांगों हेतु संस्थान |
| डीआरसी | ि पुनर्वास केंद्र |
| आईईडी | ांगों हेतु समेकित शिक्षा |
| आईईडीसी | ांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा |
| आईपीएच | पदयाल इंस्टीटयूट फॉर द फिजिकली हैन्डीकैप |
| आईएसआईसी | न स्पाइनल इंजुरी सैंटर |
| एमआरडब्ल्यू | बद्देशीय पुनर्वास कामगार |
| एनएचएफडीसी | य विकलांग वित्त एवं विकास निगम |

| | |
|---|---|
| एनआई | राष्ट्रीय संस्थान |
| एनआईएमएच | राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान |
| एनआईएमएचएएनएस | राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान |
| एनआईओएच | राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान |
| एनआईआरटीएआर | राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान |
| एनआईवीएच | राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान |
| एनपीआरपीडी | विकलांगों के लिए पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम |
| पीपीआई | स्थायी शारीरिक क्षति |
| पीडब्ल्यूडी एक्ट | विकलांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण, पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 |
| आरआरटीसी | क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र |
| आरएसआईसी | क्षेत्रीय स्पाइनल इंजुरी सैंटर |
| एसई | विशेष शिक्षा |

## लांगता संबंधी शब्दकोष

| क्र. सं. | | परिभाषा |
|---|---|---|
| 1. | एडेप्टिव बि[illegible]लएस) | किसी व्यक्ति की, उसके वातावरण के साथ समुचित व्यवहार के संबंध में, योग्यता का मूल्याकंन करने के लिए अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटारडेशन द्वारा विकसित एक पैमाना |
| 2. | एकोस्टीक [illegible] | किसी व्यक्ति को सुनने में मदद के लिए कोई माध्यम |
| 3. | एक्टीविटीज[illegible]ली [illegible] (एडीएलसी) | मौलिक निजी गतिविधियां जिसमें नहाना, खाना, कपड़े पहनना, चलना, बिस्तर से चेयर पर लाना, प्रसाधन का इस्तेमाल, दवाई आदि देना, सामाजीकरण, कार्यात्मक संप्रेक्षण, कार्य संबंधी चलना फिरना, यौन अभिव्यक्ति शामिल है। |
| 4. | एटेंशन डेफ[illegible]ऑर्ड | (एडीडी) एटेंशन डेफीसिट अथवा हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर |
| 5. | एलजाइमर्स[illegible] | एक प्रग्रामी अपरिवर्तनीय बीमारी जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के अधःपतन तथा याददाश्त के खो जाने से होती है और जिसके कारण व्यक्ति अकार्यशील हो जाता है और अपनी मूलभूत जीवनयापन संबंधी जरुरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। |
| 6. | ऐम्बुलेट्री | सहायक उपकरणों के साथ अथवा उनके बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सक्षम |
| 7. | अमेरिकन स[illegible]वेजसएल) | श्रवण बाधित व्यक्तियों की एक दृष्टिगत भाषा (हाथ की मुद्राओं का प्रयोग करते हुए), जिसकी अपनी शब्दावली, व्याकरण, मुहावरे और वाक्य रचना होती है। एएसएल अमेरिका में प्रयोग की जाने वाली सबसे सामान्य सांकेतिक भाषा का रूप है। यह संकेत अंग्रेजी अथवा किसी अन्य बोलचाल की भाषा पर आधारित नहीं है। |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | एटेक्सिया | एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति फाइन एंड ग्रोस मोटर मूवमेन्ट एण्ड बैलेन्स को नियंत्रित करने में बेहद परेशानी महसूस करता है, जिसके कारण सैरेबैलम का नुकसान होता है। |
| 9. | एटेन्शन डेफीसिट डिसॉर्डर (एडीडी) | सामान्यतः एडीडी के रूप में जानी जाती है जो न्यूरोलोजिकल अशक्तता है और इसके लक्षणों में अनुचित ध्यान कौशल में कमी, आवेगी व्यवहार और कुछ मामलों में अतिसक्रियता। एडीडी को जीर्ण व्यवहार के रुप में जाना जाता है जो कम से कम छः महीने तक रहता है और सात वर्ष की आयु से पहले दिखाई देता है। व्यवहार में–व्यग्रता, बैठे रहने में मुश्किल, निर्देशों का पालन करने में मुश्किल, काम को अपूर्ण छोड़ना और जब दूसरे बोल रहे होते हैं, तब उन्हें नहीं सुनना। |
| 10. | कैलिपर | स्कीनफोल्ड थिकनैस को मापने के लिए कैलिब्रेटिड डिवाइस |
| 11. | क्लेफ्ट लिप एण्ड/ऑर पेलेट | मुंह की ऊपरी सतह और सॉफ्ट पेलेट के बीच में गैप जो कभी कभी ऊपरी होठ तक होता है। परिणामस्वरुप होठ के विभिन्न हिस्से अथवा पेलेट एक साथ नहीं बढ़ पाते और एक होठ अथवा सक्त पेलेट नहीं बना पाते जो सामान्यतः सुधार योग्य होता है। इसका प्रभाव खाने, बोलने सुनने और दांतों के निर्माण पर पड़ता है। |
| 12. | कोकलियर इमप्लांट | जो एक प्रकार का इलैक्ट्रोड और इलैक्ट्रोड्स जो कोकलियर में रखा जाता है और कान के पास स्कीन के अन्दर एक इन्डक्शन कोइल से जुड़ा होता है। दूसरा यूनिट शरीर पर लगाया जाता है जो ध्वनि को इलैक्ट्रिकल स्टीमुलस में परिवर्तित करता है जिससे आठवीं नर्व के न्यूरोन्स को इलैक्ट्रिकली स्टीमुलेट्स किया जाता है। इससे उन व्यक्तियों को सीमित रुप में सुनने की सुविधा प्रदान की जाती है जो परंपरागत श्रवण यंत्रों के माध्यम से लाभ नहीं उठा सकते। |

| | | |
|---|---|---|
| 13. | डीफ–बिलाइ | कॉनकमीटेन्ट हियरिंग और दृष्टि बाधिता जिसके कॉम्बिनेशन से ऐसी गंभीर बातचीत और अन्य विकासात्मक और शैक्षिक जरुरतें होती हैं। |
| 14. | डेमेंशिया | एक जैविक मानसिक कमी जिसमें पूर्व अर्जित बौद्धिक योग्यता में कमी आती है, जिसके कारण सामाजिक और व्यवसायिक कार्यों में, व्यवहार में कमी आती है, स्मृति व्यवधान इसका प्रमुख लक्षण है। इसके अतिरिक्त स्पष्ट रुप से सोचने, निर्णय लेने, इम्पल्स नियंत्रण और/अथवा व्यक्तित्व में परिवर्तन बाधित होता है। डेमेंशिया प्रगामी, स्टैटिक अथवा रिवर्सेबल हो सकता है जो उपयुक्त इलाज की उपलब्धता सहित पैथोलॉजी पर निर्भर करता है। |
| 15. | डाउन–सिन्ड्र | ऐसी अवस्था जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मिलटी मुख्यतः एक अतिरिक्त क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण होती है। |
| 16. | डाइसथ्रिया | वाक समस्याओं का समूह जब ध्वनि अस्पष्ट हो जाती है और वाक स्पीच में भी कमी होती है। पिच, लाउडनैस, रिदम और स्पीच की मुणवत्ता में परिवर्तन को देखा जा सकता है। |
| 17. | डाइस्केलक्यू | गणितीय प्रतिकों अथवा कार्य को समझने और प्रयोग करने में कठिनाई |
| 18. | डिसफ्लूऐंसी | स्पीच, स्टरिंग के सरल प्रवाह में अवरोध |
| 19. | डिसगिसिया | स्वाद को समझने में अक्षमता |
| 20. | डिसग्राफिया | लिखने की एक कमी, जिसके कारण लोगों को शब्द बनाने अथवा एक निर्धारित जगह के भीतर लिखने में परेशानी होती है। |

| | | |
|---|---|---|
| 21. | डिसकिनेसिया | वॉलियन्टरी मसल्स के समन्वय में आंशिक बाधता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति जिससे कलम्सी मूवमेंट और कम शारीरिक नियंत्रण हो पाता है। |
| 22. | डिसलेक्सिया | एक प्रकार की अधिगम विकलांगता, जहां परम्परागत कक्षा अनुभव के बावजूद कोई व्यक्ति लिखित अक्षरों, अंकों तथा शब्दों, पीछे की ओर से पढ़ने की समस्या तथा गंदी लिखावट से ग्रस्त होता है। इस शब्द का प्रयोग अक्सर तब होता है जब पढ़ने में अक्षमता के कारण न्यूरोलॉजिकल डिसफंगशन का संदेह होता है। |

## पहचाने गए पद 2013 चीप्रयोग किए जाने वाले संक्षिप्ताक्षर

| | |
|---|---|
| एस | ा |
| एसटी | ा हे |
| डब्ल्यू | ना |
| बीएन | ना |
| सीआरएल | ना |
| सीएल | ना |
| जेयू | ना |
| एल | ना |
| केसी | ा |
| आरडब्ल्यू | ा लेखना |
| एमएफ | लियं सहायता से समझाना |
| पीपी | ना गिरना |
| एसई | ना |
| सी | ीता |
| एच | ा |
| ओए | भुज |
| बीए | भु |
| ओएल | भुज्र एक पैर |
| बीएलए | पैर भुजा |
| बीएलओए | पैर एक भुजा |
| ओएल | पैर |
| बीएल | पैर |
| सीपी | तष्त |
| एलसी | उप्त |
| ओएच | ्र लिग |
| वीएच | बा |
| बी | हीन |
| एलवी | दृष्टि |
| एचएच | बाधि |

## विकलांगजन हेतु मुख्य आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट (वर्ष 1988–99)

### बेहतर भाषा बोलने की ओर एक कदम

विकलांगजनों को संबोधित करते समय समुचित ढंग / भाषा का प्रयोग करने के लिए, कृपया निम्नलिखित पर विचार करें:

| कहने की बजाए | ऐसा कहें |
|---|---|
| विकलांग अथवा अपंग बच्चा | निःशक्त बच्चा |
| पालसीड अथवा सी.पी. अथवा स्पॉस्टीक | प्रमस्तिष्क घात से ग्रसित व्यक्ति |
| व्यथित अथवा से ग्रसित, विक्टिम | ऐसा व्यक्ति जो |
| मूक अथवा गूंगा | वाकरहित |
| धीमा | विकास संबंधी विलम्ब |
| सनकी अथवा पागल | भावनात्मक रूप से अव्यवस्थित अथवा मानसिक रूप से बीमार |
| बहरा अथवा गूंगा | कम सुनने वाला अथवा श्रवण संबंधी कमी वाला व्यक्ति |
| मंद बुद्धि | मंदिता से ग्रसित व्यक्ति |
| मंगोलोइट | निम्नोतर लक्षण |
| सुस्त, मूर्ख | सीखने संबंधी विकलांगता |
| अपंग | शारीरिक विकलांगता वाला |
| जन्मजामत कमी | जन्मजात विकलांगता |
| दौरा पड़ना | उद्वेग |
| लंगड़ा | चलनबाधित |
| अमान्य अथवा लकवाग्रस्त | स्तंभित |
| बौना | छोटे कद का |

## विकलांगजनों के साथ बात करने हेतु मार्गदर्शिका

जब आप किसी विकलांगजन हैं पके मन में क्या विचार आता है? क्या आप सोचते हैं कि वह क्या नहीं कर सकते बल्कि यह सोचने के क्यासकते हैं। क्या विकलांग मनुष्य भगवान के अभाग्य बच्चे हैं? तो क्यों हम उन्हें भिन्न मानते हैं?

अगली बार जब आप किसी मि से तो उनसे समानता का भाव रखें। इसके कुछ तरीके यहां दिए गए हैं:

- यदि आप नहीं के कैसे तोड़नी है और बातचीत कैसे शुरू करनी है, तो शांत रहें और विकलांगजन क क।
- विकलांगों के ात्माच रखें। उनसे आपसी ताल–मेल बढ़ाएं। आप अवश्य ही कुछ रोचक व्यक्तित्व पाएंगे
- यदि सहायता कत्तो ही प्रदान करें, पर अति–उत्साही नहीं बनना चाहिए। किसी भी प्रकार की सहायता के व्याा सम्मान करें।
- व्यक्ति द्वारा दुप (बयर) बिना मांगें प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए।
- व्यक्ति को व्हील बैसाा अन्य प्रकार की सहायता बिना मांगे नहीं दें।
- विकलांगता के र्कआत ना करें पर स्वतः ही चर्चा हो जाए तो विचार बांट सकते हैं।
- पूर्ण सहयोग क ांगजे बात करने के लिए ज्यादा समय या स्थान की आवश्यकता हो सकती है।
- विकलांगजन ज र सहै, उसकी प्रशंसा करें। उन कष्टों को याद रखें जो व्यक्ति को उसकी विकलांगता से ाज वहार के कारण उसके सामने उत्पन्न हो सकते हैं।
- विकलांगता के व्या सीधी बात करें। बातचीत करने के लिए किसी मध्य व्यक्ति की सहायता न लें।
- किसी विकलांग त समय उसकी बात पर पूरा ध्यान दें। उनके दृष्टिकोण को सम्मान दें। विकलांगजन स रते आपका रवैया उनके दृष्टिकोण में सुधार करने की अपेक्षा उनको प्रोत्साहित करने चाा
- ऐसे व्यक्ति को मि मेंनाई हो, उससे ऐसे प्रश्न करें जिनके जवाब छोटे रूप में या हाव–भाव के संकेत से दिए ज।
- सुनने की कठिन क्तिाराम से, धीरे और स्पष्ट शब्दों में बात करें।
- विकलांगजन के न समय, जरूरत होने पर या अनुमति मांगे जाने पर ही भोजन करने में उनकी मदद क लेाादा आरामदेय हो सकता है यदि व्यक्ति अपना भोजन स्वयं ही रसोई में करना चाहता है प न व्यक्ति के साथ भोजन कर रहे हैं तो उसे टेबल पर रखें बर्तनों और पकवानों की स्थि में।

## संदर्भ:


| | |
|---|---|
| 1 | निःशक्तजन (सामान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 |
| 2 | राष्ट्रीय न्यास व्यक्ति के सुधार ऑटिज्म के साथ, मानसिक विकलांगता और बहु विकलांगता अधिनियम 1999 |
| 3 | भारतीय सुधारात्मक परिषद् अधिनियम, 1992 |
| 4 | महत्वपूर्ण एवं सामान्यतया प्रयुक्त शब्दों और संक्षिप्तियों की शब्दावली – राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांग संस्थान (एनआईएमएच) |
| 5 | महत्वपूर्ण संक्षिपतियां – भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम |
| 6 | भारतीय विकलांगता प्रबंधन (सी.एस. मोहापात्रा) |
| 7 | विकलांगता शब्दकोश (अरूप सेनगुप्ता) |
| 8 | अधिसूचना संख्या 16-15/2010-DD.III दिनांकित 29 जुलाई, 2013 |
| 9 | दिव्यांगजन हेतु मुख्य आयुक्त की वर्ष 1988–99 की वार्षिक रिपोर्ट। |

छला कवर फोटा : नवाशारी, 17 सितम्बर 2016 को मेगा कैंप

सुम्य
भात
आंयान

सुगम्य भारत - सशक्तरत

भारत सरका

**सामाजिक न्याय और अधिरिता मंत्रालय**
**दिव्यांगजन सशक्तित्ण विभाग**

Printed by : Public Printing (Delhi) Service # 9312404543, 9717547679